बाँदा महायोजना 2031 (पुनरीक्षित)

अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान

बांदा मास्टर प्लान, 2021 का संशोधन 2031 के लिए, उत्तर प्रदेश

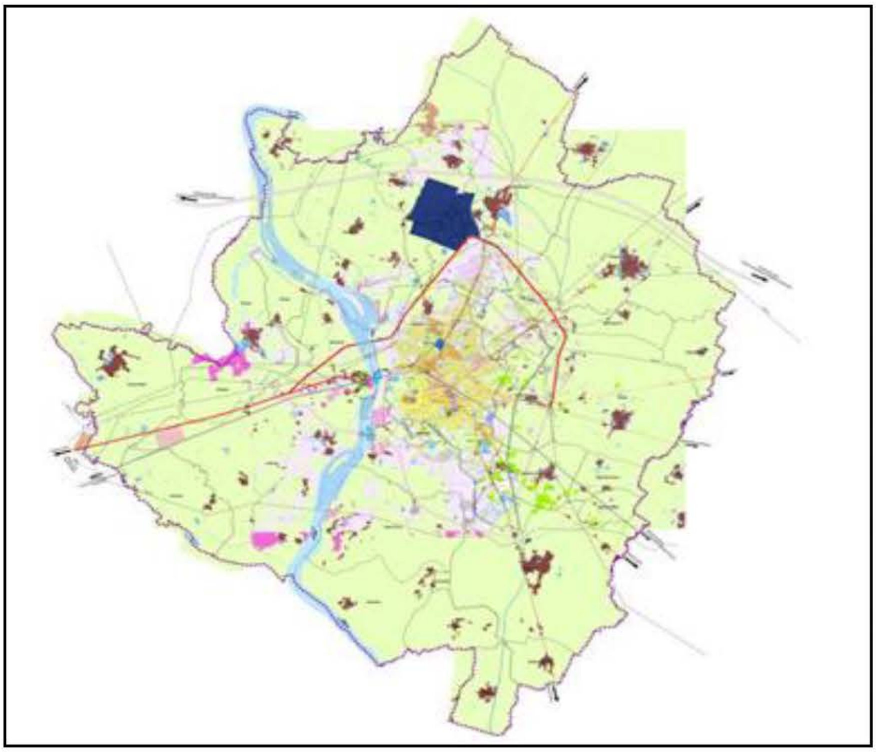

दिनांक 17.02.2025

प्रस्तुत

निर्देशक, राज्य मिशन, अमृत, उत्तर प्रदेश सरकार

द्वारा प्रस्तुत

संघ में;

मुख्य साझीदार
इंस्टिट्यूट फॉर स्पेशियल प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट रिसर्च, इंडिया, पंचकूला (ISPER)
सी-1, **अमरावती एन्क्लेव**, **पीओ अमरावती एन्क्लेव**, **पंचकुला**, **हरियाणा**-134105
ई-मेल: isperonline@gmail.com , वेबसाइट: http://www.isperonline.com
और

संबद्ध सदस्य
सिटीयानो डी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
31, भूतल, विजय ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली - 110092,
वेबसाइट: www.citiyanode.com,ईमेल: cityano.de@gmail.com

बाँदा महायोजना 2031 से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण

बाँदा नगर में हो रहे अनियोजित एवं अनियमित विकास को रोकने के लिए एवं विकास को सुनियोजित दिषा प्रदान करने देने के उद्देष्य से उत्तर प्रदेष (निर्माण कार्य विनियम) अधिनियम 1958 के अधीन बाँदा नगर पालिका क्षेत्र तथा इसके आस–पास के 30 राजस्व ग्राम के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1980 में बाँदा विनियमित क्षेत्र घोषित किया था। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेष द्वारा वर्ष 2001 को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987 में महायोजना–2001 अनुसूचित किया गया।

तत्पष्चात् बाँदा महायोजना–2021 का सचिव, उत्तर प्रदेष सरकार, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ शासनादेष क्रमांक 618/8–3–20005–58 महायोजना/2004 दिनांक 06 जून 2005 द्वारा दी गई सिफारिषो को शामिल करते हुए महायोजना 2021 को अनुमोदित किया गया। बाँदा महायोजना में वर्ष 2021 के लिए अनुमानित 2.70 लाख जनसंख्या हेतु 2323.96 हेक्टेयर भूमि के शहरीकरण का प्रस्ताव किया गया था। इस शहरीकरण के प्रस्तावित भू–उपयोग का विवरण निम्नानुसार किया गया; आवासीय उपयोग हेतु 1009.29 हेक्टेयर, व्यवसायिक उपयोग हेतु 34.07 हेक्टेयर, केंद्रीय क्रिया हेतु 206.86 हेक्टेयर, औद्योगिक हेतु 103.36 हेक्टेयर, कार्यालय हेतु 87.34 हेक्टेयर, मनोरंजन सुविधाएं हेतु 411.33 हेक्टेयर। महायोजना 2021 में शहरीकरण योग्य क्षेत्र की प्रस्तावना के अतिरिक्त 2.70 लाख जनसंख्या हेतु सामाजिक आधारभूत ढांचे का समायोजन तथा प्रस्तावित वर्ष 2021 तक की बिजली, पेयजल आदि उपयोगिता एवं सेवाओं से सम्बन्धित आवश्यकताओं का आकलन करके महायोजना में समावेष किया गया था।

पिछले 2 दशकों (1991–2001 और 2001–2011) में भारत की जनसंख्या में औसतन 20.15 प्रतिशत की वृद्धि आई है। जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ देष के शहरों तथा ग्रामों के आकार में भी वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2031 तक भारत की शहरी जनसंख्या 40 प्रतिषत तथा 2051 में 50 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाए गए है। शहरों का विकास सहीं ढ़ग से हो, प्राकृतिक संषाधनों का संतुलित उपयोग किया जाए तथा शहर में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को अटल नवीकरण एवं शहरीकरण परिवर्तन अभियान देष के 500 शहरों (वर्ग–1) के लिए शुरू किया गया। अटल नवीकरण एवं शहरीकरण परिवर्तन (AMRUT) अभियान की एक सब–स्कीम शुरू की गई जिसके तहत 500 शहरों (वर्ग–1) के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित महायोजनाएं बनाने की परियोजना बनाई गई। इन 500 शहरों में से उत्तर प्रदेश राज्य के बाँदा सहित 59 शहर आते है।

बाँदा नगर हेतु प्रभावी महायोजना 2021 की अवधि समाप्ति हो रही है एवं नगर की भावी जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष आवष्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास, नगर में विकसित भूमि की मांग, सुनियोजित विकास के दृष्टिगत महायोजना 2021 का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक समझा गया। उत्तर प्रदेष नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 7 (प्राधिकरण के उद्देष्य) के अनुसार, बाँदा विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2031 के लिए महायोजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। बाँदा महायोजना पुनरीक्षण हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ को नोडल एजेंसी घोषित किया गया था, तथा संयुक्त नियोजक, झांसी विभागीय नियोजन खण्ड , झांसी को निर्देष दिए गए कि बाँदा महायोजना पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर दें। नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सभी शहरों की जीआईएस आधारित महायोजना तैयार करने के लिए

अलग–अलग सलाहकार नियुक्त किए गये। बाँदा शहर के लिए प्रमुख सलाहकार इंस्टिट्यूट फॉर स्पेशियल प्लानिंग एण्ड एनवायरनमेंट रिसर्च, पंचकुला को नियुक्त किया गया। अटल नवीकरण एवं शहरीकरण परिवर्तन अभियान की दिशा निर्देषानुसार जीआईएस प्रौद्योगिकी आधारित आधार मानचित्र निर्माण के उद्‌देष्य से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हैदराबाद को सलाहकार (भारत सरकार द्वारा) के रूप में नियुक्त किया गया था। बेस मैप जियोस्पेषियल डेटाबेस क्रिएशन (एनआरएससी इमेज प्रोक्योरमेंट + डिजिटाइजेषन + ग्राउंड ट्रुथिंग + वेटिंग + बेस मैप) द्वारा तैयार किया गया है। बाँदा महायोजना–2021 के पुनरीक्षण हेतु नगर का भौतिक सर्वेक्षण प्रमुख सलाहकार, विभाग के प्रतिनिधि एवं प्राधिकरण द्वारा कराया गया था तथा बेसमैप तैयार कर भू–उपयोग सर्वेक्षण कराया गया है।

भू–उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर ज्ञात हुआ है कि 206.77 हेक्टेयर भूमि पर महायोजना प्रस्ताव के विरूद्ध विकास हुआ है। भू–उपयोग एवं विकास को देखते हुए वर्ष 2031 के लिए महायोजना प्रारूप तैयार किया गया। महायोजना 2021 के विरूद्ध हुए आंशिक विकास को प्रस्तावित महायोजना में सम्मिलित करने के लिए उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 में प्रस्तावित धाराओं के अनुसार आवष्यक कार्यवाही की जानी है। प्रारूप बाँदा महायोजना 2031 का अनुमोदन शासकीय समिति द्वारा दिनांक 27.09.2021 को
किया गया और बांदा विकास प्राधिकरण की 62वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.12.2021 में सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है। अधिनियम 1973 के अनुसार बाँदा विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रदर्शनी के अवलोकनार्थ आपत्ति एवं सुझाव के आमंत्रण हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया। प्रदर्शनी दिनांक 12.04.2022 से 11.05.2022 तक आम जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई तथा आम जनता एवं राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालयों से प्रारूप महायोजना 2031 पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। उपरोक्त प्रक्रिया में 1183 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई हेतु जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा की अध्यक्षता में सुनवाई समिति का गठन किया गया। आपत्तिकर्ताओं एवं सुझावकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर दिनांक 15.09.2022, 16. 09.2022 एवं 17.09.2022 को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई उपरान्त समिति ने अपनी आख्या संस्तुति सहित बाँदा विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक 28.12. 2022 को आहुत बोर्ड बैठक में प्रस्ततु की। तदोपरांत बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्रारूप महायोजना में आवश्यक संशोधन कर प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया। दिनांक 19.04.2023 और 20.09.2023 को शासकीय समिति की बैठक के निर्णयानुसार संसोधन के उपरांत बाँदा विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना–2031 मानचित्र तैयार किया गया। आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा की अध्यक्षता में आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 19.01.2024 को बोर्ड से अनुमोदित महायोजना–2031 शासन को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। तदपरोन्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेष, लखनऊ के द्वारा बाँदा महायोजना का परीक्षणोपरान्त कतिपय त्रुटियों का निराकरण कराये जाने हेतु पत्रसंख्या 37/न.नि.(के)/अमृत महा परीक्षण–बाँदा/2024–25 दिनांक 21.06.2024 शासन को प्रेषित किया गया। तत्क्रम में शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 1395/आठ–3–24–790/2023 दिनांक 28.06.2024 द्वारा बाँदा विकास प्राधिकरण को त्रुटियों को ठीक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उल्लिखित त्रुटियों को ठीक कराकर आयुक्त/अध्यक्ष, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा की

अध्यक्षता में आहुत प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.07.2024 को बाँदा महायोजना–2031 को अनुमोदित कराकर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 25.11.2024 को सम्पन्न बैठक में शासकीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को समायोजित कर बोर्ड की 69वीं बैठक दिनांक 29.11.2024 को बांदा महायोजना 2031 को अनुमोदन कराकर स्वीकृत हेतु शासन को प्रेषित किया गया। पुनः शासकीय समिति की दिनांक 03.12.2024 की बैठक में दिए गए सुझावों को समायोजित कर प्राधिकरण 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17.02.2025 से अनुमोदनोपरान्त बांदा महायोजना–2031 में वर्ष 2041 तक की अनुमानित 5 लाख जनसंख्या हेतु बिजली, पेयजल आदि उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित आवश्यकताओं का आंकलन करके महायोजना में समावेश किया गया है।

अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या 645(2)/आठ–3–24–909–2023 दिनांक 04.03.2024 एवं विषेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या1311/आठ–3 –24–909–2023 दिनांक 14.06.2024 एवं शासनादेश संख्या 2503/आठ–3–2024 दिनांक 10 दिसम्बर 2024 के अनुपालनोपरान्त बाँदा महायोजना में प्रस्तावित 3,72,000 जनसंख्या हेतु आवासीय 2352.83 हेक्टेयर, व्यवसायिक हेतु 185.90 हेक्टेयर, औद्योगिक हेतु 220.64 हेक्टेयर, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक हेतु 426.42 हेक्टेयर, मनोरंजन सुविधाओं हेतु 845.53 हेक्टेयर, यातायात एवं परिवहन हेतु 329.54 हेक्टेयर और अन्य भू–उपयोग हेतु 264.25 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव दिया गया है।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
बांदा विकास प्राधिकरण
बांदा

विषय सूची

क्र सं	अध्याय	पृ. सं.
	अध्याय 1 उद्भव एवं विकास	**1-9**
1.1	स्थिति	1
1.2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास	1
1.3	क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क	3
1.4	भौगोलिक स्थिति	7
1.5	वर्षा और जलवायु	9
1.6	मेला एवं त्योहार	9
	अध्याय 2 महायोजना की आवश्यकता	**10-17**
2.1	विकास क्षेत्र	10
2.2	नगरीय विकास	10
2.3	बांदा महायोजना-2001	11
2.4	महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता	13
	अध्याय 3 वर्तमान अध्ययन	**18-58**
3.1	नगर एवं पूर्ण वृद्धि क्षेत्र के लिए वर्तमान जनसंख्या आकड़े	18
3.2	लिंगानुपात	23
3.3	बांदा विकास क्षेत्र में साक्षरता दर	24
3.4	कार्यशील जनसंख्या	26
3.5	कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण	27
3.6	कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण	28
3.7	पारिवारिक संरचना	30
3.8	आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण	30
3.9	प्रार्थमिक क्रियाएं	31
3.10	द्वितीयक क्रियाएं	31
3.11	तृतीयक क्रियाएं	31
3.12	भौतिक अवसंरचना	31
3.12.1	जलापूर्ति	31
3.12.2	जल निकासी	36
3.12.3	ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन	36
3.12.4	बिजली	39
3.12.5	डाक एवं संचार	40
3.12.6	अन्य सुविधाएं	41
3.13	सामाजिक आधारभूत संरचना	41
3.13.1	शिक्षण सुविधाएं	41
3.13.2	स्वास्थ्य सुविधाएं	45
3.13.3	मनोरंजनात्मक सुविधाएं	49
3.13.4	धार्मिक महत्व के स्थल	51
3.13.5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं	52
3.13.6	अग्निशमन	56
	अध्याय 4 पर्यटन प्रोफाइल	**59-63**

क्र सं	अध्याय	पृ. सं.
4.1	बांदा में पर्यटन	59
4.2	पर्यटन गतिविधियाँ	59
4.3	बाँदा में पर्यटक प्रवाह	62
4.4	बाँदा की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण	63
4.5	पर्यटन नीति	63
4.6	पर्यटन विभाग की प्रस्तावित /निर्माणधीन परियोजनाएं	63
	अध्याय 5 पर्यावरण रूपरेखा	**64-69**
5.1	जलीय संरचना	64
5.2	शहर में प्रदूषण स्तर	68
5.3	आपदा प्रबंधन	69
	अध्याय 6 वर्तमान भू-उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन	**70-110**
6.1	वर्तमान भू-उपयोग	70
6.2	महायोजना (2021) का विश्लेषण	76
	अध्याय 7 नियोजन की समस्यायें	**111-112**
7.1	प्रमुख समस्याएं जैसे, मिश्रित और गैर-अनुरूप भूमि उपयोग, यातायात और परिवहन, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा-प्रवण क्षेत्र, आदि।	111
7.2	भौतिक विस्तार के रुझान और विकास की संभावनाएं	111
7.3	प्रमुख विकास मुद्दे/चुनौतियां	111
7.4	**SWOT** विश्लेषण	112
	अध्याय 8 महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य	**113-120**
8.1	दृष्टि	113
8.2	उद्देश्य (विजन को साकार करने के लिए निति निर्धारण)	113
	अध्याय 9 आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण	**121-137**
9.1	जनसँख्या प्रक्षेपण	121
9.2	जनसंख्या घनत्व	123
9.3	प्रवासन	126
9.4	आवास प्रक्षेपण	127
9.5	विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता	128
9.6	वर्षा जल निकासी (ड्रेनेज डिस्पोजल सिस्टम)	129
9.7	सीवेज	129
9.8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	129
9.9	बिजली (प्रस्तावित विद्युत् खपत)	130
9.10	डाकघर एवं संचार के लिए आवश्यकताएँ	130
9.11	शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता	131
9.12	स्वास्थ्य सुविधाएं	133

क्र सं	अध्याय	पृ. सं.
9.13	मनोरंजन सुविधाएं	134
9.14	सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं	135
9.15	फायर स्टेशन	136
	अध्याय 10 भू-उपयोग प्रस्ताव	**138-181**
10.1	नगर के विकास/विस्तार की दिशा	138
10.2	भू-उपयोग एवं प्रस्ताव	141
10.2.1	आवासीय	145
10.2.2	निर्मित क्षेत्र	146
10.2.3	व्यवसायिक	147
10.2.3.1	बाजार स्ट्रीट	148
10.2.4	औद्योगिक	150
10.2.5	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	151
10.2.6	यातायात एवं परिवहन	151
10.2.7	जन उपयोगिताएं	158
10.2.8	पार्क एवं खुले स्थल	159
10.2.9	हरित पट्टी	160
10.2.10	हाईवे फैसेलिटी जोन	161
10.2.10.1	बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक और लोगिस्टिक कॉरिडोर	162
10.2.10.2	रिंग रोड जोन	162
10.2.11	ग्रामीण आबादी	163
10.2.12	प्रतिबंधित जोन	163
10.2.13	अन्य भू उपयोग	163
10.2.14	आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	164
10.2.15	जल निकासी	164
10.2.16	वर्षा जल निकासी	164
10.2.17	नदी केंद्रीय विकास	165
10.2.18	हेरिटेज	165
10.2.19	पर्यटन विकास	165
10.2.20	सौन्द्रीयकरण एवं सुधार	165
10.2.21	ग्राम विस्तार	166
10.2.22	कृषि क्षेत्र	166
10.3	शासकीय नीतियों का अनुपालन	167
10.3.1	आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, उ.प्र. टाउनशिप नीति	167
10.3.2	उत्तर प्रदेश पर्यटन निति	168
10.3.3	सौर ऊर्जा नीति 2022	169
10.3.4	रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति	169
10.3.5	फिल्म नीति	170
10.3.6	सुचना प्रद्योगिकी नीति	170
10.3.7	आपदा प्रबन्धन नीति	172
10.3.8	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन निति	173
10.3.9	अन्य	173
10.4	नियोजन खण्ड	173

क्र सं	अध्याय	पृ. सं.
10.5	चरणबद्ध विकास	175
10.6	स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण	177
	अध्याय 11 जोनिंग रेगुलेशन्स	**182-216**
11.1	परिचय	182
11.1.1	जोनिंग के उद्देश्य	182
11.1.2	जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं	182
11.1.3	विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ	183
11.1.4	फ्लोटिंग उपयोग	184
11.1.5	प्रभाव शुल्क (impact fee)	185
11.1.6	अनुज्ञा की प्रक्रिया	186
11.1.7	अन्य अपेक्षाएं	186
11.1.8	परिभाषाएं	187
11.2	भू-उपयोग परिसरों / क्रियाओं की परिभाषाएं	187
11.2.1	आवासीय	187
11.2.2	व्यवसायिक	188
11.2.3	औद्योगिक	189
11.2.4	कार्यालय	189
11.2.5	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	190
11.2.6	यातायात एवं परिवहन	194
11.2.7	पार्क, खेल/खुले स्थल	195
11.2.8	कृषि	195
11.2.9	अस्थाई क्रियाएं	196
11.2.10	अन्य परिसर	196
11.2.11	प्लोटिंग उपयोग	197
11.3	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबंध	197
11.4	प्रमुख भू-उपयोग ज़ोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता	201
11.5	भू-उपयोग ज़ोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण	216
	अनुलग्नक-1	217
	अनुलग्नक-1**क**	218
	अनुलग्नक-2	219
	अनुलग्नक-3	220
	अनुबंध	221-266

तालिकाओं का विवरण

क्र सं	तालिका	पृ. सं.
1.1	बांदा विकास क्षेत्र की क्षेत्रीय संचार प्रणाली	5
2.1	बांदा विकास क्षेत्र का सेटलमेंट पैटर्न (बस्ती प्रतिरूप)	10
2.2	बांदा विकास क्षेत्र जनसंख्या का विवरण	11
2.3	बांदा महायोजना -2021	12
2.4	प्रमुख सरकारी/सार्वजनिक/निजी परियोजनाएं/नीतियां	15
3.1	उत्तर प्रदेश राज्य, बांदा जनपद का दशकीय जनसंख्या प्रवृति	19
3.2	बांदा विकास क्षेत्र में जनसंख्या प्रवृति	19
3.3	बांदा विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल और जनसंख्या प्रवृति	20
3.4	विकास क्षेत्र में गांवों का क्षेत्रफल और जनसंख्या वितरण	22
3.5	वार्ड अनुसार बांदा नगर पालिका परिषद् में बच्चों की जनसंख्या	23
3.6	बांदा (नगर पालिका परिषद्+आॅउटग्रोथ) का लिंग अनुपात	24
3.7	बांदा नगर पालिका परिषद् में साक्षरता दर	25
3.8	बांदा विकास क्षेत्र (ग्रामीण) में साक्षरता दर	26
3.9	बांदा विकास क्षेत्र की क्रार्मिक भागीदारी दर	26
3.10	व्यावसायिक संरचना बांदा विकास क्षेत्र	27
3.11	शहरी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना	28
3.12	विकास क्षेत्र (ग्रामीण) की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना	28
3.13	व्यावसायिक संरचना बांदा विकास क्षेत्र	30
3.14	बांदा नगरीय जनसँख्या की व्यावसायिक संरचना	30
3.15	शहरी जनसँख्या का आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण	30
3.16	पेयजल की उपलब्धता और पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत, 2019	33
3.17	भू-जलाशयों का विवरण	33
3.18	वर्तमानं वितरण प्रणाली (पाइपलाइन वार्ड वार)	34
3.19	राष्ट्रीय मानक के साथ शहर के पानी के बुनियादी ढांचे की तुलना	35
3.20	जल अवसंरचना का विश्लेषण	35
3.21	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का विवरण	37
3.22	बांदा में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन के भविष्य के अनुमान	37
3.23	बांदा शहर में बिजली कनेक्शन का विवरण, 2003	39
3.24	बांदा शहर में बिजली कनेक्शन का विवरण, 2011	39
3.25	डाक और दूरसंचार सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक	40
3.26	ग्रामीण (डीए) में वर्तमानं डाक और टेली-संचार सुविधाएं	40
3.27	बांदा शहर में गैस एजेंसियों का विवरण	41
3.28	शिक्षा सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक	42
3.29	बांदा विकास क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं (विद्यालय)	43
3.30	बांदा विकास क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान	44
3.31	स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक	46
3.32	बांदा विकास क्षेत्र में वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ	47
3.33	बांदा शहर में मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं	48
3.34	बांदा में स्वास्थ्य संस्थानों का अंतराल विश्लेषण	48
3.35	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक	49
3.36	बांदा विकास क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं का विवरण	50
3.37	बैंकिंग सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक (2014)	52

क्र सं	तालिका	पृ. सं.
3.38	बांदा में बैंकिंग सुविधा, 2011	53
3.39	श्मशान भूमि का स्थान, 2019	53
3.40	श्मशान और कब्रिस्तान के लिए मानदंड और मानक, 2014	53
3.41	बांदा नगर बोर्ड क्षेत्र में ईंधन स्टेशन, 2019	54
3.42	वर्तमान फिलिंग/गैस स्टेशन/एलपीजी एजेंसियां, 2019	54
3.43	फिलिंग स्टेशन और गोदामों के लिए मानदंड और स्थान मानक, 2014	55
3.44	पुलिस स्टेशन के लिए मानदंड और मानक, 2014	56
3.45	बांदा में वर्तमान अग्निशमन सेवाएं, 2011	56
3.46	बांदा, 2019 में अग्निशमन सेवाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का विवरण	57
3.47	यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार अग्निशमन सेवाओं के लिए मानदंड और मानक	57
4.1	बांदा जिले में पर्यटकों की यात्रियों की संख्या (2017)	62
5.1	बाढ़ के दौरान जल निकासी का स्तर	66
5.2	बांदा विकास क्षेत्र में जल निकायों का विवरण	68
6.1	महायोजना-2001 के भूमि उपयोग प्रस्तावों का विश्लेषण।	70
6.2	बांदा विकास क्षेत्र का वर्तमान भू- उपयोग 2020 (हेक्टेयर में)	71
6.3	वर्तमान भू-उपयोग का तुलनात्मक विश्लेषण (हेक्टेयर में)।	75
6.4	बांदा महायोजना-2021 में जनसंख्या अनुमान	77
6.5	अनुमानित श्रमिक और व्यावसायिक संरचना बांदा नगर पालिका परिषद 2021	79
6.6	बांदा महायोजना-2021 और जीआईएस डिजिटलाईजड प्लैन के अनुसार प्रस्तावित भू-उपयोग वितरण	83
6.7	प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास	85
6.8	प्रस्तावित वाणिज्यिक भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास	91
6.9	प्रस्तावित सरकारी कार्यालय भू-उपयोग के अंतर्गत भूमि का विकास	93
6.10	प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास	95
6.11	प्रस्तावित सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग के तहत विद्यान विकास	97
6.12	मनोरंजन भू-उपयोग के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग में किये गये निर्माण और विकास	99
6.13	प्रस्तावित यातायात और परिवहन भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास	102
6.14	प्रस्तावित अन्य भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास	108
6.15	महायोजना 2003-2021 के अनुसार एडिशन्स और डेविएशन्स	110
9.1	जनसंख्या अनुमान बांदा विकास क्षेत्र के लिए 2031	121
9.2	बांदा क्षेत्र में विकास जनसंख्या घनत्व	123
9.3	बांदा नगर पालिका परिषद में जनसंख्या घनत्व	123
9.4	वार्ड के अनुसार जनसंख्या घनत्व	123
9.5	बांदा नगर का जनसंख्या घनत्व (वार्ड के अनुसार)	124
9.6	जनसँख्या घनत्व	126
9.7	प्रवासी जनसंख्या का विवरण	127
9.8	प्रवासन के कारण	127
9.9	बांदा शहर में आवास की कमी और भविष्य में आवास की मांग	128
9.10	जलापूर्ति की आवश्यकता	128
9.11	ठोस अवसिष्ठ जनरेशन	129
9.12	प्रस्तावित विद्युत् खपत	130
9.13	डाक और दूरसंचार सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक	130

क्र सं	तालिका	पृ. सं.
9.14	बांदा विकास क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं (विद्यालय)	131
9.15	उच्च शिक्षा सुविधाएं	131
9.16	बाँदा विकास क्षेत्र में स्वस्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण	133
9.17	बाँदा विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण	134
9.18	बाँदा विकास क्षेत्र में सामाजिक -आर्थिक सुविधा का प्रक्षेपण	136
9.19	बाँदा विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण	137
9.20	बाँदा फायर स्टेशन मे साधनो का विश्लेषण	137
9.21	फायर सर्विसेज के मापदंड URDPFI Guidelines, 2014 के अनुसार	137
10.1	भू-उपयोग प्रस्ताव-2031	140
10.2	भू- उपयोग प्रस्तावों का प्रारूप 2031	141
10.3	विकास क्षेत्रों में आवासीय प्रस्तावों का विवरण	146
10.4	विकास क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रस्तावों का विवरण	147
10.5	विकास क्षेत्र में औद्योगिक प्रस्तावों का विवरण	150
10.6	विकास क्षेत्रों में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक प्रस्तावों का विवरण	151
10.7	विकास क्षेत्रों में यातायात और परिवहन प्रस्तावों का विवरण	152
10.8	पुन: डिज़ाइन करने के लिए पहचाने गए जंक्शनों की सूची	153
10.9	सड़क की चौड़ाई के साथ सड़क पदानुक्रम विवरण	154
10.10	बांदा महायोजना 2021 में सड़कों का प्रस्ताव	155
10.11	पार्क/खुले स्थान और मनोरंजन	159
10.12	हरित पट्टी की चौड़ाई का विवरण	160

चित्रों का विवरण

क्र सं	चित्र	पृ. सं.
1.1	कालिंजर का किला	2
1.2	अन्य पर्यटक आकर्षण	2
1.3	बांदा नगर की क्षेत्रीय सेटिंग	3
1.4	प्रशासनिक सेटअप	4
1.5	क्षेत्रीय संपर्क	5
3.1	बांदा नगर पालिका परिषद में आंशिक रूप से जोड़े गए गांव	21
3.2	बांदा नगर पालिका परिषद् का लिंग अनुपात	24
3.3	बांदा विकास क्षेत्र के श्रमिकों का दशकीय परिदृश्य	26
3.4	व्यावसायिक संरचना बांदा विकास क्षेत्र	27
3.5	बांदा शहर की व्यावसायिक संरचना	28
3.6	बांदा ग्रामीण की व्यावसायिक संरचना	29
3.7	व्यावसायिक संरचना बांदा विकास क्षेत्र	29
3.8	बाँदा ग्रामीण की व्यावसायिक संरचना	31
3.9	जल उपचार संयंत्र, बम्बेश्वर	32
3.10	जल निकासी इनलेट, केन नदी	32
3.11	हटती पुरवा डंपिंग साइट	37
3.12	जल शोधन संयंत्र और संभागीय जल संस्थान कार्यालय, भूरागढ़	38
3.13	माहेश्वरी देवी मंदिर	52
4.1	कालिंजर किला	60
4.2	भूरागढ़ किला	60
4.3	नवाब टैंक	62
5.1	बाँदा गेज डिस्चार्ज साइट पर पानी का स्तर	67
6.1	क्षेत्रीय संपर्क: बांदा शहर से गुजरती रेलवे लाइन	81
6.2	बीडीए आवास योजना	89
6.3	कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड (एपीएमसी) तिंदवारी रोड पर	90
6.4	वाणिज्यिक बाजार	90
6.5	बांदा में सरकारी कार्यालय	93
6.6	अवस्थी पार्क	98
6.7	वन चेतना केंद्र	99
6.8	मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र में पैदल चलने वालों की आवाजाही	101
6.9	तिंदवारी रोड पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)	101
6.10	बांदा शहर में जल निकाय	107
6.11	जल उपचार संयंत्र बुंबेश्वर	107
10.1	विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए प्रस्तावित क्रॉस-सेक्शन	154

मानचित्रों का विवरण

क्र सं	मानचित्र	पृ. सं.
1.1	बांदा विकास क्षेत्र की संचार प्रणाली	5
3.1	वर्तमान जल आपूर्ति नेटवर्क	36
3.2	वर्तमानं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	38
3.3	वर्तमानं में शैक्षिक सुविधाएं	45
5.1	प्राकृतिक जल निकासी	65
5.2	ग्रामीण तालाबों की स्तिथि	69
9.1	बांदा नगर वार्ड (2016) वार जनसंख्या घनत्व	125
10.1	प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र: बांदा विकास क्षेत्र	145
10.2	प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट	149
10.3	प्रस्तावित परिवहन और संचार तंत्र	153
10.4	प्रस्तावित ग्रीन लेयर मैप	159
10.5	प्रस्तावित इकॉनिमिक लेयर	163
10.6	उच्चतम बाढ़ स्तर	164
10.7	प्रस्तावित नियोजन खंड बाँदा विकास क्षेत्र	174

अध्याय 1

उदभव एवं विकास

1.1 स्थिति

बांदा नगर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित है एवं चित्रकूट धाम प्रशासनिक संभाग का मुख्यालय है। यह शहर बांदा जनपद के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी के बाद बांदा सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। यह नगर केन नदी के तट पर 25^0-29' 'उत्तरी अक्षांश 80^0-20' पूर्वी देशांतर समुद्र तल (MSL) से 123 मीटर (404 फीट) की औसत ऊंचाई पर स्थित है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं क्रमिक विकास

माना जाता है कि "बंदा" नाम बामदेव से लिया गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान राम के समकालीन के रूप में वर्णित एक ऋषि का नाम है। माना जाता है कि संत बामदेव का अपना आश्रम खुटला बोंडा में है, जिस नाम से अभी भी नगर का एक इलाका जाना जाता है। बस्ती के प्रारंभिक इतिहास की पहली झलक 1882 ई. में इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर खोजे गए स्टोन एरो हेड और अन्य उपकरणों से प्राप्त हुई थी। इस क्षेत्र का सबसे पहला स्वीकृत शासक ययाति (पुरुरवास ऐला का परपोता) था, जिसे एक महान योद्धा माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि उनके पांच बेटे थे और उनके बाद उनके सबसे बड़े बेटे को चार्मनवती (चंबल), वेत्रावती (बेतवा) और शुक्तिमती (केन) नदियों के बीच स्थित प्रदेश विरासत में मिले। 6 मई 1997 को बाँदा जनपद की दो तहसीलों कर्वी और मऊ को संगठित किया गया तथा दोनों तहसीलों को छत्रपति शाहूजी महाराज नगर नाम दिया गया। 04 सितम्बर 1988 को छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम बदल कर चित्रकूट कर दिया गया। जिला बांदा चार तहसीलों बबेरू, बांदा, अतर्रा और नारायणी के साथ बना रहा। चार जिलों बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट को मिलाकर बांदा में मुख्यालय के साथ एक नया आयुक्तालय चित्रकूटधाम भी गठित किया गया है।

बांदा जिले के दक्षिणी भाग में स्थित कालिंजर किला (चित्र 1.1) एक प्रसिद्ध स्थल है। किले के भीतर, राजा महल और रानी महल नामित दो महल हैं इसके साथ-साथ सीता सेज, पाताल गंगा, पांडु कुंड और बुद्ध-बूढ़ी ताल जैसे कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं। ऐसा विश्वास है कि इनके पानी में उपचारक गुण हैं। किले के पश्चिमी किनारे पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर एक अनूठी संरचना है और इसका बहुत अधिक महत्व है।

चित्र 1.1: कालिंजर का किला

पर्यटकों के आकर्षण के अन्य केंद्र जैसे भूरागढ़ किला, रंगगढ़ किला हैं। ये किले एक गौरवशाली अतीत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनमें से कई के साथ दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई हैं और उन्हें और अधिक स्ट्रक्चरल डिटीरियोरेशन से बचाने के लिए सांस्कृतिक विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। यह स्थल राजस्व प्राप्ति के सोत्र भी हो सकते है। इन किलों को सांस्कृतिक जीवंतता और क्षेत्र के ऐतिहासिक अतीत के शिखर के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है जो आगे रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा कर सकता है। ऐतिहासिक किलों के अलावा, बांदा जिले के बमदेव मंदिर, माहेश्वरी देवी मंदिर, नवाब टैंक, (चित्र 1.2) जैसे कई अन्य पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं।

चित्र 1.2: अन्य पर्यटक आकर्षण

बांदा लोक संगीत और नृत्य की ग्रामीण शैली के संयोजन माध्यम से नुक्कड़ नाटक के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं पर आधारित नौटंकी और नाटकों का अक्सर मंचन किया जाता है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मेलों/त्योहारों के दौरान बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है। इन मेलों का बहुत महत्व है क्योंकि ये समाज की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते हैं। भूरागढ़ मेला, नवाब टैंक मेला, चिल्ला मेला, बिलगाव मेला, कालिंजर मेला, खत्री पहाड़ मेला, तिहरामफी मेला बांदा में लगने वाले मेले हैं। ये स्थानीय मेले व्यापार के लिए एक सोत्र के रूप में भी काम करते हैं, सामुदायिक पहचान को समृद्ध करते हैं, और किसी नगर   या गांव

में पर्यटन को बढ़ावा देते करते हैं। इन मेलों में आमतौर पर व्यापार और आनंद का दोहरा उद्देश्य होता है, और स्थानीय कैलेंडर में महत्वपूर्ण कार्यकर्म होती हैं।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क

बांदा शहर उत्तर प्रदेश राज्य में महानगरीय शहरों, राज्य की राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा और प्रयागराज झाँसी आदि शहरों से मार्ग एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है(चित्र 1.3)। मध्य प्रदेश के लिए प्रवेश द्वार नगर होने के कारण इसका बहुत बड़ा स्थानीय लाभ है। यह पश्चिम में झांसी पर्वत श्रृंखला और पूर्व में चित्रकूट पहाड़ियों के बीच मध्य प्रदेश का विशाल भीतरी भाग है, जो बांदा नगर के भीतर से गुजरने वाली केन नदी का जलक्षेत्र (वाटरशैड) है। इस प्रकार, बांदा शहर विकसित मजबूत परिवहन संपर्क के कारण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के लिए एक प्रवेश द्वार नगर के रूप में कार्य कर रहा है।

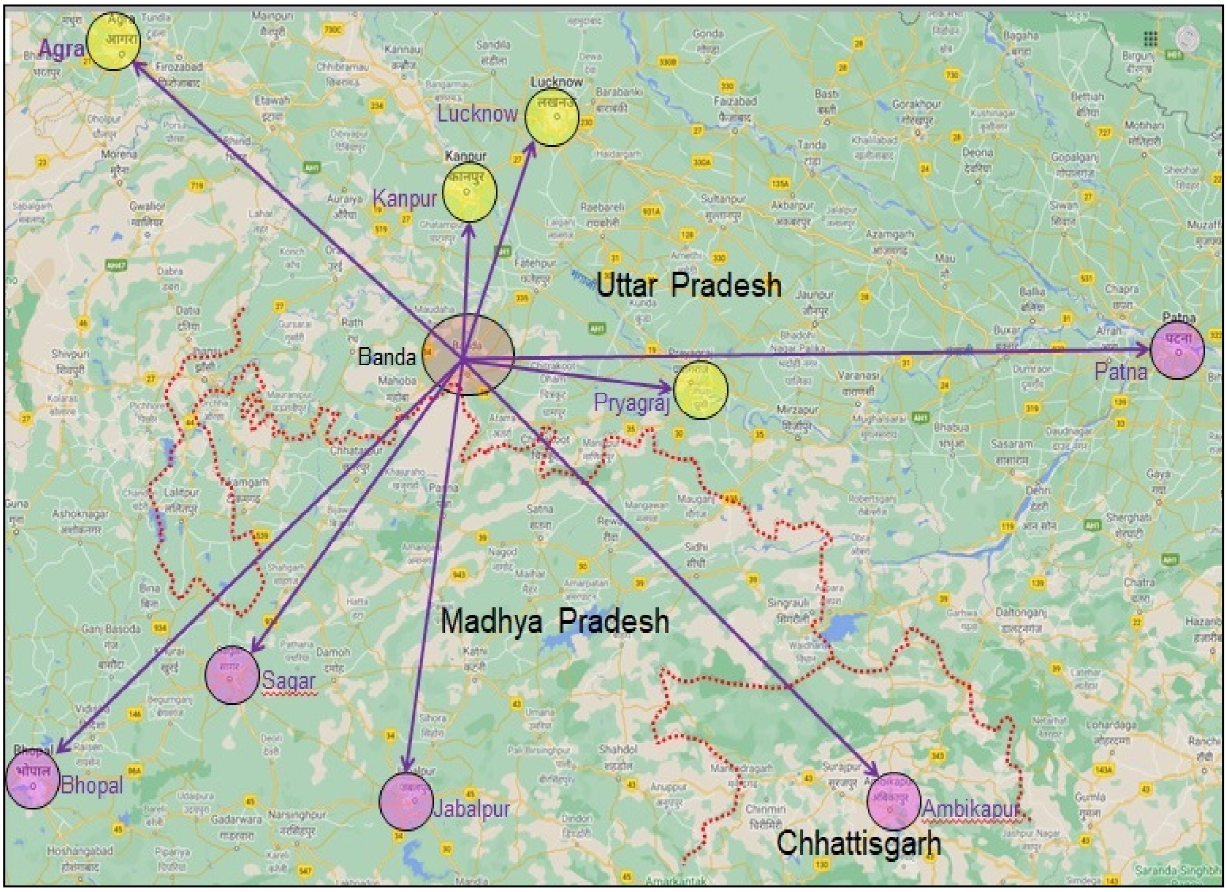

चित्र 1.3: बांदा नगर की क्षेत्रीय सेटिंग

बांदा महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों जैसे कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज आदि से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये केंद्र राज्य में शहरीकरण के मामले में पहले, दूसरे और सातवें स्थान पर हैं। उक्त शहरी बस्तियाँ प्रशासन, उद्योग, व्यापार, परिवहन और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि केंद्र के रूप में भी काम करती हैं। क्योंकि यह केंद्र

प्रशासन, व्यवसाय, कानून, स्वास्थय एवं शिक्षण संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है। बांदा इन महानगरों से जुड़ा हुआ होने के कारण अपने आसपास के क्षेत्र में विकास एवं वृध्दि का प्रसारण करने का एक केन्द्र भी है।

जिला बांदा चित्रकूट धाम प्रशासनिक संभाग के अंतर्गत आता है जिसका गठन वर्ष 1997 में दो जिलों बांदा और चित्रकूट में विभाजन के बाद किया गया था। कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए, जिले को चार तहसीलों बांदा, नारायणी, बबेरू और अतर्रा में विभाजित किया गया है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद को आठ विकास खण्डों यथा जसपुरा, तिन्दवारी, बडोखर खुर्द, बबेरू, कमासीन, बिसण्डा, महुवा एवं नारायणी में बाँटा गया है (चित्र 1.4)। जिले का योग क्षेत्रफल 4408.0 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र 4347.7 वर्ग किमी में फैला है और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत केवल 60.3 वर्ग किलोमीटर है। जिले में 437 ग्राम पंचायतें और 694 राजस्व गांव (657 बसे हुए गांव और 37 निर्जन गांव) हैं।

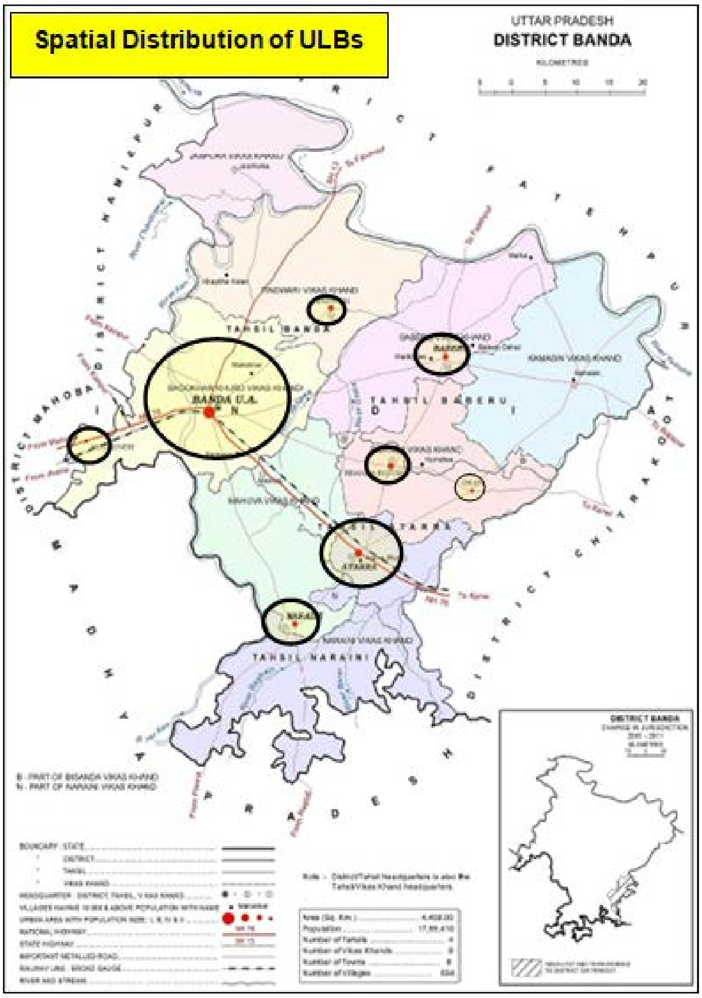

चित्र 1.4: प्रशासनिक सेटअप

संपर्क (**लिंकेज**)

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और संचार प्रणाली (सर्कुलेशन नेटवर्क)

बांदा नगर का वर्तमान क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क राष्ट्रीय मार्ग 35 अर्थात, कबराई-बांदा-करवी रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार क्रमांक 122 के पर अनुसूचित), राज्यीय राजमार्ग- 92 यानी बांदा-बबेरू रोड और स्टेट हाईवे- 13ई यानी बांदा-चिल्ला रोड तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के द्वारा चित्रकूट, ओरई आदि नगरों से जुड़ा हुआ है। ये राजमार्ग बांदा नगर को राष्ट्रीय संपर्क प्रदान करते हैं।

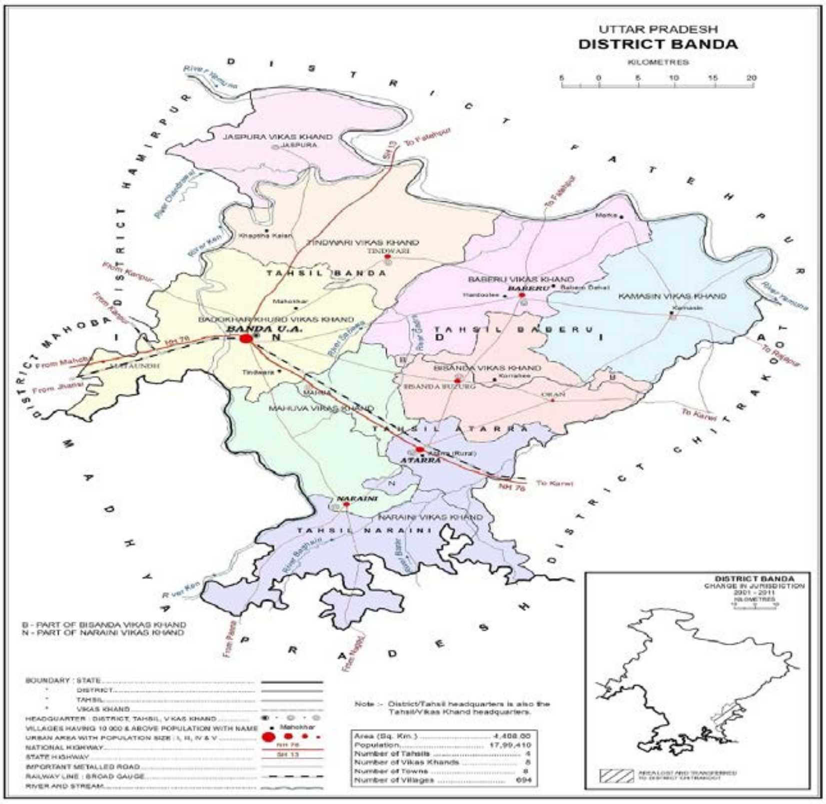

चित्र 1.5: क्षेत्रीय संचार प्रणाली

वर्तमान महायोजना 2001-2021 के अनुसार बांदा नगर के वर्तमान सड़क नेटवर्क को यातायात प्रवाह और कनेक्टिविटी के लिए तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें तालिका 1.1 में नीचे सूचीबद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख शहरी सड़कें शामिल हैं।

तालिका 1.1 बांदा विकास क्षेत्र की संचार प्रणाली

क्रमांक	उप श्रेणी	सड़क का नाम	पुरानी सड़क संख्या	नई सड़क संख्या	जिले में लंबाई (किमी में।)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	कबरई-चित्रकूट रोड	NH0076	एनएच 35	79.000
2	राष्ट्रीय राजमार्ग	लालगंज-फतेहपुर-बांदा रोड	एनएच0232	NH335	39.000
3	स्टेट राजमार्ग	बांदा- बबेरू- कमसिन- राजापुर मार्ग	SH0092		66.000
4	प्रमुख जिला रोड	बांदा-नारायणी-कालिंजर-प्रांतीय सीमा तक मार्ग	एमडी011बी	-	57.825

स्रोत: सड़क निर्देशिका (http://ppb.uppwd.gov.in/UPPWDRD)

राष्ट्रीय राजमार्ग 76 वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पश्चिम में झांसी और पूर्व में प्रयागराज को जोड़ते हुए बांदा से होकर गुजरता है (मानचित्र 2.1), राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग 92, बांदा को फतेहपुर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 86 कानपुर को जोड़ता है। लंबी दूरी की सेवाओं के अलावा, जनपद के भीतर आसपास के स्थानों के लिए कई सेवाएं हैं। नगर में सार्वजनिक परिवहन जैसे कि टैक्सी, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा के कई साधन उपलब्ध है।

i. **प्रमुख शहरी सड़कें**:

नगर के विभिन्न गतिविधि केंद्रों के बीच बेहतर संपर्क में बढ़ावा देने और निवासियों और आगंतुकों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए बांदा नगर में प्रमुख शहरी सड़कें निम्नलिखित हैं:

- **बजरंग इंटर कॉलेज से वाया दिग्गी चौराहे कलेक्टोरेट चौराहा तक:** यह नगर के मुख्य भाग को बांदा रेलवे स्टेशन के उत्तर में सिविल लाइंस से जोड़ता है।
- **बालखंडी पुलिस चौकी से माहेश्वरी देवी मंदिर, शंकर गुरु चौराहा होते हुए अमर टॉकीज तक:** यह नगर में मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ता है।
- **छावनी चौराहे होते हुए जामा मस्जिद से पद्माकर चौराहा:** यह सड़क इंटर कॉलेज, बैंकों, कार्यालयों और परिवहन एजेंसियों तक पहुंच प्रदान करती है।
- **डिग्गी चौराहा से पद्माकर चौराहा होते हुए, बलखंडी पुलिस चौकी, झंडा चौराहा होते हुए खिन्नी चौराहा:** यह सड़क नगर के घने रिहायशी इलाके से होकर गुजरती है और इसी सड्क पर महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज भी स्थित है। बंबेश्वर हिल लिंक रोड भी इस सड़क के माध्यम से नगर से जुड़ा हुआ है।
- **शंकर गुरु चौराहा वाया छावनी चौराहा, पीली कोठी रोड:** इस सड़क में थोक सब्जी और फल बाजार, नवाब साहब सराय बाजार और नजर बाग़ बाजार जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र हैं।
- **बाबूलाल चौराहा से कालू कुआं चौराहा वाया रेलवे ओवर ब्रिज व जिला कोलेक्टोरेट:** यह भारी यातायात को लिंक प्रदान करता है।
- **बाबूलाल चौराहा से ईदगाह, रेलवे ओवर ब्रिज और परशुराम तालाब के रास्ते बांदा-बबेरू मार्ग**
- **कालू कुआं स्टैड से पुलिस लाईन:**यह मुख्य सड़क रेलवे ट्रैक के उत्तर में सिविल लाइन्स से गुजरती है और कॉलेज, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों, औद्योगिक क्षेत्र, पुलिस लाइन को लिंकेज प्रदान करती है। यह बांदा-चिल्ला, बांदा-तिंदवारी और बांदा-बबेरू-कमासिन- राजापुर रोड से भी जुड़ती है।

ii. **स्थानीय सड़कें:**

स्थानीय सड़कें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों से निकलने वाले यातायात को पहुंच (एक्सेस) प्रदान करने और उन्हें कलेक्टर सड़कों पर लाने का काम करती हैं। हालांकि सिस्टम के वर्गीकरण में इनकी महत्वपूर्ण

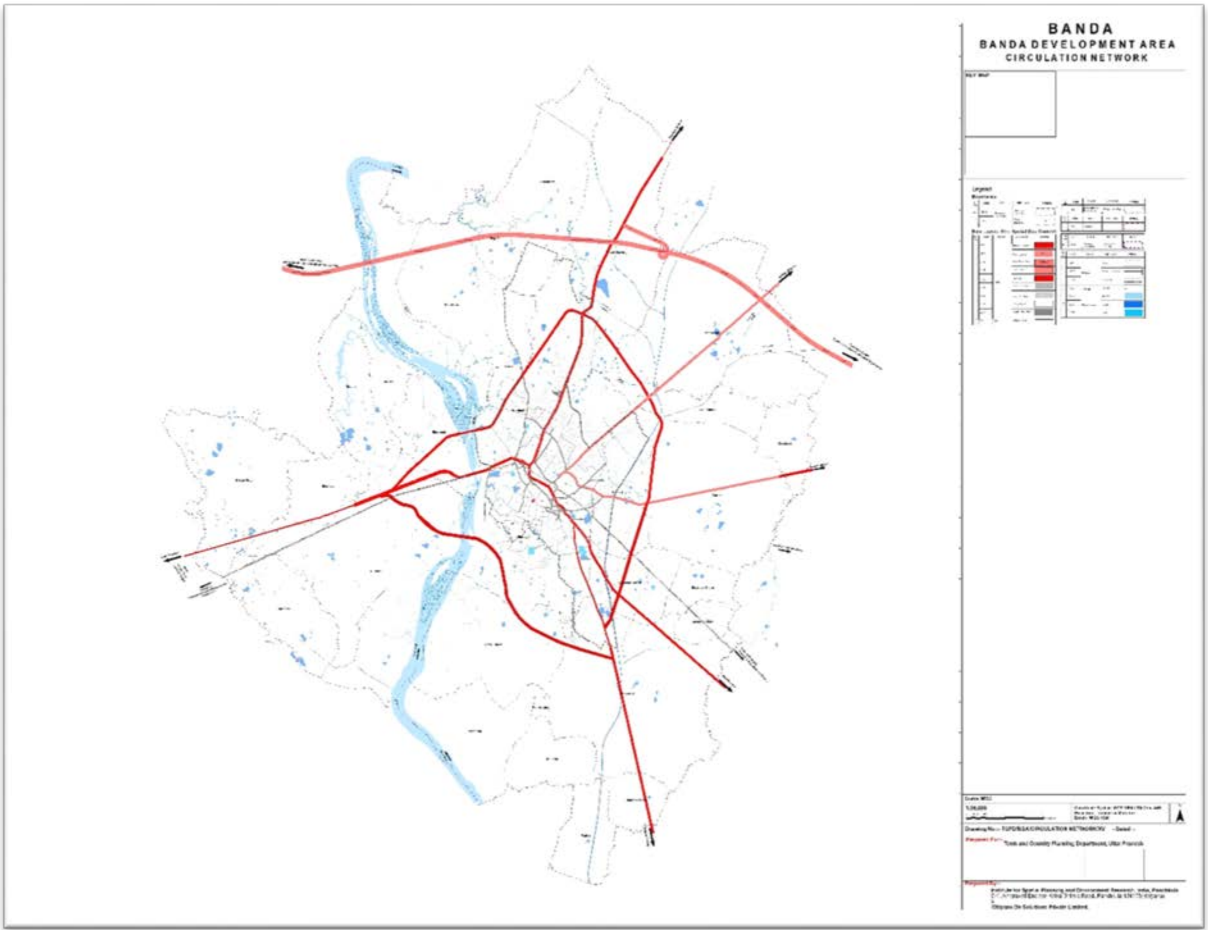

मानचित्र 1.1: बांदा शहर के प्रमुख संपर्क

भूमिका होती है लेकिन आमतौर पर यहाँ कम ट्रैफिक की विशेषता होती है। स्थानीय सड़कों पर आमतौर पर आवासीय क्षेत्र में बच्चों और वयस्कों की लगातार आवाजाही के कारण गति कम रखी जाती है। इन स्थानीय सड़कों पर बसों और भारी वाहनों के चलने की उम्मीद कम ही है। प्रचलित सड़क प्रणाली संकरी और भीड़भाड़ वाली है और इसमें जरूरी स्ट्रीट फर्नीचर का भी अभाव है।

1.4 भूगोलिक स्थिति

बांदा नगर जनपद के दक्षिणी मैदानों का एक हिस्सा है और विकास क्षेत्र के भीतर सामान्य ढाल दक्षिण और दक्षिण-पूर्व से उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 120.50 मीटर है। विकास क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी भागों को छोड़कर आम तौर पर मैदानी है, जो पठारी क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसके अलावा, केन नदी दक्षिण से उत्तर-पश्चिम की ओर बहती है और बारिश का पानी खुले नालों और नालों के माध्यम से बहता है और अंत में केन नदी में गिरता है। केन नदी के किनारे के क्षेत्र निचले स्तर पर हैं और बरसात के मौसम में मिट्टी के कटाव/बाढ़ की संभावना होती है।

i. भौतिक विशेषताएं: भू-चित्र विज्ञान/भूविज्ञान

बांदा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें अनियमित अपलैंडस भी शामिल है। जिले की नदी प्रणाली यानी बघईं नदी और केन नदी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। भूगर्भीय रूप से, यह जिला प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे के कुछ हिस्सों को गंगा के जलोढ़ (एलुवियल) मैदानों के संपर्क में आता हैं। जिले में प्री-कैम्ब्रियन चट्टानों की उपस्थिति इस स्थान के भूवैज्ञानिक महत्व को उजागर करती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने चट्टानों में से एक हैं। विकास क्षेत्र में दक्षिणी भाग में पठार की भौगोलिक विशेषताएं हैं, जबकि आगे उत्तर में, यह जलोढ़ मैदान है। बीच का क्षेत्र चट्टानी पाकेटस की उपस्थिति के साथ मामूली जलोढ़ है। उपलब्ध मिट्टी के प्रकार हैं ढीली तलछटी, काली कपास मिट्टी। क्षेत्र को तीन भौतिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है-

(1) जलोढ़ मैदान, (2) सीमांत जलोढ़ और (3) उच्च भूमि (कठोर चट्टान) क्षेत्र

मुख्य फसल मौसम यानी खरीफ, रबी और जैद के साथ जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि है। जिले में मुख्य फसलें गेहूं, धान, मक्का, दलहन और तिलहन हैं। आम और अमरूद प्रमुख फल हैं। सिंचाई के लिए सतही और भूजल दोनों का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 153804 हेक्टेयर और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 336000 हेक्टेयर है। योग सिंचित क्षेत्र में से 45.77% क्षेत्र भूजल और सतही जल से सिंचित है जबकि शेष वर्षा पर निर्भर करता है। जिले में नहर नेटवर्क की लंबाई 1193 किलोमीटर है और सरकारी नलकूपों की संख्या 460 है। बांदा जिले में यमुना, केन और बघैन नदी बहती है। यमुना नदी बांदा जिले को उत्तर में फतेहपुर से विभाजित करती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। केन नदी चिल्ला में यमुना नदी में मिलती है। दक्षिण पुर्व में बघैन नदी बांदा और चित्रकुट का बटवारा करती है।

ii. भू-जल विज्ञान:

भूजल कम गहराई में असीमित परिस्थितियों में और जलोढ़ में गहरी गहराई में सीमित परिस्थितियों में होता है। जिले में जलोढ़ की मोटाई जमीनी स्तर से 45.00 से 200.00 मीटर नीचे होती है।क्यों कि भूजल यह कठोर चट्टानों में फ्रैक्चर और जोड़ों में होता है ग्रेनाइट में भी भंडारण की क्षमता होती है । हालांकि, उपज किफायती निर्वहन पर है। कुछ स्थानों पर संभावित फ्रैक्चर 28.00 मीटर से 96.00 मीटर की गहराई पर हैं। वर्ष 2009 में 27 स्थायी भूजल निगरानी स्टेशनों से प्राप्त जल स्तर की गहराई से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, मानसून पूर्व जल स्तर जमीनी स्तर (खुरंद) से 2.75 मीटर नीचे से लेकर जमीनी स्तर (भितर केरडेरा) से 26.95 मीटर नीचे है। मानसून के बाद की अवधि में, जल स्तर की गहराई जमीनी स्तर (गिरवां) से 0.95 मीटर से जमीनी स्तर (पैलानी)

से 22.50 मीटर नीचे होती है। यह देखा गया है कि पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र में, मैदानी इलाकों की तुलना में उतार-चढ़ाव अधिक होता है। जल स्तर 0.979 मीटर प्रति वर्ष से 1.5087मीटर प्रति वर्ष तक की भिन्नता के साथ गहरा होता जा रहा है।

अनुमान के अनुसार जिले के सभी प्रखंड 'सुरक्षित श्रेणी' में हैं। हालांकि, घटते जल स्तर को देखते हुए, भविष्य के लिए भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूगर्भ जलाशय के पुनर्भरण के उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है।

1.5 वर्षा और जलवायु

औसत वार्षिक वर्षा 902 मिमी है और जलवायु विशिष्ट उपोष्णकटिबंधीय है जिसमें लंबी और तीव्र ग्रीष्मकाल की अवधि रहती है। वार्षिक वर्षा का लगभग 80% भाग दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। मई सबसे गर्म महीना होता है, जहां पारा 47.00 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जून के मध्य तक मानसून के आगमन के साथ; तापमान कम होने लगता है। जनवरी आमतौर पर सबसे ठंडा महीना होता है, जहां तापमान 5.80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता अगस्त में सबसे अधिक यानि लगभग 85% और अप्रैल में सबसे कम होती है।

1.6 मेला एवं त्योहार

बाँदा एवं इसके आसपास के क्षेत्र मे कई रमणीय स्थल है जैसे चित्रकूट लगभग 75 कि.मी. दूर है कालिंजर लगभग 56 कि.मी. की दुरी पर है। खजुराहो 124 कि.मी. की दुरी पर है। शहर मे माँ माहेश्वरी देवी मंदिर, माँ काली देवी मंदिर, बाम्बेश्वर पहाड़ी मंदिर स्थित हैं। बाँदा शहर मे कोई विशेष मेला या त्योहारों का सयोंजन नहीं किया जाता है। उपरोक्त लिखित मंदिरों मे मुख्य त्योहारों के समय श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं।

मानचित्र 1.2: बाँदा से प्रमुख पर्यटन स्थलों की दुरी

अध्याय 2

महायोजना की आवश्यकता

2.1 विकास क्षेत्र

बाँदा नगर में हो रहे अनियोजित एवं अनियमित विकास को रोकने के लिए एवं विकास को नियोजित रूप देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियम) अधिनियम 1958 के अधीन शाशनादेश संख्या-4421/(3)37-3198-एन०के०बी/75 दिनांक 26-09-1980 (अनुबंध 14.1) द्वारा बाँदा नगर पालिका क्षेत्र तथा इसके आस- पास तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1980 में बाँदा विनियमित क्षेत्र घोषित किया था, जिसमें बाँदा नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 30 राजस्व ग्रामो को भी सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1981 में बाँदा विकास प्राधिकरण की घोषणा आवास अनुभाग -2 शाशनादेश संख्या -6433/37-2-81/222 डी०ए/81 दिनांक 24-11-1981 (अनुबंध 14 14.2) द्वारा हुई थी, तथा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था।

2.2 नगरीय विकास

योजना क्षेत्र के भीतर बंदोबस्त पैटर्न (बस्ती प्रतिरूप)

बांदा विकास क्षेत्र में बांदा नगर पालिका परिषद और इसके आसपास के 30 राजस्व गांव शामिल हैं। यह देखा गया है कि सिलेहटा नामक एक गांव विकास क्षेत्र में आबादी रहित है और दो गांव यानी महोखर और तिंदवाड़ा की आबादी 10,000 से अधिक है। आबादी के आकार के अनुसार बस्तियों का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: बांदा विकास क्षेत्र का सेटलमेंट पैटर्न (बस्ती प्रतिरूप)

जनसँख्या अनुसार राजस्व ग्रामों का विवरण								
क्रमांक	गैर आबादी (1)	200 से नीचे (1)	200-499 (1)	500-999 (6)	1000-4999 (13)	5000-9999 (6)	10000+ (2)	शहरी (1)
1	सिलेहटा	कुंवरपुर	निमनीपार	बिसंदा खुर्द	बरोखर खुर्द	मवई बुज़ुर्ग (Buzurg)	महोखर	बांदा नगर पालिका परिषद
2				चिलेहटा	चहितारा	कनवारा	तिन्दवारा	
3				मथना खेरा	भवानी पुरवा	गोयरा मुगलि		
4				करछा	लडाका पुरवा	गुरेह		
5				सोहाना	पल्हरी	हरदौली		

तालिका 2.1: बांदा विकास क्षेत्र का सेटलमेंट पैटर्न (बस्ती प्रतिरूप)

जनसँख्या अनुसार राजस्व ग्रामों का विवरण								
क्रमांक	**गैर आबादी (1)**	**200 से नीचे (1)**	**200-499 (1)**	**500-999 (6)**	**1000-4999 (13)**	**5000-9999 (6)**	**10000+ (2)**	**शहरी (1)**
6				ददरिया	पिपरी	दूरेंडी		
7					जमुनीपुर			
8					तिरवेनी			
9					भूरेंडी			
10					गंछा			
11					पडुइ			
12					बांधोपुरवा			
13					हटेटीपुरवा			

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

2011 की जनगणना के अनुसार विकास क्षेत्र के भीतर शहरी और ग्रामीण आबादी का क्षेत्रफल और जनसंख्या विवरण नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2: बांदा विकास क्षेत्र का जनसंख्या का विवरण

जनगणना वर्ष	शहरी विकास क्षेत्र जनसंख्या	ग्रामीण विकास क्षेत्र जनसंख्या	जनसंख्या योग
1991	96,795	61,219	158014
2001	1,39,436	77,097	216533
2011	1,60,473	99,721	260194

वर्ष 1991 में बाँदा विकास क्षेत्र में योग 158014 जनसंख्या वास करती थी जिसमें 61 प्रतिशत जनसख्या बाँदा नगर पालिका क्षेत्र में और 39 प्रतिशत जनसख्या बाँदा विकास क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में रहती थी। वर्ष 2001 में विकास क्षेत्र में 37 प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि देखि गई जिसमें नगर में 139436 व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र में 77097 व्यक्ति रहते थे। वर्ष 2011 में विकास क्षेत्र की जनसंख्या बढ़कर 260194 व्यक्ति हो गई जिसमे शहरी जनसंख्या 62 प्रतिशत और ग्रामीण जनसंख्या 38 प्रतिशत हो गई।

2.3 बांदा महायोजना-2021

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 7 (प्राधिकरण के उद्देश्य) के अनुसार, बांदा विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने क्षितिज वर्ष 2021 के लिए महायोजना को संशोधित करने का निर्णय लिया।

बांदा महायोजना -2021 के प्रारूप को बांदा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.5.2004 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया आम जनता से आपत्तियों/सुझावों के निमंत्रण के लिए बांदा विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 05.08.2004 से 05.09.2004 तक एक प्रदर्शनी स्थापित की गई। दिनांक 19.10.2004 को जिला मजिस्ट्रेट/उपाध्यक्ष बांदा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई की गई और 24.12.2004 को हुई बोर्ड की बैठक में समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

बांदा महायोजना -2021 का निदेशक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या -3345/ वी.एन.आई(2)बांदा महायोजना/2004-2005 दिनांक 11.2.2005 द्वारा अनुमोदन किया गया था। सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, लखनऊ शासनादेश क्रमांक 618/8-3-2005-58 महायोजना/2004 दिनांक 06 जून 2005 द्वारा बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सिफारिशो को शामिल करते हुए महायोजना 2021 अनुमोदित किया गया। महायोजना-2001 में प्रस्तावित भूमि उपयोगों के विरुद्ध 143.28 हेक्टेयर अर्ध-अनुरूप अनधिकृत निर्माण के विकास को नोट किया गया। उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अनुसार महायोजना-2001 के खिलाफ अर्ध-अनुरूप विकास को महायोजना में कंपोजिशन शुल्क, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली के पश्चात् ही उसका नियमितीकरण कर बांदा महायोजना -2021 में शामिल किया गया था।

तालिका 2.3 बांदा महायोजना -2021

क्रमांक	भू- उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
1	**आवासीय**		
1.1	ग्रामीण आबादीयां	24.49	
1.2	वर्तमान निर्मित क्षेत्र	250.83	
1.3	आवासीय क्षेत्र	733.98	
	योग	**1009.29**	**43.43**
2	**व्यावसायिक**		
2.1	फूटकर दुकानें*	20.51	
2.2	बाजार स्ट्रीट	10.2	
2.3	भण्डारण	3.36	
	योग	**34.07**	**1.47**
3	**केंद्रीय गतिविधि**		
3.1	वर्तमान	49.56	
3.2	प्रस्तावित	157.3	
	योग	**206.86**	**8.9**
4	**औद्योगिक**		

तालिका 2.3 बांदा महायोजना -2021

क्रमांक	भू- उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
4.1	वर्तमान औद्योगिक	3.36	
4.2	प्रस्तावित औद्योगिक	100	
	योग	**103.36**	**4.45**
5	**कार्यालय**	87.34	3.75
	योग	**87.34**	**3.75**
6	**मनोरंजन सुविधा**		
6.1	नगर पार्क	87.48	
6.2	प्रस्तावित प्रखंडिय पार्क	278.05	
6.3	खेल के मैदानऔर खुले स्थल	7.44	7
6.4	हरी पट्टी	38.36	
	योग	**411.33**	**17.7**
7	**यातायात और परिवहन**		
7.1	प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर	13.25	
7.2	प्रस्तावित अंतरराज्यीय बस/ट्रक अड्डा	11.15	
7.3	वर्तमान बस अड्डा	2.24	
7.4	वर्तमान सड़क मार्ग	102.28	
7.5	प्रस्तावित सड़क मार्ग	120.29	
7.6	रेलवे क्षेत्र	28	
	योग	**277.21**	**11.93**
8	**अन्य**		
8.1	बाग़	39.32	
8.2	प्रस्तावित सीवरेज फार्म	4	
8.3	जलाशय	21.19	
8.4	पहाड़ी	17.44	
8.5	नहर/ नाला	21.56	
8.6	कृषि क्षेत्र	79.12	
8.7	श्मशान / कब्रिस्तान	11.83	
	योग	**194.46**	**8.37**
	महायोग	**2323.96**	**100**

2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता

भारत एक विकासशील देश है पिछले 2 दशकों(1991-2001 और 2001-2011) भारत की जनसँख्या में औसतन 20.15 प्रतिशत की वृद्धि आई है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ देश के शहरों तथा ग्रामों के आकर में भी वृद्धि देखि गई है। वर्ष 2026 तक भारत की जनसंख्या 40% तथा 2051 में 50% तक बढ़ने के अनुमान लगाए गए हैं। शहरों का विकास सही ढंग से हो, प्राकृतिक संसाधनों

का संतुलित उपयोग किया जाए तथा शहर में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को अमृत योजना देश के 500 क्लास 1 शहरों के लिए शुरू की गई। शहरों के नियंत्रित विकास के लिए मनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) के अंतर्गत अमृत योजना की एक सब-स्कीम शुरू की गई जिसमें इन 500 क्लास 1 शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) बेस्ड महायोजनाएँ बनाने की परियोजना बनाई गई। इन 500 अमृत शहरों मे से उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत 59 शहर आते हैं तथा इन शहरों की महायोजनओं को डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करने तथा वर्ष 2031 तक जनसंख्या वृद्धि के आधार पर प्रभावी महायोजनओं के संशोधन/पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

उक्त के अतिरिक्त बाँदा नगर हेतु प्रभावी महायोजना 2021 की अवधि समाप्त हो रही है एवं नगर की भावी जनसँख्या में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास, नगरीय मांग, सुनियोजित विकास के दृश्टिगत महायोजना 2021 का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

भौतिक विस्तार के प्रवृति और विकास की संभावनाएं

बाँदा नगर नरैनी रोड, निमनीपार में नगरपालिका सीमा तक विकसित हो गया था, जबकि नगरपालिका सीमा के पार तिंदवारी रोड, बबेरू रोड और चिल्ला रोड के साथ नवनिर्मित बांदा बाईपास रोड तक। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि निमनीपार में नगरपालिका सीमा के बाहर नई आवास योजनाएं विकसित की जा रही हैं, नरैनी रोड पर दो योजनाएं और मंडी (एपीएमसी) के पीछे एक योजना तिंदवारी रोड और चिल्ला रोड को जोड़ने वाली प्रस्तावित 36 मीटर सड़क के साथ विकसित की जा रही हैं। यह भी देखा गया है कि चिल्ला रोड और बबेरू रोड के बीच बांदा बाईपास रोड के साथ नई नियोजित खाली भूमि का अधिकांश हिस्सा मौजूद है जो रैखिक (लीनीयर) विकास की संभावना को दर्शाता है।

प्रमुख सरकारी/सार्वजनिक/निजी परियोजनाएं/नीतियां

बांदा विकास क्षेत्र में कुछ प्रमुख परियोजनाएं विकसित की गई हैं और कुछ चल रही हैं। ऐसी परियोजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है;

तालिका 2.4 प्रमुख सरकारी/सार्वजनिक/निजी परियोजनाएं/नीतियां

क्रमांक	क्षेत्र	परियोजना का नाम	विवरण
1.	कनेक्टिविटी	उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा	**बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे:**यह देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मवई बुजुर्ग में चिल्ला रोड पर बांदा विकास क्षेत्र और महोखर गांव में तिंदवारी रोड से होकर गुजरता है। 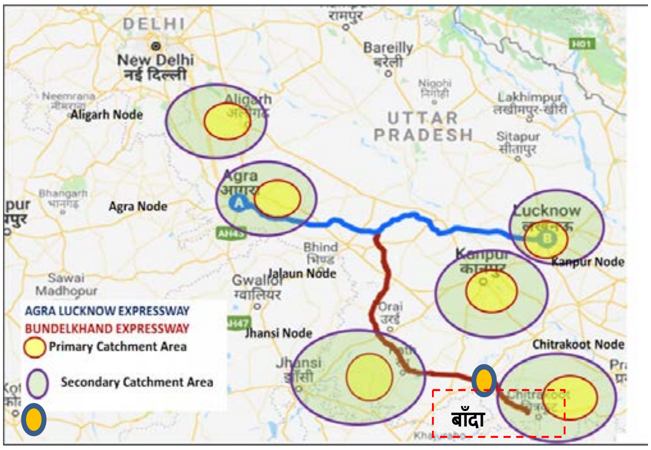
2.	कनेक्टिविटी	रेलवे का विद्युतीकरण	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 425 किलोमीटर लंबी झांसी- मानिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 4955.72 करोड़ को मंजूरी दी है। । इनके 2022-23 तक पूरा होने की संभावना है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलों को कवर करेंगी।
3.	पानी और खाद्य सुरक्षा, कृषि को बढ़ावा, डिजास्टर मिटिगेशन, परिवहन को बढ़ावा	केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना	दो-भाग वाली परियोजना के रूप में परिकल्पित, यह देश की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है। इसे समान अंतरराज्यीय नदी हस्तांतरण मिशनों के लिए एक मॉडल योजना के रूप में माना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश के बेतवा में स्थानांतरित करना है ताकि दो राज्यों के जिलों मुख्य रूप से यूपी के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले में फैले सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई की जा सके।

क्रमांक	क्षेत्र	परियोजना का नाम	विवरण
4.	शिक्षा	बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा	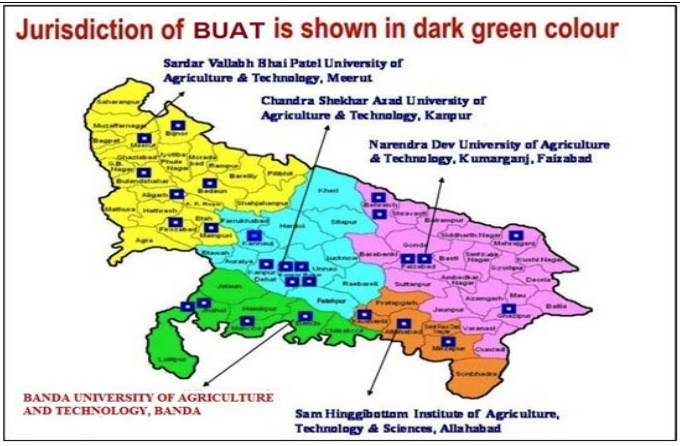 2 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन 2010)1958 के तहत एक पूर्ण राज्य विश्वविद्यालय (स्टेट यूनिवर्सिटी) के रूप में स्थापित किया गया। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए त्रिमूर्ति अवधारणा के साथ क्षेत्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, अर्थात, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का पूर्ण एकीकरण। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को (ए) मानव संसाधन उत्पादन और विकास, (बी) प्रौद्योगिकियों की पूर्णता, और चित्रकूट धाम संभाग और झांसी मंडल में किसानों, बागवानों और डेयरी किसानों को उनके प्रसार की जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
5.	शिक्षा	शासकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, बांदा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) ने बांदा में 100 एमबीबीएस की सीटों के साथ सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज(रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज), बांदा के नाम पर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति से अवगत कराया। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (102), 1956 की धारा 10 (ए) के तहत शैक्षणिक वर्ष 2016-2017 के सत्र को किंग जॉर्ज कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूपी, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है। शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए एनएमसी अधिनियम 2019 की धारा 61 (2) के साथ पठित धारा 28 के तहत 100 एमबीबीएस छात्रों के 5वें बैच के प्रवेश के लिए अनुमति का नवीनीकरण किया गया है।

क्रमांक	क्षेत्र	परियोजना का नाम	विवरण
6.	ऊर्जा	चाहितारा में सौर ऊर्जा संयंत्र 2x10 मेगावाट का अज़ूर पावर प्लांट प्रा। लिमिटेड द्वारा	एपीजेपीएल एपीआईपीएल की एक सहायक कंपनी है, और वर्तमान में इसकी परिचालन और निर्माणाधीन क्षमता 1,174 मेगावाट (विभिन्न एसपीवी के तहत) और 1,885 मेगावाट है। एपीजेपीएल ने उत्तर प्रदेश के चार जिलों (बांदा, हमीरपुर, हरदोई और शाहजहांपुर) में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय सौर मिशन चरण ॥, बैच ॥, किश्त । के तहत उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा नीलाम की गई 100 मेगावाट की सौर क्षमता का हिस्सा हैं, जिसमें एनटीपीसी ऑफ टेकर है। एपीजेपीएल ने एनटीपीसी के साथ रु. 4.78 / यूनिट के टैरिफ पर 25 वर्षीय पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्रोत: बांदा नगर पालिका परिषद और माहायोजना बांदा, 2021

अध्याय 3
वर्तमान अध्ययन

3.1. नगर एवं विकास क्षेत्र के लिए वर्तमान जनसंख्या आकड़े

जनसंख्या और जनसांख्यिकी अध्ययन में जन्म, मृत्यु और प्रवास आदि विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें मानव बस्ती के आकार, विकास प्रवृत्ति, वितरण एवं संरचना का अध्ययन भी शामिल है। जनसंख्या अध्ययन के लिए एकत्र कि गई सुचना को मोटे तौर पर सामयिक श्रृंखला और स्थानिक सुचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहले वर्ग में जनसांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं में होने वाले परिवर्तन एवं बदलाव का आंकलन किया गया है, जबकि दूसरे वर्ग के लिए, विद्यमान बुनियादी सुविधाओं के वितरण एवं मूल्यांकन का अध्ययन किया गया है। जनसंख्या और जनसांख्यिकी विशेषताओं का अध्ययन भविष्य के अनुमानों को तय करने और इच्छित आबादी की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधार बनाता है और महायोजना में तदनुसार प्रावधान किये गए हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 19,98,12,341 (199.81 मिलियन) व्यक्ति है। बांदा जनपद 4,408 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 2 प्रतिशत है। बांदा जनपद की योग जनसंख्या 17,99,410 व्यक्ति है जो राज्य की जनसंख्या के 1 प्रतिशत से भी कम हैं; इसमें से 15,23,655 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र और 2,75,755 व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहते हैं। जनपद में शहरी आबादी का हिस्सा केवल 15.32 प्रतिशत है, जबकि राज्य में यह हिस्सा लगभग 22 प्रतिशत है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बांदा जनपद में शहरीकरण का स्तर बहुत कम है।

बांदा विकास क्षेत्र में बांदा नगर पालिका परिषद् क्षेत्र एवं इसके इर्दगिर्द के 30 राजस्व गांवों का क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बांदा विकास क्षेत्र के 293.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2,60,194 व्यक्ति सम्मलित थे जबकि बांदा नगर की जनसंख्या (नगर पालिका परिषद् और ओजी सहित) 1,60,473 व्यक्ति थी। इससे यह तथ्य स्थापित होता कि बांदा नगर जनपद की एकमात्र प्रमुख शहरी बस्ती है, जिसमें जनपद की शहरी आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा रहता है। शहर में 85,370 (53.20%) पुरुषों की जनसंख्या और 75,103 (46.80%) की महिलाओं की जनसंख्या है। बांदा नगर पालिका परिषद् की जनसंख्या 1981 में 72,379 व्यक्तियों से बढ़कर 2011 में 1, 60,473 व्यक्ति हो गई,

जो पिछले 3 दशकों की अवधि में 2.2 गुना हो गई है। निम्न तालिका 3.1, 1981 से 2011 तक उत्तर प्रदेश राज्य और बांदा जनपद के जनसंख्या परिदृश्य में किये परिवर्तन को दर्शाती है।

तालिका 3.1 उत्तर प्रदेश राज्य, बांदा जनपद का दशकीय जनसंख्या प्रवृति

साल	उत्तर प्रदेश राज्य			बांदा जनपद								
	जनसंख्या योग	शहरी	ग्रामीण	जनसंख्या योग	राज्य की जनसंख्या का % हिस्सा	शहरी	राज्य शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भाग	जिला जनसंख्या का प्रतिशत भाग	ग्रामीण	राज्य ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत भाग	जिला जनसंख्या का प्रतिशत भाग
1	2	2 (ए)	2 (बी)	3		3 (ए)			3 (बी)		
1991	110862013	19899115	90962898	1533990	1.38	181085	0.91	11.80	1352905	1.49	88.20
1991	139112000	27544176	111567824	1862139	1.34	239421	0.87	12.86	1622718	0.56	87.14
2001	166197921	34539582	131658339	1537334	0.93	244108	0.71	15.88	1293316	0.98	84.13
2011	199812341	44495063	155317278	1799410	0.90	275755	0.62	15.32	1523655	0.98	84.68

स्रोत: भारत की जनगणना, 1981 से 2011

राज्य की योग जनसंख्या में बांदा जनपद का हिस्सा वर्ष 1981 से 2011 की अवधि के दौरान 1.38 प्रतिशत से घटकर 0.90 प्रतिशत रह गया है। जनपद की योग आबादी में इस जनपद में शहरी आबादी का हिस्सा 11.80 प्रतिशत से बढ़कर 15.32 प्रतिशत हो गया है। जो दर्शाता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है, और में पिछले तीन दशकों में काफी वृद्धि नहीं हुई है। नीचे दी गई तालिका 3.2 बांदा विकास क्षेत्र में वर्ष 1981 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि के प्रवृति को दर्शाती है।

तालिका 3.2 बांदा विकास क्षेत्र में जनसंख्या प्रवृति

विकास क्षेत्र			शहरी				ग्रामीण		
साल	आबादी	योग जिला जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा	बांदा नगर		प्रतिशत अनुपात		गांवों	प्रतिशत हिस्सा	
			नगर पालिका परिषद्	नगर पालिका परिषद् + ओजी	जिला जनसंख्या	विकास क्षेत्र जनसंख्या	जनसंख्या	जिला जनसंख्या	विकास क्षेत्र जनसंख्या
		4 (ए)		5	5 (ए)	5 (बी)	6	6 (ए)	6 (बी)
1981	120385	7.85	72379	-	4.72	60.12	48006	3.13	39.88
1991	172984	10.66	111765	-	6.89	64.61	61219	3.77	35.39
2001	216533	14.08	134839	139436	9.07	62.27	77097	5.01	35.61
2011	260194	14.46	154428	160473	8.92	59.35	99721	5.54	38.33

स्रोत: भारत की जनगणना, 1981 से 2011

तालिका 3.2 में दर्शाती है कि वर्ष 1981-2011 के दौरान जनपद में विकास क्षेत्र की जनसंख्या की हिस्सेदारी 7.85 प्रतिशत से बढ़कर 14.46 प्रतिशत हो गई है। पिछले तीन दशकों के दौरान विकास क्षेत्र में शहरी आबादी वर्ष 1981 में 4.72 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 9.07 प्रतिशत हुई और फिर 2011

में यह अनुपात घटकर 8.92 प्रतिशत रह गया। यह आकड़े पिछले तीन दशकों में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते है जो कि बहुत कम है। विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का अनुपात 1981 में 3.13 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 5.54 प्रतिशत हो गया है। पिछले दशकों में शहरीकरण की प्रक्रिया में गिरावट आई है क्योंकि बांदा विकास क्षेत्र में शहरी आबादी का अनुपात 1991 में 64.61 प्रतिशत से घटकर 2011 में 59.35 प्रतिशत रह गया है।

विकास क्षेत्र के ग्रामीण भाग के मामले में, आबादी का अनुपात वर्ष 1991 में 35.39 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 38.33 प्रतिशत हो गया है। यह दर्शाता है कि जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि के अलावा विकास क्षेत्र में बहुत ही नगण्य प्रवासन हो रहा है।

3.1.1 बांदा नगर में जनसंख्या वृद्धि के प्रवृति

3.1.1.1 बांदा विकास क्षेत्र

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बांदा विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल 293.97 वर्ग किलोमीटर है। इस विकास क्षेत्र मे 2,60,194 व्यक्तियों की योग जनसंख्या समायोजित है, जिसने वर्ष 2001-11 के दौरान 20.16 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की है। बांदा विकास क्षेत्र के क्षेत्रफल और जनसंख्या का विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका 3.3: बांदा विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल और जनसंख्या प्रवृति

साल	बांदा विकास क्षेत्र								
	आबादी	वृद्धि दर (%)	ग्रामीण			शहरी			
			विकास क्षेत्र का %	आबादी	वृद्धि दर (%)	नगर पालिका क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास क्षेत्र का %	आबादी	वृद्धि दर (%)
1981	120385	-	95.27	48006	-	1366	4.73	72379	-
1991	172984	43.69	96.01	61219	35.39	1129	3.99	111765	54.42
2001	216533	25.18	91.14	77097	35.61	2700	8.86	139436	24.76
2011	260194	20.16	94.56	99721	38.33	1600	5.44	160473	15.09

स्त्रोत: भारत की जनगणना, 1991-2011

तालिका 3.3 में दर्शाया गया है कि बांदा विकास क्षेत्र की जनसंख्या 1981-1991 के दौरान 43.69 प्रतिशत और 1991-2001 के दौरान 25.18 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर से बढ़ी है और वर्ष 2001-2011 के बीच यह दर घटकर 17.39 प्रतिशत रह गई। तुलनात्मक रूप से जनसंख्या वृद्धि की दरों पर

घटी हुई जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि दर में ठहराव आने और वाहय प्रवास के लिए विकास क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है।

मानचित्र 3.1 बांदा नगर पालिका परिषद में आंशिक रूप से जोड़े गए 9 गांवों को प्रदर्शित करता है। नगर वार्ड रजिस्टर 2019 के अनुसार बांदा नगर का क्षेत्रफल बढ़कर 28.35 वर्ग किलोमीटर या 2835 हेक्टेयर हो गया। आंशिक रूप से जोड़े गए उन गांवों के नाम है: भवानी पुरवा, लडाका पुरवा, कंवारा बांगर, तिन्दवारा, बड़ोखर खुर्द, हरदौली, चाहितारा, मवई बिज़ुर्ग और पल्हरी।

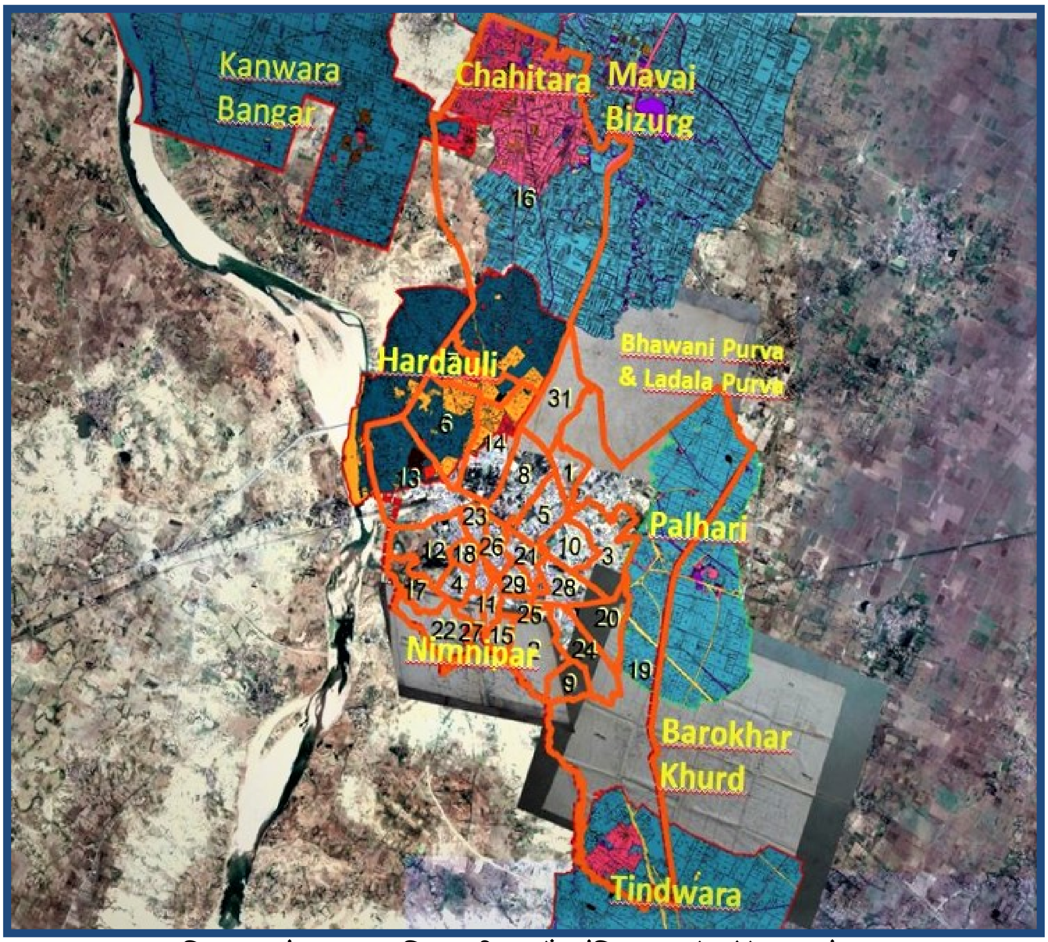

चित्र 3.1 बांदा नगर पालिका परिषद में आंशिक रूप से जोड़े गए गांव

नगर पालिका वार्ड रजिस्टर के अनुसार बांदा नगरपरिषद क्षेत्र के वर्ष 2016 में किये पुनर्गठन के अनुसार नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 5.44 प्रतिशत शहरी क्षेत्र और 94.56 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, जबकि बांदा विकास क्षेत्र की योग जनसंख्या में 61.67 प्रतिशत शहरी आबादी और 38.33 प्रतिशत ग्रामीण आबादी शामिल है। बांदा नगर पालिका परिषद यह दर्शाता है कि विकास क्षेत्र के बाकी ग्रामीण हिस्से की तुलना में घनी आबादी वाले क्षेत्र है। नीचे दी गई तालिका 3.4 बांदा विकास क्षेत्र में स्थित गांवों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के विवरण को दर्शाती है:

तालिका 3.4: विकास क्षेत्र में गांवों का क्षेत्रफल और जनसंख्या वितरण

क्रमांक	गांव का नाम	जनसंख्या	गांव का योग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	शहरी विकास क्षेत्र में गांव के विलय किए गए भाग का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ग्रामीण विकास क्षेत्र के अंतर्गत गांवों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	भवानीपुरवा	1306	841.12	56.6	784.40
2	लडाकापुरवा	2293	1498.15	210.278	1287.72
3	कनवारा	6580	2289.85	298.475	1991.53
4	तिन्दवारा	12880	2245.4	141.09	2103.91
5	बरोखर खुर्द	2448	620.19	72.033	547.97
6	हरदौली	5683	644.22	161.483	482.52
7	चहितारा	2925	1217.41	149.922	1067.08
8	मवई बुज़ुर्ग	7286	2278.94	183.92	2095.08
9	पल्हरी	4311	512.26	161.316	350.68
10	पिपरी (मटौंध)	1162	308.61	0	308.61
11	महोखर	10578	2168.54	0	2168.54
12	जमुनीपुर	2152	373.66	0	373.66
13	ददरिया	896	363.37	0	363.37
14	गुरेह	5970	1702.07	0	1702.07
15	बिसंदा खुर्द	667	254.94	0	254.94
16	मथना खेरा	601	183.6	0	183.6
17	निम्निपार	246	67.225	0	67.225
18	तिरवेनी	2896	756.95	0	756.95
19	चिलेहटा	895	311.81	0	311.81
20	भूरेंडी	4028	576.21	0	576.21
21	गोयारा मुगलि	6977	1272.15	0	1272.15
22	करछा	1167	676.25	0	676.25
23	दूरेंडी	5032	2733.29	0	2733.29
24	हटेटीपुरवा	2714	1283.22	0	1283.22
25	बांधोपुरवा	1481	270.06	0	270.06
26	पडुइ	2749	448.06	0	448.06
२७	सोहाना	978	433.13	0	433.13
28	कुंवरपुर	199	31.67	0	31.67
29	गंछा	2621	929.54	0	929.54
30	सिलेहटा	0	505.85	0	505.85
महायोग		**99721**	**27797.745**	**1435.117**	**26362.268**

स्रोत: अधिसूचना संख्या 3344/9-6-2016-09CV/2005 लखनऊ दिनांक 19.09.2016 और जनगणना वर्ष 2011

नोट: नगर पालिका परिषद विकास क्षेत्र के आंशिक रूप से सम्मलित किये गए 9 गांवों का विवरण तालिका में क्रमांक 1 से 9 पर उल्लिखित है।

आयु, लिंग, साक्षरता और परिवारों के आधार पर विद्यमान जनसंख्या का संयोजन

3.1.1.2 बाल जनसंख्या

तालिका 3.5 से स्पष्ट होता है कि बांदा नगर पालिका परिषद की जनसंख्या में बच्चों का अनुपात 11.80 प्रतिशत है। बांदा जनपद की जनगणना (2011) जनसंख्या में बच्चों का अनुपात 12.89 प्रतिशत है और यह अनुपात राज्य में 12.92 प्रतिशत है।

तालिका 3.5: वार्ड अनुसार बांदा नगर पालिका परिषद् में बच्चों की जनसंख्या

वार्ड संख्या	जनसंख्या			बच्चों की जनसंख्या (0-6)			योग जनसंख्या में बच्चों का अनुपात
	योग	पुरुष	महिला	योग	बालक	बालिका	प्रतिशत
1	5284	2784	2500	785	388	397	14.86
2	8464	4500	3964	1170	605	565	13.82
3	6163	3259	2904	620	306	314	10.06
4	5360	2885	2475	646	333	310	12.05
5	5670	3003	2667	608	309	299	10.72
6	7773	4300	3473	969	529	440	12.47
7	3957	2105	1852	480	248	232	12.13
8	4733	2534	2199	580	309	271	12.25
9	4508	2388	2120	499	267	232	11.07
10	5726	3075	2651	720	396	324	12.57
11	4881	2587	2294	576	297	279	11.80
12	4725	2451	2274	479	259	220	10.14
13	6668	3609	3059	759	421	338	11.38
14	7368	3948	3420	493	493	408	6.69
15	4477	2362	2115	525	281	244	11.73
16	6046	3184	2862	830	428	402	13.73
17	6793	3657	3136	900	497	403	13.25
18	5199	2815	2384	581	313	268	11.18
19	6574	3503	3071	866	462	404	13.17
20	5710	2977	2733	756	383	373	13.24
21	5893	3076	2817	723	370	353	12.27
22	4733	2520	2213	493	265	228	10.42
23	4340	2232	2108	481	252	229	11.08
24	6175	3289	2886	837	449	388	13.55
25	4506	2327	2179	527	256	271	11.70
26	3988	2093	1895	403	218	185	10.11
27	4565	2442	2123	501	287	214	10.97
28	4149	2211	1938	409	219	190	9.86
बाँदा (न.प.प.)	**15442**	**82116**	**72312**	**18216**	**9840**	**8781**	**11.80**

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

वार्ड अनुसार जनसंख्या का वितरण दर्शाता है कि वार्ड नं 1 में बच्चों की आबादी का अधिकतम हिस्सा 14.86 प्रतिशत है जबकि वार्ड नं 14 में बच्चों की जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात अर्थात 6.69 प्रतिशत है। तालिका में दिए गए आंकड़े यह भी इंगित करते हैं कि बालिकाओं का अनुपात 892 प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर है।

3.2 लिंग अनुपात

बांदा नगर पालिका परिषद्+ओजी में लिंग अनुपात नीचे तालिका 3.6 में दिखाया गया है:

तालिका 3.6: बांदा (नगर पालिका परिषद् + ऑउटग्रोथ) का लिंग अनुपात

साल	योग जनसंख्या विकास क्षेत्र (शहरी)	पुरुषों की संख्या		महिलाओं की संख्या		लिंगानुपात
		व्यक्ति	%	व्यक्ति	%	
1991	111765	60882	54.47	50883	45.53	836
2001	139436	75174	53.91	64262	46.09	855
2011	160473	85370	53.20	75103	46.80	880

स्रोत: भारत की जनगणना 1991 से 2011

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बांदा विकास क्षेत्र में लिंगानुपात 869 है जबकि बांदा नगर में प्रति हजार पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं। जैसा कि तालिका 3.6 और चित्र 3.2 में दर्शाया गया है, बांदा नगर में वर्ष 1991 में लिंगानुपात 836 था, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 855 हो गया और वर्ष 2011 में बढ़कर प्रति हजार पुरुषों पर 880 हो गया। वर्ष 2011 में बांदा नगर का 880 लिंग अनुपात बांदा जनपद के 863 लिंग अनुपात की तुलना में अधिक और राज्य के लिंग अनुपात 912 की तुलना में कम है।

राज्य के भीतर, बांदा जिला लिंगानुपात के मामले में 67 वें स्थान पर है। शहरी क्षेत्र की तुलना में विकास क्षेत्र के ग्रामीण भाग में लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात समाज में महिलाओं विशेष रूप से बालिकाओं की देखभाल की स्थिति को दर्शाता है। निम्न लिंगानुपात दर्शाता है कि बालिकाओं के प्रति भेदभाव को लेकर ओर अत्याधिक सामाजिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

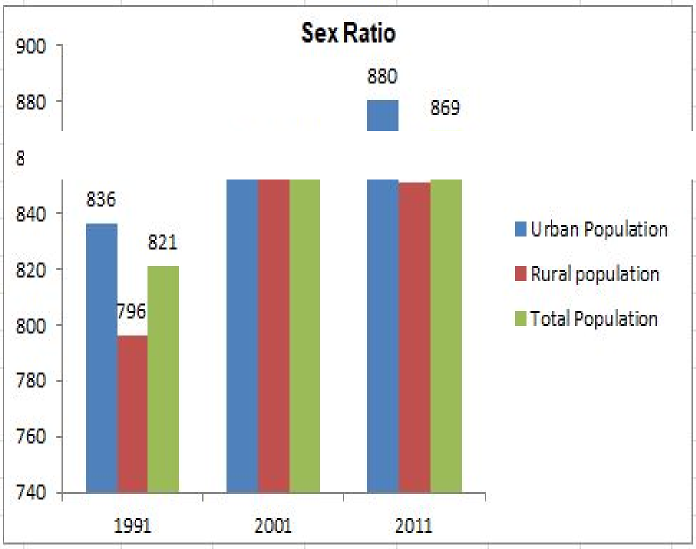

चित्र 3.2 बांदा नगर पालिका परिषद् में लिंग अनुपात

3.3 बांदा विकास क्षेत्र में साक्षरता दर

वर्ष 2011 में बांदा नगर की साक्षरता दर 81.77 प्रतिशत थी, जबकि जनपद की साक्षरता दर 66.7 प्रतिशत रही है और राज्य की साक्षरता दर 67.7 प्रतिशत थी। 1991 की तुलना में बांदा नगर में साक्षरता दर बढ़ रही है, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है। योग साक्षरो में वर्ष 1991 में 64.06 प्रतिशत पूरुष थे एवं 35.94 प्रतिशत महिलाएँ थी। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बांदा नगर में साक्षरता दर का प्रतिशत क्रमशः 76.45 प्रतिशत और 81.77 प्रतिशत था। वर्ष 2001 के

आंकड़ों अनुसार योग साक्षर जनसंख्या में 59.89 प्रतिशत पुरुष और 40.10 प्रतिशत महिलाएं थीं, जबकि 2011 में यह अनुपात 57.03 प्रतिशत पुरुष और 42.97 प्रतिशत महिलाएं थीं।

हालाँकि महिला साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन पिछले तीन दशकों में नगर की साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर का बड़ा भाग है। निम्नलिखित तालिका 3.7 बांदा में पुरुष साक्षरों और महिला साक्षरों के अनुपात के साथ साक्षरता प्रवृत्ति को दर्शाती है:

तालिका 3.7: बांदा नगर पालिका परिषद् में साक्षरता दर

साल	जनसंख्या		योग साक्षर	नगर जनसंख्या की साक्षरता दर
	नगर की जनसंख्या	0-6 वर्ष आयु समूह को छोड़कर		
1991	111765	79331	51867	65.38
2001	139436	117926	90158	76.45
2011	160473	142257	116330	81.77

साल	साक्षर पुरुषों की संख्या			साक्षर महिलाओं की संख्या		
	योग साक्षर व्यक्ति	पुरुष साक्षरता दर	योग साक्षरों में प्रतिशत	योग साक्षर महिलाएँ	महिला साक्षरता दर	योग साक्षरों में प्रतिशत
1991	33225	76.30	64.06	18642	52.09	35.94
2001	53999	84.6	59.89	36159	66.8	40.01
2011	66344	88.23	57.03	49986	75.72	42.97

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तिका, बांदा 1991 से 2011

बांदा नगर पालिका परिषद् में साक्षरता दर 1991 में 65.38 % से बढ़कर वर्ष 2011 में 81.77 % हो गई है। इसी तरह, पुरुष साक्षरता दर भी 1991 में 76.30 % से बढ़कर 2011 में 88.23 % हो गई है। महिला साक्षरता दर जो वर्ष 1991 में केवल 52.09 % थी और वर्ष 2011 में बढ़कर 75.72 % हो गई है। यह आकड़ा दर्शाता है कि साक्षरता के क्षेत्र में यह एक उच्ची छलांग है। योग साक्षरों में महिला साक्षरों के अनुपात के संदर्भ में देखा जाए तो यह घटना ओर अधिक परिलक्षित होती है और यह अनुपात 35.94 % से बढ़कर 42.97 % हो गया है। यद्यपि साक्षर विशेषकर महिलाओं की संख्या में वृद्धि के उत्साहजनक संकेत हैं, तथापि शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य अभी भी दूर है और इस संबंध में ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

नीचे दी गई तालिका 3.8 में दर्शाया गया है कि विकास क्षेत्र के ग्रामीण भाग में योग साक्षर जनसंख्या में से 63.70 प्रतिशत पुरुष थे और केवल 36.30 प्रतिशत महिलाएं थीं। इसकी तुलना में, ग्रामीण विकास क्षेत्र की योग साक्षरता दर वर्ष 2011 के लिए 65.79 प्रतिशत है जबकि जनपद ग्रामीण साक्षरता दर है 64.2 प्रतिशत और राज्य ग्रामीण साक्षरता दर 65 प्रतिशत है।

तालिका 3.8: बांदा विकास क्षेत्र (ग्रामीण) में साक्षरता दर

विकास क्षेत्र की जनसंख्या (ग्रामीण)			जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग को छोड़कर)		
योग	पुरुष	महिलाएँ	योग	पुरुष	महिलाएँ
99721	53867	45854	83886	46644	38232

साक्षरों की जनसंख्या					साक्षरता दर		
योग	पुरुषों	पुरुष प्रतिशत	महिलाएँ	महिला प्रतिशत	पुरुष	महिलाएँ	विकास क्षेत्र (ग्रामीण)
55189	35155	63.70	20134	36.30	75.37	52.66	65.79

स्रोत: जनगणना, 2011

3.4 कार्यशील जनसँख्या

जनगणना में कार्मिक भागीदारी किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में भागीदारी के रूप में परिभाषित कि गयी है। इसके लिए समयावधि का संदर्भ जनगणना किये जाने से एक वर्ष पूर्व तक का होता है, चाहें ऐसी भागीदारी (मुआवजे, मजदूरी या लाभ के साथ या बिना ही क्यों नहीं)। जनगणना में जनसंख्या को श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और कार्यबल को मुख्य श्रमिकों और सीमांत श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य श्रमिक वे हैं जिन्होंने संदर्भ अवधि में एक वर्ष में छह महीने से अधिक समय तक रोजगार उपलब्ध किया है और सीमांत वे श्रमिक हैं जिन्होंने छह महीने से कम समय तक काम किया है। कार्मिक भागीदारी दर को योग श्रमिकों के योग आबादी के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। नीचे दी गई तालिका बांदा विकास क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी को दर्शाती है।

तालिका 3.9: बांदा विकास क्षेत्र की कार्मिक भागीदारी दर

साल	बांदा विकास क्षेत्र									
	नगर पालिका परिषद्					ग्रामीण				
	श्रमिक		गैर श्रमिक		भागीदारी दर	श्रमिक		गैर श्रमिक		भागीदारी दर
	संख्या	%	संख्या	%		संख्या	%	संख्या	%	
1991	30416	27.21	81349	72.79	27.21	20206	33.01	41013	66.99	33.01
2001	37237	26.71	102199	73.29	26.71	28844	37.41	48253	62.59	37.41
2011	48690	30.34	111783	69.66	30.34	34843	34.94	64878	65.06	34.84

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तिका, बांदा 2011

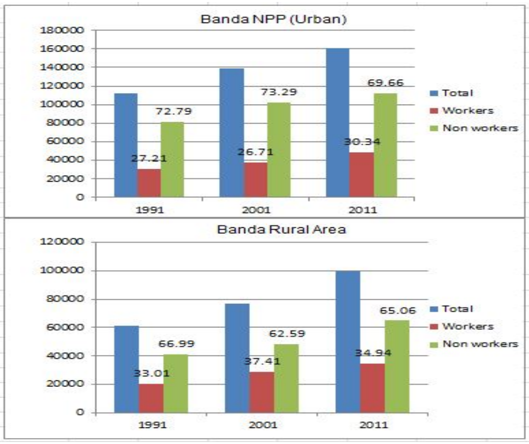

चित्र 3.3: बांदा विकास क्षेत्र के श्रमिकों का दशकीय परिदृश्य

तालिका 3.9 बांदा नगर पालिका परिषद में श्रमिकों के भागीदारी अनुपात को दर्शाती है। 1991 से 2011 के दौरान श्रमिकों के अनुपात में 27.21 प्रतिशत से 30.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन विकास क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में भागीदारी की दर में वर्ष 1991 से 2011 के बीच उतार-चढ़ाव दिखाई देते है। श्रमिकों का प्रतिशत 33.01 प्रतिशत से बढ़कर 37.41 प्रतिशत हो गया है। परंतु वर्ष 2011 में यह घटकर 34.94 प्रतिशत रह गया। यह अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अवसरों की सिकुड़न को दर्शाता है, इसलिए, शहरी क्षेत्र में लगातार

श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बांदा नगर में केवल 30.34% श्रमिक हैं और 69.66% गैर-श्रमिक हैं, जबकि बांदा ग्रामीण क्षेत्र में 34.94% श्रमिक हैं और 65.06% गैर-श्रमिक हैं जैसा कि चित्र 3.3 में दिखाया गया है। यह तथ्य शहरी और साथ ही विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी जनसंख्या पर गैरकामकाजी कामकाजी लोगों की निर्भरता को दर्शाता है।

3.5 कार्यशील जनसँख्या का वर्गीकरण

तालिका 3.10 में दर्शाया गया है बांदा नगर में योग 48690 काम-काजी आबादी में 83.16% (40492)

तालिका 3.10 व्यावसायिक संरचना बांदा विकास क्षेत्र

क्षेत्र	योग श्रमिक (2011 में)				
	योग	मुख्य श्रमिक		सीमांत श्रमिक	
	श्रमिकों की संख्या	संख्या	योग कामकाजी आबादी का%	संख्या	योग कामकाजी आबादी का %
बांदा जनपद	701689	483232	68.87	218457	31.13
बांदा विकास क्षेत्र					
बांदा (नगर पालिका परिषद् +ओजी)	48690	40492	83.16	8198	16.84
बांदा विकास क्षेत्र (ग्रामीण)	34843	24875	71.39	9968	28.61
योग विकास क्षेत्र	**83433**	**65367**	**78.35**	**18166**	**21.77**

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार-बांदा, 1991-2011

मुख्य श्रमिक हैं और 16.84% (8198) सीमांत श्रमिक हैं, जबकि विकास के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 71.39% (24875) मुख्य श्रमिक हैं और 28.61% (9968) सीमांत श्रमिक हैं। बांदा जनपद में और राज्य के आंकड़ों की तुलना में योग जनसंख्या का 39% (अर्थात 7,01,689 श्रमिक) श्रमिक हैं, और 61% गैर-श्रमिक हैं। इस कामकाजी जनसंख्या में से

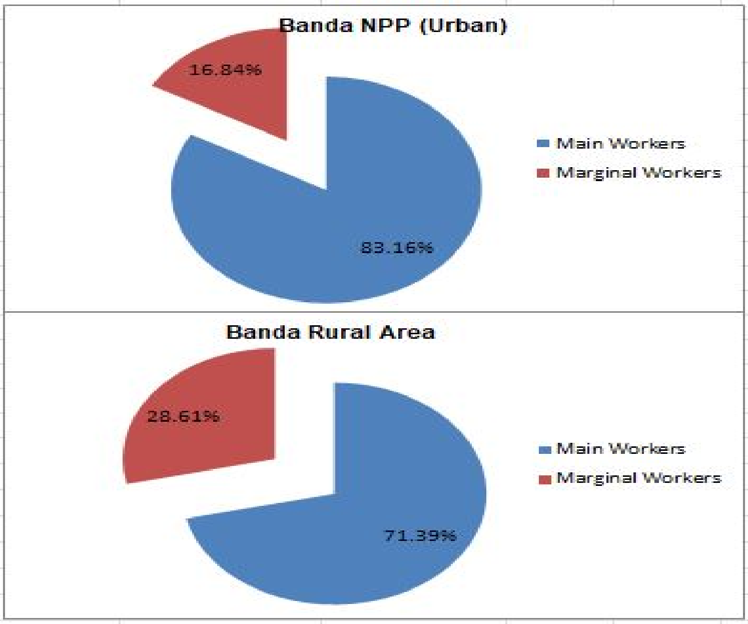

चित्र 3.4 व्यावसायिक संरचना बांदा विकास क्षेत्र

68.9% मुख्य श्रमिक हैं, और 31.10% सीमांत श्रमिक हैं। शहरी क्षेत्र के मामले में यह प्रतिशत थोड़ा कम है और ग्रामीण क्षेत्र के मामले में मामूली अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में शहरी क्षेत्र का तुलनात्मक आंकड़ा

32.9% है। जैसा कि तालिका 3.11 में दिखाया गया है, पिछले तीन दशकों में बांदा नगर के लिए क्रार्मिक भागीदारी अनुपात वर्ष 2011 में 30.34% के साथ उच्चतम रहा है।

3.6 कार्यशील जनसँख्या का श्रेणीवार विवरण

तालिका 3.11: शहरी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना

साल	योग जनसंख्या	योग श्रमिक (मुख्य और सीमांत दोनों)									
		योग		किसान		कृषि श्रमिक		घरेलू उद्योग		अन्य	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
2001	139436	37237	26.71	1272	3.41	650	1.75	1578	4.24	33737	90.60
2011	160473	48690	30.34	2098	4.30	2377	4.88	2619	5.38	41596	85.43

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार-बांदा, 1991-2011

तालिका 3.11 में दर्शाया गया है कि 2001 और 2011 के दौरान खेती करने वालों और खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत बढ़ा है। यह चिंताजनक है, क्योंकि यह शहरी क्षेत्र के भीतर भी कृषि पर निर्भरता को दर्शाता है। यह तथ्य आगे रेखांकित करता है कि योग कार्यबल में 85.43% हिस्सेदारी के साथ तृतीयक क्षेत्र प्रमुख नियोक्ता है और केवल 5.38% कार्यबल के अनुपात के साथ निर्माण क्षेत्र बहुत कमजोर है। यह कार्मिक आबादी को प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए एक ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।

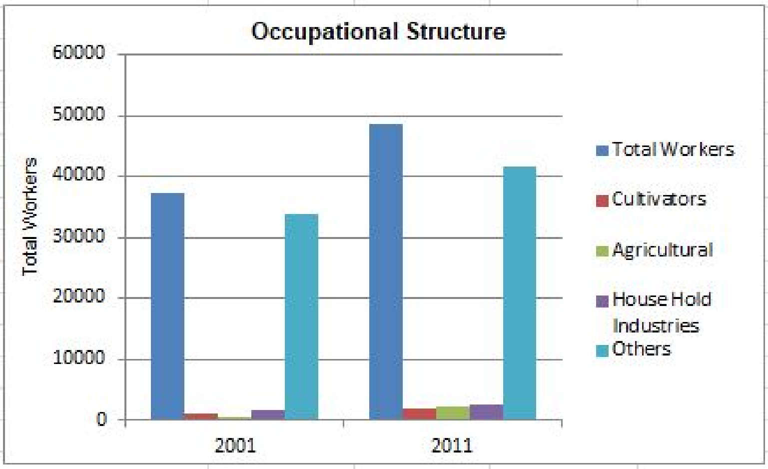

चित्र 3.5: बांदा शहर की व्यावसायिक संरचना

तालिका 3.12: विकास क्षेत्र (ग्रामीण) की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना

साल	योग जनसख्या	योग श्रमिक (मुख्य और सीमांत दोनों)									
		योग		किसान		कृषि श्रमिक		घरेलू उद्योग		अन्य	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
2001	77097	28844	37.41	12754	44.21	7986	27.68	850	2.94	7254	25.14
2011	99721	34843	34.94	9892	28.39	13964	40.07	673	1.93	10314	29.60

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार-बांदा, 1991-2011

तालिका 3.12 में दर्शाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में काश्तकारों का प्रतिशत 44.21 प्रतिशत से घटकर 28.39 प्रतिशत हो गया है और कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 27.68 प्रतिशत से बढ़कर 2001 और 2011 में 40.07 प्रतिशत हो गया है। तालिका 3.12 और चित्र 3.6 से, यह निष्कर्ष निकाला जा गया है कि अन्य श्रमिक अर्थात वाणिज्यिक, परिवहन और संचार क्षेत्रों में शामिल श्रमिको की संख्या में बढोत्तरी हो रही है (2001 में 25.14 प्रतिशत और 2011 में 29.60 प्रतिशत) इन तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकालता कि कार्यबल या तो कृषक से कृषि श्रम की ओर या तृतीयक क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहा है।

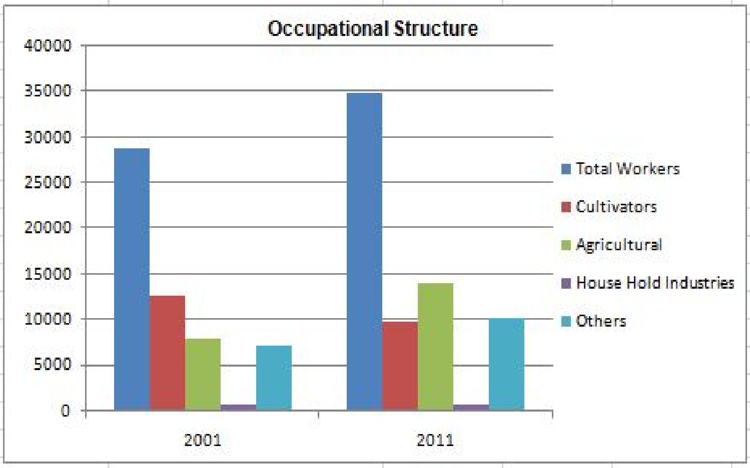

चित्र 3.6: बांदा ग्रामीण की व्यावसायिक संरचना

3.6.1 मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक

तालिका 3.13 में दर्शाया गया है बांदा नगर में योग 48690 काम-काजी आबादी में 83.16% (40492) मुख्य श्रमिक हैं और 16.84% (8198) सीमांत श्रमिक हैं, जबकि विकास के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 71.39% (24875) मुख्य श्रमिक हैं और 28.61% (9968) सीमांत श्रमिक हैं। बांदा जनपद में और राज्य के आंकड़ों की तुलना में योग जनसंख्या का 39% (अर्थात 7,01,689 श्रमिक) श्रमिक हैं, और 61% गैर-श्रमिक हैं।

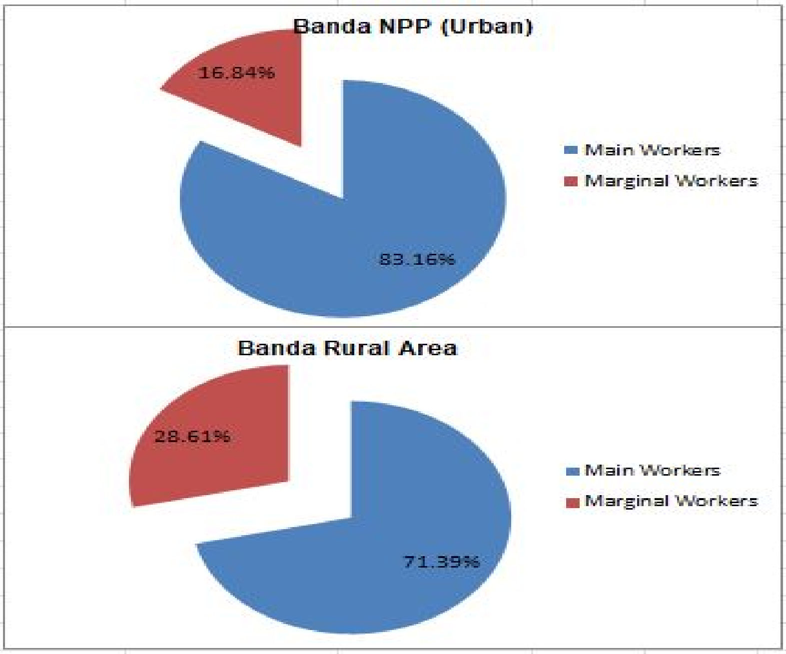

चित्र 3.7 व्यावसायिक संरचना बांदा विकास क्षेत्र

इस कामकाजी जनसंख्या में से 68.9% मुख्य श्रमिक हैं, और 31.10% सीमांत श्रमिक हैं। शहरी क्षेत्र के मामले में यह प्रतिशत थोड़ा कम है और ग्रामीण क्षेत्र के मामले में मामूली अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में शहरी क्षेत्र का तुलनात्मक आंकड़ा 32.9% है। जैसा कि तालिका 3.7 में दिखाया गया है, पिछले तीन दशकों में बांदा नगर के लिए क्रार्मिक भागीदारी अनुपात वर्ष 2011 में 30.34% के साथ उच्चतम रहा है।

तालिका 3.13 व्यावसायिक संरचना बांदा विकास क्षेत्र

क्षेत्र	योग श्रमिक (2011 में)				
		मुख्य श्रमिक		सीमांत श्रमिक	
	श्रमिकों की संख्या	संख्या	कामकाजी आबादी का%	संख्या	कामकाजी आबादी का %
बांदा जनपद	701689	483232	68.87	218457	31.13
बांदा विकास क्षेत्र					
बांदा (एमबी+ओजी)	48690	40492	83.16	8198	16.84
बांदा विकास क्षेत्र (ग्रामीण)	34843	24875	71.39	9968	28.61
योग विकास क्षेत्र	**83433**	**65367**	**78.35**	**18166**	**21.77**

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार-बांदा, 1991-2011

3.7 पारिवारिक संरचना

जनपद में 319,963 परिवार (हाउसहोल्ड) हैं, जो राज्य के योग परिवारों का 1.0 प्रतिशत है। नीचे दी गई तालिका 3.13 में दर्शाया गया है कि बांदा नगर पालिका परिषद (नगर पालिका परिषद्) में औसत परिवार का आकार 2001 में 6.1 से घटकर 2011 में 5.5 हो गया, जबकि बांदा जनपद में भी 2001 और 2011 में परिवार का आकार बाँदा (नगर पालिका परिषद्) के समान ही है। हालांकि, राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में 2001 की जनगणना में औसत परिवार का आकार 6.4 रहा और 2011 की जनगणना के दौरान यह घटकर 6.0 हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2001 की जनगणना में औसत परिवार आकार 5.3 है और 2011 की जनगणना में य़ह घटकर 4.8 हो गया है। हालांकि, बांदा नगर में परिवार का आकार राज्य की तुलना में कम है लेकिन राष्ट्रीय आंकड़ों से अधिक है।

तालिका 3.14 बांदा नगरीय जनसँख्या की व्यावसायिक संरचना

	2001			2011		
क्षेत्र का नाम	**योग परिवार**		**परिवार का आकार**	**परिवार**		**परिवार का आकार**
	परिवार	**आबादी**		**परिवार**	**आबादी**	
बांदा जनपद	249911	1537334	6.1	319963	1799410	5.6
बाँदा (नगर पालिका परिषद् + ओजी)	22843	139436	6.1	29162	160473	5.5

स्रोत: भारत की जनगणना 2001, 2011 और डीसीएचबी 2001,2011

3.8 आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण

तालिका 3.15: शहरी जनसँख्या का आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण

वर्ष	जनसंख्या	कामगार							
		योग		प्रथम क्रियाएं		द्वितीय क्रियाएं		तृतीया क्रियाएं	
		सख्या	% कामगार	सख्या	%	सख्या	%	सख्या	%
2001	139436	37237	26.71	1922	1.38	1578	1.13	33737	24.20

तालिका 3.15: शहरी जनसँख्या का आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण

वर्ष	जनसंख्या	कामगार							
		योग		प्रथम क्रियाएं		द्वितीय क्रियाएं		तृतीया क्रियाएं	
		सख्या	% कामगार	सख्या	%	सख्या	%	सख्या	%
2011	160473	48690	30.34	4475	2.79	2619	1.63	41596	25.92

स्त्रोत: भारत की जनगणना, 1991-2011

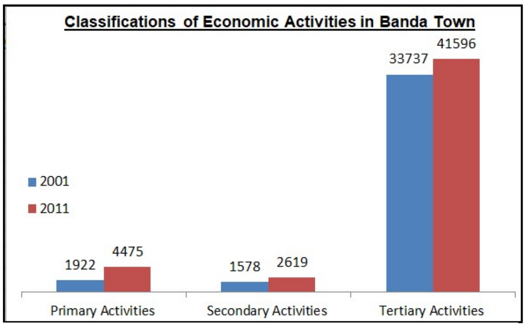

चित्र 3.8: बांदा ग्रामीण की व्यावसायिक संरचना

वर्ष 2011 मे बाँदा शहर की जनसँख्या 160473 व्यक्ति थी। इस पूरी जनसंख्या मे से योग 30.34 % (48690 व्यक्ति) कार्यशील जनसँख्या मे आते हैं शेष 64.66 % जनसंख्या अभी भी आश्रित जनसख्या मे आते हैं। कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन यह बताता है कि इस 30.34 % (48690 व्यक्ति) कार्यशील जनसँख्या मे सबसे अधिक जनसंख्या 25.92%(41596) तृतीयक श्रेणी मे कार्यरत हैं तथा प्रार्थमिक श्रेणी मे 2.79%(4475) और द्वितीयक श्रेणी मे 1.63%.(2619) जनसँख्या कार्यरत हैं।

3.9 प्रार्थमिक क्रियाएं

वर्ष 2001 मे बाँदा शहर में कामगारों की संख्या जनसँख्या के अनुपात में केवल 26.71% थी जिसमे से प्रार्थमिक क्रियाओं में केवल 1.38% कामगार ही कार्यरत थे। वर्ष 2011 तक यह संख्या बढ़ कर 4475 हो गई जो कामगारों की संख्या का 2.79% हो गया। यह बढ़ोतरी की दर 2001 से लगभग दुगनी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है की योग कामगारों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ प्रार्थमिक क्रियाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2016 में 9 गाँवो के आंशिक रूप से जुड़ने पश्चात प्रार्थमिक क्रियाओं में और बढ़ोतरी होने की सम्भावना है।

3.10 द्वितीयक क्रियाएं

उपरोक्त तालिका 3.15 अनुसार द्वितीयक क्रियाओं में वर्ष 2001 केवल 1.13% कामगार ही कार्यरत थे। वर्ष 2011 में यह संख्या बढ़कर 1.63% हो गई। उपरोक्त से यह स्पष्ट है की बाँदा शहर में औद्योगिक गतिविधियां नाममात्र हैं कोई बड़ा उद्योग शहर में नहीं है।

3.11 तृतीयक क्रियाएं

शहर का मुख्य आर्थिक आधार तृतीयक क्रियाएं ही हैं जैसा की तालिका 3.15 से सपष्ट है। वर्ष 2001 कामगारों का 24.20% तृतीयक क्रियाओं मे कार्यरत रहा है जो वर्ष 2011 में बढ़ कर 25.92 % हो गया। तृतीयक क्रियाओं में मुख्यतः व्यवसाय, सेवाएं एवं सरकारी कामकाज के तहत कार्यरत हैं।

3.12 भौतिक अवसंरचना

3.12.1 जलापूर्ति

गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए पानी, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) और बिजली सहित स्थिर बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यदि इस बुनियादी ढांचे को जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप अद्यतन नहीं किया गया है, तो यह इन सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।

अध्ययन का उद्देश्य बढ़ते शहरीकरण और इसकी पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रतिमान में जल आपूर्ति, उत्पन्न सीवेज और जल उपचार के तरीकों और इसके निपटान को पर्यावरण प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंकलन भी है। शहरी केंद्रों में जीवन की स्थिरता और गुणवत्ता वहां मौजूद बुनियादी ढांचे की दक्षता से सबंधित है। तदनुसार, बेहतर भौतिक और सामाजिक अवसंरचना प्रदान करना शहरों के समुचित विकास के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। योजना और डिजाइनिंग का उत्तरदायित्व है जल निगम, उत्तर प्रदेश के पास है और जल संस्थान बांदा शहर में निर्माण / कार्यान्वयन / संचालन और कर संग्रह, जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। सीवेज और सॉलिड वेस्ट दोनों को दो अलग-अलग शहरी मिशनों के तहत कवर किया गया है।

विद्यमान अवसंरचना और प्रतिष्ठानों का विश्लेषण

अवसंरचना को उनकी प्रकृति के आधार पर भौतिक और सामाजिक वर्गों में विभाजित किया गया है। इस खंड में भौतिक बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन में मुख्य रूप से जल आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बिजली एवं संचार शामिल हैं: ।

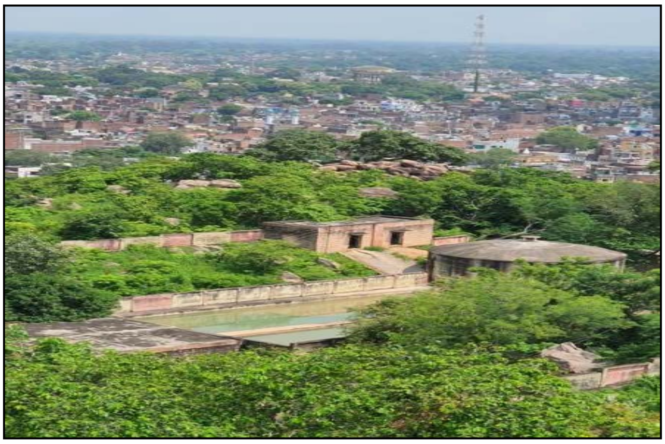

चित्र 3.9: जल उपचार संयंत्र, बम्बेश्वर

पानी के वर्तमान स्रोत: बांदा शहर के लिए पानी की निकासी दो स्रोतों यानी सतही जल और भूजल से होती है। केन नदी सतही जल का मुख्य स्रोत है जिसमें दो इनटैक वैल 6950 लीटर प्रति मिनट या 14 एमएलडी की

चित्र 3.10: जल निकासी इनलेट, केन नदी

क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, जबकि भूजल को पूरे शहर में वितरित 20 नलकूपों द्वारा निकाला गया है जिनकी निकासी क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट या लगभग 20 एमएलडी है। इसलिए, वर्ष 2011 में शहर के लिए सभी स्रोतों से पानी की उपलब्धता (गैर-राजस्व पानी सहित) 34 एमएलडी या 198.83 एलपीसीडी सहित है जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 135 एलपीसीडी के मानक से काफी अधिक है।

तालिका 3.16 पेयजल की उपलब्धता और पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत, 2019

शहर का नाम	कवर किए गए परिवारों की संख्या									
	वर्तमान जनसंख्या (लाख में)	क्रियाशील नलकूप	निष्क्रिय/पुन: बोर करने योग्य नलकूप	हाथ पंप	सूखा नलकूप	कुएं	तलाब	आवश्यकता (एमएलडी)	उपलब्धता (एमएलडी)	कमी (एमएलडी)
बाँदा	1.735	22	3	996	89	43	50	26.3	19.5	-6.8

स्रोत: कार्यपालक अभियंता, जल संस्थान चित्रकूट धाम मंडल, बांदा (नवंबर, 2019)

तालिका 3.16 में सतही जल और भूजल सहित पेयजल के विभिन्न स्रोतों का पता किया गया है। यह तालिका कि योग परिवार और जल स्रोतों पर उनकी निर्भरता दर्शाती है । जलापूर्ति क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद् की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। यह आकलन किया गया है कि 23241 घरों में से 996 घरों को हैंडपंप से और 43 घरों को कुओं से पानी मिलता है। वर्ष 2019 में 26.3 एमएलडी की आवश्यकता है लेकिन शहर में वास्तविक उपलब्धि केवल 19.5 एमएलडी ही है। जलापूर्ति में 6.8 एमएलडी की कमी आंकी गई है।

- **वर्तमान जल संग्रहण क्षमता**

13.74 मिलियन लीटर की योग क्षमता वाले 7 ओवर हेड टैंक और 4.56 मिलियन लीटर की योग क्षमता वाले 7 भूमिगत पानी के टैंक हैं। इसलिए जल भंडारण टैंकों की योग क्षमता 18.30 मिलियन लीटर है। उपभोक्ताओं को ओवरहेड टैंक के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गयी है। भंडारण क्षमता शहर की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। भूमिगत जलाशयों और ओवरहेड टैंकों की स्थिती नीचे तालिका 3.17 में दिए गए हैं।

तालिका 3.17 : भू-जलाशयों का विवरण

क्रमांक	भूमिगत जलाशय	संख्या	क्षमता	ओवर हेड टैंक	संख्या	क्षमता
1.	अवस्थी पार्क	1	250	अवस्थी पार्क	1	2500
2.	सिविल लाइंस	1	150	मर्दन नाक	1	2500
3.	इंदिरा नगर	1	150	जेल टैंक	1	2500
4.	जेल टैंक	1	300	सिविल लाइंस	2	1000+150

5.	मर्दन नाक	1	500	इंदिरा नगर	1	250
6.	-	-	-	खुटला	2	150+100

स्रोत: नगर पालिका परिषद बांदा (2019)

- वितरण नेटवर्क

ऊंचे जलाशयों ओवर हैड टैंक से पानी की आपूर्ति की गयी है। पानी के वितरण के लिए बांदा शहर को छह जोन में बांटा गया है। ये जोन एसी/पीवीसी/डीआईके-7 पाइपलाइनों के तंत्र से जुड़े हुए हैं। शहर में वर्तमान वितरण प्रणाली की योग लंबाई 205.80 किमी है। बांदा शहर के लिए जलापूर्ति योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी और 2011 में छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना (यूआईबीडीआईसएसएमटी) के तहत पूरी हुई थी।

तालिका 3.18 वितरण प्रणाली (पाइपलाइन वार्ड वार)

वार्ड नंबर	योग लंबाई (किमी)	यूआईबीडीआईसएसएमटी योजना (किमी) के तहत बिछाई गई पाइपलाइन	निर्माणधीन पाइपलाइन (किमी)
1	7.66	5.65	2.01
2	21.62	10.24	11.38
3	9.58	8.26	4.68
4	9.93	8.73	1.20
5	7.84	6.95	0.89
6	8.84	7.60	1.24
7	8.69	7.80	0.89
8	8.06	7.32	0.74
9	6.97	5.97	1.0
10	8.68	7.94	0.74
1 1	9.26	7.60	1.66
12	7.27	6.25	1.02
13	13.33	12.50	0.83
14	14.45	12.40	2.05
15	8.42	7.27	1.15
16	7.83	6.85	0.98
17	8.20	7.68	0.52
18	9.12	7.50	1.62
19	11.09	9.10	1.99
20	8.21	6.28	1.93
21	6.01	5.28	0.73
22	8.78	5.82	2.96
23	8.88	6.86	2.02
24	8.36	6.26	2.10
25	6.82	4.20	2.62
26	8.87	6.90	1.97
27	7.98	5.33	2.65
28	7.75	5.26	2.49
योग	**245.80**	**205.80**	**40.00**

स्रोत: स्लिप रिपोर्ट बांदा, 2015

तालिका 3.18 से पता चलता है कि शहर को 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए 245.80 कि.मी. पानी की आपूर्ति पाइपलाइन की लंबाई की आवश्यकता है। योग लंबाई में से 205.80 कि.मी. जलापूर्ति की पाइप लाइन बिछा दी गई है; केवल 40 किमी. की स्थापना शेष है।

- जलापूर्ति की स्थिति

तालिका 3.19 बांदा शहर में जलापूर्ति, घरेलू कनेक्शन, पानी के कनेक्शन की मीटरिंग के समावेश की विद्यमान स्थिति को दर्शाता है।

तालिका 3.19 राष्ट्रीय मानक के साथ शहर के पानी के बुनियादी ढांचे की तुलना

क्रमांक	संकेतक	विद्यमान स्थिति	एमओयूडी मानक	विश्वसनीता
1	जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज 8011/15230	53%	100%	डी
2	पानी की प्रति व्यक्ति आपूर्ति 34MLD/0.171	199 एलपीसीडी	135 एलपीसीडी	डी
3	जल कनेक्शन की मीटरिंग की सीमा	70%	100%	ए
4	गैर राजस्व जल की सीमा	40%	20%	डी
5	आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता	90%	100%	डी
6	जलापूर्ति सेवाओं में लागत वसूली	65%	100%	डी
7	जलापूर्ति संबंधित प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	65%	90%	डी

स्रोत: एसएलआईपी रिपोर्ट 2015

राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP), 2016 के अनुसार, बांदा नगर पालिका परिषद् का 53% क्षेत्र 135 एलपीसीडी के मानक के मुकाबले 199 एलपीसीडी की प्रति व्यक्ति आपूर्ति के साथ जलापूर्ति कनेक्शन द्वारा कवर किया गया है, इसलिए, मानक के मुकाबले पानी की आपूर्ति 64 एलपीसीडी से अधिक है। परंतु यह भारत सरकार के 100 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। इसी प्रकार मीटरों के प्रबंधन और राजस्व पानी आपूर्ति के प्रतिशत में कमी ,पानी की गुणवत्ता व पानी की लागत में वसूली आदि में अभी प्रगति की आवश्यकता है।

तालिका 3.20 जल अवसंरचना का विश्लेषण

अंग	2015			2021	
	विद्यमान	निर्माणधीन	योग	मांग	अन्तर
उपलब्धता	14 एमएलडी +20 एमएलडी	-	34 एमएलडी	27 एमएलडी	अतिरिक्त
उपचार क्षमता	35 एमएलडी	-	35 एमएलडी	27 एमएलडी	अतिरिक्त
उन्नत भंडारण क्षमता	18.34	-	18.34 एमएल	9 एमएल	अतिरिक्त
वितरण नेटवर्क	205.80 किमी	-	205.80 किमी	245.80 किमी	40 किमी

स्रोत: एसएलआईपी रिपोर्ट 2015 (http://amrutup.in/SLIPS/WSSLIPS/BAN-WS.pdf)

- **विषमता का आकलन**

तालिका 3.18 से पता चलता है कि बांदा शहर में जल वितरण नेटवर्क में 40 किमी निर्माणधीन है और शेष घटक जैसे पानी की उपलब्धता, जल उपचार संयंत्रों की उपचार क्षमता और शहर में जल भंडारण क्षमता मानक आवश्यकता से अधिक है।

मानचित्र 3.1: वर्तमान जल आपूर्ति तंत्र

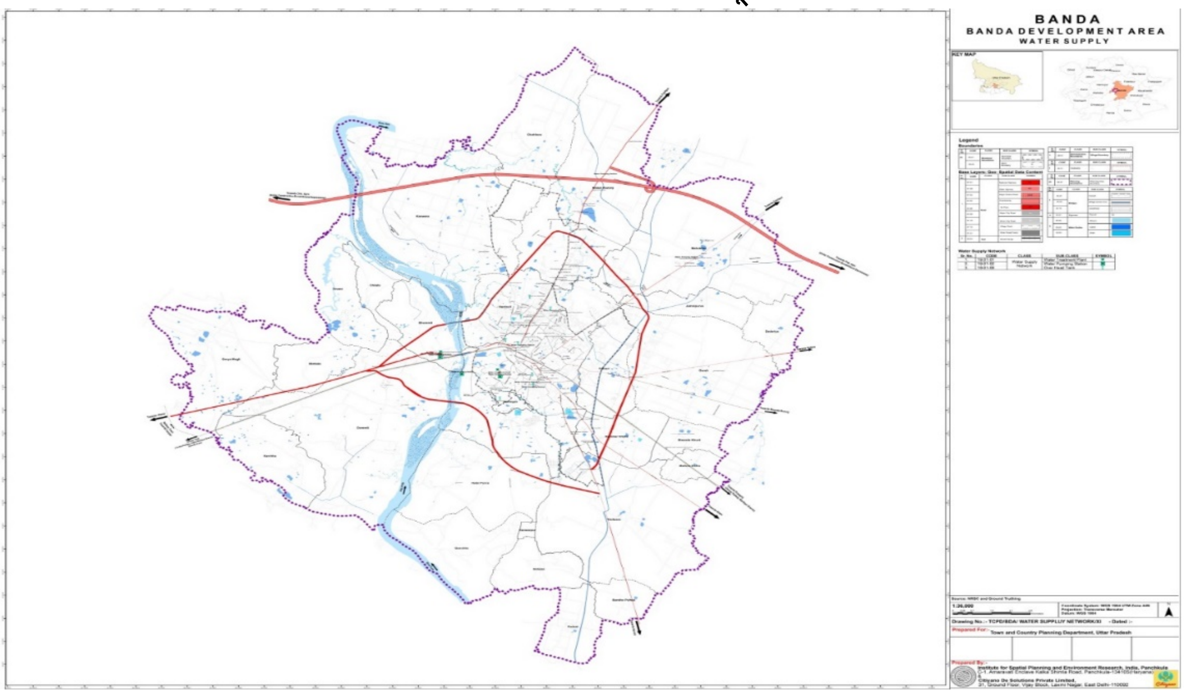

3.12.2 जल निकासी

बाँदा विकास क्षेत्र की मुख्य जल निकासी का स्त्रोत केन नदी है जो शहर के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है और यमुना नदी की एक सहायक नदी है बाँदा विकास क्षेत्र में केन नदी का योग क्षेत्रफल 1064.52 हेक्टेयर है। इसके अलावा नहरों और नालों के तहत 85.68 हेक्टेयर क्षेत्र है। विकास क्षेत्र में अन्य तालबों आदि के तहत 231.95 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। शहर के वर्षा जल की मुख्यतः निकासी के लिए निम्नी नाला उपलब्ध है। मुख्य सड़कों के साथ योजनाबध तरीके से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है हालांकि एक अच्छी जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता है।

3.12.3 ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन

बाँदा नगर पालिका परिषद् को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान शामिल है। स्वच्छता निरीक्षकों की देखरेख में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा दिन-प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट एकत्रित किया गया है।

तालिका 3.21: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का विवरण

शहर का क्षेत्रफल (वर्ग किमी।)	विद्यमान शहर की अनुमानित जनसंख्या	वार्डों की योग संख्या	100% स्रोत पृथक्करण वाले वार्डों की संख्या	योग ठोस अपशिष्ट उत्पन्न (टीपीडी में)	एकत्रित योग अपशिष्ट (टीपीडी में)
28.350	169473	31	31	54.050	54.050
योग ठोस अपशिष्ट उत्पन्न (सीपीएचईईओ दिशानिर्देशों के अनुसार)	परिवारों की संख्या (2011 की जनगणना)	100% डी2डी संग्रह वाले वार्डों की संख्या	सी एंड डी उत्पन्न अपशिष्ट (टीपीडी में)	सी एंड डी अपशिष्ट उपचारित (टीपीडी में)	योग उपचारित अपशिष्ट (टीपीडी में)
76.49865	28748	31	3.780	0.000	000

स्रोत: अक्टूबर 2019 के महीने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एमआईएस।

शहर में वर्ष 2019 के लिए योग 54.050 टन प्रतिदिन ठोस कचरा उत्पन्न होता है और 100% कचरा नगर पालिका द्वारा एकत्र किया गया है। 2,12,548 (2031) की आबादी के लिए ठोस कचरे का योग उत्पादन 74.39 टन प्रति दिन 350 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन (यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार) होने का अनुमान है।

तालिका 3.22 बांदा में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन के भविष्य के अनुमान

	शहरी विकास क्षेत्र		**ग्रामीण विकास क्षेत्र**	
साल	2021	2031	2021	2031
अनुमानित जनसंख्या	1,84,684	2,34,897	1,28,984	1,69,518
सड़ सकने वाला कचरा	203.15	233.80	141.88	183.52
पुन: प्रयोज्य अपशिष्ट	48.02	55.26	33.54	43.38
गैर खाद अपशिष्ट	0.118	0.136	0.083	0.107
ठोस अपशिष्ट उत्पादन	92.342	106.274	64.492	83.417

स्रोत: सेल्फ कंप्यूटेड

शहर में कूड़ा उठाने के अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। शहर में संग्रह के लिए योग 31 वार्ड हैं; घर-घर जाकर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की जा रही है। ठोस अपशिष्ट संग्रह का कवरेज 100% है। घर-घर कूड़ा उठाने के उद्देश्य से नगर पालिका के सफाईकर्मी, रिक्शा/रेहड़ी, व्हील बैरो, कूड़ा बीनने

चित्र 3.11: हटेती पुरवा डंपिंग साइट

वाले और एक तिपहिया साइकिल का उपयोग किया गया है जिसमें भंडारण बिन के रूप में बैक स्पेस होता है।

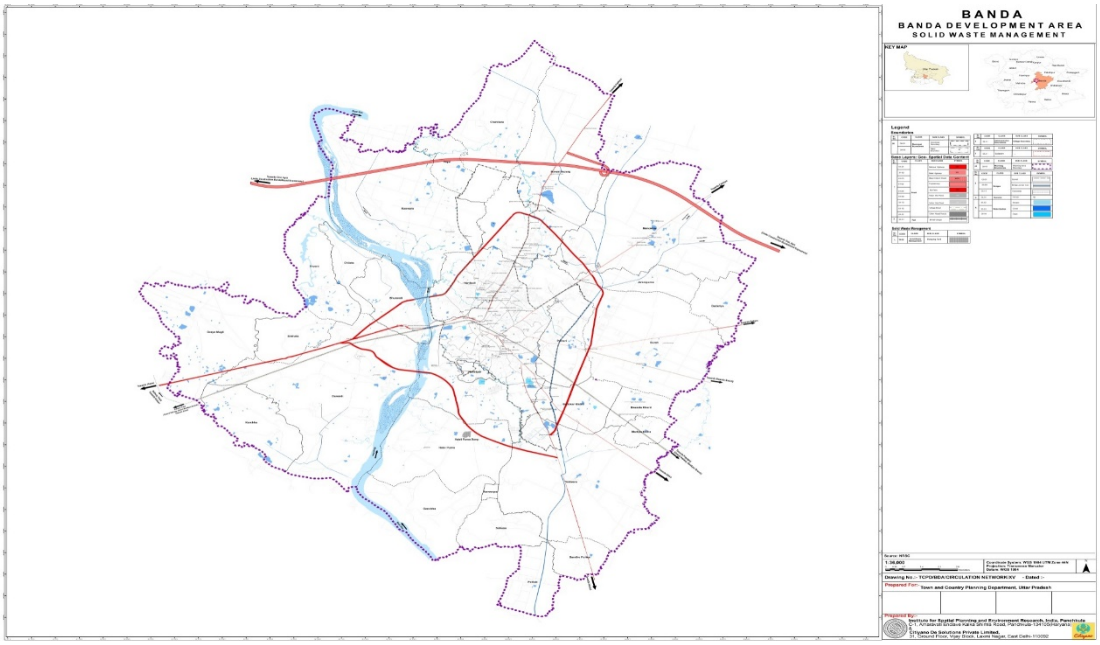

मानचित्र 3.2 वर्तमान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सीवरेज अवसंरचना

सीवरेज के निपटान का पारंपरिक तरीका शहर में व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक हैं। शहर में सीवरेज सिस्टम की जरूरत है। सीवरेज लाइन बिछाने का काम चल रहा है। शहर में 245.80 किलोमीटर लम्बाई की सीवरेज लाइन, जिसमें से केवल 3 किमी पाइप लाइन बिछाई गई है। बांदा में 23241 घरों में से केवल 13377 घरों में ही शौचालय कनेक्शन हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के 100 प्रतिशत मानक के मुकाबले शौचालयों (व्यक्तिगत या समुदाय) के कवरेज के लिए वर्तमान सेवा स्तर केवल 57.55% है। सीवरेज नेटवर्क सेवाओं के कवरेज में 96 प्रतिशत का अंतर है और सीवरेज के संग्रह और उपचार क्षमता में 100 प्रतिशत की कमी है।

चित्र 3.12: जल शोधन संयंत्र और संभागीय जल संस्थान कार्यालय, भूरागढ़

स्वच्छ भारत अभियान

सचिव पेयजल एवं स्वस्थ विभाग, जलशक्ति मंत्रालय सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए दो उप-मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए समन्वयक हैं।

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार और गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाने के लक्ष्य पर अग्रसर करता है। आवश्यकतानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रणालियाँ विकसित करना हैं जो सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता विकसित करती है।

3.12.4 बिजली (पावर स्टेशन और नेटवर्क ग्रिड)

बांदा शहर में बिजली का एक सब-स्टेशन है जो बांदा-चिल्ला मार्ग पर इंद्रा कॉलोनी के पास स्थित है। पावर सब-स्टेशन पनकी (कानपुर) से 132 केवीएलाइन से जुड़ा है। इसके अलावा पूरे शहर में बिजली वितरण के लिए 11 केवीए क्षमता के 9 यूनिट, 33 केवीए का 1 सबस्टेशन है। वर्तमान महायोजना 2021 में 11 केवीए पी सब-स्टेशन की पांच अतिरिक्त इकाइयों और 33 केवीए सब-स्टेशन की दो इकाइयों की आवश्यकता को निर्धारित करता है।

तालिका 3.23 बांदा शहर में बिजली कनेक्शन का विवरण, 2003

प्रकार	योग कनेक्शन	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	अन्य
बिजली की संख्या	14989	12000	2168	749	72

स्रोत: मास्टर प्लान 2021

तालिका 3.23 से पता चलता है कि, वर्ष 2003 में, शहर में योग कनेक्शनों की संख्या 14989 थी, जिसमें से 12000 कनेक्शन आवासीय थे, 2168 कनेक्शन वाणिज्यिक थे, 749 कनेक्शन औद्योगिक थे और 72 कनेक्शन अन्य श्रेणी में थे।

तालिका 3.24 बांदा शहर में बिजली कनेक्शन का विवरण, 2011

प्रकार	घरेलू	व्यावसायिक	औद्योगिक	रोड लाइटिंग	अन्य	योग
बिजली की संख्या	21539	5985	161	3290	5532	36507

स्रोत: डीसीएचबी, 2011

तालिका 3.24 दर्शाती है कि वर्ष 2011 में योग 36507 कनेक्शन थे जैसा कि ऊपर तालिका में बताया गया है। वर्ष 2003 से वर्ष 2011 तक बिजली कनेक्शनों में योग 58.94% की वृद्धि हुई है। आवासीय कनेक्शन

में 44.29% यानी 9539 कनेक्शन, व्यवसायिक कनेक्शन 64% यानी 3817 कनेक्शन और अन्य कनेक्शन जिनमें रोड लाइटिंग और आवश्यक सेवाओं के लिए कनेक्शन शामिल हैं, इसमें 99.18% की वृद्धि हुई है जबकि औद्योगिक कनेक्शन 749 से घटकर 161 कनेक्शन हो गए हैं।

3.12.5 डाक एवं संचार (संचार - डाक और दूरसंचार)

डाकघर और टेलीग्राफ संचार विकास के प्रमुख घटक हैं। बांदा विकास क्षेत्र में आवश्यक डाकघरों और टेलीफोन सुविधाओं की योग संख्या की गणना निम्नलिखित तालिका में की गई है;

तालिका 3.25: डाक और दूरसंचार सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक

क्रमांक।	श्रेणियाँ	जनसंख्या प्रति यूनिट सेवा	क्षेत्र
डाक सुविधाएं			
1	बिना डिलीवरी के डाकघर काउंटर (फ्लोर एरिया स्थानीय शॉपिंग सेंटर में उपलब्ध कराया जाएगा)	15000	85 वर्ग मी
2	वितरण कार्यालय के साथ प्रधान डाकघर	2.5 लाख	750 वर्ग मी
3	प्रधान डाकघर और प्रशासनिक कार्यालय	5 लाख	2500 वर्ग मी
टेलीफोन सुविधाएं			
1	40,000 लाइनों का टेलीफोन एक्सचेंज	4 लाख	4 हे.
2	रेडियो/टीवी स्टेशन	5-8 लाख	1700 वर्ग मी
3	रिमोट सब्सक्राइबर यूनिट	1 से 3 किमी के दायरे के लिए	300 वर्ग मी

स्रोत: यूआरडीपीएफआई, 2014

तालिका 3.26: ग्रामीण (बांदा विकास क्षेत्र) में वर्तमान डाक और टेली-संचार सुविधाएं

श्रेणियाँ	ग्रामीण विकास क्षेत्र में उपलब्ध इकाइयाँ
डाक बंगला	1
उप डाकघर	10
डाक और तार कार्यालय	0
सार्वजनिक कॉल कार्यालय/मोबाइल	2
इंटरनेट कैफे/सीएससी	1
टेलीफोन लैंडलाइन	6
निजी कूरियर सुविधा	2

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

तालिका 3.26 बांदा ग्रामीण विकास क्षेत्र में विद्यमान डाक और दूरसंचार सुविधाओं को दर्शाती है। यह आगे दिखाता है कि केवल 2 गांवों नामतः हरदौली और गोयारा मुगली में सार्वजनिक कॉल कार्यालय/मोबाइल थे। ग्रामीण विकास क्षेत्र में गोयारा मुगली में केवल एक डाकघर शामिल है और केवल 10 गांवों में उप डाकघर था।

गुरेह में केवल एक इंटरनेट कैफे/सीएससी सुविधा है। यह आगे खुलासा करता है कि बडोखर खुर्द और गोयारा मुगली में केवल 2 गांवों में निजी कूरियर सुविधा थी।

3.12.6 अन्य सुविधाएं

गैस आपूर्ति

फिलहाल शहर में गैस सप्लाई के लिए पाइप लाइन तंत्र नहीं है। एलपीजी के वितरण के लिए पारंपरिक पद्धति का उपयोग किया गया है। योग पांच गैस एजेंसियां हैं जो हर घर में एलपीजी की आपूर्ति के लिए सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सेवाएं प्रदान करने वाली गैस एजेंसियों का विवरण नीचे तालिका 3.27 में दिया गया है

तालिका 3.27 बांदा शहर में गैस एजेंसियों का विवरण

क्रमांक	एजेंसी का नाम	कंपनी	पता
1	संकल्प गैस एजेंसी	इंडेन	अतर्रा रोड
2	आराधना गैस एजेंसी	इंडेन	संकट मोचन के पास (शहर)
3	विंध्यवासिनी गैस एजेंसी	H.P	जिला होम्योपैथी अस्पताल के पास (शहर)
4	शर्मिला गैस एजेंसी	इंडेन	जिला जेल के पास
5	एचपी गैस एजेंसी	H.P	चिल्ला रोड

स्रोत: नगर पालिका परिषद बांदा, 2019

3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना

3.13.1 शिक्षण सुविधाएं

शिक्षा ज्ञान समाज के निर्माण की कुंजी है और इस प्रकार साक्षरता, कौशल विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के मामले में किसी भी बस्ती के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। राज्य सरकार ने लोगों के लिए आसान पहुंच के भीतर शैक्षणिक और ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। किसी भी नए विकास को प्रचारित करने और बनाए रखने के लिए शिक्षा प्रणाली सबसे शक्तिशाली साधनों में से है। समाज में सभी के लिए आसानी से सुलभ आवश्यक शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाओं के साथ "सभी के लिए शिक्षा" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर की योजनाएं प्रगति पर हैं। एक उपयुक्त शिक्षा प्रणाली बहुआयामी विकास पहलुओं के लिए समाज के लोगों के बीच ज्ञान, बेहतर कौशल, सकारात्मक मूल्यों और दृष्टिकोण को विकसित करती है। शैक्षणिक सुविधाए उपलब्धल करवाने के लिए मानदण्ड नीचे तालिका 3.28 में दर्शाये गये है।

तालिका 3.28: शिक्षा सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक

क्रमांक	वर्ग	इकाई द्वारा सेवा प्राप्त जनसँख्या	छात्र शक्ति	क्षेत्र
स्कूल स्तर की सुविधाएं				
1	प्री प्राइमरी/नर्सरी स्कूल	2500	-	0.08 ह
2	प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I से V)	5000	500	0.40 हेक्टेयर
3	सीनियर सेकेंडरी स्कूल (VI से XII)	7500	1000	1.80 हेक्टेयर
4	छात्रावास सुविधा रहित एकीकृत विद्यालय (कक्षा I - बारहवीं)	90000-1 लाख	1500	3.50 हेक्टेयर
5	छात्रावास सुविधा के साथ एकीकृत स्कूल (कक्षा I-बारहवीं)	90000-1 लाख	1500	3.90 हेक्टेयर
6	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	45000	400	0.70 हेक्टेयर
7	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	10 लाख	-	0.20 हेक्टेयर
उच्च शिक्षा				
1	कॉलेज	1.25 लाख	1000-1500	5.00 हेक्टेयर
2	विश्वविद्यालय	-	-	10-60 हेक्टेयर
तकनीकी शिक्षा				
1	तकनीकी शिक्षा केंद्र (ए) - 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 1 पॉलिटेक्निक शामिल करने के लिए	10 लाख	आईटीआई = 400 पॉलिटेक्निक = 500	4.00 हेक्टेयर (आईटीआई = 1.60 हेक्टेयर और पॉलिटेक्निक = 2.40 हेक्टेयर)
2	तकनीकी शिक्षा केंद्र (बी) - 1 आईटीआई, 1 तकनीकी केंद्र और 1 कोचिंग सेंटर शामिल करने के लिए	10 लाख	-	4.00 हेक्टेयर; आईटीआई = 1.40 हेक्टेयर, तकनीकी केंद्र = 2.10 हेक्टेयर कोचिंग सेंटर = 0.30 हेक्टेयर
व्यावसायिक शिक्षा				
1	इंजीनियरिंग महाविध्यालय	10 लाख	1500	6.00 हेक्टेयर
2	चिकित्सा महाविद्यालय	10 लाख	-	15.00 हेक्टेयर
3	अन्य पेशेवर कॉलेज	10 लाख	250 से 1500	2.00 हेक्टेयर (अतिरिक्त 100 एसटीडी = 0.50 हेक्टेयर 1000-1500 छात्र = 6.00 हेक्टेयर)
4	नर्सिंग और पराचिकित्सा संस्थान	10 लाख		प्लॉट एरिया = 2000 वर्ग मीटर
5	पशु चिकित्सा संस्थान	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद/मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार		
स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014, वॉल्यूम पृ.सं. 358-359.				

तालिका 3.29 में दर्शाया गया है कि बांदा नगर में योग 176 शैक्षिक सुविधाएं हैं, जिनमें से 31% सरकारी स्कूल हैं जबकि 69% निजी स्कूल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार योग 90 प्राथमिक विद्यालय, 58 माध्यमिक विद्यालय, आठ माध्यमिक विद्यालय,13 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और सात विकलांगों के लिए विद्यालय हैं। यूआरडीपीएफआई मानदंड और मानकों के अनुसार; बांदा विकास क्षेत्र (शहरी) में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल अधिक मात्रा में हैं जबकि प्री-प्राईमरी स्कूल, सेकेंडरी और

सीनियर सेकेंडरी स्कूल कम हैं। ग्रामीण भाग के मामले में 21 पूर्व-प्राथमिक, एक माध्यमिक विद्यालय की कमी है, जबकि अन्य स्तरों के संस्थान मानकों के अनुसार जरूरत से अधिक हैं।

तालिका 3.29: बांदा विकास क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं (विद्यालय)

शैक्षिक सुविधाएं (स्कूल)	विकास क्षेत्र (शहरी)			विकास क्षेत्र (ग्रामीण)			विकास क्षेत्र योग (विद्यमान)			अपेक्षित		अंतर(-)/ अधिशेष (+)	
	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग	सरकार	निजी	योग	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
पूर्व प्राथमिक	-	-	-	1 1	8	19	1 1	8	19	64	40	45	21
मुख्य	33	57	90	56	6	62	89	63	152	32	20	58	132
मध्य	12	46	58	29	5	34	41	51	92	32	20	26	72
माध्यमिक	1	7	8	2	2	4	3	9	12	21	13	-13	-1
उच्च माध्यमिक	7	6	13	1	1	2	8	7	15	21	13	-8	2
विकलांगों के लिए	1	6	7 (1)	2	0	2	3	6	9	4	2	3	7
योग	**54**	**122**	**176**	**101**	**22**	**123**	**155**	**144**	**299**	**174**	**109**	**2**	**191**

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

उच्च शिक्षा के मामले में, नीचे दी गई तालिका 3.30 में दर्शाया गया है कि सभी शिक्षा संस्थान (इन संस्थानों की स्थिति मानचित्र 3.3 में उल्लिखित है) जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज और शॉर्टहैंड प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकता से कम हैं। URDPFI दिशानिर्देश मानकों के अनुसार आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र के छात्र बांदा शहर पर निर्भर हैं और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र प्रयागराज और कानपुर जैसे आसपास के शहरों पर निर्भर हैं।

जनगणना 2011 तक विकास क्षेत्र की सीमा में मेडिकल कॉलेज (बांदा एलोपैथिक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय) स्थापित नहीं किया गया था, जो इस क्षेत्र की आबादी को तृतीयक स्तर की चिकित्सा देखभाल प्रदान करे। जबकि 2011 के बाद बांदा विकास क्षेत्र में बांदा एलोपैथिक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई, इसी प्रकार, केवल उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, इसमें निश्चित रूप से इस पिछड़े क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए अग्रिम वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने में निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा।

तालिका 3.30: बांदा विकास क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान

क्रमांक	उच्च शिक्षा संस्थान	विकास क्षेत्र (शहरी)			विकास क्षेत्र (ग्रामीण)			विकास क्षेत्र			अपेक्षित		अंतर (-) / अधिक (+)	
		सरकार	निजी	योग	सरकार	निजी	योग	सरकार	निजी	योग	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
	डिग्री कॉलेज													
1.	केवल कला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1
2.	केवल विज्ञान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1
3.	केवल वाणिज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1
4.	कला और विज्ञान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1
5.	कला और वाणिज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1
6.	कला, वाणिज्य और विज्ञान	1	1	2	-	-	-	1	1	2	1	1	0	0
	योग	**1**	**1**	**2**	-	-	-	**1**	**1**	**2**	**6**	**6**	**5**	**5**
	व्यावसायिक शिक्षा													
7.	लॉ कॉलेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
8.	चिकित्सा महाविद्यालय	-	-	-	1*	-	-	-	-	-	0	0	1	0
9.	इंजी. कॉलेज	-	1	1	-	-	-	-	1	1	0	0	1	0
10.	प्रबंधन कॉलेज	-	1	1	-	-	-	1	1	2	0	0	1	0
	योग	-	**2**	**2**	-	-	-	**1**	**2**	**3**		0	**2**	**0**
	पॉलिटेक्निक शिक्षा													
11	पॉलिटेक्निक कॉलेज	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0	0	1	0
	योग	**-**	**-**	**1**	-	-	-	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
	प्रशिक्षण शिक्षा (केंद्र)													
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0	**0**	0
13.	अनौपचारिक प्रशिक्षण केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0	**0**	0
	योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0	**0**	0
	महायोग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	आशुलिपि	1	-	-	-	-	-	1		1	**0**	0	**1**	0
16.	टाइपराइटिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0	**0**	0
17.	शॉर्टहैंड टाइपराइटिंग	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**0**	0	2	0
18.	विश्वविद्यालय	1**	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0

स्रोत - भारत की जनगणना 2011

नोट: *बांदा एलोपैथिक राजकीय मेडिकल कॉलेज, ** बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।

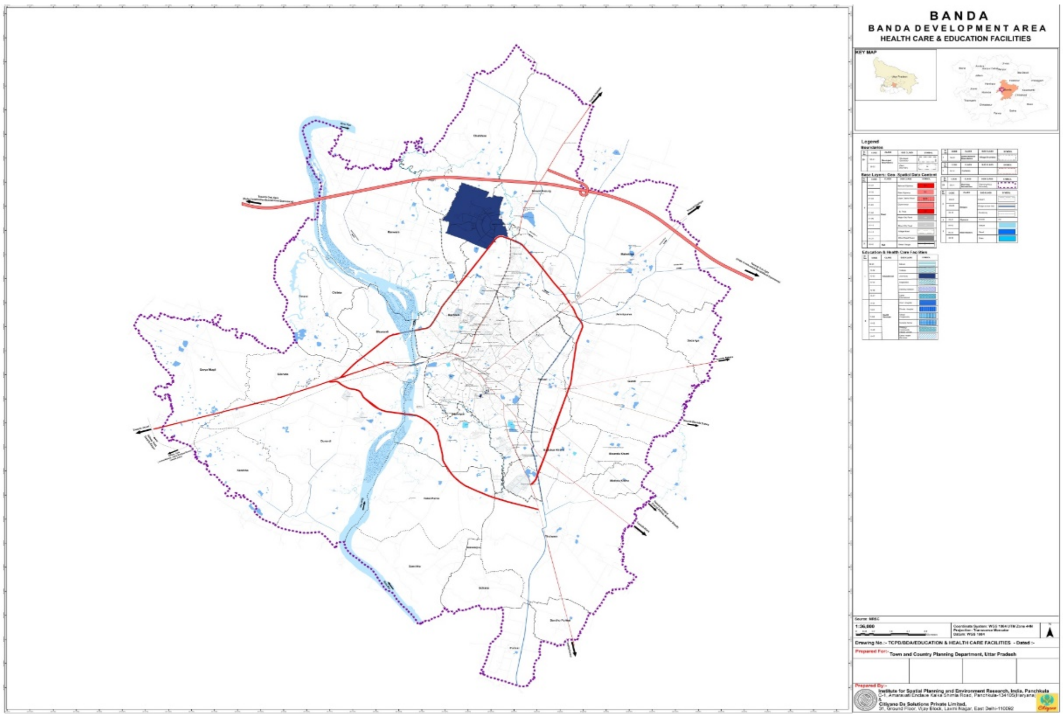

मानचित्र 3.3 वर्तमान में शैक्षिक सुविधाएं

3.13.2 स्वास्थ्य सुविधाएं

मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किसी भी नियोजन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है। स्वास्थ्य सुविधाएं यदि किसी बस्ती में निर्धारित मानदंडों और मानकों पर प्रदान की गयी हैं जो निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती हैं। शहर की प्रगति उसके नागरिकों को उपलब्ध किसी भी समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओ की स्थिति एंव पहुचं के अलावा स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा करना एक बड़ा कार्य है जिसके लिए व्यापक समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की निगरानी और स्वास्थ्य समस्याओं के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित डेटा संग्रह की आवश्यकता है।

साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नेटवर्क की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि तालिका 10.4 में दिया गया है, ये स्वास्थ्य सुविधाएं मूल रूप से कुछ मानदंडों और मानकों पर आधारित हैं;।

तालिका 3.31: स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक

क्रमांक	वर्ग	बिस्तरों की संख्या	इकाई द्वारा सेवा प्राप्त जनसँख्या	क्षेत्र की आवश्यकता
1.	औषधालय	-	15000	0.08 से 0.12 हेक्टेयर
2.	नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं	25 से 30 बिस्तर	45000-1 लाख	0.20 से 0.30 हेक्टेयर
3.	पालीक्लिनिक	-	1 लाख	0.20 से 0.30 हेक्टेयर
4.	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी बी)	50-80 बिस्तर	1 लाख	1.00 हेक्टेयर
5.	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी ए)	100-200 बिस्तर	1 लाख	3.70 हेक्टेयर
6.	मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल (एनबीसी)	100-200 बिस्तर	1 लाख	9.00 हेक्टेयर
7.	विशेषज्ञ अस्पताल (एनबीसी)	100 200 बिस्तर	1 लाख	3.70 हेक्टेयर
8.	सामान्य अस्पताल	300-500 बिस्तर	2.5 लाख	6.00 हेक्टेयर
9.	परिवार कल्याण केंद्र	आवश्यकता अनुसार	50000	500-800 वर्गमीटर
10.	डायग्नोस्टिक सेंटर	-	50000	500-800 वर्गमीटर
11.	पालतू जानवरों और जानवरों के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल	-	5 लाख	2000 वर्गमीटर
12.	पालतू जानवरों और पक्षियों के लिए औषधालय	-	1 लाख	300 वर्गमीटर
13.	पुनर्वास केंद्र	आवश्यकता अनुसार		
योजना आयोग के मानकों के अनुसार				
14.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	-	80000-1.2 लाख	-
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	-	20000-30000	-
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र	-	3000-5000	-

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014

योजना आयोग ने मानकों के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80000 से 1.2 लाख की जनसंख्या के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 20000 से 30000 की जनसंख्या के लिए और प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र लगभग 3000 से 5000 की जनसंख्या के लिए मानित है।

स्वास्थ्य अवसंरचना सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों को स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि पुरानी बीमारी और आपातकालीन स्वास्थ्य खतरे (जैसे प्राकृतिक आपदाओं और महामारी/ बीमारी के प्रकोप) आदि को परामर्श करने की अनुमति देता है। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में भवन (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा दोनों), उपकरण (चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर और अस्पताल अपशिष्ट उपचार संयंत्र), संचार (आईसीटी उपकरण), और एम्बुलेंस प्रणाली (एम्बुलेंस, कार, पिकअप, वैन, ट्रक, आदि) शामिल करना आवश्यक है।

तालिका 3.32 बांदा विकास क्षेत्र में विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान	विकास क्षेत्र (ग्रामीण)				विकास क्षेत्र (शहरी)				बांदा विकास क्षेत्र			
		संख्या	बेड	डॉक्टर	श्रमिक	संख्या	बेड	डॉक्टरों	श्रमिक	संख्या	बेड	चिकित्सक	श्रमिक
1.	सीएचसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1	-	2	4	-		-	-	1		2	4
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	परिवार कल्याण केंद्र	-	-	-	-	5	50	8	60	5	50	8	60
5.	मातृत्व एवं बाल कल्याण केंद्र	3	-	9	-	1	10	2	6	4	10	1 1	-
6.	प्रसूति गृह	-	-	-	-	1	8	2	5	1	8	2	5
7.	टीबी अस्पताल	-	-	-	-	1	-	1	-	1		1	-
8.	टीबी क्लिनिक	1	-	2	-		-	-	-	1		2	-
9.	एलोपैथिक अस्पताल	-	-	-	-	54	660	120	74	54	660	120	74
10.	अस्पताल वैकल्पिक चिकित्सा	-	-	-	-	2	10	3	-	2	10	3	
11.	औषधालय/स्वास्थ्य केंद्र	1	-	2	-		-	-	-	1		2	-
12.	नर्सिंग होम	-	-	-	-	7	70	7	-	7	70	7	-
13.	मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र	-	-	-	-	1	-	1	-	1		1	-
14.	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	**6**	**-**	**15**	**4**	**72**	**808**	**98**	**145**	**79**	**808**	**159**	**143**
15.	पशु चिकित्सालय	1	-	3	-	1		1		2		4	-
16.	बाह्य रोगी विभाग	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
17.	रोगी विभाग	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-
18.	धर्मार्थ अस्पताल	1	-	1	-	31 7	-	-	-	317	-	-	-
19.	चिकित्सा व्यवसायी के साथ (एमबीबीएस डिग्री)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	(अन्य डिग्री)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	(कोई डिग्री नही)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	पारंपरिक चिकित्सक और आस्था मरहम लगाने वाले	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	गैर सरकारी दवा की दुकान	-	-	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-
24.	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011 {DCHB, बांदा, (नगर और गांव), 2011}

तालिका 3.32 में दर्शाया गया है कि बांदा विकास क्षेत्र में योग 79 स्वास्थ्य संस्थान हैं जिनमें से बांदा नगर पालिका परिषद् (शहरी) में 72 स्वास्थ्य संस्थान हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 6 संस्थान हैं। बांदा शहरी आबादी को प्रदान की जा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं में पांच परिवार कल्याण केंद्र, एक मातृत्व केंद्र, एक बाल कल्याण केंद्र, एक टीबी अस्पताल, 54 एलोपैथिक अस्पताल और एक मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। जबकि ग्रामीण विकास क्षेत्र में केवल तीन प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्र, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। बांदा ग्रामीण क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय हैं और शहरी क्षेत्र में पशुओं की देखभाल के लिए भी केवल एक पशु चिकित्सालय है।

तालिका 3.33: बांदा शहर में विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

अस्पताल का प्रकार	इकाइयों की संख्या		बिस्तरों की संख्या		डॉक्टरों की संख्या		नर्सों की संख्या		पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या		मरीजों का इलाज	
अस्पताल	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
एलोपैथिक	54	-	660	-	120/134	-	-	-	74/131	-	-	-
वैकल्पिक दवाई	2	-	10	-	3/4	-	-	-	-	-	-	-
टीबी अस्पताल / क्लिनिक	1	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
नर्सिंग होम	7	-	70	-	7/7	-	-	-	-	-	-	-
परिवार कल्याण केंद्र	5	-	50	-	8/10	-	-	-	60	-	-	-
प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्र	1	-	10	-	2/2	-	-	-	6/6	-	-	-
प्रसूति गृह	1	-	8	-	2/2	-	-	-	5/5	-	-	-
पशु चिकित्सालय	1	-	-	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-
मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल	1	-	-	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-
चैरिटेबल हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर सरकारी दवा की दुकान	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यूनानी चिकित्सा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समाचिकित्सा का	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-							
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	-		-		-		-		-		-	

स्रोत: डीसीएचबी, टाउन रिलीज, 2011

तालिका 3.33 में दर्शाया गया है कि बांदा नगर पालिका परिषद् में 54 एलोपैथिक अस्पताल, दो वैकल्पिक चिकित्सा अस्पताल, एक प्रसूति और बाल कल्याण केंद्र हैं। डॉक्टरों के लिए योग 161 पद हैं और वर्ष 2011 में 90% (145) पदों पर डॉक्टर हैं और 145 व्यक्ति मेडिकल स्टाफ के पद पर हैं।

तालिका 3.34: बांदा में स्वास्थ्य संस्थानों का अंतराल विश्लेषण

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान	विद्मान (विकास क्षेत्र)			अपेक्षित		अंतर (-) / अधिशेष (+)	
		शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1.	एलोपैथिक अस्पताल	54	-	54	2	-	+52	-
2.	आयुर्वेदिक अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-
3.	होम्योपैथिक अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-
4.	यूनानी अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-
5.	अस्पताल वैकल्पिक चिकित्सा	2	-	2	2		0	-
6.	औषधालय	-	1	1	-	7	-	-6
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	-	-	-	-	-	-	-
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	-	1	1	-	0	-	-
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र	-	-	-	-	-	-	-
10.	परिवार कल्याण केंद्र	5	-	5	3	-	+2	-
11.	मातृत्व एवं बाल कल्याण केंद्र	1	3	4	2	1	-1	+2
12.	प्रसूति गृह	1	-	1	2	-	-1	-
13.	नर्सिंग होम	7	-	7	2	-	+5	-
14.	टीबी अस्पताल	1	-	1	2	-	-1	-

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान	विद्मान (विकास क्षेत्र)			अपेक्षित		अंतर (-) / अधिशेष (+)	
		शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
15.	टीबी क्लिनिक	-	1	1	-	2	-	-1
16.	मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र	1	-	1	-	-	-	-
17.	पशु चिकित्सालय	1	1	2	0	0	+1	+1
18.	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी बी)	-	-	-	-	-	-	-
19.	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी ए)	-	-	-	-	-	-	-
20.	मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-
21.	विशेषज्ञ अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-
22.	सामान्य अस्पताल	1	-	-	-	-	-	-
23.	पालीक्लिनिक	-	-	-	-	-	-	-

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

*बांदा जनरल अस्पताल

तालिका 3.34 में दर्शाया गया है कि बांदा नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में आवश्यकता और विद्यमान स्वास्थ्य संस्थानों के बीच अंतर है। बांदा नगर पालिका परिषद् क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार, एक मातृत्व एवं बाल कल्याण केंद्र, वैकल्पिक दवाओं के एक अस्पताल की कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रसूति गृह एवं एक टीबी अस्पताल, बांदा विकास क्षेत्र में 6 औषधालय एवं एक टीबी क्लिनिक की कमी है। शहरी क्षेत्र में एलोपैथिक अस्पताल, परिवार कल्याण केंद्र और नर्सिंग होम यूआरडीपीएफआई मानकों के अनुसार आवश्यक मापदंड से अधिक हैं।

3.13.3 मनोरंजनात्मक सुविधाएं

जनगणना 2011 के अनुसार, उपलब्ध सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में 55 सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्र में 23 सुविधाएं हैं जो नीचे तालिका 10.9 में दी गई हैं जिन्हें यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के संदर्भ में पर्याप्तता और अपर्याप्तता के संदर्भ में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जो कि तालिका 3.35 में जो कि दिए गए हैं:

तालिका 3.35: सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक

वर्ग	जनसंख्या (प्रति इकाई)	क्षेत्र	अपेक्षित	
			शहरी	ग्रामीण
आंगनबाडी आवास क्षेत्र/क्लस्टर	5000	200-300 वर्ग मी	32	18
सामुदायिक कक्ष	5000	750 वर्ग मी	32	18
सामुदायिक भवन, मंगल कार्याला, बारात घर/पुस्तकालय/	15000	2000 वर्ग मीटर	1 1	6
संगीत, नृत्य और नाटक केंद्र	1 लाख	1000 वर्ग मी	2	0
ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	1 लाख	5000 वर्ग मी	2	0

वर्ग	जनसंख्या (प्रति इकाई)	क्षेत्र	अपेक्षित	
			शहरी	ग्रामीण
मनोरंजन क्लब	1 लाख	10,000 वर्ग मी	2	0
वृद्धाश्रम	5 लाख	अधिकतम 1000 वर्ग मी	0	0
धार्मिक				
पड़ोस/आवास क्लस्टर स्तर पर	5000	400 वर्गमीटर	32	18
शहरी विस्तार में उप नगर स्तर पर	10 लाख	4.00 हेक्टेयर	0	0
अन्य सुविधाएँ				
अनाथालय / बाल केंद्र (प्रत्येक में एक)	10 लाख	अधिकतम 1000 वर्गमीटर	0	0
शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांगों के लिए देखभाल केंद्र	10 लाख	अधिकतम 1000 वर्गमीटर	0	0
कामकाजी महिला-पुरुष छात्रावास	10 लाख	अधिकतम 1000 वर्गमीटर	0	0
प्रौढ़ शिक्षा केंद्र	10 लाख	अधिकतम 1000 वर्गमीटर	0	0
रात्रि आश्रय	10 लाख	अधिकतम 1000 वर्गमीटर	0	0
सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र/ प्रदर्शनी सह मेला मैदान	10 लाख	15 हैक्टेयर	0	0
विज्ञान केंद्र	10 लाख	आवश्यकता अनुसार	0	0
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	शहर का स्तर	आवश्यकता अनुसार	0	0

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014

तालिका 3.36 में दर्शाया गया है कि बांदा नगर पालिका परिषद् में विद्यमान में एक सभागार/सामुदायिक केंद्र, 4 मल्टीप्लेक्स, एक सार्वजनिक पुस्तकालय, एक सार्वजनिक वाचनालय और एक स्टेडियम मौजूद है। यूआरडीपीएफआई मानकों के अनुसार आवश्यक संख्या 32 सभागार और 11 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। इसी तरह बांदा ग्रामीण में 11 सभागार/सामुदायिक हॉल/सामुदायिक केंद्रों की अच्छी संख्या है, लेकिन योग जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए अभी भी 7 ओर सभागारों की आवश्यकता है। यहां 3 सार्वजनिक पुस्तकालय, 3 सार्वजनिक वाचनालय और 4 मनोरंजन सुविधाएं हैं। उपरोक्त प्रावधान तालिका 3.34 में दर्शाए गए अनुसार यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के तुलनीय हैं।

तालिका 3.36: बांदा विकास क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं का विवरण

क्रमांक		विद्यमान			अपेक्षित	
		शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण
मनोरंजक/ (सार्वजनिक/समुदाय)						
1.	आंगनवाड़ी	-	-	-	-	-
2.	सभागार/सामुदायिक हॉल/सामुदायिक केंद्र	1	1 1	12	32	7
3.	मल्टीप्लेक्स/सिनेमा	4	3	7	-	-
4.	संग्रहालय	-	-	-	-	-
5.	आर्ट गेलेरी	-	-	-	-	-

क्रमांक		विद्यमान			अपेक्षित	
		शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण
6.	ओपन एयर थिएटर	-	-	-	-	-
7.	सार्वजनिक पुस्तकालय	1	3	4	1 1	7
8.	सार्वजनिक वाचनालय	1	3	4	1 1	7
9.	अनाथालय घर	1		1	0	-
10.	कामकाजी महिला छात्रावास	-	-	-	-	-
11.	वृद्धाश्रम	-	-	-	-	-
12.	निगम उद्यान/पार्क	-	-	-	-	-
13.	होटल/भोजन स्थल	-	-	-	-	-
14.	मनोरंजन केंद्र/खेल क्लब		4	4	-	1
15.	स्टेडियमों	1	12	13	1	1
	अन्य सुविधाएँ					
16.	मंडियां/नियमित बाजार	-	1	1	-	-
17.	साप्ताहिक हाट	-	9	9	-	-
18.	कृषि विपणन सोसायटी	-	-	-	-	-
19.	पोषाहार केंद्र	-	-	-	-	-
	धार्मिक/सांस्कृतिक	-	-	-	-	-
20.	गुरुद्वारों	-	-	-	-	-
21.	मंदिरों	-	-	-	-	-
22.	मस्जिद	-	-	-	-	-
23.	टाकियासो	-	-	-	-	-

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

3.13.4 धार्मिक महत्त्व के स्थल

दर्शनीय क्षेत्र

बांदा जिले में पर्यटन स्थलों की विभिन्न श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

i. ***ऐतिहासिक पर्यटन***

कालिंजर किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह स्थान मंदिरो के शहर और विश्व विरासत का स्थल खजुराहो पास स्थित है। यहां की विरासत इतिहास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। इस किले के अंदर कई इमारतें और मंदिर हैं। किले को हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। नीलकंठ महादेव का अद्वितीय शैली का मंदिर है।

ii. *धार्मिक पर्यटन*

बांदा में माहेश्वरी देवी मंदिर शहर के केंद्र में स्थित है जो कई देवी और देवताओं को समर्पित है। दंतकथाओं अनुसार यहां माहेश्वरी पत्थर की चट्टान के रूप में प्रकट हुई। शारदीय और चैत्र नवरात्रि पर यहां विशाल मेला लगता है। इस पारंपरिक जगह पर पूजा-अर्चना करने के लिए कई जगहों से लोग यहां आते हैं।

चित्र 3.13 माहेश्वरी देवी मंदिर

बामदेवेश्वर मंदिर बांदा में पूजा का एक और लोकप्रिय स्थान है जिसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान राम के समकालीन के रूप में वर्णित बमदेव ऋषि नामक एक लोकप्रिय ऋषि के नाम पर रखा गया है। कहा गया है कि बामदेव का आश्रम एक पहाड़ी के किले में था। बंबेशर पहाड़ के खो में मंदिर में एक बड़ा और प्राचीन शिवलिंग स्थित है। शहर में एक प्राचीन जामा मस्जिद और एक मोहम्मद बोडे मस्जिद भी है।

13.13.5 सामजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ

बैंकिंग सुविधा

विद्यमान बैंकिंग सेवाएं और यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों में निर्धारित मापन योग्य मानदंड और मानक तालिका 3.37 और 3.38 में दिए गए हैं जो निम्नानुसार है:

तालिका 3.37: बैंकिंग सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक (2014)

क्रमांक	वर्ग	जनसंख्या (प्रति इकाई)	वर्गमीटर में तल क्षेत्र।
1	एटीएम सुविधा के साथ एक्सटेंशन काउंटर वाला बैंक	15000	काउंटर 75 वर्गमीटर। एटीएम - 6 वर्गमीटर।
2	लॉकर, एटीएम और अन्य बैंकिंग सुविधाओं वाला बैंक	1 लाख	2500 वर्गमीटर

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014

तालिका 3.38 दर्शाती है कि जिला जनगणना पुस्तिका-2011 के अनुसार योग 44 बैंक हैं, जिनमें से बांदा शहरी में 40 और ग्रामीण में 4 बैंक हैं। इन बैंकों में 10 राष्ट्रीय बैंक, नौ निजी वाणिज्यिक बैंक और दो सहकारी बैंक शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 4 कृषि समितियां, 26 स्वयं सहायता समूह और 27 आशा वर्किंग सोसायटी हैं। ये यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के निर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हैं।

तालिका 3.38: बांदा में बैंकिंग सुविधा, 2011

क्रमांक	वर्ग	विद्यमान		
		शहरी	ग्रामीण	विकास क्षेत्र
1.	राष्ट्रीय बैंक	10	-	10
2.	निजी वाणिज्यिक बैंक	9	-	9
3.	सहकारी बैंक	2	-	2
4.	कृषि ऋण सोसायटी	1	4	5
5.	गैर-कृषि ऋण सोसायटी	18	-	18
	योग	**40**	**4**	**44**
6.	एटीएम	-	-	-
7.	स्वयं सहायता समूह	-	26	26
8.	अन्य; आशा	-	27	27

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

श्मशान घाट

बांदा शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थित पर्याप्त श्मशान घाट और कब्रिस्तान हैं। बांदा नगर पालिका परिषद् में 3 श्मशान घाट हैं। 3 श्मशान घाट में से एक इलेक्ट्रिक श्मशान है और अन्य में पारंपरिक तरीका है। श्मशान घाट का विवरण नीचे तालिका 3.39 और 3.40 में दिया गया है:

तालिका 3.39 श्मशान भूमि का स्थान, 2019

क्रमांक	स्थान	वार्ड नंबर
1	हरदौली श्मशान घाट	6
2	राजघाट श्मशान घाट	17
3	खैपर झिन श्मशान घाट	2

स्रोत: नगर पालिका परिषद बांदा 2019

तालिका 3.40: श्मशान और कब्रिस्तान के लिए मानदंड और मानक, 2014

क्रमांक।	वर्ग	जनसंख्या (प्रति इकाई)	क्षेत्र
1	इलेक्ट्रिक श्मशान	1 बड़े शहर के लिए	2.00 हेक्टेयर
2	श्मशान घाट	5 लाख Lakh	2.50 हेक्टेयर
3	कब्रिस्तान	5 लाख Lakh	4.00 हेक्टेयर

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014

पेट्रोल/ डीज़ल पंप एवं गैस स्टेशन

विद्यमान ईंधन भरने वाले स्टेशन तालिका 3.41 में दिए गए हैं और यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के मानक तालिका 3.43 में निम्नानुसार दिए गए हैं;

तालिका 3.41: बांदा नगर बोर्ड क्षेत्र में ईंधन स्टेशन, 2019

क्र.सं.	वार्ड नं.	वार्ड का नाम	पेट्रोल पंप का नाम
1	21	पीली कोठी	धनदरिया पेट्रोल पंप
2	12	कटरा पश्चिम	चौरसिया पेट्रोल पंप
3	14	स्वराज कॉलोनी	
4	10	आजाद नगर	रिलायंस पेट्रोल पंप
5	16	झेल का पुरवा	
6	31	इंदिरा नगर	
7	19	स्यंती नगर	
8	19	स्यंती नगर	महादेव पेट्रोल पंप
9	19	स्यंती नगर	भारत पेट्रोल पंप
10	19	स्यंती नगर	हिंदुस्तान पेट्रोल पंप
11	19	स्यंती नगर	भारतीय पेट्रोल पंप

स्रोत: नगर परिषद बांदा, 2019

गैस एजेंसियां

तालिका 3.41 और तालिका 30.42 में दर्शाया गया है कि योग 11 फिलिंग स्टेशन और 5 गैस एजेंसियां हैं, जिनमें से 3 गैस स्टेशन शहर के मुख्य क्षेत्र में स्थित हैं जबकि अन्य 2 शहर की बाहरी सीमा के पास स्थित हैं। निम्नलिखित तालिका फिलिंग स्टेशनों और गोदामों के लिए मानदंड और मानकों को दर्शाती है। URDPFI दिशानिर्देशों के अनुसार बांदा शहरी क्षेत्र में 3 गैस स्टेशनों की आवश्यकता है।

तालिका 3.42: विद्यमान फिलिंग/गैस स्टेशन/एलपीजी एजेंसियां, 2019

क्र.सं.	नाम	कंपनी	पता
1	संकल्प गैस एजेंसी	इंडेन	अतर्रा रोड
2	आराधना गैस एजेंसी	इंडेन	संकट मोचन के पास (शहर)
3	विंध्यवासिनी गैस एजेंसी	हिमाचल प्रदेश	जिला होम्योपैथी अस्पताल के पास (शहर)
4	शर्मिला गैस एजेंसी	इंडेन	जिला जेल के पास
5	एचपी गैस एजेंसी	हिमाचल प्रदेश	चिल्ला रोड

स्रोत: नगर परिषद बांदा 2019

तालिका 3.43: फिलिंग स्टेशन और गोदामों के लिए मानदंड और स्थान मानक, 2014

क्र.सं.	वर्ग	जनसंख्या (प्रति इकाई)	क्षेत्र
1	पेट्रोल/डीजल फिलिंग एवं सर्विस सेंटर सेंट्रल ज़िला बी) उप केंद्रीय जिला ग)जिला केंद्र डी) सामुदायिक केंद्र (केवल फिलिंग स्टेशन) ई) शहरी क्षेत्रों में आवासीय और औद्योगिक उपयोग क्षेत्र च) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ छ) विकास केंद्रों के रूप में पहचाने गए गांव ज) फ्रेट कॉम्प्लेक्स i) प्रस्तावित प्रमुख सड़कें j)पुलिस/सुरक्षा बल सेवाएं (केवल कैप्टिव उपयोग के लिए) (एमपीडी, पृष्ठ 125)	-	केवल फाइलिंग स्टेशन-30m*17m फिलिंग- कम-सर्विस स्टेशन-36 mx 30 m फिलिंग कम सर्विस स्टेशन कम वर्कशॉप-45 mx 36m केवल दो और तीन पहिया वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशन-18m x 15m
2	कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) / फिलिंग सेंटर। सभी उपयोग क्षेत्र (क्षेत्रीय पार्कों और विकसित जिला पार्कों को छोड़कर) बी) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ ग) विकास केंद्रों के रूप में पहचाने जाने वाले गांव घ) फ्रेट कॉम्प्लेक्स ई) प्रस्तावित प्रमुख सड़कें	-	सीएनजी मदर स्टेशन (बिल्डिंग कंपोनेंट-कंट्रोल रूम / ऑफिस / डिस्पेंसिंग रूम / स्टोर, पेंट्री और डब्ल्यूसी सहित) 1080 वर्गमीटर (36 मी x 30 मी)
3	एलपीजी गोदाम / गैस गोदाम	40,000-50,000	•क्षमता = 500 सिलेंडर या 8000 किलो एलपीजी (LPG) क्षेत्रफल (गार्ड रूम सहित) 520 वर्गमीटर (26m x 20m)

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश - 2014

पुलिस स्टेशन

तालिका 3.44 के अनुसार शहर के पुलिस स्टेशन नागरिकों की सेवा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं । बांदा जनपद में योग 26 पुलिस स्टेशन हैं। बांदा शहरी क्षेत्र में एक थाना और छह पुलिस चेक पोस्ट हैं। URDPFI मानकों के अनुसार 90,000 की आबादी के लिए एक पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है। बांदा शहरी क्षेत्र में एक थाने की आवश्यकता है।

तालिका 3.44: पुलिस स्टेशन के लिए मानदंड और मानक, 2014

क्र.सं.	वर्ग	जनसंख्या प्रति यूनिट सेवा की गई	क्षेत्र
1	पुलिस पोस्ट	40000-50000	0.16 हेक्टेयर
2	पुलिस स्टेशन SDR	90000	1.50 हेक्टेयर
3	यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष	-	आवश्यकता अनुसार
4	जिला कार्यालय एवं बटालियन	10 लाख	4.80 हेक्टेयर
5	पुलिस लाइन	20 लाख	4.00 से 6.00
6	जिला जेल	10 लाख	10.00 हेक्टेयर
7	नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड	10 लाख	2.00 हेक्टेयर
8	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज	शहर का स्तर	5 हेक्टेयर
9	पुलिस फायरिंग रेंज	शहर का स्तर	10 हेक्टेयर तक
10	पुलिस बूथ (प्रमुख सड़क चौराहों पर)	-	10 हेक्टेयर तक
1 1	केंद्रीय पुलिस संगठन सहित पुलिस शिविर/सुरक्षा बल (केंद्रीय सुरक्षा बलों सहित)	-	10-12 वर्गमीटर

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014

3.13.6 अग्निशमन सेवाएं

शहर में आग की घटनाओं से निपटने के लिए शहर में अग्निशमन सेवाएं हैं। आग लगने का सामान्य कारण विद्युत शार्ट सर्किटिंग बताया गया है। अग्निशमन सेवाओं के बुनियादी ढांचे में कर्मी (अग्निशामक और अग्निशमन चिकित्सक), दमकल इंजन, ट्रक, भारी बचाव उपकरण / उपकरण और इमारतें शामिल हैं जिनमें चल आपातकालीन प्रबंधन संपत्ति और कर्मचारी हैं। निम्नलिखित तालिका 3.45 और 3.46 क्रमशः यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक बुनियादी अग्नि सुविधाओं के लिए विद्यमान अग्निशमन सेवाओं और मानदंडों और मानकों को दर्शाती है।

तालिका 3.45: बांदा में विद्यमान अग्निशमन सेवाएं, 2011

अग्निशमन सेवाएं (संख्या)	बांदा	बांदा नगर बोर्ड	अपेक्षित	अतिरिक्त (+)/कमी (-)
	2011	2011		
अग्निशमन सेवा स्टेशन	19	1	1	0
अग्निशमन सेवा इंजन और मोटर्स उपयोग में हैं	-	3	-	-
कर्मचारी भर्ती	-	-	-	-
अग्निशमन कॉल में भाग लिया	-	-	-	-

स्रोत: http://upfireservice.gov.in/upfire/verifyissuednoc

तालिका 3.45 से यह देखा गया है कि वर्ष 2011 के दौरान अग्निशमन सेवा स्टेशनों की संख्या पर्याप्त है। बांदा शहरी क्षेत्र में एक अग्निशमन सेवा स्टेशन है जो निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त है।

तालिका 3.46 बांदा, 2019 में अग्निशमन सेवाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का विवरण

क्रमांक	वाहन-क्षमता	स्वीकृत	उपलब्ध	मांग
1	वाटर बोजर (10000-12000 लीटर)	01	-	01
2	फोम टेन्डर	01	-	01
3	जल टेन्डर निविदा प्रकार बी (4500-5000 लीटर)	01	01	-
4	जल टेन्डर प्रकार बी (2000-2500 लीटर)	05	02	03
5	उच्च दबाव पंप के साथ 01 ट्यूनर पानी	04	01	03
6	उच्च दबाव के साथ पानी टेन्डर (300 लीटर+50 लीटर फोम)	01	-	01
7	बचाव उपकरण के साथ बचाव टेन्डर (अग्रिम)	01	-	01
8	बचाव उपकरण सेट	01	-	01
9	लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस	01	-	01
10	पशु रस्सा	01	-	01
1 1	फायर मोबाइल बाइक	01	01	-
12	पंप के साथ बोलेरो	-	02	-

स्रोत: बांदा दमकल विभाग 2019

तालिका 3.46 से यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र एक वाटर टेंडर (अग्निशामक) टाइप बी (4500-5000 लीटर) और दो वाटर टेंडर टाइप बी क्षमता (2000-2500 लीटर) के साथ सुसज्जित है। अग्निशमन केंद्र गूलर नाका के पास NH-35 पर के शहर भीतर स्थित है । उच्च दबाव पंप के साथ एक ट्यूनर पानी है, अग्निशमन केंद्र से संबंधित क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक फायर मोबाइल बाइक और 2 बोलेरो जीप हैं। दमकल थाना महिला थाने के सामने, बजरंग इंटर कॉलेज के पास भीड़भाड़ वाली जगह पर स्थित है

तालिका 3.47: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार अग्निशमन सेवाओं के लिए मानक

क्रमांक	वर्ग	जनसंख्या प्रति यूनिट सेवा	क्षेत्र
1	सब अग्निशमन केंद्र / फायर पोस्ट	3-4 किमी के दायरे में	0.6 हेक्टेयर
2	दमकल केंद्र	2 लाख आबादी या 5-7 किमी का दायरा	1 हेक्टेयर
3	आपदा प्रबंधन योजना	प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र में एक	उपयुक्त खुले क्षेत्र के साथ 1 हेक्टेयर और सॉफ्ट पार्किंग के साथ 2 हेक्टेयर, अस्थायी आश्रय, परेड ग्राउंड

क्रमांक	वर्ग	जनसंख्या प्रति यूनिट सेवा	क्षेत्र
4	अग्नि प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	शहर स्तर	3 हेक्टेयर

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014

अध्याय 4

पर्यटन प्रोफाइल

4.1 बाँदा नगर में पर्यटन

पर्यटन को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योग के रूप में पहचाना गया है। पर्यटन सेक्टर की रैंकिंग एवं योगदान अर्थव्यवस्था में सभी प्रमुख सेक्टरों जैसे सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निर्यात आदि में उच्च स्थान पर है। पर्यटन उद्योग सीधे तौर पर वैश्विक रोजगार का लगभग 3% या 192 मिलियन रोजगार प्रदान करता है यानि औपचारिक क्षेत्र में प्रत्येक बारह नौकरियों में से एक इस सेक्टर से सम्बंधित है। बहुत से विकासशील देश पर्यटन को विदेशी मुद्रा आय के प्रमुख संसाधन के रूप में देखते है।

राज्य में हर प्रकार के पर्यटन स्थलों के उपलब्धता के कारण पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश के सबसे पसंदीदा राज्यों में से एक है। मुखतय: प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित है: वाराणसी, पिपराहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशी नगर, आगरा, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, इलाहाबाद, वृंदावन और मेरठ। अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए उत्तर प्रदेश की महानता भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ सबसे बड़ी नदियों जैसे गंगा और यमुना के साथ जोड़कर देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्क राज्य को उसकी पूरी शान सहित तलाशने का अवसर प्रदान करता है।

4.2 पर्यटन गतिविधियाँ

बांदा उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है और मध्य प्रदेश के फतेहपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और पन्ना जिलों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र में यमुना नदी के दक्षिण में स्थित है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के यहां पाए गए पत्थर की मूर्तियां और अन्य अवशेष साबित करते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत यहां भी उसी तरह से हुई जैसे देश के बाकी हिस्सों में हुई थी। यह भी माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए हैं, जो कुछ वर्ष पहले तक बांदा का हिस्सा था। कहा जाता है कि प्रसिद्ध कालिंजर-पहाड़ी (कलंजराद्री) का नाम स्वयं भगवान शिव से लिया गया है जो आज भी नीलकंठ कहे जाने वाले कालिंजर के मुख्य देवता हैं। इस स्थान का स्पष्ट रूप से हिंदू पवित्र पुस्तकों जैसे रामायण, महाभारत

और पुराणों में उल्लेख किया गया है। यहां रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, कालिंजर किला, भूरागढ़ किला और विभिन्न मंदिरों जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं।

4.2.1 दर्शनीय क्षेत्र

बांदा जिले में पर्यटन स्थलों की विभिन्न श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

i. ऐतिहासिक पर्यटन

कालिंजर किला में कई स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। खजुराहो पास स्थित, यहां की विरासत इतिहास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। चंदेलों द्वारा निर्मित यह किला चंदेल वंश के क्षेत्र की भव्य वास्तुकला का एक उदाहरण है। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं, जिन्हें बारीक डिजाइन और नक्काशीदार बनाया गया है।

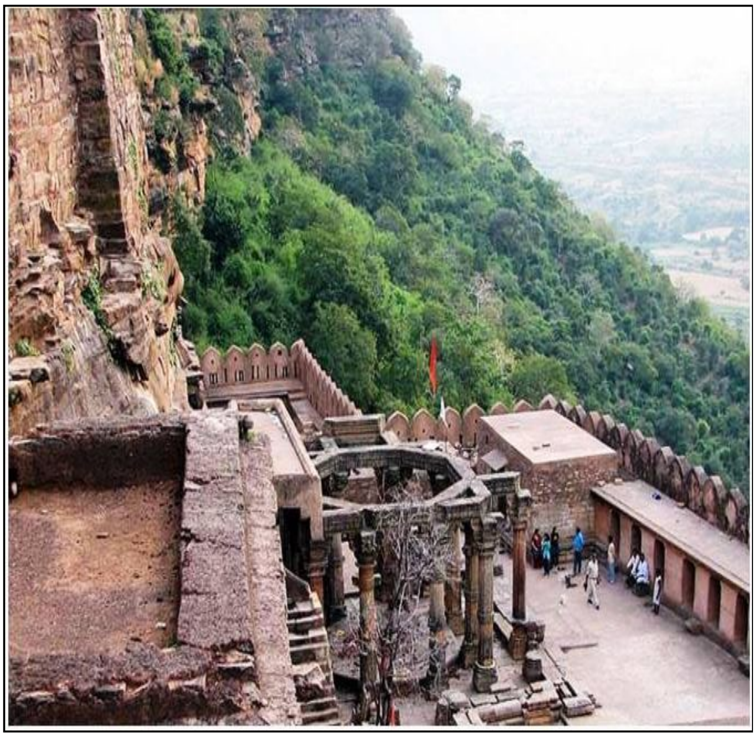

चित्र 4.1 कालिंजर किला

केन नदी के उस पार भूरागढ़ किले के अवशेष हैं, यह माना जाता है कि इसे 17 वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह द्वारा भूरे पत्थरों से बनाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह स्थान महत्वपूर्ण था। हर वर्ष "मकर संक्रांति" पर इस किले में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे 'नटबली का मेला' कहा जाता है।

चित्र 4.2 भूरागढ़ किला

भूरागढ़ किला केन नदी के तट पर स्थित है (लैंडमार्क के लिए, अनुलग्नक 12.3 देखें)। किले से सूर्यास्त देखना एक खूबसूरत अनुभव होता है। भूरागढ़ किले का ऐतिहासिक महत्व

बुंदेला शासन और महाराजा छत्रवर्ष के पुत्र हृदय शाह और जगतराय से जुड़ा है। जगतराय के पुत्र कीरत सिंह ने 1746 ई. में भूरागढ़ किले की मरम्मत की।

ii.धार्मिक पर्यटन

जिला अपने पूजा स्थलों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें सभी धार्मिक विषयों के तत्व शामिल हैं। बांदा शहर के चौक में स्थित यह मंदिर देवी शक्ति पीठों में से एक है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। यहां दूर-दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में देवी, देवताओं की कई मूर्तियाँ शामिल हैं।

बामदेवेश्वर मंदिर बांदा में पूजा का एक और लोकप्रिय स्थान है जिसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान राम के समकालीन के रूप में वर्णित बमदेव ऋषि नामक एक लोकप्रिय ऋषि के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि बामदेव का आश्रम एक पहाड़ी के किले में था। बंबेशर पहाड़ के खो में मंदिर में एक बड़ा और प्राचीन शिवलिंग स्थित है। शहर में एक प्राचीन जामा मस्जिद और एक मोहम्मद बोडे मस्जिद भी है।

iii. वन्यजीव पर्यटन

बांदा जिले में विंध्याचल पर्वत श्रंखला में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक प्रसिद्ध वन्यजीव केंद्र है। वर्ष 1977 में स्थापित, यह वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों और जीवों की एक महान विविधता का घर है। मानिकपुर, रानीपुर, चौरी और मारकुंडी में वन विश्राम गृहों में अपने आगंतुकों के लिए आवास विकल्पों की व्यवस्था है।

पहाड़ियों और मैदानी घास के मैदानों वाले घने वन क्षेत्र के साथ, वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों और जीवों की एक बड़ी प्रजाति को एक अच्छा वातावरण प्रदान करता है। इस क्षेत्र की वनस्पतियों में घने पर्णपाती जंगल शामिल हैं जिनमें तेंदू, महुआ, बांस, ढाक, आंवला, बेल, साल, अर्जुन, जामुन, गूलर और खिन्नी के पेड़ सहित कई प्रकार की वनस्पतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चौरी, लखनपुर और रूझावा के वन क्षेत्र अपने घास के मैदानों के लिए प्रशिद्ध हैं।

iv. मनोरंजक पर्यटन

चित्र 4.3 नवाब टैंक

बांदा का नवाब तालाब बांदा शहर से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस तालाब को बांदा के नवाब ने बनवाया है, इसलिए इसे नवाब टैंक के नाम से प्रशिद्ध है। यह टैंक अभी भी पानी से भरा हुआ है और उपयोग में है। तालाब के बीच नवाब के सिंहासन के लिए एक मंच है। कहा जाता है कि यहीं से नवाब अपनी पत्नियों के साथ 'काजली मेले' का आनंद लेते थे। टैंक के पास दो और जगहें देखने लायक हैं; तालाब के सामने 'वन विहार' (वन अभियान) नामक एक पार्क है। फ्लोरा नर्सरी, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक सुंदर जगह है (चित्र 4.3 देखें)। यहां आप पौधे और फूलों के बीज कम से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इस जगह के सभी दृश्य पर्यटकों के ध्यान को लंबे समय तक संजोए रखने के लिए उपयुक्त है।

4.3 बाँदा में पर्यटक प्रवाह

बाँदा जिला के लिए पर्यटक प्रवाह से सम्बंधित सूचनाएं जानकारी नीचे तालिका 4.1 में दी गई है।

तालिका 4.1: बांदा जिले में पर्यटकों की यात्रियों की संख्या (2017)

	पर्यटकों की संख्या		
	घरेलू	**विदेशी**	**योग**
उत्तर प्रदेश	23,39,77,619	35,56,204	23,75,33,823
बांदा जिला	8,35,014	506	8,35,520

स्रोत: uptourism.gov.in

तालिका 4.1 वर्ष 2017 में घरेलू और विदेशी यात्राओं की योग संख्या को दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि बांदा जिले में 8,35,520 आगंतुकों की संख्या रही जो उत्तर प्रदेश में योग पर्यटक यात्राओं का केवल 0.35 प्रतिशत है। बांदा जिले में घरेलू पर्यटकों की संख्या योग पर्यटक संख्या का 99.9 प्रतिशत है।

4.4 बाँदा की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण

अधिकतर पर्यटक स्थल जैसे की कालिंजर किला, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बाँदा जिला में विकास क्षेत्र से बहार स्थित हैं। चित्रकूट 65 कि.मी. की दुरी पर है। खजुराहो 140 कि.मी. की दुरी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थानीय बाँदा शहर में बाहर से पर्यटकों का आवागमन नाममात्र है अतः बाहरी पर्यटकों के प्रक्षेपण का कोई औचित्य नहीं है। स्थानीय स्तर पर बाँदा शहर निवासियों के लिए स्थानीय पर्यटन हेतु केन नदी, भूरागढ़ किला, नवाब टैंक आदि स्थलों पर मनोरंजक गतिविधियों की प्रस्तावना सी ई पी टी अहमदावाद द्वारा किया जा रहा है जिसका मास्टर प्लान प्रस्तावनाओं में उल्लेख कर दिया गया है।

4.5 पर्यटन नीति

प्रदेश में शाशन द्वारा पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु घोषित पर्यटन नीती 2022 के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध असीमित प्रयटक स्थलों एवं संसाधनों   में घरेलू एवं विदेशी प्रयटकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावनाएँ दी गई हैं। इन्ही प्रस्तावनाओं में प्रदेश में 12 मेगा टूरिस्ट सर्किट प्रस्तावित किये गए हैं। इसमे बाँदा जिले का कालिंजर किला बुंदेलखंड सर्किट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त बाँदा शहर में शज्जर स्टोन से सम्बंधित क्राफ्ट को मेगा क्राफ्ट सर्किट में सम्मिलित किया गया है।

4.6 पर्यटन विभाग की प्रस्तावित /निर्माणधीन परियोजनाएं

वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा कोई परियोजना प्रस्तावित/निर्माणधीन नहीं है। स्थानीय स्तर पर बाँदा शहर निवसियों के लिए स्थानीय पर्यटन हेतु केन नदी, भूरागढ़ किला, नवाब टैंक आदि स्थलों पर मनोरंजक गतिविधियों की प्रस्तावना सी ई पी टी अहमदावाद द्वारा किया जा रहा है जिसका मास्टर प्लान प्रस्तावनाओं में उल्लेख कर दिया गया है।

अध्याय 5

पर्यावरण रूपरेखा

5.1 जलीय संरचना (प्राकृतिक जल निकासी)

जल निकासी प्रणाली को शहर से गुजरने वाले नालों और नदियों जिलों आदि में उनके निर्वहन के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। गांव की बस्तियों में मौजूद तालाब पानी के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाढ़ को रोकने के लिए पहली बाधा के रूप में भी कार्य करते हैं। किसी भी मास्टर प्लान को तैयार करने की प्रक्रिया में जल निकासी एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह वर्षाजल के प्रबंधन और बाढ़ को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महायोजना में जल निकासी कैसे महत्वपूर्ण है इसके कुछ प्रमुख कारण यहां दिए गए हैं

1. **बाढ़ की रोकथाम**: भारी वर्षा या तूफान के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था अति-आवश्यक है। जल निकासी के पर्याप्त चैनल और सिस्टम यह सुनिश्चित करते हैं कि अतिरिक्त पानी को शहरी क्षेत्र से कुशलतापूर्वक निकाला जा सके, ताकि बुनियादी ढांचे संपत्तियों और यहां तक की जीवन की हानि को रोका जा सके।
2. **भू-कटाव नियंत्रण:** प्रभावी जल निकासी प्रणालियाँ पानी को ढलानों, पहाड़ियों और नदी के किनारो जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से दूर निर्देशित करके कटाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। उचित जल निकासी के बिना, पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव हो सकता है, जो भूमि को अस्थिर कर सकता है और भूस्खलन का कारण बन सकता है। इससे इमारतें और बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुंच सकता है।
3. **जल गुणवत्ता प्रबंधन:** उचित जल निकासी प्रणालियाँ पानी की गुणवत्ता को प्रबंधित करने और सुधारने में मदद करती हैं क्योंकि नदी या जल निकाय में छोड़े जाने से पहले पानी का उपचार करना आसान हो जाता है जिससे एक्वेटिक इकोसिस्टम और जन स्वास्थ्य की रक्षा होती है।
4. **बुनियादी ढांचे की सुरक्षा**: सड़कों, पुलों, भूमिगत उपयोगिताओं जैसे बुनयादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उचित जल निकासी आवश्यक ह। पर्याप्त जल निकासी के अभाव में जल संचय नीवों को कमजोर कर सकता है, सतहों को खराब कर सकता है और संरचनात्मक क्षति का कारण बन सकता ह। कुशल जल निकासी के कारण इन संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है, बुनियादी ढांचे के जीवनकाल को बढ़ाया जा सकता है और रखरखाव की लागत को काम किया जा सकता है ।
5. **सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा:** अपर्याप्त जल निकासी के कारण पानी जमा हो सकता है, जो रोग फैलने वाले कीड़ों जैसे की मच्छरों के प्रजनन स्थल बन जाता है । उचित जल निकासी के प्रावधान सुनिश्चित करके महायोजना जल-जनित बीमारियों के जोखिम को कम करके समुदायों के समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में योगदान करती है।

6. **सतत विकास -** मास्टर प्लान में टिकाऊ जल निवासी प्रणालियों {सस्टेनेबल ड्रेनेज (एस यू डी एस)} को एकीकृत करने से पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है। एस यू डी एस तकनीकों जैसे की वर्षा उद्यान, परमेबल पेमेंट्स एंड ग्रीन रूफ्स, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वर्षा जल निकासी का प्रबंधन करने में मदद करती है, जिससे पारंपरिक जल निकासी बुनियादी ढांचे पर निर्भरता कम हो जाती है। यह दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण पर प्रभाव को काम करता है बल्कि शहरी परिदृश्य की एसथेटिक अपील को भी बढ़ता है।

संक्षेप में, जल निकासी महायोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो वर्षाजल के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करता है बाढ़ को रोकता है, बुनियादी ढांचे की रक्षा करता है, पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और सतत विकास का समर्थन करता है ।

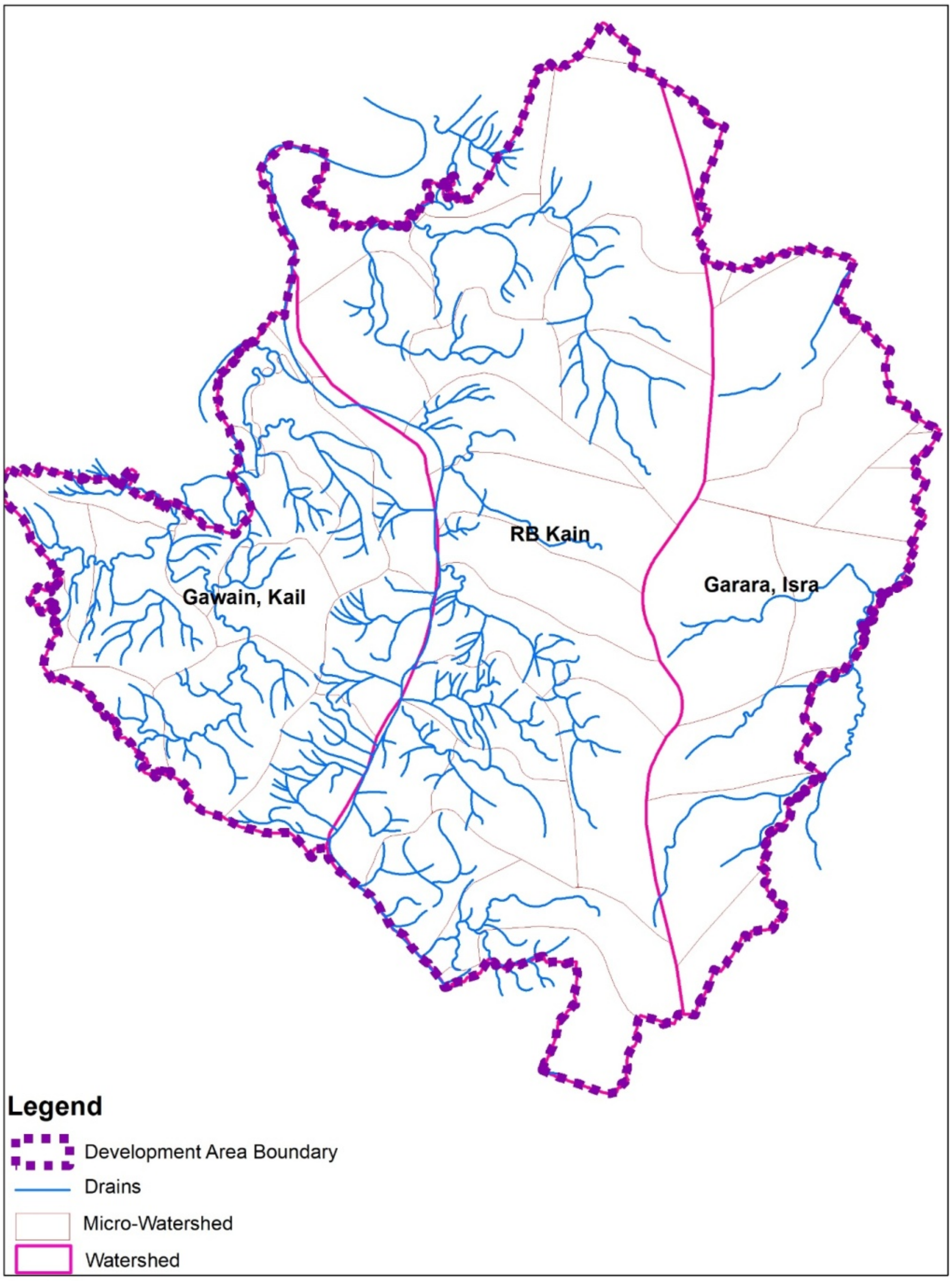

मानचित्र 5.1 प्राकृतिक जल निकासी

बांदा शहर की प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था शहर से गुजरने वाले और केन नदी में गिरने वाले नालों के माध्यम से परिभाषित की जाती है। उपरोक्त के अलावाए ग्रामीण बस्तियों में बड़ी संख्या में तालाब की उपलब्ध है। बांदा नगर के लिए प्राकृतिक जल निकासी का विवरण नीचे दिया गया है।

विकास क्षेत्र को तीन प्रमुख जल क्षेत्र गवेन काली अरबी कैन और गरारा इसरा में विभाजित किया जाता है। इन तीन वाटरशेडस में आरबी कैन का क्षेत्रफल लगभग 14360.67 हेक्टेयर है इसके बाद गवेन काली वाटरशेड का क्षेत्रफल लगभग 6585.20 हेक्टेयर और गरारा इसरा वाटरशेड का क्षेत्रफल 6585.20 हेक्टेयर है।

इन तीन वाटरशेडस में कुल 48 सूक्ष्म वाटरशेड है जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 27848.18 हेक्टेयर है और इन सूक्ष्म वाटरशेडस में 370 किलोमीटर लंबाई की 281 नाले हैं।

केन नदी : केन नदी का उदगम मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैमूर पर्वतमाला की ढलान पर अहीरगांव बस्ती से होता है। केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 425 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और बांदा शहर के करीब चिल्ला गांव के पास यमुना नदी में मिलती है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है और बांदा शहर के पश्चिमी हिस्से से गुजरती है। नदी की आकृति यू- आकार की है जैसा की पेनिनसुलर रॉक्स से प्रचलित हैए हालांकि जैसे-जैसे यह यमुना के साथ विलय के करीब पहुंचती है नदी में फ्लैट बेसिन ढलान होते हैं । केन नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक के रूप में भी जाना जाता है । नदी में अधिकतम जल स्राव मानसून के महीनो में होता है । हाल के इतिहास में वर्ष 1978ए 1992 और 2005 मैं बाढ़ का अनुभव हुआ है। श्री आरके वर्मा मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ द्वारा वर्ष 1992 में 11 से एक 14 सितंबर के बीच उच्चतम बढ़ स्टार (एचएफएल) 113ण्28 मीटर दर्ज किया गया स्टार बांदा झांसी सड़क पुल पर अनुभव किया गया। नदी का बेसिन स्तर मीटर पर है और सिंचाई विभाग द्वारा खतरे का निशान 104 मीटर तय किया गया है जबकि चेतावनी का स्तर मीटर पर है सितंबर में बाढ़ के दौरान जल निकासी का स्तर नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया हैः

तालिका 5.1: बाढ़ के दौरान जल निकासी का स्तर

क्र सं	स्टेशन का नाम	वर्षा (mm)					खतरे की सीमा	पानी का स्तर (m)			
		11 सितम्बर	12 सितम्बर	13 सितम्बर	14 सितम्बर	कुल		11 सितम्बर	12 सितम्बर	13 सितम्बर	14 सितम्बर
1	बांदा	3.6	46	194	31	274.6	104	98.55	104.88	111.38	113.28
Note: Highest flood level at Banda 113.28 on 14 Sep 1992 at 16pm											

गांव के तालाब ग्रामीण समुदायों में बहुत अधिक महत्व रखते हैंए जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जो गांव की समग्र भलाई और सस्टेनेबिलिटी में योगदान करते हैं। गांव के तालाब कैसे महत्वपूर्ण है इसके कुछ प्रमुख कारण नीचे बताए गए हैं नीचे दिया गया चित्र उपरोक्त संदर्भित विश्लेषण की एक छवि है।

<u>ग्रामीण तालाब</u>

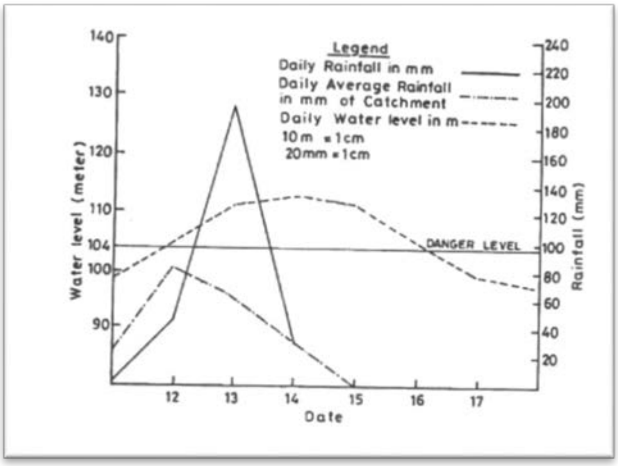

चित्र 5.1 बाँदा गेज डिस्चार्ज साइट पर पानी का स्तर

1. **जन संसाधन प्रबंधन :** गांव के तालाब ग्रामीण समुदाय के लिए विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां स्वच्छ और विश्वसनीय पानी की पहुंच सीमित है एक मूलयवान जल संसाधन के रूप में कार्य करते हैं , व पीने, खाना पकाने के लिए ,कृषि के लिए सिंचाई और पशुओं के पानी सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं ।

2. **सिंचाई और कृषि**: गांव के तालाब कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।वे सिंचाई के लिए आसानी से उपलब्ध जल स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे किसान शुष्क मौसम में भी फसल उगा सकते हैं । इससे स्थानीय खाद्य उत्पादन को बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और गांव में किसानों की आजीविका बढ़ाने में मदद मिलती है ।

3. जैव विविधता और इकोसिस्टम सपोर्ट: गांव के तालाब विभिन्न प्रकार के जलीय पौधों, कीड़ों , पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के लिए उपयुक्त हैबिटेट बनाते हैं । वे विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल और आश्रय प्रदान करके जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देते हैं ।गांव के तालाबों का उपयोग मछली पालन ,सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदाय के लिए आय का स्रोत प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है ।

4. मनोरंजन और सांस्कृतिक महत्व: गांव के तालाब अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं ।वे एक सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं जहां समुदाय के सदस्य एकत्रित हो सकते हैं ,आराम कर सकते हैं और मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं या प्राकृतिक परिवेश का आनंद ले सकते हैं ।गांव के तालाब पारंपरिक समारोह हो या अनुष्ठानों के लिए स्थल होने के कारण सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं ।

5. बाढ़ शमन : गांव के तालाब भारी वर्षा या बाढ़ के दौरान अतिरिक्त पानी के लिए प्राकृतिक जलाशय के रूप में कार्य कर सकते हैं । वह पानी के प्रवाह को नियंत्रित और प्रबंध करने में मदद करते हैं ,गांव में बाढ़ की खतरे को काम करते हैं और आसपास के क्षेत्र को संभावित नुकसान से बचाते हैं ।पर्यावरण

जल निकासी प्रणालियों के साथ उचित रूप से डिजाइन किए गए तालाब प्रभावी ढंग से पानी जमा कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं जिससे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकता है।

6. **भूजल पुनर्भरण -** गांव के तालाब वर्षा जल को मिट्टी में रिसने और भूमिगत जल स्रोतों को फिर से भरने की प्रक्रिया से भूजल पुनभरण में योगदान दे सकते हैं। इससे गांव में स्थाई जल आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलती है और सूखे की अवधि के दौरान पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
संक्षेप में, गांव के तालाब जल संसाधन प्रबंधन, कृषि, जैव विविधता, संरक्षण, मनोरंजन, बाढ़ शमन और भूजल पुनभरण के लिए आवश्यक है।
वे ग्रामीण समुदायों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके समग्र रेसिलियंस और कल्याण में योगदान देते है।
जल निकायों से संबंधित डेटा जिसमे केन नदी, नहर /नाले, गांव के तालाब शामिल है एनआरएससी हैदराबाद से प्राप्त छवि से तैयार किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम तालाबों की जानकारी तहसील कार्यालय बांदा से भी प्राप्त की गई है । यह डाटा ग्राउंड नियंत्रण बिंदुओं के साथ उपलब्ध है । यह देखा गया है कि विकास क्षेत्र में तालाबों की संख्या तहसील कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की तुलना में उपग्रह छवि के अनुसार अधिक है इससे पता चलता है कि राज्य स्वयं रिकॉर्ड में दर्ज तालाबों के अलावा निजी तालाबों की संख्या भी है। कडेस्टर मानचित्र (सजरो) पर भी गांव के तालाबों की स्थिति को अंकित किया गया है । जल निकायों का विवरण निम्नलिखित तालिका संख्या 5.2 में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 5.2 बांदा विकास क्षेत्र में जल निकायों का विवरण

क्र. सं.	जल निकायों का प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	नहर / नाले	64	85.68
2.	तलाब	393	231.95
3.	नदी	1	1064.52
कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में			**1382.15**

5.2 शहर में प्रदूषण स्तर (स्थिति) -

वर्तमान में बांदा शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी के लिए कोई एंबिएंट एयर क्वालिटी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत यातायात वाहन है जिसमे दो पहिया वाहन, रिक्शा, कार, टैक्सी, ट्रक, बस आदि शामिल है। बांदा के चारों ओर बाईपास रिंग /रोड के निर्माण से ट्रैकों के गुजरने की समस्या कम हो जाएगी।

रिंग रोड के साथ भविष्य की जरूरत के लिए एक नया बस टर्मिनल भी प्रस्तावित किया गया है जो शहर के प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलाव से वातावरण में कार्बन/नाइट्रोजन में कमी लाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी वायु गुणवत्ता की स्थिति पर नियमित निगरानी रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक एंबिएंट एयर क्वालिटी स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है।

5.3 आपदा प्रबंधन:

बांदा जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। इस जिले की पहचानी गई प्रमुख आपदाएं बाढ़ सूखा और आग है। जहां तक बाढ़ की समस्या है अध्याय संख्या 10 में केन नदी के किनारे शमन उपाय का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शहर में एक फायर स्टेशन उपलब्ध है।

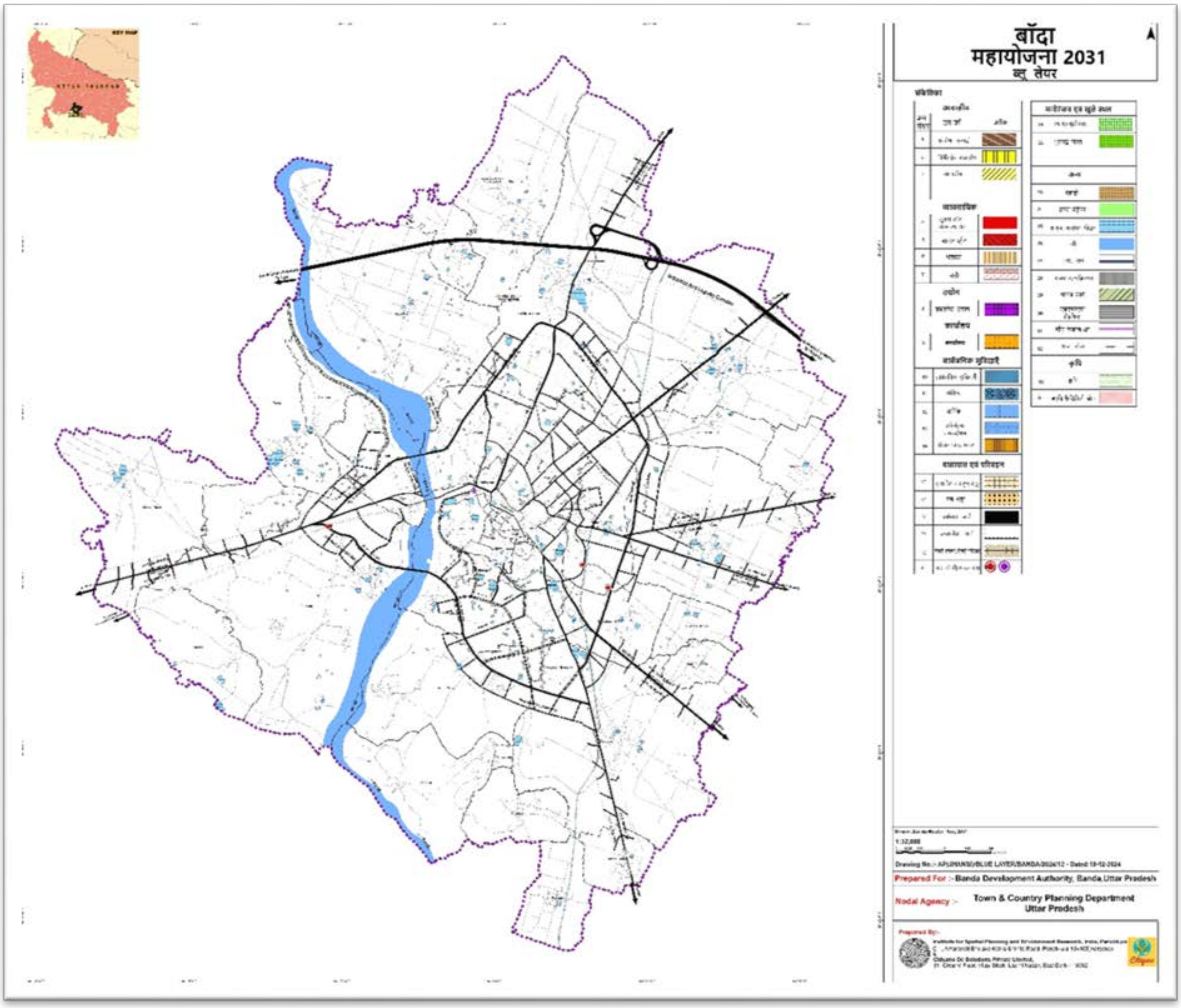

मानचित्र 5.2: **ग्रामीण तालाबों की स्तिथि**

अध्याय 6
वर्तमान भू-उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन

6.1 वर्तमान भू-उपयोग

वर्तमान भू-उपयोग योजना महायोजना तैयार करने की पूर्व-आवश्यकता है। महायोजना तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी योजना क्षेत्र का एक सटीक और अद्यतन बेस मैप है। बांदा महायोजना-2021 के अनुसार 2003 में 795.99 हेक्टेयर विकसित भूमि थी जैसा कि नीचे तालिका 6.1 में दिखाया गया है, जबकि शहरीकरण के लिए 1567 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था। तालिका से पता चलता है कि 1981 से 2003 के दौरान विभिन्न भूमि उपयोगों के तहत केवल 51 प्रतिशत क्षेत्र विकसित किया गया था। तालिका से यह भी पता चलता है कि वाणिज्यिक और सरकारी कार्यालयों उनके लिए प्रस्तावित क्षेत्रों से बढ़कर विकसित हुए हैं। बांदा महायोजना-2021 से यह भी पता चलता है कि विकास क्रमशः आवासीय (59%), औद्योगिक (42%), सामुदायिक सेवाओं (58%), मनोरंजन (24%), यातायात और परिवहन (45%) में था।

तालिका 6.1 महायोजना-2001 के भू-उपयोग प्रस्तावों का विश्लेषण।

क्रमांक	प्रस्तावित भू-उपयोग वर्ग	प्रस्तावित भू-उपयोग क्षेत्र 2001	प्रस्तावनानुसार एवं प्रस्तावों के प्रतिकूल हुए विकास का विवरण 2003	प्रस्तावित भू-उपयोग 2001 तथा वर्तमान भू-उपयोग 2003 मे क्षेत्र वृद्धि
1	आवासीय	702.00	415.77	286.23
2	व्यावसायिक	27.00	28.58	-1.58
3	औद्योगिक	101.00	42.8	58.2
4	सरकारी कार्यालय	51.00	54.61	-3.61
5	सामुदायिक सेवाएं और उपयोगिता	103.00	59.51	43.49
6	मनोरंजन	88.00	21.22	66.78
7	यातायात और परिवहन	225.00	102.28	122.72
8	अन्य	270.00	71.22	198.78
	योग	**1567.00**	**795.99**	**771.01**

स्रोत: बांदा माहायोजना 2021

प्रस्तावनानुसार एवं प्रस्तावों के प्रतिकूल हुए विकास का विवरण 2003 - यह सूचना बाँदा महायोजना 2021 में तालिका संख्या 1 में दिए गए डाटा के अनुसार है। प्रत्येक भू-उपयोग कैटागरी में प्रस्तावनायोग विकास एवं इसके अतिरिक्त महायोजना प्रस्तावों के प्रतिकूल हुए विकास को जोड़ते हुए 2003 की वर्तमान भू-उपयोग से सम्बंधित सूचना collate की हैं।

बाँदा विकास क्षेत्र के इंजीनियरिंग स्टाफ और एसोसिएट प्लानर, झांसी डिवीजन के योजना कर्मचारियों, सलाहकार की विशेषज्ञ सर्वेक्षण टीमों ने अंतिम वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र तैयार किया। वर्तमान भू-उपयोग

मानचित्र में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, यातायात और परिवहन, कार्यालय, मिश्रित, मनोरंजक सुविधाएं, उपयोगिताएँ, सार्वजनिक / अर्ध-सार्वजनिक, अन्य, खाली भूमि और जल निकाय शामिल हैं। वर्तमान भू-उपयोग के आधार पर विकास का विश्लेषण करने के लिए, विस्तृत भू-उपयोग संरचना में नगरीकरण योग्य क्षेत्र और विकास क्षेत्र का विवरण नीचे तालिका 6.2 में दिखाया गया है।

तालिका 6.2 बांदा विकास क्षेत्र का वर्तमान भू- उपयोग 2020 (हेक्टेयर में)

भू-उपयोग श्रेणी	कक्षा कोड (डी एंड एस के अनुसार)	उप-वर्ग (डी एंड एस के अनुसार)	प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में विकास			प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में शहरीकृत क्षेत्र के बाहर विकास			बाँदा विकास क्षेत्र	
			क्षेत्र (ए)	भू-उपयोग क्षेत्र (ए)	प्रतिशत	क्षेत्र (बी)	भू-उपयोग क्षेत्र (बी)	प्रतिशत	योग (ए+बी)	विकास क्षेत्र का %
आवासीय	6	आवास योजना	58.15	760.03	15.39		672.98	2.94	1433.02	5.15
		आवासीय	630.90			19.55				
	26	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	70.98			653.44				
व्यावसायिक	7	फंक्शन हॉल / मैरिज गार्डन	7.22	71.20	1.44	0.43	49.36	0.22	120.56	0.43
		सामान्य व्यापार	4.45			0.43				
		होटल / लॉज / रेस्टोरेंट	2.27			0.61				
		अनौपचारिक दुकान	0.40			0.10				
		बाजार (दैनिक और साप्ताहिक) / मंडी	13.03			44.07				
		फंक्शन हॉल / मैरिज गार्डन	2.59			0.64				
		सामान्य व्यापार	26.86			2.51				
		होटल / लॉज / रेस्टोरेंट	0.69							
		अनौपचारिक दुकान	8.09			0.56				
		बाजार (दैनिक और साप्ताहिक) / मंडी	0.37							
		पेट्रोल पंप / एलपीजी फिलिंग स्टेशन	4.11							
		खुदरा	1.12							

भू-उपयोग श्रेणी	कक्षा कोड (डी एंड एस के अनुसार)	उप-वर्ग (डी एंड एस के अनुसार)	प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में विकास			प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में शहरीकृत क्षेत्र के बाहर विकास			बाँदा विकास क्षेत्र	
			क्षेत्र (ए)	भू-उपयोग क्षेत्र (ए)	प्रतिशत	क्षेत्र (बी)	भू-उपयोग क्षेत्र (बी)	प्रतिशत	योग (ए+बी)	विकास क्षेत्र का %
औद्योगिक	8	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण	0.66	52.59	1.06	0.01	4.77	0.02	57.35	0.21
		उत्पादन	3.24							
		अन्य उद्योग	6.95			0.47				
		सेवा	5.32			4.29				
		कपड़ा मील	36.41							
मिश्रित	9	वाणिज्यिक और शैक्षिक	0.51	65.88	1.33		1.26	0.01	67.14	0.24
		वाणिज्यिक और औद्योगिक	0.34			0.15				
		आवासीय व्यावसायिक	65.02			1.11				
सामुदायिक उपयोगिता	**10**			149.09	3.02		402.17	1.76	551.26	1.98
		आंगनवाड़ी	0.04							
		महाविद्यालय	83.77							
		विद्यालय	16.03			25.39				
		प्रशिक्षण संस्थान	13.63							
		विश्वविद्यालय	1.90			369.40				
	11									
		क्लिनिक / औषधालय	0.02							
		सरकार अस्पताल	8.32							
		प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	0.02							
		निजी अस्पताल	1.05							
	15	कन्वेंशन सेंटर / कम्युनिटी हॉल	0.03			0.05				
		धर्मशाला	0.74							
		दमकल केंद्र	0.25							
		जेल	7.56							
		एलपीजी/सीएनजी गैस बुकिंग कार्यालय	0.08			0.09				
		पुलिस स्टेशन SDR	1.46			1.86				
		निजी कार्यालय	0.07							
		सार्वजनिक पुस्तकालय	0.58							

भू-उपयोग श्रेणी	कक्षा कोड (डी एंड एस के अनुसार)	उप-वर्ग (डी एंड एस के अनुसार)	प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में विकास			प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में शहरीकृत क्षेत्र के बाहर विकास			बाँदा विकास क्षेत्र	
			क्षेत्र (ए)	भू-उपयोग क्षेत्र (ए)	प्रतिशत	क्षेत्र (बी)	भू-उपयोग क्षेत्र (बी)	प्रतिशत	योग (ए+बी)	विकास क्षेत्र का %
		सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय	0.06			0.08				
		शमशान /कब्रिस्तान	4.02			1.34				
		बैंक	1.02							
	16									
		आश्रम/मठ/ भोजन शाला	0.02							
		चर्च	1.71							
		ईदगाह	0.51							
		मस्जिद	0.71							
		मंदिर	1.66			3.86				
	21									
		किला	2.94							
		स्मारक	0.15							
	20									
		डाक/टेलीग्राफ कार्यालय	0.14							
		रेडियो/टीवी स्टेशन	0.25							
		उपग्रह और दूरसंचार केंद्र	0.20			0.11				
		टेलिफ़ोन एक्सचेंज	0.18							
सामुदायिक सेवाएं	18	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन	9.72	11.93	0.24		58.99	0.26	70.93	0.25
		जल पम्पिंग स्टेशन	0.04			52.11				
		जल उपचार संयंत्र	0.84			0.18				
		डंपिंग यार्ड	1.23							
	19	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन	0.10			6.70				
सरकारी कार्यालय	12	सीजी_ कार्यालय	0.37	102.24	2.07		6.02	0.03	108.27	0.39
		सीजी_क्वार्टर	1.04							
	13	एसजी_ऑफिस								
		एसजी_क्वार्टर	92.29			5.85				
	14	बैंकों	8.54			0.18				
	1	सड़क नेटवर्क	285.08	334.13	6.77	264.21	324.48	1.42	658.60	2.36
	24	रेलवे संपत्ति	2.90							

भू-उपयोग श्रेणी	कक्षा कोड (डी एंड एस के अनुसार)	उप-वर्ग (डी एंड एस के अनुसार)	प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में विकास			प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में शहरीकृत क्षेत्र के बाहर विकास			बाँदा विकास क्षेत्र	
			क्षेत्र (ए)	भू-उपयोग क्षेत्र (ए)	प्रतिशत	क्षेत्र (बी)	भू-उपयोग क्षेत्र (बी)	प्रतिशत	योग (ए+बी)	विकास क्षेत्र का %
यातायात और परिवहन		बस स्टैंड / टर्मिनस	4.24			3.33				
		रेलवे स्टेशन	29.37			45.59				
	25	रेलवे ट्रैक क्षेत्र	9.00			9.66				
		सड़क सड़क माध्यिका / विभक्त	0.64			1.68				
		पार्किंग की जगह / क्षेत्र	0.13			0.01				
	3&4	यातायात द्वीप	2.77							
मनोरंजन सुविधाएं	17	मनोरंजन/थीम पार्क	4.48	22.86	0.46		0	0.00	22.86	0.08
		क्लब	1.09							
		प्रदर्शनी मैदान	0.09							
		पार्क	11.12							
		खेल का मैदान	2.30							
		क्रीड़ा स्थल	0.28							
		स्टेडियम	3.51							
		स्विमिंग पूल								
खाली भूमि	23	निजी संपत्ति	379.78	520.34	10.54	78.51	132.63	0.58	652.97	2.34
		सरकारी संपत्ति	1.40							
		लेआउट / प्लॉटेड	129.06			49.88				
		निजी खाली	10.10			4.25				
हरित क्षेत्र	27	पेड़ो से ढाका क्षेत्र	26.38	26.38	0.53	9.56	9.56	0.04	35.94	0.13
कृषि क्षेत्र	28	क्रॉप लैंड	1647.78	1694.37	34.31	18654.12	18743.85	81.82	20438.22	73.39
		फेलो लैंड	4.32			23.56				
		प्लांटेशन	42.27			61.92				
		बाग़				4.25				
वेट लैंड	29	वाटर लोग्ड क्षेत्र	6.46	12.22	0.25	0.06	0.06	0.00	12.28	0.04
		लो लाइंग क्षेत्र	0.49							
		दलदल	4.32							
		स्वामपी	0.96							
वेस्ट भूमि	30	स्क्रब लैंड	823.73	877.41	17.77	1495.13	1545.31	6.75	2422.73	8.70
		बंजर				0.86				
		पथरीली	8.33							
		मिटटी	3.64							

भू-उपयोग श्रेणी	कक्षा कोड (डी एंड एस के अनुसार)	उप-वर्ग (डी एंड एस के अनुसार)	प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में विकास			प्रभावी बाँदा महायोजना 2021 में शहरीकृत क्षेत्र के बाहर विकास			बाँदा विकास क्षेत्र	
			क्षेत्र (ए)	भू-उपयोग क्षेत्र (ए)	प्रतिशत	क्षेत्र (बी)	भू-उपयोग क्षेत्र (बी)	प्रतिशत	योग (ए+बी)	विकास क्षेत्र का %
		गलीड	41.72			49.32				
स्पेसिफिक भू-उपयोग	31	पहाड़ी	10.24	22.56	0.46		3.08	0.01	25.64	0.09
		घाट	12.32			3.08				
अन्य	33	फार्म हॉउस	1.04	3.68	0.07	0.19	2.00	0.01	5.68	0.02
		डेरी फार्म	2.60			0.73				
		पोल्ट्री फार्म	0.04			1.09				
वाटर बॉडीज	5	नदी	73.30	211.49	4.28	371.77	953.25	4.16	1164.74	4.18
		नाले	2.84			18.87				
		नहर	18.00			97.66				
		ड्रेन	10.17			0.01				
		तालाब	77.07			156.57				
		द्वीप (River/Lake)	30.11			308.37				
Total			4938.40	4938.40	100.00	22909.77	22909.77	100	27848.18	100

तालिका 6.3 वर्तमान भू-उपयोग का तुलनात्मक विश्लेषण (हेक्टेयर में)।

क्रमांक	भू-उपयोग श्रेणी	वर्तमान भू-उपयोग 2003	वृद्धि में हिस्सेदारी	विकास क्षेत्र का प्रतिशत	वर्तमान भू-उपयोग-2020	वृद्धि में हिस्सेदारी	विकास क्षेत्र का प्रतिशत	शुद्ध विकास (वृद्धि)
1	आवासीय	415.77	52.23	1.46	779.58	21.68	2.80	363.81
2	व्यावसायिक	28.58	3.59	0.1	120.56	3.35	0.43	91.98
3	औद्योगिक	42.8	5.38	0.15	57.35	1.59	0.21	14.55
4	सरकारी कार्यालय	54.61	6.86	0.19	108.27	3.01	0.39	53.66
5	मिश्रित*	-	-	-	67.14	1.87	0.24	67.14
6	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक और उपयोगिता	59.51	7.48	0.21	622.19	17.30	2.23	562.68
7	मनोरंजन सुविधाएं	21.22	2.67	0.07	22.86	0.64	0.08	1.64
8	यातायात और परिवहन	102.28	12.85	0.36	658.6	18.32	2.36	556.32

तालिका 6.3 वर्तमान भू-उपयोग का तुलनात्मक विश्लेषण (हेक्टेयर में)।

क्रमांक	भू-उपयोग श्रेणी	वर्तमान भू-उपयोग 2003	वृद्धि में हिस्सेदारी	विकास क्षेत्र का प्रतिशत	वर्तमान भू-उपयोग-2020	वृद्धि में हिस्सेदारी	विकास क्षेत्र का प्रतिशत	शुद्ध विकास (वृद्धि)
9	अन्य	71.22	8.95	0.25	1159.09	32.24	4.16	1087.87
	योग	**795.99**	100	2.79	**3595.64**	100.00	12.91	**2799.65**

स्रोत: बांदा माहायोजना-2021 रिपोर्ट और वर्तमान भू-उपयोग की जीआईएस गणना-2020

नोट: * मिश्रित श्रेणी को 2003 में श्रेणी के रूप में नहीं माना गया है, लेकिन 2020 में भू-उपयोग श्रेणी के अंतर्गत आता है।

महायोजना-2021 ने बांदा विकास क्षेत्र का 8.34 प्रतिशत शहरीकरण योग्य यानी 2323.92 हेक्टेयर प्रस्तावित किया जबकि वर्ष 2003 के वर्तमान भू उपयोग मानचित्र अनुसार योग विकास विकास क्षेत्र का केवल 2.79 प्रतिशत यानी 795.99 हेक्टेयर था। यह देखा गया है कि तीन भू-उपयोग अर्थात आवासीय, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक, यातायात और परिवहन ने मिश्रित भू-उपयोग के साथ जबरदस्त वृद्धि दिखाई थी। उपरोक्त तालिका 6.3 से स्पष्ट है कि 2003 से बांदा विकास क्षेत्र के शहरी हिस्से में विभिन्न भूमि उपयोगों में 2799.65 हेक्टेयर का विकास हुआ है। योग मिलाकर 3595.64 हेक्टेयर का शहरी फैलाव यानी विकास क्षेत्र का 12.91 प्रतिशत विकसित हुआ है। बांदा के बारे में अच्छी बात यह है कि नियोजन प्रयासों से प्रभावित अराजकता में एक व्यवस्था है।

6.1.1 प्रमुख समस्याएं जैसे, मिश्रित और गैर-अनुरूप भू-उपयोग, यातायात और परिवहन, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा-प्रवण क्षेत्र, आदि।

भू-उपयोग के गुणात्मक पहलू का आकलन करने के लिए भू-उपयोग की अनुकूलता एक अनिवार्य घटक है। क्षेत्र के वर्तमान भू-उपयोग से पता चलता है कि कुछ भू-उपयोग हैं जो आसपास के भू-उपयोग के अनुकूल नहीं हैं। विकास क्षेत्र के भीतर विभिन्न पक्षों पर, भू-उपयोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल के भीतर आवासीय, आवासीय क्षेत्रों के भीतर कृषि आधारित उद्योग आदि हैं, जिससे क्षेत्र के निवासियों को समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस पहलू को अध्याय 1 में शीर्षक भू-उपयोग विचलन डेवियेशन और उनकी सीमा के तहत विस्तार से समझाया गया है।

6.2 बांदा महायोजना-2021 का विश्लेषण

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 7 (प्राधिकरण के उद्देश्य) के अनुसार, बांदा विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने क्षितिज वर्ष 2021 के लिए महायोजना को संशोधित करने का निर्णय लिया।

6.2.1. महायोजना 2021 में भविष्य के अनुमान

i. जनसंख्या के लिए भविष्य के अनुमान

बांदा महायोजना 2001 के आधार वर्ष के साथ तैयार किया गया था। आंशिक विकास को मुख्य रूप से महायोजना 2021 में शामिल किया गया है। बांदा नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 1,39,387 थी।

तालिका 6.4 बांदा महायोजना-2021 में जनसंख्या अनुमान

क्रमांक	वर्ष	अनुमानित जनसंख्या बांदा विकास क्षेत्र (शहरी)	विद्मान जनसंख्या (अनुमान में विचलन)	अनुमानित जनसंख्या बांदा विकास क्षेत्र (शहरी) विस्तार	विद्मान जनसंख्या (अनुमान में विचलन)	योग जनसंख्या (7 गांवों सहित)	विद्मान जनसंख्या (अनुमान में विचलन)
1	2001	1,39,387	139436, (+49 यानी +0.03%)	16,055	33728 (17673 यानी +52.40%)	1,55,442	1,73,164 (+17,722 यानी +10.23%)
2	2006	1,60,000		18,000		1,78,000	-
3	2011	1,83,812	160473, (23,339 यानी - 14.54%)	20,984	45712, (24728 यानी +54.09%)	2,04,796	2,06,185 (+1389 यानी +0.6%
4	2016	2,12,000		22,000		2,34,000	-
5	2021	2,43,762		27,454		2,71,216	-

स्रोत: बांदा महाय़ोजना-2021

महायोजना -2021 में, विभिन्न विधियों जैसे गणितीय विधि, ज्यामितीय माध्य विधि, इन्करीमैन्टल विधि, संयुक्त राष्ट्र विधि और ज्यामितीय एक्स्ट्रा पोलेशन विधि का उपयोग करके जनसंख्या अनुमान लगाए गए थे। तदनुसार, औसत अनुमानित जनसंख्या प्राप्त की गई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2006, 2011, 2016 और 2021 में शहर की जनसंख्या क्रमशः 1,60,000, 1,83,812, 2,12,000 और 2,43,762 व्यक्ति होगी। शहरीकरण योग्य क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले 7 गांवों की आबादी को शामिल करने के बाद, शहर की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2021 के लिए 2.70 लाख लोगों पर आंकी गई थी जैसा कि तालिका 6.4 में दर्शाया गया है।

ii.हाउस होल्ड आकार और जनसंख्या घनत्व के लिए भविष्य के अनुमान/ प्रोजेक्शन

जनगणना 1971 के अनुसार, बांदा नगर पालिका परिषद में 7,802 आवास इकाइयाँ थीं और घरों की संख्या 9,169 थी। वर्ष 2001 में घरों की संख्या 21,779 आवास इकाइयों के मुकाबले बढ़कर 25,343 हो गई थी। बांदा महायोजना 2021 के विश्लेषण से पता चलता है कि आवास की समस्या न केवल आवास इकाइयों की कम उपलब्धता की है, बल्कि इसकी विशेषता खराब भौतिक स्थिति, भीड़भाड़, खुले स्थानों और पार्कों की कमी और रहने के खराब माहोल की भी है। वर्ष 1971 में आवासीय इकाइयों की कमी 1367 थी जो 2001 में बढ़कर 3,564 हो गई। जनसंख्या घनत्व वर्ष 1981 में 198 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2001 में 335 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया अर्थात इस समयवधि में नगर पालिका क्षेत्र के भीतर जनसंख्याकी सघनता 137 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर अधिक हुई।

वर्ष 1980 में, बांदा नगर पालिका परिषद के भीतर आवासीय क्षेत्र 222.4 हेक्टेयर था जो नगर पालिका परिषद क्षेत्र का 61.00 प्रतिशत और योग शहरीकरण योग्य क्षेत्र का 17.3% था। वर्ष 2003 में बांदा नगर पालिका परिषद द्वारा कवर किया गया आवासीय क्षेत्र 415.77 हेक्टेयर था जो योग विकसित क्षेत्र का 58.18% है और 193.77 हेक्टेयर की वृद्धि को दर्शाता है।

6.2.2 महायोजना 2021 में आवासीय क्षेत्र के प्रस्ताव

बांदा महायोजना 2021 में 2,71,216 व्यक्तियों की अनुमानित आबादी के लिए आवासीय भू-उपयोग के लिए 1009.29 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया था जो शहरीकरण के लिए प्रस्तावित योग क्षेत्रफल का 43.43 प्रतिशत था। यद्यपि, महायोजना 2001 में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग 702 हेक्टेयर था लेकिन वर्ष 2003 तक विद्मान विकास केवल 415.77 हेक्टेयर ही रहा। इसलिए 1009.29 हेक्टेयर का प्रस्ताव लगभग 600 हेक्टेयर की वृद्धि है। बांदा विकास क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय घनत्व 266 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।

शहर का मुख्य आवासीय क्षेत्र रेलवे लाइन के दक्षिण में निमनी नाला तक स्थित है। यह आवासीय विकास बहुत भीड़भाड़ वाला है और सड़क के दोनों किनारों पर लगभग 3 किलोमीटर तक स्थित है। इसके अलावा उत्तर में बांदा-तिंदवारी मार्ग पर अन्य आवासीय विकास और, डिग्री कॉलेज आवास विकास योजना (इंदिरा आवास आवासीय योजना) विकसित हुई है। अन्य आवासीय क्षेत्रों को बांदा-चिल्ला मार्ग पर विकसित किया गया है। बांदा-हमीरपुर मार्ग पर पुलिस लाइन क्षेत्र काफी बड़ा है इसके अलावा हमीरपुर रोड पर लगभग 2 किलोमीटर रैखिक आवासीय विकास हुआ है।

iii. भविष्य के अनुमान और घनत्व पैटर्न

वाणिज्यिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों की एकाग्रता के कारण शहर के पुराने बसे हुए क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। शहर के रिहायशी इलाकों में मिश्रित भू-उपयोग की सघनता के कारण यातायात की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।

2.70 लाख की अनुमानित आबादी में अनुमानित 60,000 घरों का समावेश है, और इस अनुमान का काफी औचित्य है कि इसमें से 65% परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय वर्ग (एलआईजी) वर्गों से होंगे, केवल 20% मध्यम आय से 15% और उच्च आय वर्ग के परिवार होने का अनुमान था।

iv. कार्य बल और व्यावसायिक संरचना के लिए भविष्य के अनुमान

वर्ष 2001 कार्यबल के प्रक्षेपण का आधार वर्ष है। 2001 में योग जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या 30% थी, 1970 से 30 वर्षों की अवधि में लगभग 3.4% की मामूली वृद्धि हुई है। 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भरता हालांकि कम हुई है, लेकिन 12.9 प्रतिशत की यह निर्भरता महत्व रखती है। पिछले 30 वर्षों की अवधि में 14.6 प्रतिशत (1971) से 12.9 प्रतिशत (2001) बहुत ही धीमी कमी का संकेत देती है। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में लगे कार्यबल की 23% संख्या फिर से 1971 में 18.6% की निर्भरता से बहुत ही धीमी वृद्धि को दर्शाती है। तृतीयक क्षेत्र का कार्यबल 1971 से 66.6% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख है जो कि वर्ष 2001 में 64.10 प्रतिशत तक थोड़ा कम हो गया है। इसलिए प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक से माध्यमिक की तरफ भी थोड़ा सा बदलाव आता है। अनुमानित प्रोजक्शन द्वितीयक क्षेत्र में अनुमानित कार्यबल में 23% से 29% तक की वृद्धि दर्शाता है हालाँकि, शहर काफी हद तक अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर है। मुख्य रूप से 64.1% से 58.7% तृतीयक से स्थानांतरन दर्शाता है। । श्रमिकों का विवरण तालिका संख्या 6.5 में दिखाया गया है।

तालिका 6.5: अनुमानित श्रमिक और व्यावसायिक संरचना बांदा नगर पालिका परिषद 2021

	श्रेणी	**वर्ष 1971**		**वर्ष 2001**		**वर्ष 2021**	
		श्रमिक	**प्रतिशत**	**श्रमिक**	**प्रतिशत**	**श्रमिक**	**प्रतिशत**
1.0	**प्राथमिक गतिविधियां**	2004	14.8	5391	12.9	10959	12.3
1.1	किसान	1057	7.8	2590	6.2	4455	5.0
1.2	खेतिहर मजदूर	774	5.7	2090	5.0	4455	5.0
1.3	पशुपालन	173	1.3	627	1.5	1782	2.0
1.4	खुदाई	-	-	84	0.2	267	0.3
2.0	**द्वितीयक गतिविधियाँ**	2501	18.6	9618	23.0	25839	29.0
2.1	पारिवारिक व्यवसाय	669	5.0	2509	6.0	7128	8.0

तालिका 6.5: अनुमानित श्रमिक और व्यावसायिक संरचना बांदा नगर पालिका परिषद 2021

	श्रेणी	वर्ष 1971		वर्ष 2001		वर्ष 2021	
		श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
2.2	पारिवारिक व्यवसाय और अन्य व्यवसाय	1440	10.7	5436	13.0	14256	16.0
2.3	निर्माण	392	2.9	1673	4.0	4455	5.0
3.0	**तृतीयक गतिविधियाँ**	8981	66.6	26888	64.1	52302	58.7
3.1	व्यापार एवं वाणिज्य	3325	24.7	10454	25.0	23166	26.0
3.2	परिवहन	1130	8.4	3764	8.9	8910	10.0
3.3	अन्य	4526	33.5	12670	30.2	20226	22.7
3.4	सीमांत कर्मी	-	-	-	-	-	-
	योग	13486	100	41897	100	89100	100

स्रोत: महायोजना बांदा 2021

यातायात और परिवहन

परिवहन नेटवर्क शहरी बस्तियों के और भू-उपयोग के विकास की दिशा को आकार देता है और आवागमन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आर्थिक गतिविधियों और उनकी वृद्धि को वहन करता है। अंत में जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है। बांदा नगर पालिका क्षेत्र की परिवहन संरचना संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी गलियों, भीड़भाड़ वाली सड़कों और कई लिंक पर आधारित है, जिससे लोगों और सामान के सुचारू आवागमन में अड़चनें पैदा होती हैं। यह परिवहन नेटवर्क अनियोजित है और बेतरतीब ढंग से विकसित हुआ है।

बांदा नगर पालिका परिषद में यातायात और परिवहन भू-उपयोग के अंतर्गत 102.28 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। 1991 की जनगणना के अनुसार, यातायात/परिवहन और भंडारण की श्रेणी के तहत 3017 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त था, जो कि योग कार्यबल का 8.38 प्रतिशत था। 2001 में इसे बढ़ाकर 3,764 (8.9%) और वर्ष 2021 में 8,910 (10%) पर प्रस्तावित था।

i. परिसंचरण नेटवर्क

बांदा नगर पालिका परिषद में वर्तमान और प्रस्तावित सड़क नेटवर्क के तहत क्रमशः 102.28 हेक्टेयर और 120.29 हेक्टेयर क्षेत्र दिखाया गया है। यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग के अंतर्गत योग 277.21 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जो योग प्रस्तावित भू-उपयोग का 11.93 प्रतिशत है।

ii. बस और ट्रक टर्मिनल सुविधाएं

वर्ष 1981-2001 के महायोजना में ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया था। पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में ट्रक टर्मिनल का विकास न होने के कारण इसे पुनः उसी स्थान पर प्रस्तावित किया गया है तथा इसके साथ ही बांदा-

इलाहाबाद मार्ग पर परिवहन नगर प्रस्तावित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 24.40 हेक्टेयर है।

iii. रेल नेटवर्क

बांदा नगर एक ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है और इसे श्रेणी 'ए' स्टेशन के रूप में नामित किया गया है, बांदा उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र के झांसी रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह शहर झांसी के माध्यम से देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज के माध्यम से देश के पूर्वी भाग और प्रदेश के के प्रमुख शहरों में पहुंच उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजधानी तक कानपुर से रेलवे लिंक के माध्यम से भी लिंक प्राप्त है (चित्र 6.1)। महायोजना 2021 में और रेल मार्गों के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था।

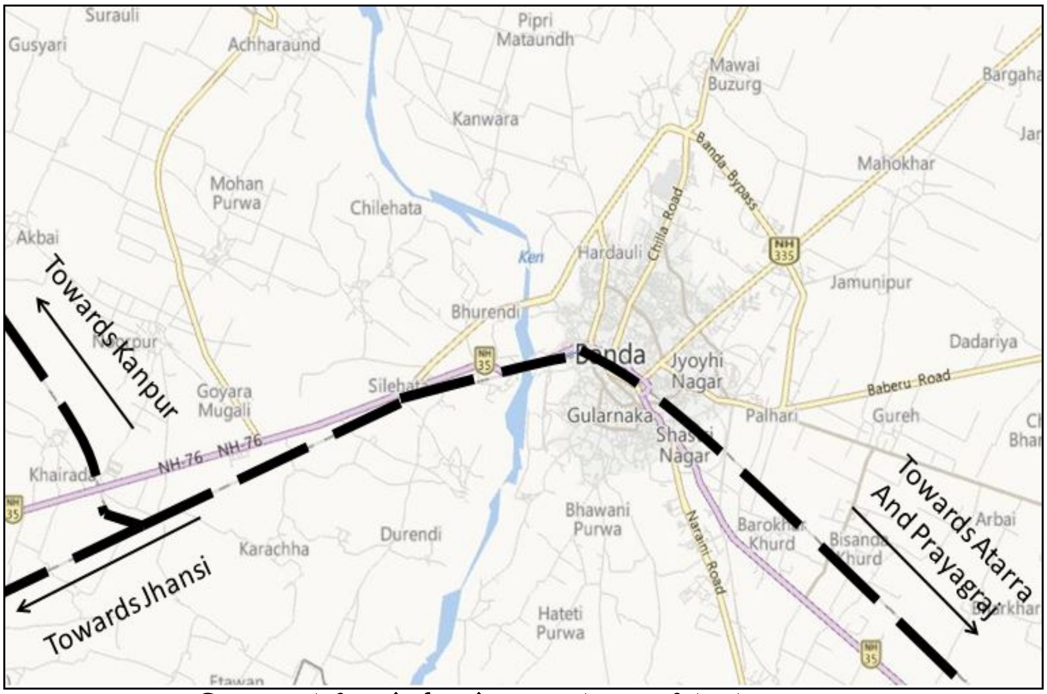

चित्र 6.1 क्षेत्रीय संपर्क; बांदा शहर से गुजरती रेलवे लाइन

iv. हवाई अड्डा और हवाई यातायात

शहर का निकटतम सिविल हवाई अड्डा खजुराहो, मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है और यह (राजानगर के रास्ते) 107 किमी की दूरी पर स्थित है। कानपुर का हवाई अड्डा लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

v. सामुदायिक सुविधाएं और सेवाएं

सामाजिक अवसंरचना से तात्पर्य किसी भी बस्ती में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, धार्मिक और सामुदायिक केंद्रों आदि से संबंधित क्षेत्रों में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह की सुविधाओं के प्रावधान से है। सामाजिक बुनियादी ढांचे के ये विभिन्न घटक हमें स्थानीय मानव संसाधनों के विकास और बस्ती के निवासियों

को जीवन की गुणवत्ता के लिए वांछित स्तर की सहायता प्रदान करने की क्षमता के संदर्भ में किसी भी शहर का आकलन करने में सक्षम बनाते हैं। बांदा महायोजना 2021 ने विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं के लिए मूल्यांकन का प्रस्तावनायें की है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, हाई स्कूल / इंटरमीडिएट और कॉलेज स्तर पर शैक्षिक सुविधाएं वर्तमान आबादी के लिए पर्याप्त पाई गईं, हालांकि 2.70 लाख लोगों की प्रस्तावित आबादी के लिए 68 प्राथमिक स्कूल, 11 हाई स्कूल / इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज जोड़ने का प्रस्ताव था।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में चार हेक्टेयर क्षेत्र में एक अस्पताल जोड़ने का प्रस्ताव था। आगामी वर्ष 2021 के लिए 20 उप-डाकघरों, 2 डाक और तार कार्यालयों की स्थापना की गई। कानून व्यवस्था के लिए 4 पुलिस थानों और 8 पुलिस चौकियों की अतिरिक्त आवश्यकता भी अनुमानित कर प्रस्तावना की गई ।

मनोरंजन सुविधाओं की श्रेणी में दो सिनेमाघरों और 16 पुस्तकालयों की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित की गई। यह भी संकेत दिया गया कि प्रस्तावित आबादी के लिए तीन अतिरिक्त धार्मिक स्थलों और छह अतिरिक्त सामुदायिक केंद्रों की आवश्यकता भी होगी। पार्क और खुले स्थान बहुत अपर्याप्त पाए गए।

Vi. सार्वजनिक सुविधाये

बिजली के लिए, यह देखा गया कि बांदा-चिल्ला रोड पर 132 केवी सब-स्टेशन के माध्यम से बांदा शहर बिजली की आपूर्ति की जाती है। उपरोक्त के अलावा, बिजली के बुनियादी ढांचे में 11 केवीए का एक सब-स्टेशन, 33 केवीए का एक सब-स्टेशन भी शामिल है। 33 केवी के दो अतिरिक्त सब-स्टेशनों की आवश्यकता की गणना की गई।

पानी की आपूर्ति में कमी पाई गई और अतिरिक्त जल कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन मानक पर पानी की आपूर्ति के लिए नोट की गई। यह देखा गया कि बांदा कस्बे में सीवरेज नेटवर्क पूरी तरह से नदारद है।

प्रभावी महायोजना 2021 एवं महायोजना 2021 के जी आई एस कन्वर्शन का विश्लेषण

महायोजना 2031 प्रारूप की संरचना हेतु स्वीकृत महायोजना 2021 का जी.आई.एस प्लेटफार्म पर पुन: आरेखण किया गया जिससे महायोजना संरेखण एवं क्षेत्रफल आगणन में भिन्नता परिलक्षित हुई। जी. आई.एस. प्लेटफार्म पर प्रभावी महायोजना के भू-उपयोगो के अनुसार क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित है।

तालिका 6.6: बांदा महायोजना-2021 और जीआईएस डिजिटलाईजड प्लैन के अनुसार प्रस्तावित भू-उपयोग वितरण

बांदा महायोजना -2021				जीआईएस	
क्रमांक	**भू- उपयोग**	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**प्रतिशत**	**जीआईएस के अनुसार क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**प्रतिशत**
1	**आवासीय**				
1.1	ग्रामीण आबादीयां	24.49		42.66	
1.2	वर्तमान निर्मित क्षेत्र	250.83		242.28	
1.3	आवासीय क्षेत्र	733.98		737.53	
	योग	**1009.29**	**43.43**	**1022.47**	**42.38**
2	**व्यावसायिक**				
2.1	खुदरा/थोक दुकानें*	20.51		27.84	
2.2	प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट	10.2		10.94	
2.3	गोदाम	3.36		3.58	
	योग	**34.07**	**1.47**	**42.36**	**1.76**
3	**केंद्रीय गतिविधि**				
3.1	वर्तमान	49.56		62.84	
3.2	प्रस्तावित	157.3		167.46	
	योग	**206.86**	**8.9**	**230.3**	**9.55**
4	**औद्योगिक**				
4.1	वर्तमान औद्योगिक	3.36		3.82	
4.2	प्रस्तावित औद्योगिक	100		100.42	
	योग	**103.36**	**4.45**	**104.24**	**4.32**
5	**कार्यालय**	87.34	3.75	94.08	
	योग	**87.34**	**3.75**	**94.08**	**3.90**
6	**मनोरंजन सुविधा**				
6.1	प्रस्तावित पार्क और खेल का मैदान	87.48		88.78	
6.2	प्रस्तावित प्रखंडिय पार्क	278.05		323.78	
6.3	पार्क और खुली जगह	7.44	7	7.01	
6.4	हरितपट्टी	38.36		34.64	
	योग	**411.33**	**17.7**	**454.21**	**18.83**
7	**यातायात और परिवहन**				
7.1	प्रस्तावित परिवहन नगर	13.25		15.45	
7.2	प्रस्तावित अंतरराज्यीय बस/ट्रक टर्मिनल	11.15		9.78	
7.3	वर्तमान बस स्टैंड	2.24		3.15	
7.4	वर्तमान सड़क नेटवर्क	102.28		148.35	

बांदा महायोजना -2021				जीआईएस	
क्रमांक	**भू- उपयोग**	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**प्रतिशत**	**जीआईएस के अनुसार क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**प्रतिशत**
7.5	प्रस्तावित सड़क नेटवर्क	120.29		54.27	
7.6	रेलवे	28		27.86	
	योग	**277.21**	**11.93**	**258.86**	**10.73**
8	**अन्य**				
8.1	बगीचे	39.32		42.88	
8.2	प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	4		4.12	
8.3	जल श्रोत	21.19		32.37	
8.4	पहाड़	17.44		15.36	
8.5	नहर/नाली	21.56		19.81	
8.6	खेती की जमीन	79.12		77.48	
8.7	श्मशान / कब्रिस्तान	11.83		14.19	
	योग	**194.46**	**8.37**	**206.21**	**8.55**
	महायोग	**2323.96**	**100**	**2412.73**	**100**

स्रोत: बांदा महायोजना -2021 और जीआईएस डिजिटाइजेशन

ध्यान दें:

a) मंडी (12.74 हेक्टेयर) को वाणिज्यिक के खुदरा/थोक उपश्रेणी में माना गया है।

b) वर्तमान केंद्रीय गतिविधि में स्वास्थ्य और शैक्षिक (52.47 हेक्टेयर), धार्मिक (6.11 हेक्टेयर) और सार्वजनिक उपयोगिता (4.25 हेक्टेयर) शामिल हैं।

c) केंद्रीय गतिविधियों में प्रस्तावित सामुदायिक सेवाएं और प्रस्तावित केंद्रीय गतिविधियां शामिल हैं।

d) बांदा महायोजना -2021 में "नगर पार्क" के रूप में रिपोर्ट की गई मनोरंजन सुविधाओं की रिपोर्ट को बांदा महायोजना -2021 मानचित्र में "पार्क और क्रीड़ा साथल" के रूप में दिखाया गया है। विश्लेषण के उद्देश्य से इसे "प्रस्तावित पार्क और खेल का मैदान" के रूप में दिखाया गया है।

e) बांदा महायोजना -2021 रिपोर्ट में "प्रखंडिय पार्क" के रूप में रिपोर्ट की गई मनोरंजन सुविधाओं का विश्लेषण "प्रस्तावित उप-मंडल पार्क" के रूप में किया गया है।

f) बांदा महायोजना -2021 रिपोर्ट में "खेल के मैदान/खुले स्थल" के रूप में रिपोर्ट की गई मनोरंजन सुविधाओं को बांदा महायोजना -2021 मानचित्र में "पार्क" के रूप में दिखाया गया है। विश्लेषण के उद्देश्य के लिए इसे "पार्क और खुले स्थान" के रूप में दिखाया गया है।

g) बांदा महायोजना -2021 के नक्शे में दो भू-उपयोग दिखाए गए हैं जबकि मानचित्र पर संकेतिका उपलब्ध नहीं हैं सत्यापन के उपरांत इन्हे धार्मिक और शमशान भूमि के रूप में दिखाया गया है।

h) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केन नदी (154.6 हेक्टेयर) को महायोजना -2021 के नक्शे में दिखाया गया है जबकि बांदा महायोजना रिपोर्ट-2021 रिपोर्ट में गणना के लिए क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया था।

** यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जीआईएस प्लेटफॉर्म गणना के अनुसार प्रस्तावित महायोजना के बराबर क्षेत्र 2412.73 हेक्टेयर है। भूमि विकास विश्लेषण के उद्देश्य से, जीआईएस परिवेश और प्रकाशित बांदा महायोजना -2021 के बीच अंतर (3.81 प्रतिशत) ध्यान देने योग्य नहीं है क्योंकि दोनो मानचित्र अलग-अलग परिवेश में तैयार होते हैं।

i. आवासीय

बांदा महायोजना -2021 के अनुसार 2,71,216 व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासीय भू-उपयोग हेतु 1009.29 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग शहरीकरण के लिए प्रस्तावित योग क्षेत्रफल का 43.43 प्रतिशत था। भू-उपयोग में वर्तमान निर्मित (250.83 हेक्टेयर), प्रस्तावित आवासीय (733.98 हेक्टेयर) और ग्रामीण बस्तियों (24.49 हेक्टेयर) शामिल हैं। प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग में वर्तमान विकास को नीचे तालिका संख्या 6.7 में दर्शाया गया है;

तालिका 6.7: प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास

क्रमांक	उप वर्ग	निर्मित क्षेत्र (ए) हेक्टेयर	प्रस्तावित आवासीय (बी) हेक्टेयर	गांव आबादी (सी) हेक्टेयर	योग (ए+बी+सी) हेक्टेयर	प्रतिशत
1	आश्रम/मठ/भोजन शाला	0.024			0.024	0.002
2	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण	0.103			0.103	0.010
3	आंगनवाड़ी			0.036	0.036	0.003
4	बैंकों	0.186	0.230		0.416	0.041
5	बस स्टैंड / टर्मिनस	0.449			0.449	0.044
6	नहर		1.934		1.934	0.189
7	सीजी_ऑफिस		0.007		0.007	0.001
8	सीजी_क्वार्टर		0.007		0.007	0.001
9	चर्च		0.436		0.436	0.043
10	क्लिनिक / औषधालय	0.003			0.003	0.000
11	महाविद्यालय	0.177	2.219		2.396	0.234
12	वाणिज्यिक और शैक्षिक	0.000			0.000	0.000
13	वाणिज्यिक और औद्योगिक	0.189			0.189	0.018
14	सम्मेलन केन्द्र	0.026			0.026	0.003

क्रमांक	उप वर्ग	निर्मित क्षेत्र (ए) हेक्टेयर	प्रस्तावित आवासीय (बी) हेक्टेयर	गांव आबादी (सी) हेक्टेयर	योग (ए+बी+सी) हेक्टेयर	प्रतिशत
15	श्मशान/कब्रिस्तान/कब्र गाह	0.035			0.035	0.003
16	कृषि भूमि	1.993	159.922	1.503	163.417	15.982
17	धर्मशाला	0.347			0.347	0.034
18	नाली	0.120	1.050	0.024	1.195	0.117
19	डंपिंग यार्ड		0.082		0.082	0.008
20	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन		0.006		0.006	0.001
21	प्रदर्शनी मैदान	0.087			0.087	0.009
22	फार्म हाउस		0.666		0.666	0.065
23	फंक्शन हॉल / मैरिज गार्डन	1.126	2.710		3.836	0.375
24	सामान्य व्यापार	1.142	0.005	0.027	1.174	0.115
25	सरकारी संपत्ति		0.285		0.285	0.028
26	सरकार अस्पताल		0.000		0.000	0.000
27	पहाड़ी / पहाड़	0.285			0.285	0.028
28	छात्रावास	0.135			0.135	0.013
29	होटल / लॉज / रेस्टोरेंट	0.608	0.649		1.257	0.123
30	आवास योजना	0.003	25.316		25.319	2.476
31	ईदगाह	0.006	0.021		0.028	0.003
32	अनौपचारिक दुकान	0.218			0.218	0.021
33	जेल		0.184		0.184	0.018
34	लेआउट / प्लॉटेड	0.055	12.389		12.444	1.217
35	निचला क्षेत्र		0.380		0.380	0.037
36	एलपीजी/सीएनजी गैस बुकिंग कार्यालय	0.060			0.060	0.006
37	मेजर सिटी रोड	0.276	0.698	0.095	1.069	0.105
38	उत्पादन	0.006	0.019		0.026	0.003
39	बाजार (दैनिक और साप्ताहिक) / मंडी		0.110		0.110	0.011
40	धँसाऊ		3.154		3.154	0.308
41	सड़क माध्यिका / विभक्त		0.027		0.027	0.003
42	माइनर सिटी रोड	6.155	33.474	1.139	40.769	3.987
43	मस्जिद	0.386	0.012		0.398	0.039
44	राष्ट्रीय हाइवे	0.028	0.754		0.783	0.077
45	अन्य उद्योग	0.326	0.012		0.338	0.033
46	अन्य निजी सड़क	0.033	4.624	0.107	4.765	0.466

क्रमांक	उप वर्ग	निर्मित क्षेत्र (ए) हेक्टेयर	प्रस्तावित आवासीय (बी) हेक्टेयर	गांव आबादी (सी) हेक्टेयर	योग (ए+बी+सी) हेक्टेयर	प्रतिशत
47	अन्य सार्वजनिक सड़क	0.037	0.108		0.145	0.014
48	पार्क	0.181	0.956		1.138	0.111
49	पार्किंग की जगह / क्षेत्र	0.280			0.280	0.027
50	पेट्रोल पंप / एलपीजी फिलिंग स्टेशन	0.099	0.242		0.340	0.033
51	वृक्षारोपण	0.031	8.437		8.467	0.828
52	पुलिस स्टेशन	0.133			0.133	0.013
53	तालाब_सूखा	0.002	1.987	0.626	2.616	0.256
54	तालाब_भरे	0.061	3.663	0.401	4.125	0.403
55	मुर्गीपालन फार्म		0.028		0.028	0.003
56	प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र		0.014		0.014	0.001
57	निजी अस्पताल	0.051	0.010		0.061	0.006
58	निजी कार्यालय	0.057			0.057	0.006
59	निजी खाली	9.169	112.685	3.710	125.564	12.280
60	सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय	0.058			0.058	0.006
61	रेलवे संपत्ति	0.419			0.419	0.041
62	रेलवे ट्रैक क्षेत्र	0.895	1.813	0.024	2.731	0.267
63	आवासीय	1.073			1.073	0.105
64	आवासीय व्यावसायिक	32.224	12.953	0.198	45.375	4.438
65	आवासीय और वाणिज्यिक और स्वास्थ्य सेवाएं		0.029		0.029	0.003
66	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	173.443	249.503	11.168	434.114	42.457
67	खुदरा	4.989	3.163	0.642	8.795	0.860
68	सूखी नदी		0.087		0.087	0.008
69	नदी_भरा		0.187	0.026	0.213	0.021
70	रेल के पार सड़क पुल	0.000			0.000	0.000
71	चट्टान का		0.595	0.037	0.633	0.062
72	रेतीला क्षेत्र			0.063	0.063	0.006
73	उपग्रह और दूरसंचार केंद्र	0.072	0.123		0.195	0.019
74	स्कूल	0.693	2.932	0.224	3.848	0.376
75	स्क्रब भूमि (झाड़ीदार)	0.649	40.271	0.247	41.167	4.026
76	सेवा	0.936	1.020		1.956	0.191

क्रमांक	उप वर्ग	निर्मित क्षेत्र (ए) हेक्टेयर	प्रस्तावित आवासीय (बी) हेक्टेयर	गांव आबादी (सी) हेक्टेयर	योग (ए+बी+सी) हेक्टेयर	प्रतिशत
77	एसजी_ऑफिस	0.788	4.086		4.873	0.477
78	एसजी_क्वार्टर	0.213	२१.६६३		२१.८७५	२.१३९
79	शॉपिंग सेंटर / मॉल	0.001	0.148		0.149	0.015
80	स्टेडियम		0.038		0.038	0.004
81	भंडारण गोदाम	0.308	0.127		0.434	0.042
82	दलदलीय क्षेत्र	0.010			0.010	0.001
83	टैंक(ग्राउंड टैंक)	0.031			0.031	0.003
84	टेलिफ़ोन एक्सचेंज	0.007			0.007	0.001
85	मंदिर	0.272	0.002		0.274	0.027
86	कपड़ा मील मिल		0.005		0.005	0.000
87	यातायात	0.039			0.039	0.004
88	प्रशिक्षण संस्थान		0.015		0.015	0.002
89	ट्री क्लैड एरिया		3.242	0.323	3.565	0.349
90	खाली	0.022	0.077	0.097	0.195	0.019
91	गांव / आबादी क्षेत्र		11.852	21.040	32.891	3.217
92	ग्रामीण रोड		1.489	0.741	2.230	0.218
93	जल पम्पिंग स्टेशन		0.123		0.123	0.012
94	सैलाब किया हुआ	0.047	2.241	0.164	2.451	0.240
95	थोक व्यापार	0.403	0.245		0.648	0.063
	योग	**242.282**	**737.541**	**42.660**	**1022.483**	100.00

स्रोत: ग्राउंड ट्रुथिंग 2020 और महायोजना बांदा-2021

बांदा महायोजना (1982-2001) के अनुसार वर्तमान निर्मित क्षेत्र का सीमांकन किया गया है। वर्तमान बिल्ट-अप में विकास में मुख्य रूप से आवासीय इकाइयां शामिल हैं जो 173.443 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं(वर्तमान निर्मित क्षेत्र का 71.587 प्रतिशत)। उसके बाद आवासीय और वाणिज्यिक (दोनों) अर्थात 32.224 हेक्टेयर(वर्तमान निर्मित क्षेत्र का 13.3%)। यह देखा गया है कि वर्तमान निर्मित क्षेत्र में 9.191 हेक्टेयर (3.79%) भूमि अभी भी अविकसित है। वर्तमान निर्मित क्षेत्र में 8.604 हेक्टेयर की व्यावसायिक

गतिविधियों का विकास किया गया है। हालांकि, वर्तमान बिल्ट-अप क्षेत्र में कई तरह की गतिविधियां देखी गई हैं लेकिन चरित्र अभी भी प्रकृति में आवासीय है।

चित्र 6.2: बीडीए आवास योजना

आवास योजना (चित्र 6.2) के 25.306 हेक्टेयर (प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग का 3.432%) के साथ प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग में 249.503 हेक्टेयर (प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग का 33.829%) के आवासीय विकास देखे गए हैं, जबकि 125.151 हेक्टेयर (प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग का (16.968%) आवासीय भू-उपयोग (निजी खाली, लेआउट / प्लॉट) अभी भी अविकसित हैं ।

यह देखा गया है कि 205.658 हेक्टेयर की कृषि भूमि (प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग का 27.88%) (फसल योग भूमि, साफ़ भूमि, दलदली, जलभराव) अभी भी बरकरार है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रस्तावित भू-उपयोग में लगभग 21.04 हेक्टेयर ग्रामीण बस्तियों का विकास किया गया है। प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग में विकास व्यापक रूप से फैला हुआ है और बांदा नगर परिषद सीमा के आसपास कम उंचाई के भवन निर्मित है।

ii. व्यावसायिक

बाँदा महायोजना 2021 में 34.07 हेक्टेयर कमर्शियल भू-उपयोग जिसमे बाजार स्ट्रीट, थोक बाजार, गोदाम, समायोजित है प्रस्तावित किया गया है बाँदा तिंदबारी सड़क पर स्थित कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड की मंडी अभी बची हुई है खुदरा बाजार मुख्य सड़को जिनके नाम निम्नलिखित है पर स्थित है।

चित्र 6.3: कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड (एपीएमसी) तिंदवारी रोड पर

शंकर गुरु चौराहा,सब्ज़ी मंडी, नवाब मनिहारी बाजार, माहेश्वरी देवी, छावनी चौराहा (चित्र 6.4) यह खुदरा बाजार रेलवे लाइन के दक्षिण की तरफ स्थित है नए व्यवसायिक केंद्र बाजार मुख्यतः तिंदवारी रोड, बबेरू रोड,

सब्जी मंडी

सर्राफ बाजार

बाबूलाल चौक

चित्र 6.4: **वाणिज्यिक बाजार**

रेलवे स्टेशन मार्ग पर विकसित हो रहे है केंद्रीय वेयरहाउस कारपोरेशन एवं भारत संचार निगम का गोदाम नारायणी रोड पर स्थित है प्रस्तावित व्यवसायिक भू-उपयोग की डिटेल नीचे तालिकों में दी गई है।

तालिका 6.8: प्रस्तावित वाणिज्यिक भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास

क्रमांक	उप वर्ग	खुदरा	मंडी	प्रस्तावित स्ट्रीट मार्केट	भंडारण/ गोदाम	योग	प्रतिशत
1	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण	0.001				0.001	0.003
2	बैंकों	0.242				0.242	0.570
3	सीजी_ऑफिस				0.029	0.029	0.068
4	क्लिनिक / औषधालय	0.013				0.013	0.031
5	क्लब	0.085				0.085	0.201
6	महाविद्यालय				0.622	0.622	1.468
7	कृषि भूमि				0.159	0.159	0.375
8	धर्मशाला	0.310				0.310	0.731
9	नाली			0.010		0.010	0.025
10	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन	0.011				0.011	0.027
11	फंक्शन हॉल / मैरिज गार्डन				0.101	0.101	0.238
12	होटल / लॉज / रेस्टोरेंट	0.147		0.025		0.173	0.407
13	लेआउट / प्लॉटेड		0.011			0.011	0.027
14	एलपीजी/सीएनजी गैस बुकिंग कार्यालय	0.004				0.004	0.010
15	मेजर सिटी रोड	0.064		0.003		0.067	0.158
16	उत्पादन	0.029				0.029	0.068
17	बाजार (दैनिक और साप्ताहिक) / मंडी		12.535	0.010		12.545	29.617
18	माइनर सिटी रोड	0.235	0.055	0.632		0.922	2.178
19	राष्ट्रीय हाइवे	0.029				0.029	0.067
20	अन्य उद्योग	0.006				0.006	0.015
21	अन्य निजी सड़क	0.005				0.005	0.012
22	अन्य सार्वजनिक सड़क				0.052	0.052	0.123

क्रमांक	उप वर्ग	खुदरा	मंडी	प्रस्तावित स्ट्रीट मार्केट	भंडारण/ गोदाम	योग	प्रतिशत
23	पार्किंग की जगह / क्षेत्र			0.080		0.080	0.188
24	पेट्रोल पंप / एलपीजी फिलिंग स्टेशन	0.077				0.077	0.182
25	निजी अस्पताल			0.033		0.033	0.078
26	निजी खाली	0.023	0.014	0.881	0.045	0.963	2.273
27	रेलवे संपत्ति	0.256				0.256	0.605
28	रेलवे स्टेशन	0.007				0.007	0.016
29	आवासीय व्यावसायिक	6.324		1.913		8.237	19.446
30	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	3.144	0.087	4.321	0.216	7.768	18.339
31	खुदरा	2.667	0.038	1.661		4.366	10.307
32	स्कूल	0.191		0.245		0.436	1.030
33	सेवा	0.478		0.709		1.187	2.801
34	एसजी_ऑफिस	0.039		0.412		0.451	1.064
35	एसजी_क्वार्टर	0.035				0.035	0.083
36	शॉपिंग सेंटर / मॉल	0.316				0.316	0.747
37	भंडारण गोदाम				2.303	2.303	5.436
38	दलदल क्षेत्र	0.021				0.021	0.049
39	टेलिफ़ोन एक्सचेंज	0.139				0.139	0.329
40	मंदिर	0.005				0.005	0.011
41	यातायात आईलैंड	0.007				0.007	0.017
42	ट्री क्लैड एरिया		0.002			0.002	0.005
43	गोदाम	0.185			0.059	0.244	0.576
	योग	**15.095**	**12.744**	**10.936**	**3.584**	**42.359**	100.00

स्रोत: ग्राउंड ट्रुथिंग 2020 और महायोजना बांदा, 2021

iii. सरकारी कार्यालय:

बांदा शहर चित्रकूट धाम प्रशासनिक संभाग के लिए प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, अधिकांश सरकारी कार्यालय पूरे शहर में बिखरे हुए हैं जो जनता के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सरकारी कार्यालयों के लिए बांदा महायोजना -2021 में योग 87.34 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया था।

प्रशासनिक कार्यालय अशोक जंक्शन के पास और पुलिस लाइन रोड के साथ स्थित हैं। अन्य सरकारी विभाग पूरे शहर में बिखरे हुए हैं। बांदा विकास प्राधिकरण कार्यालय (चित्र 6.5) अवस्थी मार्ग पर बाबूलाल चौराहा और बांदा नगर पालिका परिषद के पास स्थित है। प्रस्तावित भू-उपयोग के 49.23 प्रतिशत को कवर करते हुए 46.315 हेक्टेयर तक सरकारी कार्यालय और क्वार्टर विकसित किए गए हैं।

बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा

जल संस्थान, बांदा

चित्र 6.5 बांदा में सरकारी कार्यालय

क्योटरा में जिला जेल 7.299 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है और प्रस्तावित भू-उपयोग का 7.786 प्रतिशत है। सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत भू-उपयोग के विकास का उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है;

तालिका 6.9: प्रस्तावित सरकारी कार्यालय भू-उपयोग के अंतर्गत भूमि का विकास

क्रमांक	उप वर्ग	सरकारी कार्यालय	योग	प्रतिशत
1	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण	0.051	0.051	0.054
2	मनोरंजन/थीम पार्क	1.102	1.102	1.171
3	बैंकों	0.016	0.016	0.016
4	बस स्टैंड / टर्मिनस	0.020	0.020	0.021
5	सीजी_ऑफिस	0.246	0.246	0.261
6	सीजी_क्वार्टर	1.038	1.038	1.104
7	क्लब	0.188	0.188	0.200
8	महाविद्यालय	0.830	0.830	0.882
9	कृषि भूमि	0.063	0.063	0.066
10	नाली	0.027	0.027	0.028
11	अग्निशमन केंद्र	0.244	0.244	0.259
12	सामान्य व्यापार	0.009	0.009	0.010
13	सरकारी संपत्ति	0.504	0.504	0.536
14	सरकार अस्पताल	0.048	0.048	0.051
15	होटल / लॉज / रेस्टोरेंट	0.151	0.151	0.161
16	आवास योजना	0.019	0.019	0.020

क्रमांक	उप वर्ग	सरकारी कार्यालय	योग	प्रतिशत
17	जेल	7.299	7.299	7.758
18	लेआउट / प्लॉटेड	0.007	0.007	0.008
19	मेजर सिटी रोड	0.141	0.141	0.150
20	उत्पादन	0.113	0.113	0.120
21	माइनर सिटी रोड	1.410	1.410	1.498
22	राष्ट्रीय हाइवे	0.122	0.122	0.130
23	अन्य सार्वजनिक सड़क	2.295	2.295	2.440
24	पार्क	0.019	0.019	0.020
25	पुलिस स्टेशन	1.017	1.017	1.081
26	तालाब_सूखा	0.153	0.153	0.162
२७	तालाब_भरे	0.002	0.002	0.002
28	निजी खाली	8.515	8.515	9.051
29	सार्वजनिक पुस्तकालय	0.002	0.002	0.003
30	रेडियो/टीवी स्टेशन	0.246	0.246	0.261
31	रेलवे संपत्ति	0.061	0.061	0.065
32	रेलवे ट्रैक क्षेत्र	0.000	0.000	0.000
33	आवासीय	0.049	0.049	0.052
34	आवासीय व्यावसायिक	0.700	0.700	0.744
35	आवासीय और वाणिज्यिक और स्वास्थ्य सेवाएं	0.002	0.002	0.002
36	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	9.668	9.668	10.277
37	खुदरा	0.780	0.780	0.829
38	रेल के पार सड़क पुल	0.000	0.000	0.000
39	स्कूल	0.014	0.014	0.015
40	स्क्रब भूमि (झाड़ीदार)	1.405	1.405	1.493
41	सेवा	0.230	0.230	0.245
42	एसजी_ऑफिस	24.237	24.237	25.763
43	एसजी_क्वार्टर	22.078	22.078	23.468
44	स्टेडियम	0.624	0.624	0.664
45	भंडारण गोदाम	0.000	0.000	0.000
46	टैंक_भरा	0.006	0.006	0.007
47	मंदिर	0.170	0.170	0.180
48	यातायात द्वीप	0.004	0.004	0.004
49	प्रशिक्षण संस्थान	1.706	1.706	1.814
50	ट्री क्लैड एरिया	0.085	0.085	0.091
51	विश्वविद्यालय	0.501	0.501	0.532
52	गांव / आबादी क्षेत्र	3.948	3.948	4.196

क्रमांक	उप वर्ग	सरकारी कार्यालय	योग	प्रतिशत
53	ग्रामीण रोड	0.127	0.127	0.135
54	गोदाम	0.791	0.791	0.841
55	जल पम्पिंग स्टेशन	0.318	0.318	0.338
56	जल उपचार संयंत्र	0.675	0.675	0.718
	योग	**94.077**	**94.077**	**100.00**

स्रोत: महायोजना बांदा, 2021 और ग्राउंड ट्रुथिंग, 2020

iv. औद्योगिक

बांदा शहर में मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग नहीं हैं लेकिन मूल रूप से छोटे पैमाने और सेवा उद्योग हैं। बांदा महायोजना -2021 में औद्योगिक भू-उपयोग के तहत 100 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया । दो औद्योगिक सम्पदा विकसित की गई हैं; एक झांसी रोड पर 18 हेक्टेयर में है, लेकिन इसकी कोई औद्योगिक इकाई नहीं है और दूसरा 2.28 हेक्टेयर क्षेत्र में पुलिस लाइन के पास ग्रामीण उद्योग केंद्र है जिसमें 15 इकाइयां लघु और सेवा उद्योग हैं। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई वर्तमान प्रमुख फंकशनल औद्योगिक इकाई नहीं है। वर्तमान फंकशनल उद्योग शहर की मुख्य सड़कों के किनारे स्थित हैं; अर्थात् गुलारनाका रोड पर डीएवी कॉलेज के पास राइस मिल और अत्तर्रा चुंगी, नारायणी रोड के पास राइस मिल। टेक्सटाइल मिल चिल्ला रोड पर 35.353 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और 33.88% प्रस्तावित औद्योगिक भूमि का आवरण करता है जिसका उपयोग तीन दशकों से बंद है। प्रस्तावित औद्योगिक भूमि का अधिकांश भाग अभी भी अविकसित है।

तालिका 6.10: प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास

क्रमांक	उप वर्ग	औद्योगिक	प्रस्तावित औद्योगिक	योग	प्रतिशत
1	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण	0.417		0.417	0.400
2	सीजी_ऑफिस	0.077		0.077	0.074
3	महाविद्यालय		0.364	0.364	0.349
4	कृषि भूमि		0.849	0.849	0.815
5	लेआउट / प्लॉटेड		3.688	3.688	3.538
6	उत्पादन		1.087	1.087	1.042
7	माइनर सिटी रोड	0.277	1.813	2.090	2.005
8	अन्य निजी सड़क		0.937	0.937	0.899
9	पेट्रोल पंप / एलपीजी फिलिंग स्टेशन		0.530	0.530	0.509
10	तालाब_भरे		0.280	0.280	0.269
11	निजी अस्पताल		0.569	0.569	0.546
12	निजी खाली	0.286	8.799	9.084	8.715

क्रमांक	उप वर्ग	औद्योगिक	प्रस्तावित औद्योगिक	योग	प्रतिशत
13	रेलवे ट्रैक क्षेत्र		1.004	1.004	0.963
14	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	1.631	4.430	6.060	5.814
15	खुदरा	0.223	0.436	0.658	0.632
16	स्कूल		0.039	0.039	0.037
17	स्क्रब भूमि (झाड़ीदार)		34.286	34.286	32.892
18	एसजी_ऑफिस	0.475	0.445	0.920	0.882
19	भंडारण गोदाम	0.410	3.100	3.509	3.367
20	टेलिफ़ोन एक्सचेंज	0.022		0.022	0.021
21	कपड़ा मील		35.353	35.353	33.914
22	खाली		1.389	1.389	1.333
23	गांव / आबादी क्षेत्र		0.549	0.549	0.527
24	ग्रामीण रोड		0.006	0.006	0.006
25	थोक		0.471	0.471	0.452
	योग	**3.818**	**100.423**	**104.241**	100.00

स्रोत: महायोजना बांदा, 2021 और ग्राउंड ट्रुथिंग, 2020

v. सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं

बांदा महायोजना -2021 के अनुसार, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग के लिए 157.30 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जबकि वर्तमान सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग 49.56 हेक्टेयर में है। महाविद्यालयों के अंतर्गत 30.571 हेक्टेयर (शैक्षिक सुविधाओं 58.25%), सरकारी अस्पतालों के अंतर्गत 7.411 हेक्टेयर, स्कूलों के अंतर्गत 8.796 हेक्टेयर (शैक्षणिक सुविधाओं का 16.762%), प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत 6.410 हेक्टेयर (शैक्षणिक सुविधाओं का 12.215%), और प्रस्तावित शैक्षिक भू-उपयोग में 0.859 हेक्टेयर क्षेत्र विश्वविद्यालय के रूप में विद्यमान है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 3.13 हेक्टेयर की सार्वजनिक उपयोगिताओं को इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है।

अधिकांश धार्मिक भू-उपयोग अर्थात 2.743 हेक्टेयर भू-उपयोग के रूप में विकसित किया गया है जबकि 1.42 हेक्टेयर मिश्रित अभी भी खाली है। यह देखा गया है कि 43.811 हेक्टेयर (प्रस्तावित केंद्रीय गतिविधि भू-उपयोग का 58.94%) अभी भी अविकसित है जबकि इस 17.545 हेक्टेयर की आवासीय गतिविधि प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक भू-उपयोग में विकसित की गई है। यह उल्लेख करना उचित है कि प्रस्तावित सामुदायिक सेवाओं के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में से 64.592 हेक्टेयर अभी भी अविकसित हैं। निर्माणाधीन बांदा बायपास रोड के दक्षिणी हिस्से में हटेतीपुरवा में एक सॉलिड वेस्ट डंप साइट स्थित है। प्रस्तावित सार्वजनिक और

अर्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग के तहत भूमि मे हुये वर्तमान भूमि विकास नीचे दी गई तालिका में विस्तृत किया गया है।

तालिका 6.11: प्रस्तावित सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग के तहत विद्मान विकास

क्रमांक	उप वर्ग	शिक्षात्मक	सार्वजनिक सुविधाये	प्रस्तावित केंद्रीय गतिविधि	प्रस्तावित सामुदायिक सेवाएं	धार्मिक	योग	प्रतिशत
1	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण	0.005					0.005	0.002
2	मनोरंजन/थीम पार्क				1.933		1.933	0.839
3	बैंक			0.155			0.155	0.067
4	चर्च					1.212	1.212	0.526
5	महाविद्यालय	23.456			7.044	0.070	30.571	13.274
6	वाणिज्यिक और शैक्षिक	0.226					0.226	0.098
7	कृषि भूमि	0.621		15.193	30.958		46.772	20.309
8	नाला			0.267	0.016		0.283	0.123
9	इलेक्ट्रिक पावर प्लांट		0.005				0.005	0.002
10	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन		3.130				3.130	1.359
11	फंक्शन हॉल / मैरिज गार्डन				0.010	0.303	0.313	0.136
12	सामान्य व्यापार			1.475			1.475	0.640
13	सरकारी संपत्ति		0.055	0.030			0.086	0.037
14	सरकार अस्पताल	7.411					7.411	3.218
15	होटल / लॉज / रेस्टोरेंट	0.011					0.011	0.005
16	आवास योजना			0.559	2.713		3.272	1.421
17	अनौपचारिक दुकान				0.000		0.000	0.000
18	लेआउट / प्लॉटेड	0.123		0.017	2.812	0.090	3.042	1.321
19	मेजर सिटी रोड	0.092				0.004	0.096	0.042
20	बाजार (दैनिक और साप्ताहिक) / मंडी			0.082			0.082	0.036
21	धँसाऊ			0.850			0.850	0.369
22	माइनर सिटी रोड	0.572	0.003	3.512	1.435	0.073	5.596	2.430
23	मस्जिद	0.003				0.250	0.253	0.110
24	अन्य उद्योग				0.089		0.089	0.039
25	अन्य निजी सड़क				1.923		1.923	0.835
26	अन्य सार्वजनिक सड़क	0.116	0.254				0.370	0.161
27	पार्क	0.011			0.001		0.012	0.005
28	पेट्रोल पंप / एलपीजी फिलिंग स्टेशन	0.162					0.162	0.070
29	वृक्षारोपण	0.069			2.794		2.863	1.243
30	खेल का मैदान				2.034		2.034	0.883
31	तालाब_भरे				1.170		1.170	0.508
32	निजी कार्यालय	0.003					0.003	0.001
33	निजी खाली	1.850	0.000	22.804	18.768	1.330	44.752	19.432
34	सार्वजनिक पुस्तकालय				0.279		0.279	0.121

क्रमांक	उप वर्ग	शिक्षात्मक	सार्वजनिक सुविधाये	प्रस्तावित केंद्रीय गतिविधि	प्रस्तावित सामुदायिक सेवाएं	धार्मिक	योग	प्रतिशत
35	आवासीय	0.149					0.149	0.065
36	आवासीय व्यावसायिक	0.037	0.010	0.341	0.363	1.304	2.055	0.892
37	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	3.920	0.153	16.645	6.506	1.084	28.308	12.292
38	खुदरा	0.385		2.303	0.216	0.052	2.956	1.284
39	स्कूल	5.283		2.579	0.934		8.796	3.819
40	स्क्रब भूमि (झाड़ीदार)	0.593		4.947	8.919	0.154	14.613	6.345
41	सेवा	0.006		0.000	0.155	0.000	0.161	0.070
42	एसजी_ऑफिस	0.307	0.639		0.715	0.003	1.664	0.723
43	एसजी_क्वार्टर				0.079		0.079	0.034
44	शॉपिंग सेंटर / मॉल			0.190			0.190	0.083
45	स्टेडियम	0.001					0.001	0.000
46	भंडारण गोदाम	0.547			0.005		0.552	0.240
47	टैंक_भरा	0.014					0.014	0.006
48	मंदिर	0.005				0.154	0.159	0.069
49	यातायात				0.020		0.020	0.009
50	प्रशिक्षण संस्थान	5.636			0.774		6.410	2.784
51	ट्री क्लैड एरिया			1.966		0.034	2.000	0.868
52	विश्वविद्यालय	0.859					0.859	0.373
53	खाली				0.341		0.341	0.148
54	गांव / आबादी क्षेत्र	0.001		0.134			0.134	0.058
55	ग्रामीण रोड			0.276	0.125		0.401	0.174
	योग	**52.474**	**4.251**	**74.326**	**93.133**	**6.117**	**230.301**	**100.00**

स्रोत: ग्राउंड ट्रुथिंग, 2020 और महायोजना 2021

vi. मनोरंजन (पार्क और खुली जगह)

चित्र 6.6: अवस्थी पार्क

महायोजना-2021 में मनोरंजक गतिविधियों के लिए 411.33 हेक्टेयर प्रस्तावित है जिसमें नगर-पार्क (87.48 हेक्टेयर), प्रखंडिय पार्क (278.05 हेक्टेयर), अंबेडकर पार्क और अवस्थी पार्क और खुले स्थान (7.44 हेक्टेयर) (चित्र 6.6), और हरित पट्टी (38.36 हेक्टेयर) शामिल है। यह नोट करता है कि प्रस्तावित मनोरंजन भू-उपयोग के भीतर 43.968 हेक्टेयर का आवासीय विकास हुआ है। निम्नलिखित मनोरंजन भू-उपयोग विकसित किए गए हैं: नया मनोरंजन पार्क यानी मान्यवर काशीराम पार्क (9.8 हेक्टेयर) नारायणी रोड पर विकसित किया गया है, वन चेतना केंद्र (0.2 हेक्टेयर) (चित्र 6.7 वन चेतना केंद्र के प्रवेश द्वार को दर्शाता है) और पार्किंग (0.2 हेक्टेयर) नवाब टैंक रोड पर विकसित है।

भूरागढ़ किले के चारों ओर संभागीय पार्क विकसित किया गया है और मनोरंजन के उद्देश्य से केन नदी के किनारे 0.507 हेक्टेयर में केन आरती स्थल विकसित किया गया है। इसके साथ ही 0.993 हेक्टेयर भूमि को नारैनी रोड के साथ राजा देवी डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित हुआ है। आगे यह भी नोट किया गया है प्रस्तावित रिंग रोड के साथ कि 60 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के रूप में चिन्हित 0.86 हेक्टेयर भूमि का पुलिस लाइन के लिए उपयोग किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि 307.285 हेक्टेयर अभी भी अविकसित है। प्रस्तावित भू-उपयोग के भीतर विस्तृत हुई निर्माण एवं विकास का वितरण नीचे तालिका 6.12 में दिया गया है;

चित्र 6.7: वन चेतना केंद्र

तालिका 6.12: मनोरंजन भू-उपयोग के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग में किये गये निर्माण और विकास का विवरण

क्रमांक	उप वर्ग	पार्क	प्रस्तावित पार्क	प्रस्तावित हरित पट्टी	प्रस्तावित पार्क और खेल का मैदान	योग	प्रतिशत
1	मनोरंजन/थीम पार्क				0.094	0.094	0.021
2	उपमार्ग		5.401	0.137		5.538	1.219
3	नहर		1.879	0.202		2.081	0.458
4	पक्की सड़क		0.253			0.253	0.056
5	क्लब	0.81				0.809	0.178
6	महाविद्यालय	0.18	0.993		0.007	1.184	0.261
7	वाणिज्यिक और औद्योगिक				0.001	0.001	0.000
8	श्मशान/दफन ग्राउंड/कब्र यार्ड		0.097		0	0.097	0.021
9	कृषि भूमि		111.759	20.161	29.406	161.326	35.514
10	नाली		0.629	0.018	0.084	0.731	0.161
11	परती भूमि		1.647			1.647	0.363
12	फार्म हाउस		0.229			0.229	0.050
13	किला		2.938			2.938	0.647
14	फंक्शन हॉल / मैरिज गार्डन			0.047	0.08	0.127	0.028
15	सामान्य व्यापार			0.164	0.034	0.198	0.044
16	घाट		0.507			0.507	0.112
17	सरकार अस्पताल	0.01				0.01	0.002
18	छात्रावास	0.24				0.236	0.052
19	आवास योजना		3.337		0.408	3.745	0.824
20	ईदगाह				0.044	0.044	0.010
21	द्वीप (नदी/झील)		1.957			1.957	0.431

क्रमांक	उप वर्ग	पार्क	प्रस्तावित पार्क	प्रस्तावित हरित पट्टी	प्रस्तावित पार्क और खेल का मैदान	योग	प्रतिशत
22	लेआउट / प्लॉटेड		8.095	0.002		8.097	1.782
23	मेजर सिटी रोड	0			0.151	0.153	0.034
24	उत्पादन		0.85			0.85	0.187
25	माइनर सिटी रोड	0.29	4.327	0.562	3.339	8.513	1.874
26	स्मारक		0.153			0.153	0.034
27	मस्जिद				0.027	0.027	0.006
28	राष्ट्रीय हाइवे	0.05	0.013			0.064	0.014
29	अन्य उद्योग		0.526		0.18	0.706	0.155
30	अन्य निजी सड़क		1.264	0.244	0.034	1.542	0.339
31	अन्य सार्वजनिक सड़क	0	0.384			0.388	0.085
32	पार्क	1.18	7.018		0.378	8.58	1.889
33	पेट्रोल पंप / एलपीजी फिलिंग स्टेशन		0.27			0.27	0.059
34	वृक्षारोपण		8.263	0.567	1.308	10.138	2.232
35	तालाब_सूखा	0.34	6.949	0.062	0.372	7.727	1.701
36	तालाब_भरे		4.469	0.11	0.308	4.887	1.076
37	मुर्गीपालन फार्म			0.114		0.114	0.025
38	निजी खाली	0.05	14.349	2.104	7.913	24.414	5.374
39	सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय		0.006			0.006	0.001
40	रेलवे संपत्ति				1.073	1.073	0.236
41	रेलवे ट्रैक क्षेत्र		3.221	0.069	0.257	3.547	0.781
42	आवासीय व्यावसायिक	0.02	0.365	0.045	0.136	0.564	0.124
43	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	0.58	14.893	1.615	26.882	43.968	9.679
44	खुदरा			0.047	0.038	0.085	0.019
45	सूखी नदी		1.956	0.94		2.896	0.638
46	नदी_ भरी		1.6	1.783		3.383	0.745
47	चट्टान का		1.056			1.056	0.232
48	रेतीला क्षेत्र		2.324	1.118		3.442	0.758
49	स्कूल	0	0.336	0.008		0.347	0.076
50	स्क्रब भूमि (झाड़ीदार)		93.258	3.244	13.504	110.006	24.216
51	सेवा	0	0.001			0.003	0.001
52	एसजी_ऑफिस	0.1			0.455	0.554	0.122
53	एसजी_क्वार्टर		1.84			1.84	0.405
54	क्रीड़ा स्थल	0.26				0.257	0.057
55	स्टेडियम	2.84				2.842	0.626
56	भंडारण गोदाम		0.01			0.01	0.002
57	स्ट्रीम ड्राई		0.267			0.267	0.059

क्रमांक	उप वर्ग	पार्क	प्रस्तावित पार्क	प्रस्तावित हरित पट्टी	प्रस्तावित पार्क और खेल का मैदान	योग	प्रतिशत
58	स्ट्रीम_भरा		0.179			0.179	0.039
59	स्विमिंग पूल	0.05				0.05	0.011
60	टैंक_भरा	0	0.261			0.265	0.058
61	मंदिर		0.029		0.044	0.073	0.016
62	यातायात द्वीप		0.003			0.003	0.001
63	प्रशिक्षण संस्थान			0.484		0.484	0.107
64	ट्री क्लैड एरिया		4.039	0.021	2.223	6.283	1.383
65	गांव / आबादी क्षेत्र		6.601	0.569		7.17	1.578
66	ग्रामीण रोड		0.743	0.124		0.867	0.191
67	गोदाम		0.046			0.046	0.010
68	सैलाब किया हुआ		2.252	0.07		2.322	0.511
	योग	**7.01**	**323.842**	**34.631**	**88.78**	**454.263**	**100.00**

स्रोत: ग्राउंड ट्रुथिंग, 2020 और महायोजना 2021

vii. यातायात और परिवहन

यातायात और परिवहन (277.21 हेक्टेयर) भू-उपयोग के प्रस्तावों में ट्रांसपोर्ट नगर (प्रयागराज रोड पर), ट्रक टर्मिनल, अंतर-राज्य बस टर्मिनल, वर्तमान और प्रस्तावित सड़क नेटवर्क, वर्तमान बस स्टैंड और रेलवे संपत्ति, बांदा बाईपास (झांसी रोड-) प्रयागराज रोड और नारायणी रोड) शामिल हैं। शहर का वर्तमान सड़क नेटवर्क 102.28 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जबकि प्रस्तावित सड़क नेटवर्क 120.29 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रस्तावित परिवहन नेटवर्क बांदा शहर के समग्र सड़क नेटवर्क की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित है।

चित्र 6.8: मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र में पैदल चलने वालों की आवाजाही

चित्र 6.9: तिंदवारी रोड पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)

वर्तमान सड़क नेटवर्क बरकरार है, जबकि सुझाई गई अधिकांश सड़कों जो शहर के यातायात को डीकंजैस्ट करने के लिए प्रस्तावित हैं, उन्हें वास्तव में क्रियान्वित नहीं किया

गया है। चूंकि प्रस्तावित सड़क नेटवर्क न केवल एक शहर के यातायात को विनियमित और आसान बनाने में मदद करता है बल्कि भविष्य के विकास के लिए दिशा और कंकाल (सकैलटन) भी प्रदान करता है। जैसा कि महायोजना में कल्पना की गई है प्रस्तावित सड़क नेटवर्क के अर्ध-कार्यान्वयन ने न केवल शहर में सुगम यातायात के प्रवाह को बाधित किया है, बल्कि प्रस्तावित विकास को दिशा देने में भी विफल रहा है । विश्लेषण से, यह देखा गया है कि यातायात और परिवहन उपयोग के तहत प्रस्तावित अधिकांश भूमि यथावत है केवल कुछ स्थानों पर भू-उपयोग प्रस्तावों के खिलाफ कुछ नए विकास हुए हैं।

यातायात और परिवहन के तहत भू-उपयोग प्रस्तावों के अलावा, कृषि क्षेत्र में विभिन्न अन्य उच्च गतिशीलता लिंकेज जैसा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (चित्र 6.9) और बांदा बाईपास रोड जो बांदा-झांसी रोड और बांदा-नारायणी रोड को जोड़ता है विकास के चरण में हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बांदा विकास क्षेत्र के भीतर चिल्ला रोड और तिंदवारी रोड के साथ लिंकेज प्रदान करता है। प्रस्तावित सड़क नेटवर्क के अलावा, प्रस्तावित बस/ट्रक टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पर 5.788 हेक्टेयर का आवासीय विकास किया गया है। प्रस्तावित भू-उपयोग के विरूद्ध विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत भूमि का विकास नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 6.13: प्रस्तावित यातायात और परिवहन भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास

क्रमांक	उप वर्ग	वर्तमान सड़क नेटवर्क								वर्तमान बस स्टैंड	प्रस्तावों							रेलवे भूमि	योग	प्रतिशत
		09 एम रोड	12 एम रोड	14 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	45 एम रोड	60 एम सड़क		18 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	60 एम रोड	बस स्टैंड और ट्रक टर्मिनल	परिवहन नगर			
1	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण	0.00	0.01						0.01										0.02	0.01
2	मनोरंजन/ थीम पार्क			0.02				0.37											0.38	0.15
3	बैंकों	0.02	0.00			0.03		0.03	0.03									0.08	0.19	0.07
4	बस स्टैंड / टर्मिनस								0.04	2.26								0.13	२.४३	0.94
5	उपमार्ग							0.49	0.32						0.15				0.97	0.37
6	नहर							0.14	0.08			0.03	0.06		0.55		0.17		1.02	0.39
7	पक्की सड़क																	0.00	0.00	0.00
8	सीजी_ऑफिस	0.00	0.01		0.01														0.02	0.01
9	चर्च					0.06													0.06	0.02

क्रमांक	उप वर्ग	वर्तमान सड़क नेटवर्क								वर्तमान बस स्टैंड	प्रस्तावों							रेलवे भूमि	योग	प्रतिशत
		09 एम रोड	12 एम रोड	14 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	45 एम रोड	60 एम सड़क		18 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	60 एम रोड	बस स्टैंड और ट्रक टर्मिनल	परिवहन नगर			
10	कलीनिक / औषधालय	0.00																	0.00	0.00
11	क्लब								0.01	0.00									0.01	0.00
12	महाविद्यालय	0.00	0.01		0.26			0.14	1.03		0.16	0.21	0.12	0.37				0.05	2.35	0.91
13	वाणिज्यिक और शैक्षिक	0.01							0.02	0.01								0.25	0.29	0.11
14	वाणिज्यिक और औद्योगिक								0.03										0.03	0.01
15	श्मशान/ कब्रिस्तान /कब्र यार्ड	0.04	0.01																0.05	0.02
16	कृषि भूमि	0.00			0.08	0.14	4.64	6.21	7.15		0.90	8.66	0.09	0.13	13.09	1.72	9.52		52.34	20.17
17	धर्मशाला	0.02		0.05														0.01	0.08	0.03
18	नाला		0.00		0.01	0.01	0.01	0.07	0.03		0.01	0.05			0.03	0.23			0.44	0.17
19	इलेक्ट्रिक पावर प्लांट					0.01													0.01	0.01
20	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन								0.26									0.06	0.32	0.12
21	फार्म हाउस				0.04							0.11							0.15	0.06
22	अग्निशमन केंद्र			0.00															0.00	0.00
23	फंक्शन हॉल / मैरिज गार्डन	0.01				0.13	0.12	0.30	0.21			0.18			0.01		0.55	0.03	1.54	0.59
24	सामान्य व्यापार	0.03	0.01			0.07	0.17	0.16	0.51		0.02					0.08		0.04	1.07	0.41
25	घाट					0.16												0.31	0.48	0.18
26	सरकारी संपत्ति					0.47		0.00			0.01								0.48	0.19
27	सरकार अस्पताल				0.09				0.76										0.85	0.33
28	छात्रावास		0.00																0.00	0.00
29	होटल / लॉज / रेस्टोरेंट	0.01		0.08				0.13	0.03								0.35	0.00	0.60	0.23
30	आवास योजना					0.04	1.36	0.11	0.13		0.39		1.08	0.28					3.39	1.31

क्रमांक	उप वर्ग	वर्तमान सड़क नेटवर्क								वर्तमान बस स्टैंड	प्रस्तावों							रेलवे भूमि	योग	प्रतिशत
		09 एम रोड	12 एम रोड	14 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	45 एम रोड	60 एम सड़क		18 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	60 एम रोड	बस स्टैंड और ट्रक टर्मिनल	परिवहन नगर			
31	ईदगाह		0.02					0.07											0.09	0.03
32	अनौपचारिक दुकान		0.00						0.09										0.09	0.03
33	जेल					0.08													0.08	0.03
34	लेआउट / प्लॉटेड								0.25		0.46	0.20							0.90	0.35
35	निचला क्षेत्र											0.11							0.11	0.04
36	मेजर सिटी रोड	3.00	1.42	0.01	1.89	1.44	1.03	0.51	1.89		0.45	0.39			0.01			0.11	12.14	4.68
37	प्रमुख जिला रोड							3.51											3.51	1.35
38	उत्पादन		0.01	0.01				0.09			0.00							0.00	0.12	0.05
39	बाजार (दैनिक और साप्ताहिक) / मंडी					0.27					0.02								0.29	0.11
40	दलदली										0.05								0.05	0.02
41	मिडियन	0.03	0.01			0.35	0.00	0.32	0.43		0.01			0.01					1.18	0.45
42	माइनर सिटी रोड	2.14	1.07	0.28	0.10	0.35	1.96	0.30	0.25		0.77	0.97	0.04	0.29	0.39	0.45	0.28	0.27	9.90	3.82
43	मस्जिद	0.00	0.00																0.00	0.00
44	राष्ट्रीय हाइवे	0.00	0.02	1.14	0.02	3.20		9.19	5.28	0.00				0.04				0.00	18.89	7.28
45	अन्य जिला रोड							0.03	0.61										0.64	0.25
46	अन्य उद्योग	0.00	0.00					0.10	0.40										0.51	0.20
47	अन्य निजी सड़क	0.00				0.01	0.03	0.05	0.13			0.15		0.01	0.15				0.54	0.21
48	अन्य सार्वजनिक सड़क	0.00		0.00	0.02	0.01		0.04	0.00	0.07									0.15	0.06
49	पार्क	0.00						0.16	0.17				0.25					0.01	0.59	0.23
50	पार्किंग की जगह / क्षेत्र	0.00		0.01		0.11		0.02	0.02										0.17	0.07
51	पेट्रोल पंप / एलपीजी फिलिंग स्टेशन			0.03		0.06		0.22	0.37							0.16			0.85	0.33
52	वृक्षारोपण				0.03		0.67	0.07	0.34			1.09			0.56				2.75	1.06

क्रमांक	उप वर्ग	वर्तमान सड़क नेटवर्क								वर्तमान बस स्टैंड	प्रस्तावों							रेलवे भूमि	योग	प्रतिशत
		09 एम रोड	12 एम रोड	14 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	45 एम रोड	60 एम सड़क		18 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	60 एम रोड	बस स्टैंड और ट्रक टर्मिनल	परिवहन नगर			
53	खेल का मैदान								0.10		0.08								0.18	0.07
54	पुलिस स्टेशन	0.01	0.04					0.00											0.05	0.02
55	तालाब_सूखा					0.08		0.30							0.09				0.48	0.18
56	तालाब_भरे				0.06		0.09	0.31	0.00		0.01	0.18			0.09		0.03		0.77	0.30
57	डाक/टेलीग्राफ कार्यालय								0.01									0.13	0.14	0.05
58	मुर्गीपालन फार्म											0.01							0.01	0.01
59	निजी अस्पताल		0.00			0.01													0.02	0.01
60	निजी कार्यालय	0.01																	0.01	0.00
61	निजी खाली	0.05	0.04	0.01	0.16	0.88	1.95	4.61	3.98	0.00	0.85	2.69		1.53	2.05	4.66	1.11	0.13	24.70	9.52
62	सार्वजनिक पुस्तकालय								0.26		0.03								0.30	0.11
63	रेलवे संपत्ति								0.04	0.38								6.32	6.73	2.60
64	रेलवे स्टेशन																	4.23	4.23	1.63
65	रेलवे ट्रैक क्षेत्र	0.00	0.01			0.27	0.05	0.14	0.07		0.51	0.01			0.07			13.37	14.49	5.58
66	आवासीय																	0.02	0.02	0.01
67	आवासीय व्यावसायिक	1.12	0.34	0.33	0.18	1.79	0.15	1.43	0.89		0.06	0.19		0.09	0.06			0.17	6.79	2.62
68	आवासीय और वाणिज्यिक और स्वास्थ्य सेवाएं								0.00										0.00	0.00
69	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	1.93	0.99	0.04	1.23	3.49	2.82	4.53	3.92	0.04	1.43	3.76		1.45	1.30	0.78	3.46	0.48	31.64	12.19
70	खुदरा बाजार	0.43	0.07	0.27	0.89	2.04	0.13	2.05	1.16			0.10		0.02				0.30	7.46	2.87
71	नदी_भराव					0.11												0.13	0.24	0.09

क्रमांक	उप वर्ग	वर्तमान सड़क नेटवर्क								वर्तमान बस स्टैंड	प्रस्तावों							रेलवे भूमि	योग	प्रतिशत
		09 एम रोड	12 एम रोड	14 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	45 एम रोड	60 एम सड़क		18 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	60 एम रोड	बस स्टैंड और ट्रक टर्मिनल	परिवहन नगर			
72	रेल के पार सड़क पुल			0.35		0.18			1.27									0.00	1.81	0.70
73	चट्टान					0.04												0.04	0.08	0.03
74	रेतीला क्षेत्र					0.05												0.09	0.14	0.05
75	स्कूल	0.05	0.01	0.01		0.04		0.12	0.05				0.04					0.66	0.99	0.38
76	स्क्रब भूमि (झाड़ीदार)					0.98	0.58	1.52	0.61		0.34	0.11		0.13	1.63	0.15		0.17	6.20	2.39
77	सर्विस	0.00	0.00	0.09		0.15			0.34	0.39								0.16	1.13	0.43
78	एसजी_ऑफिस	0.06	0.02	0.04	0.42			1.30	2.34	0.00	0.03								4.21	1.62
79	एसजी_ क्वार्टर	0.03		0.03	0.68	0.50		0.03	0.83		0.37								2.48	0.96
80	शॉपिंग सेंटर / मॉल		0.00			0.02		0.01											0.03	0.01
81	क्रीड़ा स्थल					0.02													0.02	0.01
82	स्टेट हाईवे					२.४२	0.07	2.78	1.72										6.99	2.69
83	भंडारण/ गोदाम	0.02			0.07			0.15	0.30									0.22	0.76	0.29
84	दलदल क्षेत्र																	0.16	0.16	0.06
85	टैंक_भरा			0.03		0.01													0.04	0.01
86	टेलिफ़ोन एक्सचेंज		0.01																0.01	0.01
87	मंदिर	0.02	0.01		0.03				0.01			0.01							0.08	0.03
88	कपड़ा मील								0.95										0.95	0.37
89	यातायात	0.01	0.01	0.02					0.03										0.05	0.02
90	प्रशिक्षण संस्थान					0.24									0.49				0.73	0.28
91	ट्री क्लैड एरिया					0.01	0.26		0.27		0.15								0.69	0.27
92	विश्वविद्यालय	0.07																	0.07	0.03
93	खाली								0.64										0.64	0.25
94	गांव / आबादी क्षेत्र					0.07	0.78	4.60	0.94			0.08		0.30	0.56	1.54			8.86	3.42
95	ग्रामीण रोड					0.00	0.01	0.16	0.10		0.00	0.02			0.21				0.50	0.19
96	गोदाम			0.01				0.10	0.39									0.00	0.50	0.19
97	जल पम्पिंग स्टेशन	0.00	0.03					0.04											0.07	0.03

क्रमांक	उप वर्ग	वर्तमान सड़क नेटवर्क								वर्तमान बस स्टैंड	प्रस्तावों							रेलवे भूमि	योग	प्रतिशत
		09 एम रोड	12 एम रोड	14 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	45 एम रोड	60 एम सड़क		18 एम रोड	24 एम रोड	30 एम रोड	36 एम रोड	60 एम रोड	बस स्टैंड और ट्रक टर्मिनल	परिवहन नगर			
98	वाटर लोगड		0.01												0.04				0.05	0.02
99	थोक					0.00		0.00											0.00	0.00
	योग	9.13	4.19	2.87	6.24	20.37	16.87	47.00	42.08	3.16	7.11	19.31	1.69	4.67	21.52	9.78	15.45	28.11	259.54	100.0

स्रोत: ग्राउंड ट्रुथिंग, 2020 और महायोजना 2021

चित्र 6.10: **बांदा शहर में जल निकाय**

अन्य उपयोग/प्रस्ताव

अन्य भू-उपयोग में कृषि भूमि, कब्रिस्तान / श्मशान भूमि, पहाड़ियाँ, बाग, सीवेज फार्म, नदी और जल निकाय शामिल हैं (चित्र 6.10) महायोजना प्रस्ताबनाओं से विचलन का विश्लेषण नीचे किया गया है। यह देखा गया है कि 18.96 हेक्टेयर प्रस्तावित अन्य भू- उपयोग के आवासीय भूमि के रूप में विकसित की गयी है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आवासीय उपयोग के रूप में 11.75 हेक्टेयर विकास (निजी रिक्त और लेआउट / प्लॉट) के अधीन हैं। सार्वजनिक उपयोगिताओं के हिस्से के रूप में पहाड़ी के ऊपर 0.55 हेक्टेयर का जल उपचार संयंत्र (चित्र 6.11) भी विकसित किया गया है। तिंदवारी रोड और बबेरू रोड पर

चित्र 6.11: जल उपचार संयंत्र, बुंबेश्वर

बागों के रूप में चिन्हित क्षेत्र में मैरिज पैलेस जैसी व्यावसायिक गतिविधियों का विकास हुआ है। जल निगम विभाग द्वारा कांवड़ा रोड पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। प्रस्तावित भू-उपयोग के विरुद्ध भूमि विकास को नीचे तालिका में विवरण में दिखाया गया है;

तालिका 6.14: प्रस्तावित अन्य भू-उपयोग के तहत भूमि का विकास

क्रमांक	उप वर्ग	ऑर्चर्ड	सीवेज फार्म	जल निकायों	पहाड़ी	नहर	खेती की जमीन	कब्रिस्तान	श्मशान घाट	योग	प्रतिशत
1	मनोरंजन/थीम पार्क	0.93		0.05						0.98	0.50
2	उपमार्ग					0.02	0.08			0.10	0.05
3	नहर					8.72				8.72	4.46
4	श्मशान/दफन ग्राउंड/कब्र यार्ड	0.01						1.54	2.24	3.78	1.93
5	कृषि भूमि	11.10	0.05	0.99	0.01	0.34	58.64	0.97	0.01	72.09	36.82
6	नाली	0.02		0.05			0.04			0.11	0.06
7	परती भूमि									0.00	0.00
8	फंक्शन हॉल / मैरिज गार्डन	0.43								0.43	0.22
9	घाट									0.00	0.00
10	नाली								0.16	0.16	0.08
1 1	पहाड़ी / पहाड़				8.90					8.90	4.54
12	होटल / लॉज / रेस्टोरेंट	0.09								0.09	0.04
13	आवास योजना	0.00		0.02						0.02	0.01
14	ईदगाह								0.01	0.01	0.00
15	द्वीप (नदी/झील)									0.00	0.00
16	मेजर सिटी रोड	0.03		0.00						0.03	0.01
17	धँसाऊ	0.25						0.01		0.26	0.13
18	माइनर सिटी रोड	0.41		0.31	0.02	0.03	0.57	0.12	0.06	1.51	0.77
19	मस्जिद							0.02		0.02	0.01
20	राष्ट्रीय हाइवे					0.01				0.01	0.00
21	अन्य निजी सड़क	0.03					0.52	0.05		0.59	0.30
22	अन्य सार्वजनिक सड़क	0.15								0.15	0.08
23	पार्किंग की जगह / क्षेत्र	0.14								0.14	0.07
24	वृक्षारोपण	2.69		0.02		0.02	2.73			5.46	2.79
25	तालाब_सूखा	0.01	3.87	4.48			0.33			8.69	4.44
26	तालाब_भरे	0.99		6.56			0.52	0.07		8.14	4.16
27	मुर्गीपालन फार्म		0.01							0.01	0.00
28	निजी खाली	3.47		0.24	0.09	0.15	3.77	2.91	0.46	11.07	5.66
29	रेलवे ट्रैक क्षेत्र			0.13		0.01	0.76			0.91	0.46
30	आवासीय	0.21						0.01		0.22	0.11
31	आवासीय व्यावसायिक	0.39		0.03				0.02		0.43	0.22
32	आवासीय क्षेत्र / कॉलोनी	5.41	0.19	3.46	5.37	0.08	1.63	0.71	0.37	17.22	8.80
33	खुदरा	0.12					0.07	0.00		0.19	0.10
34	रिवर ड्राई								0.04	0.04	0.02
35	नदी_भरा									0.00	0.00
36	चट्टान का									0.00	0.00

क्रमांक	उप वर्ग	ऑर्चर्ड	सीवेज फार्म	जल निकायों	पहाड़ी	नहर	खेती की जमीन	कब्रिस्तान	श्मशान घाट	योग	प्रतिशत
37	रेतीला क्षेत्र									0.00	0.00
38	स्कूल	0.02								0.02	0.01
39	स्क्रब भूमि (झाड़ीदार)	5.43		1.76	0.12		5.30	3.52	0.01	16.13	8.24
40	सेवा							0.03	0.00	0.03	0.01
41	एसजी_ऑफिस	7.38		0.12						7.50	3.83
42	एसजी_क्वार्टर	0.67		0.02						0.69	0.35
43	स्टेट हाईवे					0.01				0.01	0.00
44	स्ट्रीम_भरा									0.00	0.00
45	दलदल क्षेत्र			0.77						0.77	0.39
46	टैंक_भरा			12.40						12.40	6.33
47	मंदिर			0.03	0.25				0.08	0.36	0.18
48	प्रशिक्षण संस्थान						2.41			2.41	1.23
49	ट्री क्लैड एरिया	1.90							0.49	2.39	1.22
50	खाली			0.68						0.68	0.35
51	गांव / आबादी क्षेत्र	0.63		0.05			0.12	0.26	0.01	1.07	0.54
52	ग्रामीण रोड			0.01		0.00	0.01	0.04	0.01	0.08	0.04
53	गोदाम	0.01								0.01	0.01
54	जल पम्पिंग स्टेशन				0.07					0.07	0.03
55	जल उपचार संयंत्र				0.55					0.55	0.28
56	सैलाब किया हुआ			0.20						0.20	0.10
	योग	**42.88**	**4.12**	**32.38**	**15.36**	**9.39**	**77.49**	**10.27**	**3.93**	**195.81**	**100.00**

स्रोत: ग्राउंड ट्रुथिंग, 2020 और महायोजना 2021

6.2.3 **प्रस्तावित भू-उपयोग से विचलन डेवियेशनज और उनके तहत क्षेत्र**

बांदा महायोजना 2021 का मूल्यांकन 2005 में महायोजना के प्रकाशन के बाद हुए विकास की सीमा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। परिवर्तनों का मूल्यांकन वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र 2003 को आधार के रूप में लिया गया है। यह नोट किया गया है कि बड़ी संख्या में परिवर्तन/निर्माण हुए हैं जो बांदा `महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुरूप हैं। इसलिए इन कंस्ट्रक्शन/एडिशन्स को महायोजना प्रस्तावों से विचलन के रूप में नहीं माना गया है। केवल उन उपयोगों/भवनों को विचलन माना गया है जो प्रस्तावित भू-उपयोग के प्रतिकूल हैं। एडिशन्स और डेविएशन्स नीचे तालिका 6.15 में दिखाए गए हैं:

तालिका 6.15: महायोजना 2003-2021 के अनुसार एडिशन्स और डेविएशन्स

		महायोजना 2003-2021 के अनुसार		भू-उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर				
क्रम संख्या	भू-उपयोग	वर्तमान भू-उपयोग 2003 (ए)	प्रस्तावित भू-उपयोग 2021 (बी)	निर्मित क्षेत्र वर्तमान भू-उपयोग 2021 (सी)	वर्तमान भू-उपयोग 2003 पर अतिरिक्त निर्मित डी = (सी-ए)	शेष ई = (बी- (ए + डी))	विचलन (एफ)भू-उपयोग के अतिरिक्त हुआ विकास	भ-उपयोग श्रेणी 'जी' की वर्तमान स्थिति = (ए+डी+एफ)
1	आवासीय	415.77	1022.47	813.15	397.38	209.32	126.57	939.72
2	वाणिज्यिक	28.58	42.36	154.13	125.55	-111.77	24.51	178.64
3	औद्योगिक	42.8	104.24	57.35	14.55	46.89	2.64	59.99
4	सरकारी कार्यालय	54.61	94.08	108.27	53.66	-14.19	19.85	128.12
5	सामुदायिक सेवाएं और उपयोगिता	59.51	230.3	622.19	562.68	-391.89	18.77	640.96
6	मनोरंजन	21.22	454.26	22.86	1.64	431.4	0.62	23.48
7	यातायात और परिवहन	102.28	258.86	658.6	556.32	-399.74	2.39	660.99
	योग	**724.77**	**2206.57**	**2436.55**	**1711.78**	**-229.98**	**195.35**	**2631.9**
8	अन्य (कृषि)	71.22	206.21	1159.09	1087.87	-952.88	11.3	1170.39
	योग	**795.99**	**2412.78**	**3595.64**	**2799.65**	**-1182.86**	**206.65**	**3802.29**

नोट 1: वर्तमान भू-उपयोग 2003 पर अतिरिक्त निर्माण :- भू-उपयोग के अनुरूप भू-उपयोग का क्षेत्र लेकिन 2003 के बाद विकसित किया गया

नोट 2: विचलन:- अन्य क्षेत्रों में गैर-अनुरूप उपयोग के तहत क्षेत्र जैसे वाणिज्यिक, यातायात और परिवहन, मनोरंजन आदि में आवासीय उपयोग।

नोट 3: बाँदा महायोजना 2031 का वर्तमान भू-उपयोग अमृत के दिशानिर्देश अनुसार बनाया गया है। वर्तमान भू उपयोग में मिश्रित भू-उपयोग भी दर्शाया गया है। तालिका 6.15 की गणना के लिए मिश्रित भू-उपयोग को आवासीय भू-उपयोग तथा व्यावसायिक भू-उपयोग में सम्लित किया गया है।

यह देखा गया है कि आवासीय क्षेत्र के भीतर विद्मान भू-उपयोग 2003 में 397.38 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा गया है। यह भी देखा गया है कि आवासीय क्षेत्र के भीतर 126.57 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भू-उपयोग क्षेत्रों में जोड़ा गया है। भू-उपयोग प्रस्तावों के विचलन के रूप में आवासीय भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति वर्तमान में 939.72 हेक्टेयर है। वाणिज्यिक भू-उपयोग में 125.55 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र वर्तमान भू-उपयोग 2003 में जोड़ा गया है। इसके अलावा वाणिज्यिक क्षेत्र के भीतर 24.51 हेक्टेयर क्षेत्र अन्य भू-उपयोग क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रस्तावों के विचलन के रूप में जोड़ा गया है। वाणिज्यिक भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति वर्तमान में 178.64 हेक्टेयर है। औद्योगिक भू-उपयोग में 14.55 हेक्टेयर क्षेत्र अभी भी वर्तमान भू-उपयोग 2003 से अधिक अप्रयुक्त है। इसके अलावा 2.64 हेक्टेयर क्षेत्र को अन्य भू-उपयोग में भू-उपयोग प्रस्तावों के विचलन के रूप में जोड़ा गया है। औद्योगिक भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति 59.99 हेक्टेयर है। सरकारी भू-उपयोग में वर्तमान भू-उपयोग 2003 में 53.66 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा गया है। इन परिवर्धन के अलावा सरकारी क्षेत्र के भीतर; अन्य भू-उपयोग क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रस्तावों के विचलन के रूप में 19.85 हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ा गया है। सरकारी भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति 128.12 हेक्टेयर है। सामुदायिक सेवाओं और उपयोगिता भू-उपयोग में वर्तमान भू-उपयोग 2003 में 562.68 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा गया है। इसके अलावा सामुदायिक सेवाओं और उपयोगिता क्षेत्र के भीतर 18.77 हेक्टेयर क्षेत्र अन्य भू-उपयोग क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रस्तावों के विचलन के रूप में जोड़ा गया है। सामुदायिक सेवाओं और उपयोगिता भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति वर्तमान में 640.96 हेक्टेयर है। मनोरंजन भू-उपयोग में वर्तमान भू-उपयोग 2003 में 1.64 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा गया है। मनोरंजन क्षेत्र के भीतर इन अतिरिक्त के अलावा; भू-उपयोग प्रस्तावों के विचलन के रूप में अन्य भू-उपयोग क्षेत्रों में 0.62 हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ा गया है। मनोरंजन भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति आज 23.48 हेक्टेयर है। यातायात और परिवहन में भू-उपयोग में 556.32 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र वर्तमान भू-उपयोग 2003 में जोड़ा गया है। यातायात और परिवहन क्षेत्र के भीतर इन परिवर्धन के अलावा; भू-उपयोग प्रस्तावों के विचलन के रूप में अन्य भू-उपयोग क्षेत्रों में 2.39 हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ा गया है। यातायात और परिवहन भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति वर्तमान में 660.99 हेक्टेयर है। अन्य भू-उपयोग क्षेत्र में (इसमें मुख्य रूप से कृषि शामिल है); वर्तमान भू-उपयोग 2003 में 1087.87 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा गया है। इसके अलावा अन्य भू-उपयोग क्षेत्र के भीतर 11.30 हेक्टेयर क्षेत्र अन्य भू-उपयोग क्षेत्र में भू-उपयोग प्रस्तावों के विचलन के रूप में जोड़ा गया है। अन्य भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति 1170.39 हेक्टेयर है।

बांदा शहर का प्राकृतिक विकास चिल्ला रोड और तिंदवारी रोड के बीच हुआ है। यह देखा गया है कि चिल्ला रोड पर और भी निर्माण हो रहे हैं जिसमें भंडारण गोदाम, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन आदि। इसके इलावा दूरसंचार नियंत्रण (रिलायंस फाइबर) नवनिर्मित बाईपास के साथ विकसित हैं। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, सर्किट हाउस, खनन विभाग कार्यालय आदि के कृषि भू-उपयोग में विकसित किये गये है। प्रस्तावों के बाहर शैक्षिक सस्थाओं में दुरेंदी में जवाहर नवोदय विद्यालय और नरैनी रोड पर सरकारी मेडिकल कॉलेज, बांदा शामिल हैं। ग्राम चहितारा में 20 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी विकसित किया गया है। इसके अलावा बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा चीला रोड और तिंदवारी रोड के बीच 36 मीटर सड़क पर निमनीपार में एक आवास योजना विकसित की जा रही है और नारायणी रोड पर दो आवासीय योजनाएं है। अन्य प्रमुख विकासों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, शहर के उत्तर और दक्षिण दिशा में बाईपास सड़कें, कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड (भंडारण गोदाम) और झांसी रोड पर इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन शामिल हैं। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बांदा महायोजना -2021 के प्रस्तावित भू-उपयोग मे वर्तमान मे हुये निर्माण और विकास लगभग 8.56% का विचलन (डैवियेशन) हुआ है।

6.2.7 सारांश

वर्ष 2011 के लिए बांदा महायोजना -2021 के अनुसार शहर की अनुमानित जनसंख्या 2,04,796 थी जबकि जनगणना के अनुसार, यह जनसंख्या 1,60,473 (वर्ष 2011) थी जो 21.64 प्रतिशत का विचलन दर्शाती है। चूंकि अधिसूचना संख्या 3344/9-6-2016-09 सीवी/2005 लखनऊ दिनांक 19.09.2016 के तहत बांदा शहर नगरपालिका सीमाओं का संशोधन किया गया था, अत: संशोधित नगरपालिका सीमा के अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या 1,98,198 रही, अत: इससे केवल 3.22 प्रतिशत का विचलन ही रह गया है। बांदा महायोजना में, वर्ष 2021 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2,71,216 थी, जबकि विस्तारित नगरपालिका सीमा की जनसंख्या 2,88,252 अनुमानित है जो 6.28 प्रतिशत का विचलन दर्शाती है।

अध्याय 7
नियोजन की समस्याएं

7.1 प्रमुख समस्याएं जैसे, मिश्रित और गैर-अनुरूप भूमि उपयोग, यातायात और परिवहन, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा-प्रवण क्षेत्र आदि।

भूमि उपयोग के गुणात्मक पहलू का आकलन करने के लिए भूमि उपयोग की अनुकूलता एक अनिवार्य घटक है। क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग से पता चलता है कि कुछ भूमि उपयोग हैं जो आसपास के भूमि उपयोग के अनुकूल नहीं हैं। विकास क्षेत्र के भीतर विभिन्न पक्षों पर, भूमि उपयोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल के भीतर आवासीय, आवासीय क्षेत्रों के भीतर कृषि आधारित उद्योग आदि हैं, जिससे क्षेत्र के निवासियों को समस्याएं पैदा हो रही हैं।

7.2 भौतिक विस्तार के प्रवृति और विकास की संभावनाएं

नगर नरिनी रोड, निमनीपार पर नगरपालिका सीमा तक विकसित हो गया था, जबकि नगरपालिका सीमा के पार तिंदवारी रोड, बबेरू रोड और चिल्ला रोड के साथ नवनिर्मित बांदा बाईपास रोड तक। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि निमनीपार में नगरपालिका सीमा के बाहर नई आवास योजनाएं विकसित की जा रही हैं, नरैनी रोड पर दो योजनाएं और एपीएमसी के पीछे एक योजना तिंदवारी रोड और चिल्ला रोड को जोड़ने वाली प्रस्तावित 36 मीटर सड़क के साथ विकसित की जा रही हैं। यह भी देखा गया है कि चिल्ला रोड और बबेरू रोड के बीच बांदा बाईपास रोड के साथ नई नियोजित खाली भूमि का अधिकांश हिस्सा मौजूद है जो रैखिक लीनीयर विकास की संभावना को दर्शाता है।

7.3. प्रमुख विकास मुद्दे/चुनौतियां

- बुनियादी ढांचे में राजय और पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा निवेश का निम्न स्तर।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाने के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव।
- प्रस्तावित सड़क नेटवर्क के मुकाबले शहरी फैलाव में वृद्धि।
- बबेरू रोड और नारायणी रोड के बीच बाइपास पर विकास कार्य प्रगति पर है।
- नगर और उसके आसपास खुले नालों की उपस्थिति।
- पर्यटन गतिविधियों की अपर्याप्तता और वर्तमान स्थानों का खराब उपयोग।
- पर्याप्त पार्किंग स्थान और संगठित वाणिज्यिक क्षेत्रों का अभाव।

7.4 SWOT विश्लेषण

सामर्थ्य:

i. उत्कृष्ट भौतिक संपर्क, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (उरई, राठ, चित्रकूट), उत्तर मध्य रेलवे कनेक्टिविटी, एनएच 35 और एनएच 335।
ii. विकास क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्र में जल संसाधनों की उपलब्धता।
iii. पर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना।
iv. हरित/सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता।

अवसर:

i. प्रमुख सड़क प्रणालियों के माध्यम से कनेक्टिविटी
ii. भोजन, सब्जियों, दूध/डेयरी उत्पादों की प्रचुर उपलब्धता
iii. कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अवसर।
iv. कानपुर और आसपास के क्षेत्र से स्पील ओवर उद्योगों को समायोजित करने की क्षमता।
v. कम जमीन की दरें उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराएगी।
vi. औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहण हेतु भूमि की उपलब्धता।
vii. निर्माण उद्योग आधारित रोजगार के अवसरों की संभावना।

कमजोरी:

i. गैर-कार्यरत आश्रित आबादी के बड़े हिस्से के साथ कार्य भागीदारी अनुपात कम है।
ii. व्यापक सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का अभाव।
iii. शहर के कोर एरिया में पार्किंग की खराब सुविधा।
iv. शहर में हरित स्थानों की कमी
v. क्षेत्र में कम साक्षरता दर

आशंकायें

i. सीवरेज सिस्टम नहीं होने से भूजल दूषित हो रहा है।
ii. शहर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बाढ़ का खतरा है।
iii. कोर एरिया में ट्रैफिक जाम से वायु प्रदूषण होता है।

अध्याय 8

महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

महायोजना तैयार करने के पूरे अभ्यास का अंतिम उत्पाद शहरी भू-उपयोगकर्ताओं के लिए शहरी नियोजन के सुदृढ़ सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तावित भू-उपयोगों को प्रतिपादित करना है। मुख्य भू-उपयोग में अनुमत उप-उपयोगों की अनुमति के प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागु करने और प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु जोनिग विनियमों की प्रस्तावनाओं को सुदृढ़ विकास नियंत्रन विनियमों के प्रारूप में किया जाना आवश्यक है। महायोजना की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांदा के लिए एक विजन 2031 तैयार किया गया है।

8.1 द्रष्टि

विजन

"नागरिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए समृद्धि, खुशी और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, बांदा को एक रेसिलिएंट शहर के रूप में विकसित करना"

इस विजन में बांदा को एक रेसिलिएंट, शहर के रूप में विकसित करने के लिए भागीदारी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, ताकि यह शहर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और होने वाले किसी भी नुकसान से उबर सके। इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी क्षमता विकसित करनी होगी। अत: 2 जुलाई, 2021 को आयुक्त चित्रकूट संभाग की अध्यक्षता में एक हितधारकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बैठक में शहर के विकास की दिशा और दशा को लेकर सुझाव प्राप्त हुए। बांदा को एक रेसिलिएंट शहर के रूप में विकसित करने के लिए नागरिक भागीदारी के माध्यम से प्रदर्शनी के अवलोकन एवं प्राप्त अप्पति एवं सुझाव के अध्ययन के उपरांत बाँदा शहर में स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए समृद्धि, खुशी और स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रस्ताव दिए गए हैं।

8.2 उद्देश्य (विजन को साकार करने के लिए निति निर्धारण)

8.2.1 भू- उपयोग प्रस्ताव

भू- उपयोग प्रस्तावों को निम्नलिखित तथ्यों और सिद्धांतों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है;

- महायोजना , 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग

- विकास वृद्धि प्रवृत्तियाँ अर्थात नगर पालिका परिषद सीमा के भीतर और शेष विकास क्षेत्र में हुये विस्तार की प्रवृत्तियाँ या दिशाएँ,
- भौतिक विकास की प्रवृत्ति के अनुसार उभरते भू-उपयोग,
- 2031 के लिए अनुमानित जनसंख्या और URDPFI दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानित जनसंख्या के लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का आकलन एवं अनुमानित जनसंख्या की आवश्यकताएं,
- स्वोट (SWOT) विश्लेषण,
- हितधारकों के सुझाव,

शहरी नियोजन के उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, प्रस्तावित भू-उपयोग, उनकी स्थिती और उनके विस्तार पर काम किया गया है और इन्हें बांदा महायोजना, 2031 में उल्लिखित किया गया है।

8.2.1.1 आवासीय विकास

1. आवासीय: प्लॉट और फ्लैट दोनो तरह के आवासीय विकास के लिए महोल्ला दृष्टिकोण,
2. हाल ही में महामारी कोविड 19 के दौरान हुए रिवर्स माइग्रेशन को ध्यान में रखते हुए शहरी गरीबों को शामिल करते हुए आवासीय विकास,
3. मलिन बस्तियों का सुधार और पुनर्वास
4. मिश्रित पुनर्विकास शहर के कोर क्षेत्र का पुनरोद्धार

8.2.1.2 वाणिज्यिक विकास

1. स्थानीय पारंपरिक बाजारों को बनाए रखना और मजबूत करना, पारंपरिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना के साथ साथ पैदल चलने को बढ़ावा देना।
2. सुविधा दुकानों से शहरी केंद्र तक एक श्रेणीबद्ध क्रम (हाईरारकी) में वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए प्रावधान और प्रत्येक श्रेणी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निर्दिष्ट करना।
3. वेयरहाउसिंग और भंडारण के लिए परिवहन लोजिस्टिक्स व्यवस्था प्रदान करना।
4. कार्यालयों सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का प्रावधान करना।

8.2.1.3 औद्योगिक विकास

1. संभावनाओं पर आधारित उद्योगों की पहचान जिन्हें औद्योगिक नीति के अनुसार बढ़ावा दिया जा सकता है।

2. भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक समूहों के विकास के लिए समान प्रकार के उद्योगों का क्लस्टरिंग, और क्लस्टर आधारित अपशिष्ट उपचार संयंत्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था प्रदान करना,
3. पर्यावरण सुरक्षा उपायों एवं अनुमेयता के लिए उपयुक्त प्रावधान करके औद्योगिक समूहों के भीतर या आसपास के क्षेत्रौं में वाक-टु-वर्क संस्कृति को बढ़ावा देना,
4. रोजगार सृजन के लिए निवेश आकर्षित करने और सड़क के दोनो ओर के विकास को विनियमित करने के लिए मुख्य सड़को के साथ मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति देना।

8.2.1.4 यातायात और परिवहन

1. व्यस्त बाजारों और पारंपरिक खाने के स्थानों पर मुख्य रूप से पैदल चलने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग नागरिकों का ध्यान रखते हुये पैदल चलने के पथों का प्रावधान करना।
2. सुविधाजनक स्थानों पर ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों की पहचान करना ताकि कार्य या व्यावसायिक क्षेत्र तक आसान पहुंच की सुविधा हो, कर्ब-साइड पार्किंग भीड़-भाङ को सड़कों से कम करना और मध्यस्थ (इंटरमीडिएटरी) परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना।
3. क्षेत्रीय स्तर के फुटफॉल और उसकी दिशाओं को ध्यान में रख बस टर्मिनलों के लिए साइटों की पहचान थोक व्यापार, बुकिंग एजेंसियों से जुड़े ट्रक टर्मिनल, ऑटोमोबाइल की बिक्री ऑटो सर्विस एवं मरम्मत, डेंटिंग और पेंटिंग, बॉडी बिल्डिंग आदि।
4. ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे और आउटर कोरडन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुये यातायात के सुगम आवागमन के लिए यातायात की नाजुक बोटल नैक्स की पहचान करना और इसके लिए वांछनीय स्थानों पर ओवरपास / अंडरपास फ्लाईओवर / रेलवे ओवर-ब्रिज आदि प्रदान करना।सड़क दक्षता में सुधार के लिए उपयुक्त सड़क क्रॉस-सेक्शन और जंक्शन ज्यामिति तैयार करना।

8.2.1.5 सार्वजनिक सुविधाये

1. स्थायी जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए भूजल पुनर्भरण (ग्राउंड वाटर रिचार्ज) क्षेत्रों की पहचान करना और केंद्रीय भूजल बोर्ड दिशानिर्देशों के अनुरूप पुनर्भरण के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।
2. टोपोग्राफी और पर्यावरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचारित पानी के अंतिम डिस्पोजल के लिए स्थानों का चयन और निर्मित करना तथा अमृत सुधार के हिस्से के रूप में उपचारित पानी के

पुनर्चक्रण के उपायों का सुझाव देना।

3. अमृत सुधार के हिस्से के रूप में सतही जल निकासी के लिए प्राकृतिक नालियों को बनाए रखना और मुख्य धारा में अंतिम ऑऊटफॉल के साथ जोड़ना,
4. भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों को दूषित होने से बचाना,
5. नदी के तटीय भाग को मानव हैबिटेशन से सुरक्षित करना और रिवर फ्रंट को आकर्षक बनाने के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रदान करना, बाढ़ से बचाने के लिए तटों को सीमित करने और प्रशिक्षण कार्यों का सुझाव देना।
6. स्वच्छ भारत अभियान के तहत (ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और मानव आवास और भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों से दूर इसके निपटान के लिए साइटों की पहचान) सामुदायिक स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर छंटाई, पुनर्चक्रण एवं लैंडफिल स्थलों तक परिवहन के लिए।
7. शहर और शेष विकास क्षेत्र में सुविधाजनक वितरण के लिए उपयुक्त स्थानों पर शहर स्तर के बिजली सब-स्टेशन स्थलों को चिन्हित करना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रावधान करना।

8.2.1.6 सामाजिक अवसंरचना

1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देशों के अनुसार महायोजना में जनसंख्या मानदंड ओर क्षेत्रफल मानकों के अनुरूप महायोजना में प्रदान किए गये सामाजिक ढाँचे के प्रावधान ओर इन्हें क्षेत्रीय विकास योजनाओं में विस्तार से वर्णित किया गया ।
2. जनसंख्या मानदंड को ध्यान में रख महायोजना में प्रत्येक भवन के लिए प्रति इकाई क्षेत्र, बांदा शहर की हाईरारकी अनुसार यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुरूप महायोजना में निर्दिष्ट किया गया और उत्तर प्रदेश के 1973 के अधिनियम संख्या 11, की धारा 9 के तहत क्षेत्रीय विकास योजनाओं (जोनल डेवलपमेंट प्लान) को तैयार करते समय इसे अपनाया गया ।

8.2.1.7 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

1. वनाआवरण की विकास क्षेत्र के भीतर रक्षा की गयी और तालाबों, नालों जैसे जलाशयों के साथ हरित आवरण को बढ़ाने का प्रयास किया गया और केन नदी को आकार देते हुए रीवर फ्रंट विकास का ध्यान रखा गया। इससे जो क्षेत्र पुनः प्राप्त होगा को हरित आवरण एवं भूजल पुनर्भरण के तहत रखा गया । भौतिक

पर्यावरण के हिस्से के रूप में इकोलोजीकल संतुलन के लिए जैव-विविधता के विकास पर भी ध्यान दिया गया । इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया गया कि बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्रों (वर्ष 2005 में अनुभव किए गए उच्चतम बाढ़ स्तर को लेकर) का उपयोग आवासीय या अन्य किसी भी निवास उद्देश्य के लिए नहीं किया गया । इन क्षेत्रों को मुख्य रूप से नदी के किनारे ग्रीन बफर के रूप में प्रस्तावित किया गया । जिसका उपयोग रिवर फ्रंट को विकसित करने, बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए और पार्कों को बनाने के लिए किया गया । शहर में से गुजरने वाले सभी नालों को संरक्षित किया गया और अमृत सुधार के तहत हरित आवरण को 15% तक बढ़ाने के लिए दोनों तरफ एक हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया ।

2. जलवायु डेटा से देखे गए स्थानीय जलवायु परिस्थितियों में किसी भी प्रकार परिवर्तन को शमन करने के लिए ध्यान रखा गया और शहरों से संबंधित लक्ष्य 11 पर विशेष ध्यान देने के साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के भीतर जलवायु परिवर्तन के अडेप्टेबिलिटी के उपायों का सुझाव दिया गया और इसे महायोजना के प्रस्तावों का अभिन्न अंग बनाया गया ।

8.2.1.8 सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन

1. महायोजना प्रस्तावों में विकास क्षेत्र के भीतर प्रमुख निर्मित सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की गयी और नवाब तालाब, भूरागढ़ किला, कालिंजर किला, चित्रकूट, खजुराहो आदि को क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विरासत स्थलों से जोड़ने का प्रयास किया गया ।
2. लोक नृत्यों, लोक गीतों और संगीत समारोहों के माध्यम से स्थानीय संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना और स्थानीय मेलों जैसे भूरागढ़ मेला, नवाब टैंक मेला, चिल्ला मेला, कालिंजर मेला, बिलगाव मेला, खत्री पहाड़ मेला, तिहरामफी मेला को बढ़ावा देना।
3. क्षेत्रीय स्तर पर एक टूरिस्ट सर्किट आवशयकता की भी जांच की गयी और महायोजना प्रस्तावों में अनुरूप बुनियादी ढांचे का भी ध्यान रखा गया ।

8.2.1.9 विकास नियंत्रण विनियम

1. विकास अनुमतियों के प्रयोजन के लिए, विकास नियंत्रण विनियमों (डीसीआर) तैयार किए जाएंगे और प्रस्तावों के अभिन्न अंग के रूप में महायोजना में संलग्न किए जाएंगे।

2. विकास नियंत्रण विनियम समय-समय पर अपनाए गए या संशोधित प्रचलित भवन विनियमों के अतिरिक्त होंगे।
3. आवास योजनाओं, एकीकृत टाउनशिप विकास, औद्योगिक नीति, भूजल पुनर्भरण, सौर ऊर्जा से संबंधित राज्य सरकार के सभी नीतिगत निर्णयों को महायोजना प्रस्तावों और विकास नियंत्रण विनियम के साथ एकीकृत किया गया ।

8.2.1.10. महायोजना प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाना

1. संसाधन सृजन के विद्मान तंत्र का अध्ययन किया गया और संसाधन जुटाने को बढ़ाने के तंत्र का सुझाव दिया गया ।
2. संसाधन जुटाने को चरणबद्ध विकास अर्थात क्षेत्रीय विकास योजनाओं में विकसित किए जाने वाले विकास प्रस्तावों की प्राथमिकता से जोड़ा गया ।

8.2.1.11. संस्थागत व्यवस्था

चूंकि विकास प्राधिकरण पहले से ही विध्मान है, अमृत प्रशासनिक सुधारों के हिस्से के रूप में विद्मान व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था की जांच की गयी।

अध्याय 9

आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

9.1 जनसँख्या प्रक्षेपण

जनसंख्या को पांच अलग-अलग तरीकों से प्रक्षेपित किया गया है जैसे लैग्रेंज की इंटरपोलिंग बहुपद विधि, अंकगणितीय वृद्धि विधि, ज्यामितीय वृद्धि विधि, न्यूटन का विभाजित अंतर और यौगिक वृद्धि दर विधि। वर्ष 2031 में नगर पालिका परिषद, 9 गांवों का शहरीकरण योग्य क्षेत्र में विलय और शेष 21 गांवों के लिए जनसंख्या के आंकड़े अलग-अलग अनुमानित हैं। उपरोक्त सभी विधियों के आधार पर प्राप्त जनसंख्या अनुमानों का औसत लेकर बांदा विकास क्षेत्र के लिए अनुमानित जनसंख्या का अंतिम आंकड़ा वर्ष 2031 तक 4,04,415 होगा। नीचे दी गई तालिका अनुमानित जनसंख्या का विवरण दिखाती है।

तालिका 9.1: जनसंख्या अनुमान बांदा विकास क्षेत्र के लिए 2031

क्रमांक	प्रक्षेपण विधि	प्रक्षेपण 2031 (नगर)	प्रक्षेपण 2031 (9 ग्राम)	योग	शेष 21 गांव	प्रक्षेपण (विकास क्षेत्र)
1	लेगरांजे विधि (इन्टरपोलटिंग पोलीनोमिअल विधि)	202909	99549	302458	113982	416440
2	चक्रवृद्धि विकास दर विधि (कंपाउंड ग्रोथ विधि)	244764	83967	328731	109847	438578
3	न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस विधि (न्यूमेरिकल इन्टरपोलेशन विधि)	202967	99551	302518	113922	416440
4	गणितीय विधि (अरिथमेटिक मीन विधि)	209203	63000	272203	71197	343400
5	ज्यामितीय विधि	314641	79649	394290	12928	407218
6	**योग**	**1174484**	**425716**	**1600200**	**421876**	**2022076**
7	औसत योग	**234896.8**	**85143.2**	**320040**	**84375**	**404415**

तथापि, महायोजना तैयार करने के उद्देश्य से, महायोजना तैयार करते समय 9 गांवों सहित नगर पालिका परिषद क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार नगर पालिका परिषद क्षेत्र के भीतर अनुमानित जनसंख्या 3,20,000 हो गयी है। उपर्युक्त गणितीय मॉडल्स को उचित परिणामों तक पहुँचाने के लिए जनसंख्या के पूर्वानुमान में परिशिष्ट किया गया है। महायोजना 2021 की प्रस्तावनाओं को तैयार करते समय 2001 को आधार वर्ष के रूप में लिया था। 2001 में बांदा नगर की जनसंख्या 139,436 व्यक्ति थी। भू-उपयोग सर्वेक्षण 2003 अनुसार यह जनसंख्या 415.77 हेक्टेयर के आवासीय क्षेत्र में रह रही थी। इसलिए, आवासीय घनत्व लगभग 300 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था। 2020 के भू-उपयोग सर्वेक्षण में मौजूद आवासीय क्षेत्र 740.7 हेक्टेयर है तथा अनुमानित जनसंख्या 2.25 लाख है। नगर पालिका परिषद द्वारा प्रदान की गई 2021 की वार्डवार जनसंख्या विवरण के अनुसार अनुमानित जनसंख्या 1,98,189 व्यक्ति है। क्योंकि यह अनुमान जन्म और मृत्यु के जनसंख्या पंजीकरण रजिस्टर के आधार पर है, इसलिए प्रवासी जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसलिए, 2021 के लिए 2.25 लाख व्यक्तियों का अनुमान यथासंभाव है और यह 41% की दशकीय वृद्धि दर देता है। 2001 की जनसंख्या 2021 की जनसंख्या के लिए पूर्वानुमान का आधार है। यह एक स्थापित तथ्य है कि भारत में शहरी जनसंख्या एक उच्च दर से बढ़ रही है और अधिकांश वृद्धि 2 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में हो रही है, साथ ही नगर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में पलायन होने का अनुमान है। नगर के वर्तमान विकास प्रतिरूप के आधार पर अनुमान है कि वर्ष 2031 हेतु प्रक्षेपित ग्रामीण जनसंख्या का 25 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्र में आव्रजित हो जाएगा। साथ ही वर्ष 2031 हेतु पूर्वानुमानित नगरीय जनसँख्या में लगभग 10 प्रतिशत फ्लोटिंग जनसँख्या की वृद्धि होने कि सम्भावना है। अतएवं बाँदा विकास क्षेत्र में वर्ष 2031 हेतु लगभग 372000 कि जनसँख्या का पुर्वनुमान किया गया है।

बुंदेलखंड क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने सुगमता को और बढ़ा दिया है, इसलिए भविष्य की आर्थिक गतिविधियों के लिए खासकर उद्योगों और लॉजिस्टिक्स के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। महायोजना 2031 के परिप्रेक्ष्य वर्ष के लिए अमृत दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गयी है। इसके अलावा परिप्रेक्ष्य वर्ष 2041 को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू-उपयोगों को वर्ष 2041 हेतु 5 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

9.2 जनसँख्या घनत्व

जनगणना 2011 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। राज्य के जिलों में जनसंख्या का घनत्व काफी भिन्न है। गाजियाबाद जिला (3947 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) सबसे घनी आबादी वाला है। बांदा जिला (408 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) राज्य में 64 वें स्थान पर है। बांदा विकास क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 9.2: बांदा विकास क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व

साल	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	आबादी	दशकीय वृद्धि दर (%)	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति)	
					प्रति वर्ग कि.मी.	प्रति हेक्टेयर
1981	288.7	28870.8	120385	-	417	4
1991	282.95	28295.67	172984	43.69	611	6
2001	304.62	30462.1	216533	25.18	711	7
2011	293.97	29397.75	260194	20.16	885	9

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तिका, बांदा (2001 और 2011)

तालिका 9.2 दर्शाती है कि बांदा विकास क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 1991 में 417 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. (4 व्यक्ति/हेक्टेयर) से दोगुना से अधिक होकर वर्ष 2011 में 885 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. (9 व्यक्ति/हेक्टेयर) हो गया है।

तालिका 9.3: बांदा नगर पालिका परिषद में जनसंख्या घनत्व

साल	आबादी	क्षेत्र		जनसंख्या घनत्व	
		हेक्टेयर	वर्ग कि.मी.	व्यक्ति प्रति हेक्टेयर	व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
1981	72379	1129	11.29	64	6411
1991	111765	1129	11.29	100	9899
2001	139436	2700	27	52	5164
2011	160473	1600	16	100	10029

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तिका, बांदा (2001 और 2011)

तालिका 9.3 में दर्शाया गया है कि बांदा नगर का जनसंख्या घनत्व 1981 में 64 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 1991 में 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2001 में घनत्व घटकर 52 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर रह गया लेकिन 2011 में यह बढ़कर 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया है। निम्न तालिका 9.4 वार्ड के अनुसार जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है।

तालिका 9.4: वार्ड के अनुसार जनसंख्या घनत्व

वार्ड संख्या	आबादी (2011 में)	घनत्व		वार्ड नं. (2016)	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	वार्ड सीमा के अनुसार क्षेत्र, 2016	
		हेक्टेयर	एकड़			हेक्टेयर	एकड़
1	5284	189	76	1	8772	28	69.16
2	8464	123	50	2	6488	69	170.43
3	6163	82	33	3	9853	75	185.25
4	5360	268	109	4	6345	20	49.4
5	5670	126	51	5	7412	45	111.15
6	7773	76	31	6	8295	102	251.94
7	3957	78	31	7	8035	51	125.97
8	4733	72	29	8	5619	66	163.02
9	4508	173	70	9	6634	26	64.22
10	5726	155	63	10	7783	37	91.39
11	4881	349	141	11	4821	14	34.58
12	4725	71	29	12	5413	67	165.49
13	6668	48	19	13	5473	140	345.8
14	7368	78	31	14	6448	95	234.65
15	4477	263	107	15	7035	17	41.99
16	6046	6	3	16	5811	939	2319.33
17	6793	206	83	17	7484	33	81.51
18	5199	400	162	18	5715	13	32.11
19	6574	8	3	19	6211	836	2064.92
20	5710	114	46	20	6658	50	123.5
21	5893	256	104	21	4910	23	56.81
22	4733	86	35	22	7658	55	135.85
23	4340	271	110	23	5455	16	39.52
24	6175	110	45	24	5960	56	138.32
25	4506	347	140	25	6589	13	32.11
26	3988	181	73	26	4924	22	54.34
27	4565	326	132	27	5303	14	34.58
28	4149	101	41	28	5401	41	101.27
29	6045	275	111	29	4621	22	54.34
-	-	-	-	30	4968	12	29.64
-	-	-	-	31	6093	70	172.9
-	**1,60,473**	**167**	**68**	**Total**	**1,98,187**	**99**	**245**

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तिका, बांदा, 2011

नोट: नगरपालिका सीमा और वार्ड सीमा का पुनर्गठन हुआ है। वर्ष 2011 में 29 वार्ड और आउट ग्रोथ थे लेकिन 2019 अनुसार अधिसूचना संख्या। 3344/9-6-2016-09 cv/2005 लखनऊ दिनांक 19.09.2016 बांदा नगर पालिका परिषद में 31 वार्ड हैं।

तालिका 9.5: बांदा नगर का जनसंख्या घनत्व (वार्ड के अनुसार)

क्रमांक	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)	जनगणना, 2011 एवं वार्ड सीमा के अनुसार		2016 की वार्ड सीमा के अनुसार (2011 के अनुसार जनसंख्या)	
		वार्डों की संख्या	वार्ड संख्या	वार्डों की संख्या	वार्ड संख्या
1	50 तक (बहुत कम)	3	13, 16, 19	18	1, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2	51-100 (निम्न)	7	3, 6, 7, 8, 12, 14, 22	9	2, 3, 7, 8, 12, 14, 22, 24, 31
3	101-150 (मध्यम)	5	2, 5, 20, 24, 28	2	6, 13
4	151-200 (उच्च मध्यम)	4	1, 9, 10, 26	0	-
5	201-250 (उच्च)	1	17	0	-
6	>250 (बहुत अधिक)	9	4, 11, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 29	2	16, 19
योग वार्ड		**29**		**31**	

स्रोत: जीआईएस परिकलित, भारत की जनगणना

नोट: W2016 की सीमा का सीमांकन और 2011 के अनुसार जनसंख्या

तालिका 9.5 में दर्शाया गया है कि नगर के कोर क्षेत्र में मुख्य रूप से वार्ड संख्या 19 और 16 का घनत्व बहुत अधिक है (प्रति हेक्टेयर 250 व्यक्ति से अधिक) और वार्ड संख्या 6 और 13 में मध्यम घनत्व (21- 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर) है। इन उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की विशेषता छोटे भूखंड के आकार और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र, खुले स्थानों के लिए कम क्षेत्र और अन्य भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमीयां है। इस क्षेत्र का मिश्रित भू-उपयोग (विशेषकर सड़कों के किनारे वाणिज्यिक) भी उच्च जनसंख्या घनत्व का एक कारक है। 2016 के वार्ड सीमा निर्धारण के अनुसार वार्ड नंबर 2, 3,7,8,12,14,22,24,31 कम घनत्व(51-100) है (मानचित्र 9.1 देखें)।

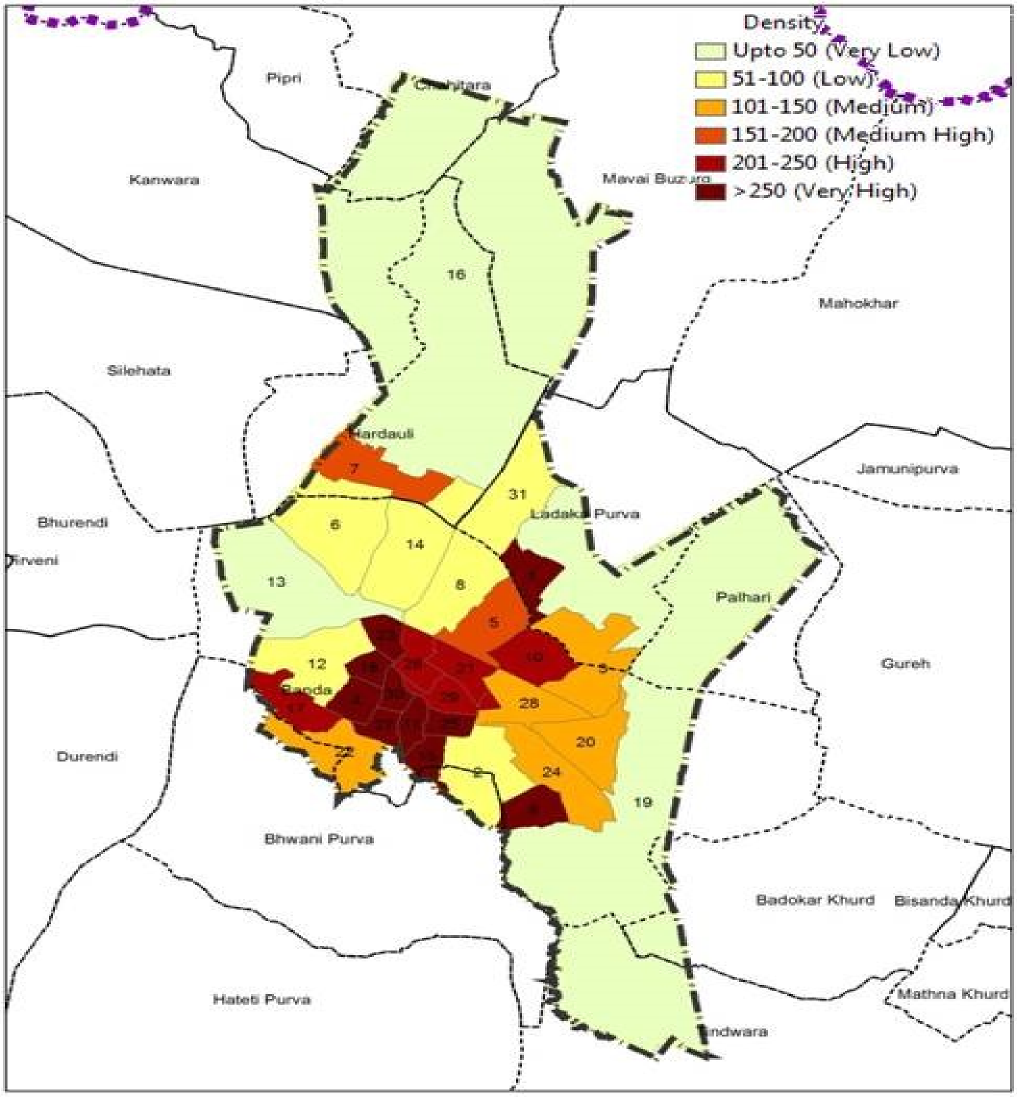

मानचित्र 9.1: बांदा नगर वार्ड (2016) वार जनसंख्या घनत्व

हालाँकि, जैसे-जैसे हम नगर के केंद्र से नगर पालिका परिषद सीमा की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व कम (51-100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर) और बहुत कम (50 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से कम) हो गया है। ये क्षेत्र या तो आंशिक रूप से निर्मित हैं या वृद्धि के अधीन हैं। इन क्षेत्रों में अधिकतर नए (कालोनियां और नई बस्तियां) आ रही हैं। साथ

ही इन वार्डों का क्षेत्रफल नगर के कोर भाग के वार्डों से भी बड़ा है। बांदा के विकास क्षेत्र के गाँवों का घनत्व भी बहुत कम है।

i) जनसँख्या घनत्व 2031 & 2041

Table 9.6: जनसँख्या घनत्व

प्रस्तावित जनसंख्या	2031	2041	2011 क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	घनत्व 2011 (persons per sq.km.)	घनत्व 2031 (pph)	घनत्व 2031 (persons per sq.km.)	घनत्व 2041 pph	घनत्व 2041 (persons per sq.km.)
शहरी (नगर पालिका परिषद)	370000	500000	1600	16	231	23125	313	31250
ग्राम (30)	98390	107285	27797.75	277.97	4	354	4	386
बाँदा विकास क्षेत्र	**404415**	**607285**	**29397.75**	**293.97**	**14**	**1376**	**21**	**2066**

Source: Self Computed

तालिका 9.6 में बाँदा नगर पालिका परिषद और विकास क्षेत्र के लिए पूर्वानुमानित घनत्व को दिखाया है। 2031 के लिए पूर्वानुमानित जनसंख्या के अनुसार, बाँदा नगरीय क्षेत्र में घनत्व 231 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर या 23125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा और विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व प्रति हेक्टेयर 4 व्यक्ति या 354 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा और वर्ष 2041 तक यह जनसंख्या घनत्व 386 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर या 31250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। पुरे विकास क्षेत्र में वर्ष 2031 के लिए यह जनसंख्या घनत्व 14 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर या 1376 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा और वर्ष 2041 के लिए 21 व्यक्ति प्रतिहेक्टेयर या 2066 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा।

बांदा महायोजना-2031 के लिए प्रस्तावित नगरीकृत क्षेत्र का घनत्व 73 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर (पीपीएच) हैं। जबकि प्रस्तावित आवासीय घनत्व 139 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (पी.पी.एच) है।

9.3 प्रवासन

बाँदा जिला एवं बाँदा नगर से सम्बंधित प्रवासन के आंकड़े जनगणना 2001 एवं 2011 से लिए गए है, जिसे तालिका 9.7 में दर्शाया गया है। वर्ष 2001 जनगणना अनुसार योग 401707 प्रवासी बाँदा जिला में आये। जिनमें 55061 प्रवासी पुरुष एवं 346646 महिलाएं शामिल थी। उपरोक्त योग प्रवासियों में शहरी प्रवासन केवल 18.89 % ही

रहा। बाँदा जिला एवं बाँदा शहरी प्रवासन में महिला प्रवासियों की संख्या क्रमश 346646 एवं 49395 हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता हैं की अधिकतर प्रवासन शादी के कारण होता हैं।

तालिका 9.7: प्रवासी जनसंख्या का विवरण

	योग प्रवासी 2001			योग प्रवासी 2011		
	योग प्रवासी	**पुरुष**	**महिला**	**योग प्रवासी**	**पुरुष**	**महिला**
बाँदा जिला (योग)	401,707	55,061	346,646	477,181	64,849	412,332
बाँदा जिला (ग्रामीण)	325,795	28,544	297,251	376,989	29,477	347,512
बाँदा जिला (शहरी)	75,912	26,517	49,395	100,192	35,372	64,820
बाँदा अर्बन अग्गलोमेरशन *	40,202	16,959	23,243	61,868	25,180	36,688
नोट: * बाँदा नगर पालिका परिषद् एवं ओउटग्रोव्थ, 2011						

स्रोत: जनगणना वर्ष 2001, 2011

इसी प्रकार 2011 में भी योग प्रवासी संख्या 477181 रही, जिसमें 412332 महिला प्रवासी हैं। वर्ष 2011 में भी शहरी प्रवासियों का अनुपात केवल 20.99% ही रहा। वर्ष 2011 में प्रवासन के कारणों को दर्शाते हुए तालिका 9.9 दी गयी है जिससे स्पष्ट है की बाँदा नगर में रोज़गार से सम्बंधित प्रवासन केवल 16.04% ही है जबकि 35.67% प्रवासन शादी से सम्बंधित है।

तालिका 9.8: प्रवासन के कारण

	बाँदा जिला	बाँदा नगर पालिका परिषद् एवं ओउटग्रोव्थ
काम / रोजगार	3.98	16.04
व्यवसाय	0.31	0.94
शिक्षा	0.72	2.31
शादी	77.59	35.67
जन्म पश्चात प्रवासन	0.83	3.41
घर परिवार सहित	6.24	23.37
अन्य	10.34	18.25

स्रोत: जनगणना वर्ष 2001, 2011

9.4 आवास प्रक्षेपण (आवास मांग आंकलन)

वर्तमान आवास की कमी और भविष्य में आवास की मांग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कदमों पर विचार किया गया है।

चरण I:

- 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़े
- 2011 में वर्तमान घरों की संख्या

- औसत परिवार आकार 5.5 . है
- 2011 में विद्यमान मकानों के घाटे/अधिशेष की गणना

चरण II:

- दृष्टि वर्ष की प्रस्तावित जनसंख्या
- औसत परिवार आकार को 5 मानते हुए
- दृष्टि वर्ष की मांग की गणना

चरण III:

- भविष्य के आवास अंतर की गणना उपलब्ध घरों की संख्या में से आवश्यक घरों की संख्या को घटाकर की गयी है।
- आवास का अंतर = आवास के लिए उपलब्ध योग घर-आवश्यक घरों की संख्या

तालिका 9.9 : बांदा शहर में आवास की कमी और भविष्य में आवास की मांग

जनसंख्या 2011	मकानों की मांग 2011	वर्तमान घरों की संख्या 2011	2011 में घाटा	अनुमानित जनसंख्या 2021	घरों की मांग (2021)	2021 तक अतिरिक्त घरों की आवश्यकता	अनुमानित जनसंख्या 2031	घरों की मांग (2031)	2031 तक अतिरिक्त घरों की आवश्यकता	घरों की मांग (2041)	2041 तक अतिरिक्त घरों की आवश्यकता
160473	29177	28532	645	248639	50373	21841	370000	74645	46113	100645	72113

स्रोत: भारत की जनगणना और परिकलित मूल्य

तालिका 9.9 में दर्शाया गया है कि बांदा शहर को वर्ष 2021 तक 21841 अतिरिक्त आवासीय इकाइयां और वर्ष 2031 तक 46113 इकाइयों की तथा वर्ष 2041 तक 72113 इकाइयों की आवश्यकता होगी।

9.5 विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता

तालिका 9.10 जलापूर्ति की आवश्यकता

	2031	**2041**
जनसंख्या मे वृद्धि	209527	130000
पानी की मांग मे बढ़ोतरी **(लिटर्स)**	28286145	17550000
पानी की मांग मे बढ़ोतरी **(MLD)**	28.28	17.55
सरप्लस पानी **2011**	7 MLD	7 MLD
पानी की मांग मे बढ़ोतरी **per Decades**	21.29 MLD	10.55 MLD
पानी की मांग **2011- 2041**	**31.83 MLD**	

Source: Self Computed

	Total Water Supplied 2011(A)	Excess In Water Quantity 2011 (B)	Actual Water Consume by city 2011 (C=A-B)	Requirement for Projected Years	Quantity of NRW at 20%	Total Requirement inc NRW (D)	Total water Supply requirement 2031 (C+D) 27+38.20
2031	34	7	27	21.29	4.26	25.54	65.20
2041				10.55	2.11	12.66	
Total				31.84	6.37	38.20	

Source: SLIP Report 2015

9.6 वर्षा जल निकासी (ड्रेनेज डिस्पोजल सिस्टम)

बाँदा विकास क्षेत्र की मुख्य जल निकासी का स्त्रोत केन नदी है जो शहर के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है और यमुना नदी की एक सहायक नदी है बाँदा विकास क्षेत्र में केन नदी का योग क्षेत्रफल 1064.52 हेक्टेयर है। इसके आलावा नहरों और नालों के तहत 85.68 हेक्टेयर क्षेत्र है। विकास क्षेत्र में अन्य तालबों आदि के तहत 231.95 क्षेत्र आता है। शहर के वर्षा जल की मुख्यतः निकासी के लिए निमनीपार नाला उपलब्ध है। मुख्य सड़कों के साथ योजनाबद्ध तरीके से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है हालांकि एक अच्छी जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता है।

9.7 सीवेज

वर्ष 2031 के लिए प्रत्याशित जल की आवश्यकता, शहर को उपलब्ध मौजूदा मात्रा सहित 52.54 MLD है, CPHEEO मैनुअल के अनुसार अनुमानित सीवेज योग जल वितरण का 80% होता है, इसलिए 2031 के लिए बाँदा नगर की सीवेज उत्पन्नता 42.03 MLD होने की संभावना है और 2041 के लिए शहर 52.16 MLD सीवेज उत्पन्न करेगा। वर्तमान मे शहर में कोई सीवरेज प्रणाली मौजूद नहीं है। अमरुत 2.0 दिशानिर्देशों अनुसार क्लास 1 शहरों में 100% सीवरेज एक्सेसिबिलिटी का टारगेट रखा गया है इसलिए इस शहर में सीवरेज प्रणाली के प्रावधान की प्राथमिकता है।

9.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

तालिका 9.11 ठोस अवसिष्ठ जनरेशन

साल	जनसंख्या	URDPFI मानक	ठोस अवसिष्ठ जनरेशन
2031	3,70,000	(0.5 कि ग्रा प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	185 मीट्रिक टन प्रति दिन
2041	5,00,000		250 मीट्रिक टन प्रति दिन

स्रोत: सेल्फ कंप्यूटेड

9.9 बिजली (प्रस्तावित विद्युत् खपत)

9.9.1 बिजली के लिए प्रक्षेपण

तालिका 9.12 प्रस्तावित विद्युत् खपत

	नगरीय		ग्रामीण	
साल	**2031**	**2041**	**2031**	**2041**
प्रस्तावित जनसंख्या	3,70,000	5,00,000	98,390	1,07,285
प्रस्तावित विद्युत् खपत (के.डब्लू.एच प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	1013800	1370000	269589	293961

स्रोत:: यु.आर.डी.पी.एफ.आई दिशानिर्देश 2.74 के.डब्लू.एच प्रति व्यक्ति प्रति दिन)

15000 जनसंख्या पर 11 के.वी. इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन

9.10 डाकघर एवं संचार के लिए आवश्यकताएँ

9.10.1 विकास क्षेत्र मे डाकघर एवं संचार के लिए अनुमान

तालिका 9.13 डाक और दूरसंचार सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक

क्रमांक	श्रेणी	जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल	प्रस्तावना 2031(BDA)	प्रस्तावना 2041(BDA)
	डाक सुविधाएं				
1	बिना डिलीवरी के डाकघर काउंटर (फ्लोर एरिया स्थानीय शॉपिंग सेंटर में उपलब्ध कराया जाएगा)	15000	85 sq m	31	40
2	वितरण कार्यालय के साथ प्रधान डाकघर	2.5 lakh	750 sq m	2	2
3	प्रधान डाकघर और प्रशासनिक कार्यालय	5 lakh	2500 sq m	1	1
	टेलीफोन सुविधाएं				
1	40,000 लाइनों का टेलीफोन एक्सचेंज	4 Lakh	4 ha.	1	2
2	रेडियो/टीवी स्टेशन	5 -8 lakh	1700 sq m	1	1
3	रिमोट सब्सक्राइबर यूनिट	1 for 3 km radius	300 sq m	-	-

9.11 शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता

9.11.1 बाँदा नगर में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान

तालिका 9.14 बांदा विकास क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं (विद्यालय)

शैक्षिक सुविधाएं (स्कूल)	विकास क्षेत्र (शहरी)			विकास क्षेत्र (ग्रामीण)			विकास क्षेत्र योग (वर्तमान)			अपेक्षित 2011		अंतर(-)/ अधिशेष (+)		अपेक्षित 2031		अंतर(-)/ अधिशेष (+)		अपेक्षित 2041	अपेक्षित 2041	अंतर (-)/ अधिशेष (+)	अंतर (-)/ अधिशेष (+)
	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग	सरकार	निजी	योग	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
पूर्व प्राथमिक	'	-	-	11	8	19	11	8	19	64	40	-	21	148	39	-	-20	200	43	-181	-24
मुख्य	33	57	90	56	6	62	89	63	152	32	20	58	132	74	20	16	42	100	21	52	131
मध्य	12	46	58	29	5	34	41	51	92	32	20	26	72	74	20	-16	14	100	43	-8	49
माध्यमिक	1	7	8	2	2	4	3	9	12	21	13	-13	-1	49	13	-41	-9	67	14	-55	-2
उच्च माध्यमिक	7	6	13	1	1	2	8	7	15	21	13	-8	2	49	13	-36	-11	67	14	-52	1
विकलांगों के लिए	1	6	7	2	0	2	3	6	9	4	2	3	7	8	2	-1	0	11	2	-2	7
योग	**54**	**122**	**176**	**101**	**22**	**123**	**155**	**144**	**299**	**174**	**109**	**2**	**191**	**403**	**107**	**-79**	**16**	**544**	**138**	**-245**	161

तालिका 9.15 उच्च शिक्षा सुविधाएं

क्रमांक.	उच्च शिक्षा संस्थान	विकास क्षेत्र (शहरी)			विकास क्षेत्र (ग्रामीण)			संपूर्ण			अपेक्षित 2011		अंतर(-)/ अधिशेष 2011		अपेक्षित 2031		अंतर(-)/ अधिशेष 2031	अपेक्षित 2041		Required 2041	अंतर (-)/ अधिशेष 2041	अंतर (-)/ अधिशेष 2041
		सरकार	निजी	योग	सरकार	निजी	योग	सरकार	निजी	योग	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
											Degree Colleges											
1	कला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1	3	1	-3	-1	4	1	-3	-1
2	विज्ञान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1	3	1	-3	-1	4	1	-3	-1
3	वाणिज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1	3	1	-3	-1	4	1	-3	-1
4	कला और विज्ञान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1	3	1	-3	-1	4	1	-3	-1
5	कला और वाणिज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1	-1	3	1	-3	-1	4	1	-3	-1

तालिका 9.15 उच्च शिक्षा सुविधाएं

क्रमांक.	उच्च शिक्षा संस्थान	विकास क्षेत्र (शहरी)			विकास क्षेत्र (ग्रामीण)			संपूर्ण			अपेक्षित 2011		अंतर(-)/ अधिशेष 2011		अपेक्षित 2031		अंतर(-)/ अधिशेष 2031	अपेक्षित 2041		Required 2041	अंतर (-)/ अधिशेष 2041	अंतर (-)/ अधिशेष 2041
		सरकार	निजी	योग	सरकार	निजी	योग	सरकार	निजी	योग	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
6	कला, वाणिज्य और विज्ञान	1	1	2	-	-	-	1	1	2	1	1	0	0	3	1	-1	-1	4	1	-3	1
	योग	**1**	**1**	**2**	-	-	-	**1**	**1**	**2**	**6**	**6**	**5**	**5**	**18**	**5**	**16**	**6**	**24**	**6**	**22**	**4**
											Professional Education											
7	लॉ कॉलेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0
8	चिकित्सा महाविद्यालय	-	-	-	1*	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	-1	0
9	इंजी. कॉलेज	-	1	1	-	-	-	-	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	प्रबंधन कॉलेज	-	1	1	-	-	-	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	योग	-	**2**	**2**	-	-	-	**1**	**2**	**3**		**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**0**	**2**	0
											Polytechnic Education											
11.	पॉलिटेक्निक कॉलेज	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	योग	**-**	**-**	**1**	-	-	-	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	0	0	1	0	1	0	0	
											Training Education (Centers)											
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0	**0**	0	0	0	0	0	1	0	-1	0
13	अनौपचारिक प्रशिक्षण केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0	**0**	0	0	0	0	0	1	0	-1	0
	योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1	0	-1	0
14	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0	**0**	0	0	0	0	0	1	0	-1	0
	योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1	0	-1	0
15	आशुलिपि	1	-	-	-	-	-	1	-	1	**0**	0	**1**	0	0	0	1	0	1	0	0	0
16.	टाइपराइटिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0	**0**	0	0	0	0	0	1	0	0	0
17	शॉर्टहैंड टाइपराइटिंग	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**0**	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	विश्वविद्यालय	1**	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0

स्रोत - भारत की जनगणना 2011

नोट: *बांदा एलोपैथिक सरकार। मेडिकल कोलाज, ** बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।

9.12 स्वास्थ्य सुविधाएं

9.12.1 बाँदा विकास क्षेत्र में स्वस्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण

तालिका :9.16 बाँदा विकास क्षेत्र में स्वस्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान	इकाइयों की संख्या			अपेक्षित 2011		अंतर (-) / अधिशेष (+)		अपेक्षित 2031		अंतर (-) / अधिशेष (+)		अपेक्षित 2041	अपेक्षित 2041	अंतर (-) / अधिशेष (+)	अंतर (-) / अधिशेष (+)
		सरकारी	निजी	योग	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1.	एलोपैथिक अस्पताल	54	-	54	2	-	52	-	4	-	50	-	5	1	49	53
2.	आयुर्वेदिक अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.	होम्योपैथिक अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4.	यूनानी अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5.	अस्पताल वैकल्पिक चिकित्सा	2	-	2	2		0	-	4	-	-2	-	5	1	-3	1
6.	औषधालय	-	1	1	-	7	-	-6	-	7	-	-5	33	7	-32	-6
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	-	1	1	-	0	-	-	-	3	-	-2	-		-	1
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10.	परिवार कल्याण केंद्र	5	-	5	3	-	2	-	7	-	-1	-	10	2	-5	3
11.	मातृत्व एवं बाल कल्याण केंद्र	1	3	4	2	1	-1	2	3	2	-2	1	5	1	-1	3
12.	प्रसूति गृह	1	-	1	2	-	-1	-	3	-	-2	-1	5	1	-4	0
13.	नर्सिंग होम	7	-	7	2	-	5	-	3	-	4	-	5	1	2	6
14.	टीबी अस्पताल	1	-	1	2	-	-1	-	-	-	1	-	5	1	-4	0
15.	टीबी क्लिनिक	-	1	1	-	2	-	-1	-	2	-	0	10	2	-9	-1
16.	मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1

17.	पशु चिकित्सालय	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	-	-	2	1
18.	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19.	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी ए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20.	मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21.	विशेषज्ञ अस्पताल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22.	सामान्य अस्पताल	1	-	1	1	-	-1	-	1	1	2	1	2	0	1	1
23.	पालीक्लिनिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

9.13 मनोरंजन सुविधाएं

9.13.1 बाँदा विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण

तालिका:9.17 बाँदा विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण

क्रमांक	वर्ग	जनसंख्या प्रति इकाई	क्षेत्रफल (हे.)	अपेक्षित 2011 (1,60,473)		अपेक्षित 2031 3,50,000		अपेक्षित 2041 500000 शहरी		अपेक्षित 2041 107285 ग्रामीण	
पार्क				Units	Area (Ha.)	Units	Area (Ha.)	Units	Area (Ha.)	Units	Area (Ha.)
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	32	16	70	35	100	50.00	21	10.73
2	नेबरहुड पार्क	15000	1	11	11	24	24	33	33.33	7	7.15
3	सामुदायिक पार्क	100000	5	2	10	4	20	5	25.00	1	5.36
4	जिला पार्क	500000	25	0	0	1	25	1	25.00	0	5.36
5	सब सिटी पार्क	1000000	100	0	0	1	100	0.5	50.00	0	10.73
बहुउद्देशीय मैदान											
1	उप नगर स्तरीय बहुउद्देशीय मैदान	1000000	8	0	0	1	8	0.5	8.00	0	0.86
2	जिला स्तरीय बहुउद्देशीय मैदान	500000	4	0	0	1	4	1	4.00	0	0.86

3	सामुदायिक स्तर बहुउद्देशीय मैदान	100000	2	1	2	4	8	5	2.00	1	2.15
खेल सुविधाओं											
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	5000 sq m	32	16	70	35	100	0.50	21	
2	नेबरहुड खेल क्षेत्र	15000	1.5	11	16.5	24	36	33	50.00	7	10.73
3	जिला खेल केंद्र	100000	8	2	16	4	32	5	40.00	1	8.58
4	संभागीय खेल केंद्र	1000000	20	0	0	1	20	0.5	10.00	0	2.15
खुली जगह (मध्यम शहर)											
खुले स्थान 1.2 से 1.4 हेक्टेयर प्रति 1000 व्यक्ति की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। कम आय वाले क्षेत्रों को अधिक खुले स्थान प्रदान किए जाएंगे और सामुदायिक हॉल आदि जैसी सुविधाओं के तहत क्षेत्र को उनकी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप खुले स्थानों के साथ विलय किया जा सकता है।											

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014

9.14 सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं

9.14.1 बाँदा विकास क्षेत्र में सामाजिक -आर्थिक सुविधा का प्रक्षेपण

तालिका 9.18 बाँदा विकास क्षेत्र में सामाजिक -आर्थिक सुविधा का प्रक्षेपण

वर्ग	जनसंख्या	क्षेत्र	अपेक्षित 2011		अपेक्षित 2031		अपेक्षित 2041	अपेक्षित 2041
	(प्रति इकाई)		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
आंगनबाडी आवास क्षेत्र/क्लस्टर	5000	200-300 sq m	32	18	74	20	100	21
सामुदायिक कक्ष	5000	750 sq m	32	18	74	20	100	21
सामुदायिक भवन, मंगल कार्याला, बारात घर/पुस्तकालय/	15000	2000 sq m	11	6	25	7	33	7
संगीत, नृत्य और नाटक केंद्र	100000	1000 sq m	2	0	4	1	5	1
ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	100000	5000 sq m	2	0	3	1	5	1
मनोरंजन क्लब	100000	10,000 sq m	2	0	3	1	5	1
वृद्धाश्रम	500000	Max.1000 sq m	0	0	1	0	1	0
Religious								
पड़ोस/आवास क्लस्टर स्तर पर	5000	400 sqm	32	18	74	20	100	21

तालिका 9.18 बाँदा विकास क्षेत्र में सामाजिक -आर्थिक सुविधा का प्रक्षेपण

वर्ग	जनसंख्या (प्रति इकाई)	क्षेत्र	अपेक्षित 2011		अपेक्षित 2031		अपेक्षित 2041	अपेक्षित 2041
			शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
शहरी विस्तार में उप नगर स्तर पर	1000000	4.00 Ha	0	0	0	0	1	0
Other Facilities								
अनाथालय / बाल केंद्र (प्रत्येक में एक)	1000000	Max. 1000 sqm	0	0	0	0	1	0
शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांगों के लिए देखभाल केंद्र	1000000	Max. 1000 m^2	0	0	0	0	1	0
कामकाजी महिला-पुरुष छात्रावास	1000000	Max. 1000 sqm	0	0	0	0	1	0
प्रौढ़ शिक्षा केंद्र	1000000	Max. 1000 m^2	0	0	0	0	1	0
रात्रि आश्रय	1000000	Max. 1000 sqm	0	0	0	0	1	0
सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र/ प्रदर्शनी सह मेला मैदान	1000000	15 Ha.	0	0	0	0	1	0
विज्ञान केंद्र					0	0	1	0
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	1000000	As per requirement	0	0	0	0	1	0
अनाथालय / बाल केंद्र (प्रत्येक में एक)	City level	As per requirement	0	0	0		1	0

9.15 फायर स्टेशन

9.15.1 बाँदा विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण

तालिका 9.19 बाँदा विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण

अग्निशमन सेवाएं (संख्या)	बांदा जनपद	बांदा नगर बोर्ड	अपेक्षित	अतिरिक्त (+)/कमी (-)	अपेक्षित 2031	अपेक्षित 2041
	2011	2011				
अग्निशमन सेवा स्टेशन	19	1	1	0	2	3
अग्निशमन सेवा इंजन और मोटर्स उपयोग में हैं	-	3	-	-	-	-
कार्यरत व्यक्ति	-	-	-	-	-	-
अग्निशमन में भाग लिया	-	-	-	-	-	-

Source: http://upfireservice.gov.in/upfire/verifyissuednoc

तालिका 9.20 बाँदा फायर स्टेशन मे साधनो का विश्लेषण

क्रमांक	वाहन-क्षमता	स्वीकृत	उपलब्ध	मांग

1	वाटर बोजर (10000-12000 लीटर)	01	-	01
2	फोम टेन्डर	01	-	01
3	जल टेन्डर निविदा प्रकार बी (4500-5000 लीटर)	01	01	-
4	जल टेन्डर प्रकार बी (2000-2500 लीटर)	05	02	03
5	उच्च दबाव पंप के साथ 01 ट्यूनर पानी	04	01	03
6	उच्च दबाव के साथ पानी टेन्डर (300 लीटर+50 लीटर फोम)	01	-	01
7	बचाव उपकरण के साथ बचाव टेन्डर (अग्रिम)	01	-	01
8	बचाव उपकरण सेट	01	-	01
9	लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस	01	-	01
10	पशु रस्सा	01	-	01
11	फायर मोबाइल बाइक	01	01	-
12	पंप के साथ बोलेरो	-	02	-

तालिका 9.21: फायर सर्विसेज के मापदंड URDPFI Guidelines, 2014 के अनुसार

क्रमांक	वर्ग	जनसंख्या (प्रति यूनिट)	क्षेत्र
1	सब फायर स्टेशन / फायर पोस्ट	3-4 किमी के दायरे में	0.6 हेक्टेयर
2	दमकल केंद्र	2 लाख आबादी या 5-7 किमी का दायरा	1 हेक्टेयर
3	आपदा प्रबंधन योजना	प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र में एक	उपयुक्त खुले क्षेत्र के साथ 1 हेक्टेयर और सॉफ्ट पार्किंग के साथ 2 हेक्टेयर, अस्थायी आश्रय, परेड ग्राउंड
4	अग्नि प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	शहर स्तर (शहरी विस्तार में एक साइट)	3 हेक्टेयर

Source: URDPFI Guidelines, 2014

अध्याय 10

भू-उपयोग प्रस्ताव

10.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा

राज्य में शहरी क्षेत्रों के आसपास के विकास को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश भवन सञ्चालन विनिमयन अधिनियम प्रमुख कानून है। इसके बाद उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अधिनियमन किया गया। अधिनियमन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित और विकास क्षेत्रों की महायोजना तैयार किये जाते हैं। भू-उपयोग योजना महायोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है और आम तौर पर जनसंख्या अनुमानों और नामित शहर घनत्व के आधार पर अनुमानित भूमि आवश्यकताओं का परिणाम होता है। लेकिन महायोजना को केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास तक सीमित नहीं किया गया है, इससे अधिनियम के उद्देश्यों (विनियमित / विकास क्षेत्रों में बेतरतीब भवन निर्माण को नियंत्रित और विनियमित करना) को प्राप्त करने के लिए सक्षम समाधान प्रदान करने में सहायक होना चाहिए। ये समाधान विद्मान विकास प्रवृत्तियों और भौतिक रूप से पहचान योग्य सीमाओं, विशेष रूप से विद्मान शहरी बस्ती के आसपास के सड़क नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्थिति पर आधारित होते हैं। बांदा के मामले में यह देखा गया है कि:-

1. झांसी रोड, नारायणी रोड और निर्माणाधीन बाईपास के बीच विद्मान शहर के दक्षिण का क्षेत्र प्राकृतिक विस्तार के लिए अनियंत्रित विकास की चपेट में है। यह क्षेत्र पहले से ही विकासात्मक गतिविधियों का अनुभव कर रहा है। यहां तक कि बांदा विकास प्राधिकरण ने भी इस क्षेत्र में आवासीय विकास योजनाएं शुरू की हैं। इसलिए, विद्मान शहर और दक्षिणी बाईपास के बीच का यह क्षेत्र बेतरतीब विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है।
2. इसी तरह पूर्व में नरैनी रोड और बबेरू रोड के बीच का क्षेत्र भी विकास के लिए तैयार है। नरैनी सड़क तक विद्मान बाईपास का विस्तार भविष्य के शहरीकरण के लिए प्राकृतिक बाहरी सीमा बन गया है।
3. दक्षिण पश्चिम में झांसी रोड, उत्तर में फतेहपुर रोड और पूर्व में बबेरू रोड को जोड़ने के लिए पहले ही बाईपास का निर्माण किया जा चुका है। यह बाईपास शहर के भविष्य के भौतिक विस्तार के लिए प्राकृतिक बाहरी सीमा बनाता है और तेजी से विकास का अनुभव भी कर रहा है, इसलिए, इन सीमाओं के भीतर क्षेत्र को विनियमित विकास के लिए नियोजित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

इसलिए, विद्मान शहरी बस्तियों के भविष्य के भौतिक विस्तार के लिए एक प्रमुख सड़क नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं पहले से ही अस्तित्व में हैं, इसलिए, भविष्य के भू-उपयोग प्रस्तावों को प्रस्तावित करते समय इन विद्मान जमीनी वास्तविकताओं का बड़ा प्रभाव है। इन तथ्यों को हितधारकों और जिला प्रशासन के साथ हुई बातचीत में भी उजागर किया गया। उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, महायोजना/भू-उपयोग प्रस्ताव निम्नलिखित बातों पर आधारित हैं:

1. पहले से प्रकाशित बांदा महायोजना 2021 में उल्लिखित संकल्पनात्मक रूपरेखा जारी रहेगी, इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर उक्त योजना के परिणामी भू-उपयोग प्रस्तावों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. भविष्य की आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग को लगातार विस्तारित किया जाना है।
3. शहर का कोर एरिया सेंट्रल कमर्शियल एरिया बना रहेगा और इसे स्पेशल जोन के रूप में नामित किया गया है। जहां भी संभव हो, इस क्षेत्र में भीड़भाड़, पुनर्विकास/शहरी नवीनीकरण के संबंध में विशेष उपचार की आवश्यकता होगी। पारंपरिक बाज़ारों/सड़कों को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र को पदचिह्न स्तर के निर्माण पर विस्तृत करने की आवश्यकता है।
4. शहर के आसपास का विद्मान और निर्माणाधीन बाईपास शहरीकरण की बाहरी सीमा का निर्माण करेगा।
5. शहर और बाई-पास से निकलने वाली सभी प्रमुख सड़कें अनियंत्रित और रेखीय(लीनीयर) बेतरतीब विकास के दबाव का सामना कर रही हैं। इन प्रमुख सड़कों के अग्रभाग को मार्ग के दोनो ओर उपयुक्त चौड़ाई की हरित पट्टी प्रदान करके सुचारू यातायात आवाजाही के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से प्रस्तावित शहरीकरण के बाहर, केवल हरित पट्टी का प्रावधान स्थानीय और पहुंच क्षमता के कारण अनियमित विकास को रोक नहीं सकता है, इसलिए, सड़क की चौड़ा ई (आरओडब्ल्यू) से परे दोनों तरफ, ऊपर उल्लिखित प्रमुख मार्ग़ों के साथ 300 मीटर चौड़ा विकास गलियारा प्रस्तावित किया गया है। निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी इसी तरह के उपचार की आवश्यकता है।
6. विभिन्न क्षेत्र (जोंस) आपस में जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित हैं। सड़कों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में उचित लिंकेज द्वारा क्षेत्रों की इस परस्पर निर्भरता को मजबूत किया जाना है।

7. विकास क्षेत्र में बसे गांव भौतिक विस्तार के मामले में दबाव का सामना कर रहे हैं। विनियमित प्रावधानों के अभाव में, यह विस्तार बहुत अनियमित है, इसलिए, इन ग्रामीण बस्तियों को उनके भविष्य के विकास के लिए उचित स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित है कि विकास प्राधिकरण इन ग्रामीण बस्तियों के विस्तार पर विचार कर सकता है, जहां भी आवश्यक हो और इन ग्रामीण बस्तियों के आसपास एक उपयुक्त पट्टी प्रदान करने के लिए मामला-दर-मामला आधार पर विद्मान आबादियों के बाहर उनके विनियमित विकास को सक्षम करने के लिए विचार कर सकता है।

8. विकास क्षेत्र के भीतर बहने वाली केन नदी न केवल एक महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता है बल्कि बांदा शहर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत भी है। ऊपर के अलावा, यह आसपास के परिदृश्य के लिए प्राकृतिक जल निकासी के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नदी स्वयं किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से सुरक्षित रहे और इसके विपरीत बाढ़ से भी कोई नुकसान न हो। इसलिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के साथ-साथ बाढ़ शमन उपाय भविष्य के विकास प्रस्तावों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।

वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या अनुमानों और ऊपर उल्लिखित विचारों के आधार पर और यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों में भू-उपयोग के नियत कार्य को ध्यान में रखते हुए, महायोजना 2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग नीचे तालिका 10.1 में उल्लिखित हैं:

तालिका 10.1 भू-उपयोग प्रस्ताव-2031

क्रमांक	**भू-उपयोग श्रेणी**	**आर.एफ.पी की दिशानुसार क्षेत्र वितरण (शहरीकरण क्षेत्र का प्रतिशत)**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**उपलब्ध प्रतिशत**
1	आवासीय	40-45	2352.83	53.95
2	व्यावसायिक	3-4	185.90	4.26
3	औद्योगिक	6-8	220.64	5.06
4	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	8-10	426.42	9.78
5	पार्क एवं खुले-स्थल, हरित पट्टी	17-21	845.53	19.39
6	यातायात एवं संचार	12-15	329.54	7.56
	शहरीकरण क्षेत्र योग	**100**	**4360.85**	**100.00**
7	अन्य	-	264.25	
महायोग		-	**4625.10**	

आर.अफ.पी डॉक्यूमेंट एवं यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोगो को 6 मुख्य श्रेणीयों में वितरित किया गया है। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि शहरीकरण के लिए योग 4360.85 हैक्टैयर है। जिसमे से आवासीय 2352.83 हैक्टैयर, वाणिज्य 185.90 हैक्टैयर, औघोगिक 220.64 हैक्टैयर, सार्वजनिक और अर्ध सर्वजनिक 426.42 हैक्टैयर, पार्क, खुले स्थान/हरित पट्टी 845.53 हैक्टैयर और यातायात और संचार के लिए 329.54 हैक्टैयर प्रस्तावित है।

10.2 भू-उपयोग एवं प्रस्ताव

यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश हालांकि छोटे और मध्यम शहरों के लिए 100 से 150 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के शहरी स्तर के घनत्व की सिफारिश करते हैं, लेकिन विद्मान भौतिक स्थितियां और सीमाएं कभी-कभी उनके पालन की संभावना को सीमित करती हैं। बांदा शहर एक मध्यम शहर है और झांसी के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी है। इसलिए, यहां अबाधित वृद्धि और प्रमुख निवेश प्रोत्साहन की अनुमति देने के लिए, इसके भौतिक विस्तार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भौतिक सीमा को विद्मान और निर्माणाधीन बाय-पास द्वारा स्वतः परिभाषित किया गया है। तदनुसार, भू-उपयोग प्रस्तावों को नीचे तालिका 10.2 में विस्तार से उल्लिखित किया गया है।

Table 10.2 भू- उपयोग प्रस्तावों का प्रारूप 2031

क्रमांक	भू-उपयोग श्रेणी	क्षेत्र (हे.)	शहरीकरण क्षेत्र का प्रतिशत
	शहरीकरण योग्य क्षेत्र		
1	आवासीय		
1.1	ग्रामीण आबादी	35.75	0.82
1.2	निर्मित क्षेत्र	228.50	5.24
1.3	आवासीय	2088.58	47.89
	योग	**2352.83**	**53.95**
2	**व्यवसायिक**		
2.1	खुदरा/ थोक व्यवसाय	48.81	1.12

Table 10.2 भू- उपयोग प्रस्तावों का प्रारूप 2031

क्रमांक	भू-उपयोग श्रेणी	क्षेत्र (हे.)	शहरीकरण क्षेत्र का प्रतिशत
2.2	बाजार स्ट्रीट	48.63	1.12
2.3	वाणिज्यिक केंद्र	36.15	0.83
2.4	भण्डारण	3.32	0.08
2.5	मंडी (वर्तमान -12.74+ प्रस्तावित -36.73)	48.99	1.12
	योग	**185.90**	**4.26**
3	**औद्योगिक**		
3.1	वर्तमान औद्योगिक	3.88	0.09
3.2	प्रस्तावित औद्योगिक	216.76	4.97
	योग	**220.64**	**5.06**
4	**सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक**		
4.1	स्वास्थय सुविधायें	65.45	1.50
4.2	शैक्षणिक	233.57	5.36
4.3	धार्मिक (मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिद/मज़ार)	6.53	0.15
4.4	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन	10.42	0.24
4.4	शमशान	16.55	0.38
4.5	सरकारी/सार्वजनिक कार्यालय	93.91	2.15
	योग	**426.42**	**9.78**
5	**यातायात और परिवहन**		
5.1	प्रस्तावित अन्तर्राज्य बस टर्मिनल	15.10	0.35
5.2	वर्तमान बस टर्मिनल	3.09	0.07
5.3	वर्तमान सड़क प्रणाली	146.41	3.36
5.4	प्रस्तावित सड़क प्रणाली	132.19	3.03

Table 10.2 भू- उपयोग प्रस्तावों का प्रारूप 2031

क्रमांक	भू-उपयोग श्रेणी	क्षेत्र (हे.)	शहरीकरण क्षेत्र का प्रतिशत
5.5	रेलवेज	32.75	0.75
	योग	**329.54**	**7.56**
6	**मनोरंजन सुविधाएं**		
6.1	पार्क एवं खुले स्थल	538.51	12.35
6.2	हरित पट्टी (बाढ़ प्रबंधन)	122.19	2.80
6.3	हरित पट्टी (मुख्य सडकों के साथ)	81.61	1.87
6.4	हरित पट्टी (नालों/ जलाशय के साथ)	100.26	2.30
6.5	भूरागढ़ फोर्ट	2.95	0.07
	योग	**845.53**	**19.39**
योग (क) (शहरीकरण योग्य क्षेत्र)		**4360.85**	**100**
7	**अन्य**		
7.1	जलाशय	79.91	
7.2	केन नदी	137.48	
7.3	नहर/ नाले	29.30	
7.4	पहाड़ी	17.55	
	योग (ख)	**264.25**	

शेष विकास क्षेत्र			
वर्तमान			
		क्षेत्र (हे.)	**शेष विकास क्षेत्र का प्रतिशत**
8	वर्तमान कार्यालय (पी डब्लू डी गेस्टहॉउस)	5.24	0.02
9	वर्तमान अनाज मंडी	46.39	0.20

शेष विकास क्षेत्र			
वर्तमान			
		क्षेत्र (हे.)	शेष विकास क्षेत्र का प्रतिशत
10	वर्तमान सोलर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट	50.00	0.22
11	मल-शोधन सयंत्र	4.13	0.02
12	वर्तमान बाँदा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	366.88	1.58
13	वर्तमान यातायात प्रणाली (+रिंग रोड)	510.03	2.20
14	रेलवे भूमि	49.16	0.21
15	बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे	165.47	0.71
16	ग्रामीण आबादी	630.53	2.72
17	जलाशय	152.04	0.66
18	नाले	56.38	0.24
19	केन नदी	927.04	4.00
प्रस्तावित			
20	ग्राम विस्तार (आवासीय)	518.58	2.24
21	हरित पट्टी (बाढ़ प्रबंधन)	57.29	0.25
22	हरित पट्टी/पट्टी (मुख्य सडकों के साथ)	253.82	1.10
23	हरित पट्टी (नालों/ जलाशय के साथ)	118.00	0.51
24	पार्क एवं खुले स्थल	192.62	0.83
25	वर्तमान ठोस अपशिष्ट लैंडफिल साइट	21.18	0.09
26	हाईवे फैसिलिटी जोन	2196.51	9.49
27	ट्रांसपोर्ट नगर	21.52	0.09
28	सड़कें	199.56	0.86
29	औद्योगिक एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर	449.01	1.94
30	कृषि क्षेत्र	16156.57	69.80
योग (ग)		**23147.95**	**100**
महायोग (क+ख+ग)		**27773.05**	

***प्रस्तावित शहरीकरण सीमा के भीतर स्थित गैर-शहरीकरण योग्य क्षेत्रों (264.25 हेक्टेयर) को छोड़कर, योग शहरीकरण योग्य क्षेत्र 4360.85 हेक्टेयर है। यू०पी०एस०आइ०डी०सी० के प्रस्तावित क्षेत्र (39.16+35.94=75.10) को महायोजना 2031 के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है।**

ड्राफ्ट महायोजना 2031 के लिए भू-उपयोग प्रस्तावों को नीचे दिए गए मानचित्र 10.1 में दिखाया गया है:

मानचित्र 10.1 प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र: बांदा विकास क्षेत्र

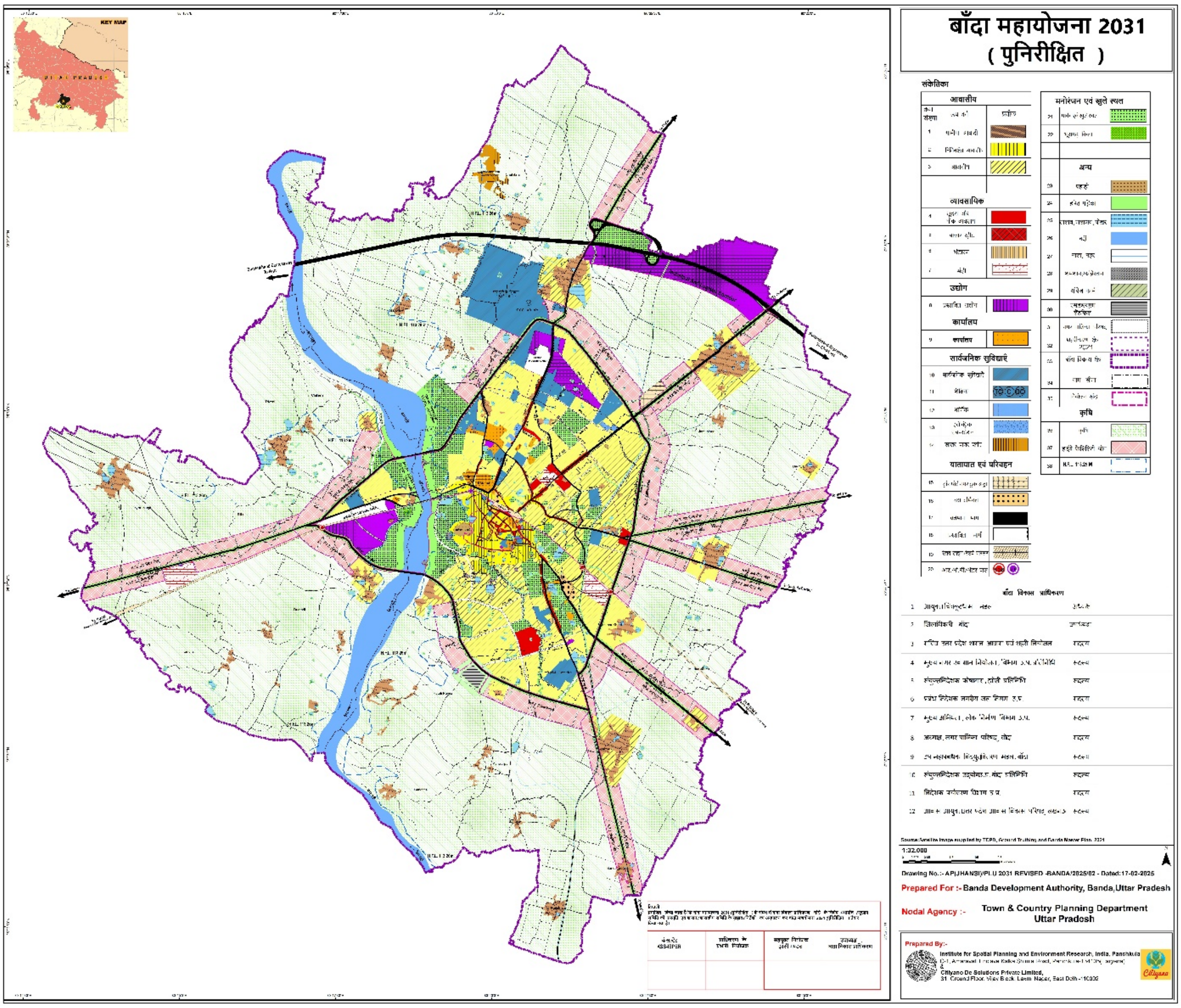

10.2.1 आवासीय:

बांदा शहर बांदा जिले के लिए एक प्रशासनिक सह सेवा शहर है। इसलिए आवासीय घटक प्रमुख उपयोग है। आवासीय भू-उपयोग में बांदा महायोजना 2021 के अनुसार 737.53 हेक्टेयर के प्रस्ताव और 1615.30 हेक्टेयर के अतिरिक्त प्रस्ताव शामिल हैं। आवासीय भू-उपयोग में ग्रामीण आबादियों के तहत 35.75 हेक्टेयर क्षेत्र और 228.50 हेक्टेयर निर्मित क्षेत्र भी शामिल है। आवासीय भू-उपयोग के तहत प्रस्तावित कुल 2352.83 हेक्टेयर क्षेत्रफल है जो प्रस्तावित शहरीकरण योग्य क्षेत्र का 53.95% है। यह नोट किया गया था कि महायोजना 2021 में, विद्‌मान शहर के दक्षिण में आवासीय भू-उपयोग के लिए कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया था। दक्षिण की ओर निर्माणाधीन बाइपास को देखते हुए इस क्षेत्र में जबरदस्त दबाव होने की संभावना है, इसलिए नियोजित और विनियमित विकास की

आवश्यकता है। उपरोक्त के अलावा केन नदी के पार आवासीय प्रस्ताव रखने का मुद्दा भी हितधारकों की बैठक में सुझाया गया था। इसी तरह, उत्तर और पश्चिम में बाईपास/रिंग रोड पर भी समान प्रभाव पड़ेगा जिसके लिए नियोजित हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। अतः सभी विकास क्षेत्रों में आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है, जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के भीतर एक छोटा आवासीय घटक भी शामिल है, ताकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास उपलब्ध कराया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय प्रस्तावों का विवरण नीचे तालिका 10.3 में दिया गया है:

तालिका 10.3 विकास क्षेत्र में आवासीय प्रस्तावों का विवरण

1	आवासीय	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत
1.1	ग्रामीण आबादी	35.75	0.82
1.2	निर्मित क्षेत्र	228.50	5.24
1.3	आवासीय	2088.58	47.89
	योग	**2352.83**	**53.95**

प्रस्तावित आवासीय विकास निम्न से मध्यम का घनत्व है: आवासीय घनत्व 155 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। इसका कारण यह है कि अधिकांश जनसंख्या शहर के मुख्य क्षेत्र में केंद्रित है। इस प्रकार, वर्तमान में भीड़-भाड़ कम करने के साथ विद्मान शहर के बाहर नियोजित विकास/विस्तार, स्वाभाविक रूप से मुख्य क्षेत्र से सीमांत क्षेत्र में प्रवास की शुरुआत करेगा, जिससे जनसंख्या घनत्व में कमी आएगी।

आवासीय विकास मोहल्ला सिद्धांतों पर किया गया , जो यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूलों, औषधालयों, सामुदायिक स्थलों, पुलिस चौकियों, डाकघरों और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे संपूर्ण सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को प्रदान करता है।

10.2.2 निर्मित क्षेत्र

महायोजना में 2352.83 हेक्टेयर दिए गए आवासीय प्रस्तावों में 228.50 हेक्टेयर निर्मित क्षेत्र है जो महायोजना प्रस्तावनाओं का केवल 5.24% है। मुख्यतः यह निर्मित क्षेत्र वर्तमान महायोजना

2021 की प्रस्तावनाओं में ही समायोजित है एवं शहर का कोर एरिया तथा निर्मित किये जा रहे रिंग रोड के भीतर ही है। निर्मित क्षेत्र का स्वरुप मुख्यतः आवासीय एवं व्यसायिक है।

10.2.3 व्यवसायिक:

वाणिज्यिक क्षेत्र में 42.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित वर्ष 2021 कि महायोजना से 143.54 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र है। 185.90 हेक्टेयर वाणिज्यिक भू-उपयोग प्रस्तावित भू-उपयोग का 4.26% है। वाणिज्यिक क्षेत्रों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तावित किया गया है अर्थात सिटी सेंटर/केंद्रीय व्यापार जिला, जिला केंद्र और सुविधाजनक खरीदारी। जिला केंद्रों के रूप में वाणिज्यिक क्षेत्रों को न केवल भविष्य की आबादी की सेवा के लिए प्रस्तावित किया गया है बल्कि कोर जोन/शहर के केंद्र से पुनर्वितरण को भी समायोजित किया गया । सुविधाजनक और नेबरहुड खरीदारी क्षेत्र आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना का हिस्सा होंगे।

चूंकि शहर आसपास के क्षेत्र के लिए कृषि उपज के लिए एक मंडी के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए झांसी रोड पर विद्मान अनाज बाजार को बनाए रखते हुए, तिंदवारी रोड पर संचालित अनाज बाजार को वाणिज्यिक भू-उपयोग प्रस्तावों में भी ध्यान में रखा गया है। ऊपर के अलावा अलग-अलग जोन में बिखरे गोदामों को ऐसे ही रखा गया है। भविष्य के वेयरहाउसिंग और भंडारण प्रस्तावों की योजना/अनुमति राजमार्ग सुविधा और संस्थागत क्षेत्र के भीतर सभी प्रमुख राजमार्गों/बाईपासों के साथ प्रस्तावित किया गया । वाणिज्यिक भू-उपयोग के लिए विस्तृत प्रस्ताव नीचे तालिका 10.4 में दिए गए हैं:

तालिका 10.4 विकास क्षेत्र में व्यवसायिक प्रस्तावों का विवरण

10.4	व्यवसायिक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत
2.1	खुदरा/ थोक व्यवसाय	48.81	1.12
2.2	बाजार स्ट्रीट	48.63	1.12
2.3	वाणिज्यिक केंद्र	36.15	0.83
2.4	भण्डारण	3.32	0.08
2.5	मंडी (वर्तमान -12.27+ प्रस्तावित -36.72)	48.99	1.12
	योग	**185.90**	**4.26**

10.2.3.1 बाजार स्ट्रीट

स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोर सिटी सेंटर "सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट" (सीबीडी) के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। इस कोर एरिया में बाजार स्ट्रीट* की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया रहेगा। महायोजना 2031 में बाजार स्ट्रीट के अंतर्गत योग 48.63 हेक्टर्स के प्रस्ताव दिए गए हैं जो कि व्यावसायिक भू-उपयोग का 26.16 प्रतिशत है। इस क्षेत्रफल मे महायोजना 2021 में दिए गए प्रस्ताव भी शामिल हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए विस्तृत क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करते समय वाहनों की भीड़, पैदल चलने वालों की आवाजाही, पार्किंग और खुले स्थान आदि जैसे मुद्दों पर विचार किया गया । विशेष रूप से पैदल चलने वालों के लिए सड़कें आरक्षित होंगी। इसके अलावा यातायात की समस्या को कम करने के लिए, जोनिंग योजना का विवरण देते हुए चिन्हित सड़कों पर यातायात की एक तरफ आवाजाही को भी ठीक किया गया।

1. बाजार स्ट्रीट के लिए प्रावधान इस प्रकार से हैं:
    - वर्तमान में लागू महायोजना के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना 2031 के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित कि जाने वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग कि प्रस्तावित/विद्यमान चौड़ाई के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के दृश्टिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मी निर्धारित किया जाने का सुझाव दिया गया।
    - अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित / विद्यमान मार्गो पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण / चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।
    - प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।
    - प्राधिकरण की योजनाओं / स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावो के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले-आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगें।

- बाजार स्ट्रीट में क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में तत्समय शासनादेश/भवन उपविधि के प्राविधान लागू होगे।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त आपत्ति एवं सुझाव उपरांत विकास प्राधिकरण बाँदा की संस्तुति अनुसार नगर के निर्मित क्षेत्र जहाँ पर बाजार विकसित हो रहे है में 12 मीटर चौड़े मार्ग पर दोनों ओर 15 मीटर गहराई तक तथा 9 मीटर चौड़े मार्ग पर 12 मीटर गहराई तक बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित की गयी है।

मानचित्र 10.2 प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट

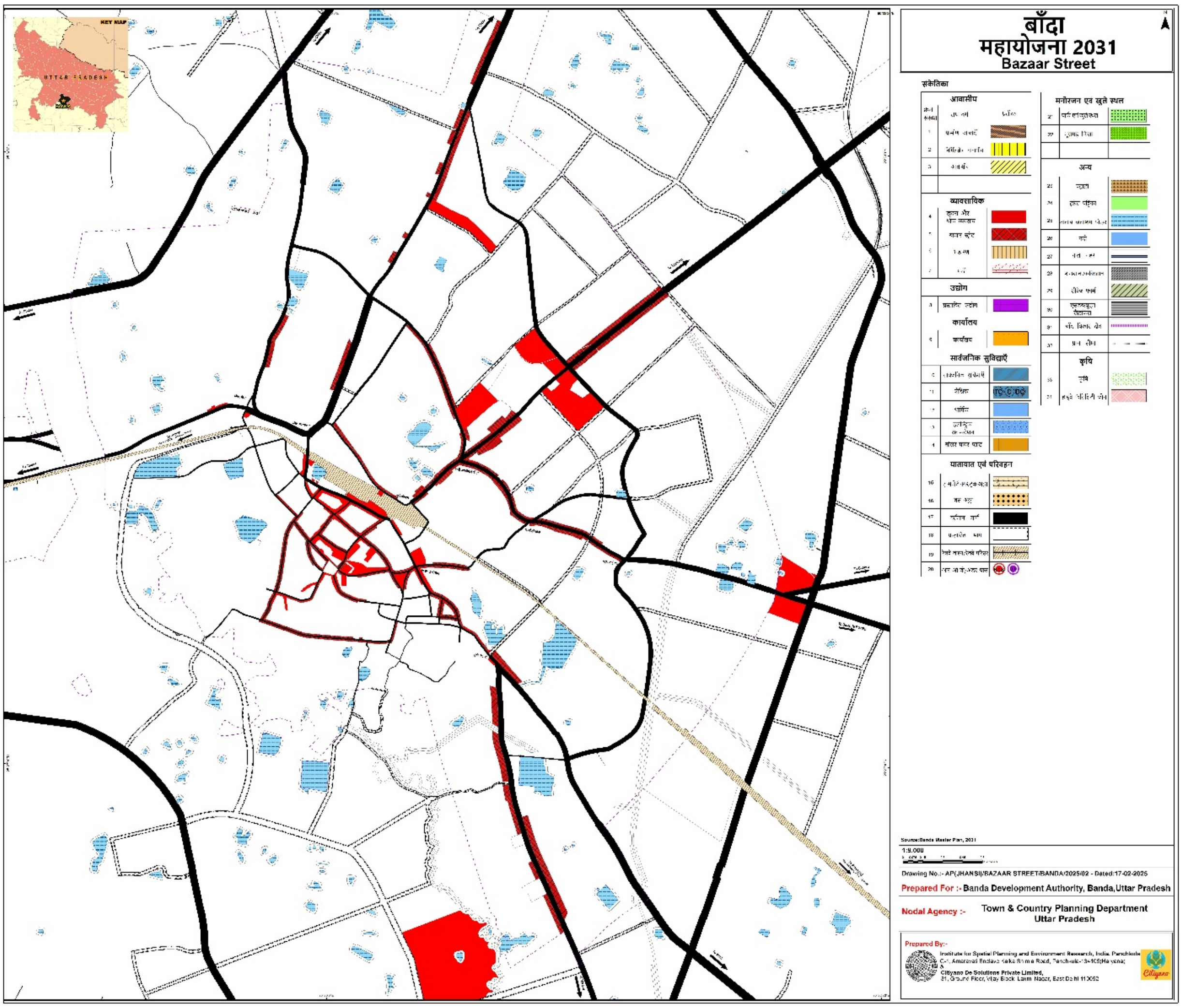

तालिका 10.4.1 प्रमुख बाजार स्ट्रीट का विवरण

क्रमांक संख्या	प्रमुख सड़क की लम्बाई का विवरण	बाजार स्ट्रीट की लम्बाई (मीटर)	बाजार स्ट्रीट की गहराई (मीटर)
1	चुंगी तिराहा से राजा देवी डिग्री कॉलेज के समीप (बाँदा-नरैनी रोड़)	835.61	30
2	चुंगी तिराहा से प्रस्तावित बस टर्मिनल (बाँदा-अतर्रा रोड़)	730.85	30

3	बाबूलाल चौराहा से चुंगी तिराहा	1583	30
4	पुलिस लाइन रोड़ पर महाराणा प्रताप चौराहा से अवन्ति बाई चौराहा होते हुए चमरोड़ी चौराहा से छोटा बाईपास तक (बाँदा-बबेरू रोड़)	2470	30
5	कलेक्टोरेट से जिला हॉस्पिटल होते हुए महाराणा प्रताप चौक से कालू कुआँ चौराहा	2970	30
6	रेलवे चौक से GIC चौराहा	817	30
7	रेलवे चौक से अवन्ति बाई चौराहा से छोटा बाईपास चौराहा होते हुए सेंट मैरी स्कूल के सामने (बाँदा-तिंदवारी रोड)	3827	30
8	डिस्ट्रिक्ट जेल से स्टेडियम तक	433.12	30
9	अत्तरा चुंगी से नरेनी मार्ग पर दाईं तरफ	3.57	45/30
10	अत्तरा चुंगी से नरेनी मार्ग पर बाईं तरफ	3.68	45

10.2.4 औद्योगिक:

महायोजना 2021 में झांसी रोड और कानपुर रोड के साथ औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किए गए थे। बांदा शहर के लिए औद्योगिक उपयोग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महायोजना 2021 के प्रस्तावों को बरकरार रखते हुए कुछ क्षेत्रों को जोड़ा गया है। प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग 220.64 हेक्टेयर है। औद्योगिक उपयोग मुख्य रूप से जोन 'ए' और 'डी' में वितरित किया गया है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों की आवास आवश्यकताओं और वाणिज्यिक स्थान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवासीय और वाणिज्यिक भू-उपयोग के लिए उपयुक्त प्रस्ताव भी बनाए गए हैं। प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग शहरीकरण योग्य क्षेत्र का 5.06% है। यह औद्योगिक क्षेत्र बांदा शहर और उसके आसपास के क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह कानपुर से स्पिलओवर को भी आकर्षित करेगा। उम्मीद है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और मध्यम और बड़े उद्यमों के विकास के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र को खोल देगा। औद्योगिक भू-उपयोग के लिए विस्तृत प्रस्ताव नीचे तालिका 10.5 में दिए गए हैं

तालिका 10.5 विकास क्षेत्र में औद्योगिक प्रस्तावों का विवरण

10.5	औद्योगिक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत
3.1	वर्तमान औद्योगिक	3.88	0.09
3.2	प्रस्तावित औद्योगिक	216.76	4.97
	योग	**220.64**	**5.06**

10.2.5 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक:

सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रीय गतिविधि की श्रेणी के साथ-साथ भविष्य के संस्थागत उपयोगों के लिए क्षेत्र की आवश्यकता शामिल है। सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक के तहत प्रस्तावित क्षेत्रफल योग 426.42 हेक्टेयर है। महायोजना में सभी शमशान / कब्रिस्तानों की भूमि को महायोजना 2031 में यथासंभव अंकित कर महायोजना मानचित्र में दर्शाया गया है, यदि अंकन में छूट गया हो तो राजस्व अभिलेखनुसार ही शमशान/ कब्रिस्तान मान्य होंगे । सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग के लिए विस्तृत प्रस्ताव नीचे तालिका 10.6 में दिए गए हैं:

तालिका 10.6 विकास क्षेत्र में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक प्रस्तावों का विवरण

4	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत
4.1	स्वास्थय सुविधायें	65.45	1.50
4.2	शैक्षणिक	233.57	5.36
4.3	धार्मिक (मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिद/मज़ार)	6.53	0.15
4.4	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन	10.42	0.24
4.5	शमशान	16.55	0.38
4.6	सरकारी/सार्वजनिक कार्यालय	93.91	2.15
	योग	**426.42**	**9.78**

10.2.6 यातायात और परिवहन:

एक शहरी क्षेत्र के लोगों और गतिविधियों के स्थानिक वितरण का परिणाम इसके रूप और संरचना में होता है। समय-समय पर विकसित हुए परिवहन नेटवर्क एक शहर के भौतिक रूप को नया रूप देते हैं। महत्वपूर्ण प्रमुख रूप रैखिक, रेडियल और रेडियल-सह-कक्षीय हैं। शहर के रूप और संरचना के प्रत्येक संयोजन के फायदे और बाधाएं हैं। जब शहर युवा और आकार में छोटा हो तो रेडियल नेटवर्क सिस्टम के साथ एक साधारण मोनो-न्यूक्लियस संरचना सबसे इष्टतम हो सकती है। हालाँकि, जैसे-जैसे शहर बढ़ता है तब रूप और संरचना में परिवर्तन होता है जिसे कई सक्षम कारकों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। बाजार की ताकतें लंबी अवधि में अनुकूलन करने की कोशिश करती हैं। यातायात और परिवहन भू-उपयोग प्रस्ताव 329.54 हेक्टेयर के लिए हैं। यह प्रस्तावित शहरीकरण

का 7.56 % है। इसमें विद्मान बस टर्मिनल, प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल, विद्मान और प्रस्तावित सड़क नेटवर्क, प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और विद्मान रेलवे ट्रैक के तहत क्षेत्र और रेलवे स्टेशन शामिल हैं। शहरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर का रिंगरोड न केवल भविष्य के शहरीकरण के लिए एक बाहरी सीमा प्रदान करता है बल्कि शहर में बाहय यातायात के लिए विकल्प भी प्रदान करेगा और आंतरिक सड़क नेटवर्क को अत्यधिक ट्रेफिक को कम करने में मदद करेगा। उक्त के अलावा यदि कोई भूमि वन क्षेत्र/ पी.ए.सी./ बी.एस.एफ./ रेलवे संपत्ति/ राजकीय भूमि में दर्शित हो, तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत संदर्भित भूमि का भू उपयोग संदर्भित भूमि से निकटवर्ती प्रस्तावित भू उपयोग माना जाएगा।

प्रस्तावित बस और ट्रक टर्मिनल

विद्मान बांदा शहर में शहर के परिसर के अंदर एक बस टर्मिनल (3.09 हेक्टेयर) है जो ड्राइवरों/ कंडक्टरों और आगंतुकों दोनों के लिए बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं के बिना अवांछित रूप में है। इसलिए यह प्रस्तावित है कि बेहतर क्षेत्रीय संपर्क के लिए तिंदवारी रोड, बांदा बाईपास के पास क्षेत्रीय यातायात और अतिरिक्त बस बेड़े प्रणाली के लिए एक नया बस टर्मिनल विकसित किया गया है, जबकि विद्मान बस टर्मिनल को बांदा शहर में आने वाले यात्रियों के बोर्डिंग और उतरने के लिए रखा गया है। इसी प्रकार माल ढोने वाले भारी वाहनों की पार्किंग के लिए तिंदवारी रोड पर 21.52 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित है। इसके अलावा, अत्तरा रोड पर अंतर राज्यीय बस/ट्रक टर्मिनल के लिए 15.10 हेक्टेयर साइट प्रस्तावित है। यह अंततः मुख्य सड़कों की भीड़भाड़ को कम करेगा और शहर के चारों ओर यातायात की सुचारू आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। यातायात और परिवहन भू-उपयोग प्रस्तावों के विस्तृत प्रस्ताव नीचे तालिका 10.7 में दिए गए हैं:

तालिका 10.7 विकास क्षेत्रों में यातायात और परिवहन प्रस्तावों का विवरण

5	यातायात और परिवहन	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत
5.1	प्रस्तावित अन्तर्राज्य बस टर्मिनल	15.10	0.35
5.2	वर्तमान बस टर्मिनल	3.09	0.07
5.3	आउटर रिंग रोड सहित वर्तमान सड़क प्रणाली	146.41	3.36
5.4	प्रस्तावित सड़क प्रणाली	132.19	3.03
5.5	रेलवे	32.75	0.75
	योग	**329.54**	**7.56**

प्रस्तावित सड़क ज्यामिति और संबंधित अवसंरचना

बांदा 2031 की प्रस्तावित विकास योजना ने यातायात के सुचारू प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और यातायात दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आईआरसी कोड के अनुसार आगे के पुनर्निर्माण के लिए अठारह (18) महत्वपूर्ण सड़क जंक्शनों (नीचे सूचीबद्ध और मानचित्र 10.3 में दिखाया गया है) की पहचान की है।

तालिका 10.8: पुन: डिज़ाइन करने के लिए पहचाने गए जंक्शनों की सूची

क्र स	जंकशन नाम	क्र स	जंकशन नाम
1	किरण कॉलेज चौराहा	11	स्टेशन तिराहा
2	क्योटरा चौराहा	12	बलखंडी नका
3	जजी चौराहा	13	माहेश्वरी देवी चौराहा
4	पद्मकर चौराहा	14	चमरोड़ी चौराहा
5	कोतवाली चौराहा	15	सब्ज़ी मंडी तिराहा
6	महाराणा प्रताप चौराहा	16	कालू कुआँ
7	बाबूलाल चौराहा	17	झंडा चौराहा
8	जामिआ मस्जिद चौराहा	18	ओवर ब्रिज तिराहा
9	फ्लाईओवर कनेक्टिंग केन एम्बैंकमेंट रोड टु झाँसी रोड	19	पीली कोठी पेट्रोल पंप चौराहा
10	खूटी (Khuti) चौराहा	20	चुंगी चौकी चौराहा

मानचित्र 10.3: प्रस्तावित परिवहन और संचार तंत्र

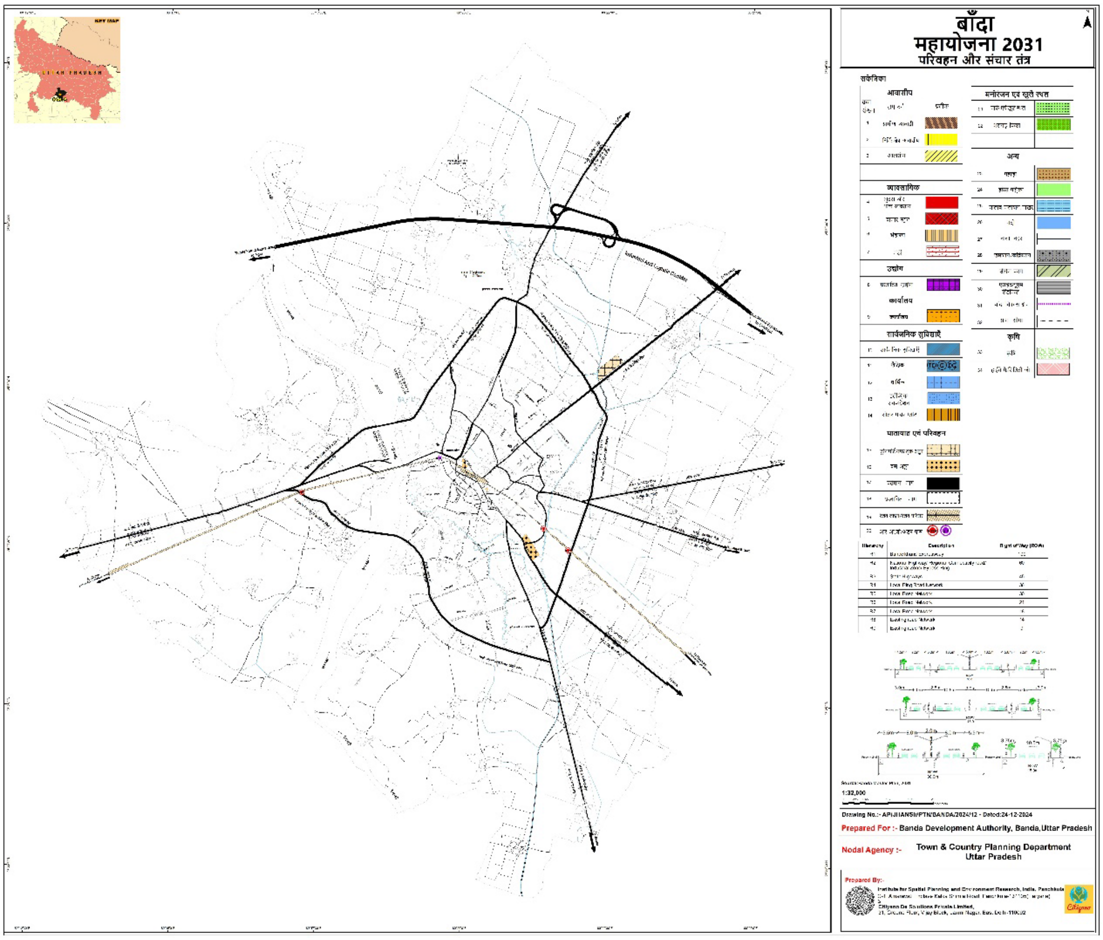

उपरोक्त विद्मान सड़क जंक्शनों/चौकों के अलावा, नए सड़क संरेखण और एक्सेस कॉरिडोर का प्रस्ताव करते हुए, झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन (जो विद्मान शहर को दो भागों में विभाजित कर रहा है) के साथ तीन रेल अंडर पास प्रस्तावित किए गए हैं (मानचित्र 10.3 देखें)। दोनों ढालों पर यातायात की मुक्त आवाजाही है। प्रस्तावित सड़क पदानुक्रम का विवरण विवरण और रास्ते की चौड़ाई, नीचे तालिका 10.9 में उल्लिखित है:

तालिका 10.9: सड़क की चौड़ाई के साथ सड़क पदानुक्रम विवरण

पदानुक्रम	विवरण	सड़क की चौड़ाई (ROW)
R1	बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे	100
R2	नेशनल हाईवे/ रीजनल कनेक्टिविटी रोड/ इंडस्ट्रियल जोन/ बाईपास रिंग	60
R3	स्टेट हाईवे	45
R4	लोकल रिंग रोड नेटवर्क	36
R5	लोकल रोड नेटवर्क	30
R6	लोकल रोड नेटवर्क	24
R7	लोकल रोड नेटवर्क	18
R8	एक्सिस्टिंग रोड नेटवर्क	14
R9	एक्सिस्टिंग रोड नेटवर्क	9

चित्र 10.1: विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए प्रस्तावित क्रॉस-सेक्शन

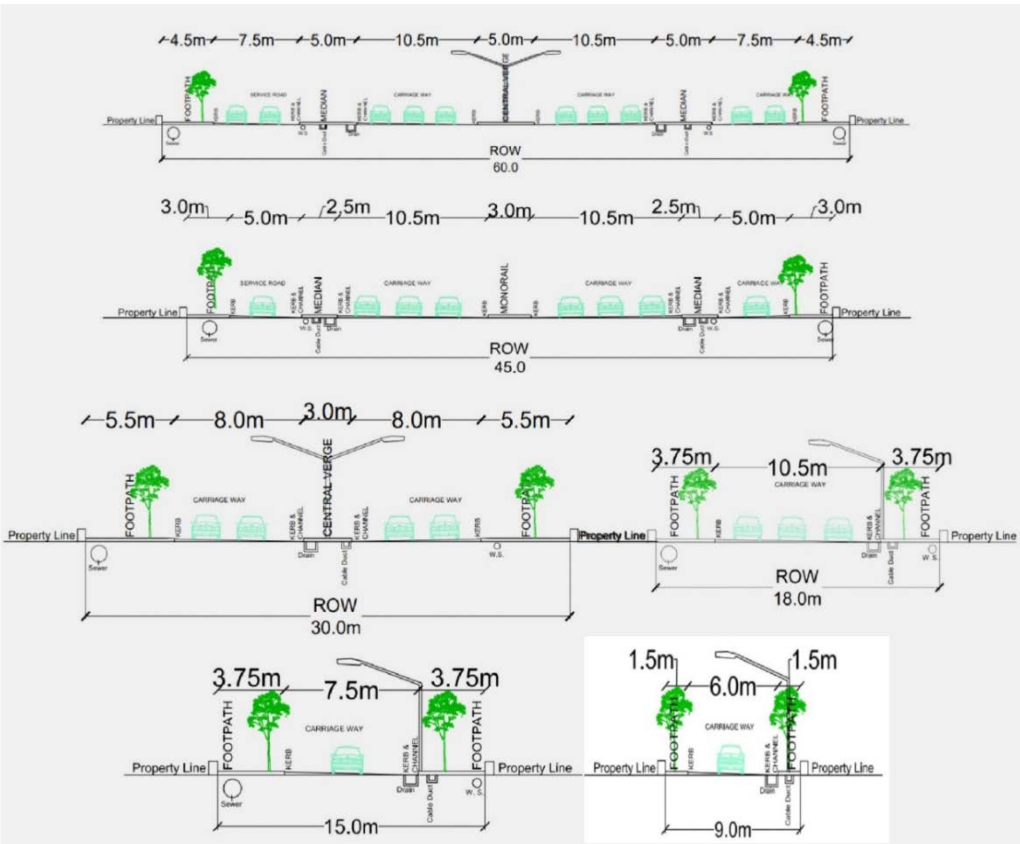

बांदा महायोजना 2021 के प्रमुख प्रस्तावों को नीचे तालिका 10.10 में दर्शाया गया है:-

तालिका 10.10: बांदा महायोजना 2021 में सड़कों का प्रस्ताव

क्रमांक	सड़क विवरण	2031 मे प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई (मीटर में)
ए	राष्ट्रीय राजमार्ग	
1	बांदा-झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-76	
1.1	महोबा से केन नदी तक	45
1.2	केन नदी से आबकारी कार्यालय वाया कछारी चौक, रेलवे ओवरब्रिज एवं विद्युत विभाग कार्यालय	30/24/14/18/14
1.3	आबकारी कार्यालय चौराहे से संभागीय दूरसंचार गोदाम तक	45
1.4	संभागीय दूरसंचार गोदाम से इलाहाबाद मार्ग तक	60
2	बांदा- चीला- फतेहपुर- बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग-13	
2.1	महोबा-बांदा रोड पर कचेरी चौक से चिल्ला रोड पर पावरहाउस तक	30
2.2	चिल्ला रोड पर पावरहाउस से प्रस्तावित 36 मीटर चौड़े बाईपास के माध्यम से मवई बुजुर्ग के पास प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ा बाईपास तक	45
2.3	मवई बुजुर्ग के पास से चिल्ला तक प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े बाइपास से	45
बी	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी	
1.1	जेल त्रि-चौराहे से महोबा-बांदा मार्ग पर हरदौली गांव के पास नए प्रस्तावित 36 मीटर चौड़े बाईपास तक	30
1.2	हरदौली गांव से नव प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बाइपास सड़क तक	45
1.3	हमीरपुर मार्ग पर नव प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बायपास सड़क से	60
1.4.	रेलवे ओवरब्रिज से नव प्रस्तावित 36 मीटर चौड़ा	30
1.5	तिंदवारी मार्ग पर प्रस्तावित 36 मीटर चौड़ी बाईपास सड़क से प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बाईपास सड़क तक	45

क्रमांक	सड़क विवरण	2031 मे प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई (मीटर में)
1.6	तिन्दवारी रोड पर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े बाइपास रोड	60
1.7	कालुकुआं चौराहे से बिसंडा रोड तक बांदा तिंदवारी रोड पर प्रस्तावित 36 मीटर बाइपास रोड तक	30
1.8	प्रस्तावित 36 मीटर चौड़ी बाइपास रोड से बिसंडा रोड पर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बाइपास रोड तक	45
1.9	बिसंडा मार्ग पर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े बाइपास रोड से	60
1.10	आबकारी कार्यालय से बांदा-इलाहाबाद मार्ग पर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बाइपास सड़क तक	45
1.11	बांदा-इलाहाबाद रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास	60
1.12	बबेरू रोड पर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी सड़क से बिसंडा रोड तक	60
सी	नव प्रस्तावित बाईपास रोड	
1	तुलसी नगर पालिका परिषद आवास योजना पर नव रिंग रोड बायपास को पूर्व दिशा की ओर 18 मीटर से 36 मीटर तक चौड़ा किया गया।	36/36
डी	अन्य प्रस्तावित सड़कें	
1	कालुकुआं चौराहे से प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी सड़क, महाराणा प्रताप चौराहे से होते हुए मंडी के पीछे और प्रस्तावित 36 मीटर चौड़ी सड़क को जोड़ने वाली सड़क।	24
2	चीला रोड पर बिजलीघर को प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी सड़क के माध्यम से श्मशान घाट से जोड़ने वाली सड़क	24
3	कालुकुआं चौराहे से प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी सड़क, महाराणा प्रताप चौराहे से होते हुए मंडी के पीछे और प्रस्तावित 36 मीटर चौड़ी सड़क को जोड़ने वाली सड़क।	24

क्रमांक	सड़क विवरण	2031 मे प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई (मीटर में)
4	डिग्री कॉलेज के पास प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी सड़क को मंडी के पीछे से 36 मीटर चौड़ी और 60 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने वाली सड़क।	18
5	कालुकुआं चौराहे को अंबेडकर चौराहे के रास्ते नई प्रस्तावित 36 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने वाली सड़क।	24
6	मंडी समिति को आबकारी कार्यालय से जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क	24
7	अम्बेडकर चौक को सामुदायिक सुविधाओं के माध्यम से प्रस्तावित पार्क तक प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने वाली सड़क।	24
8	अम्बेडकर चौक से सिटी पार्क को 24 मीटर चौड़ी सड़क और 36 मीटर चौड़ी सड़क के माध्यम से जोड़ने वाली सड़क।	24
9	बाबूलाल चौक से अंबेडकर चौक तक अंडरपास और रेलवे ट्रैक के साथ 24 मीटर चौड़ी सड़क	18
10	बडोखर खुर्द प्रखंड के पूर्वी हिस्से में बांदा-इलाहाबाद और बांदा-नारायणी मार्ग को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क	30
1 1	बांदा-मानिकपुर रेलवे लाइन के उत्तर में प्रस्तावित 36 मीटर चौड़ी बाईपास सड़क को प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी बाईपास सड़क से जोड़ने वाली सड़क।	24
इ	वर्तमान सड़क नेटवर्क	
1	बांदा-महोबा रोड (केन नदी से जाजी चौक तक)	30
2	जाजी चौक से हाइडल पावर प्लांट (बांदा चिल्ला रोड)	30
3	जाजी कचेरी चौक से श्री बजरंग स्कूल के पास पेट्रोल पंप	18
4	केवत्रा चुंगी से पुलिस लाइंस तक	30
5	कालुकुआं चौराहे से कृषि उत्पादन मंडी समिति (तिंदवारी रोड) तक	30
6	चर्च रोड, कालुकुआं चुंगी से पुलिस लाइन्स हमीरपुर रोड पर गिरजाचुंगी के पास	24
7	बबेरू रोड (लोको शेड डायवर्जन रोड तक)	30
8	कचेहरी चौक से दिग्गी चौक	24
9	डिग्गी चौक से बजरंग स्कूल के पास पेट्रोल पंप	14
10	दिग्गीचौक से खिन्नीचौक वाया पद्माकरचौक	9
1 1	खिन्नी नाका चौक से महिला डिग्री कॉलेज	12
12	महिला डिग्री कॉलेज से रेलवे ओवरहेड ब्रिज वाया बाबूलाल चौक	12
13	रेलवे ओवरहेड ब्रिज से बबेरू रोड	18

क्रमांक	सड़क विवरण	2031 मे प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई (मीटर में)
14	महिला डिग्री कॉलेज से खूटीचौक	12
15	पद्माकर चौक से जामा मस्जिद	12
16	केवड़ा चुंगी से अमर तकिस चौक वाया बलखंडी नाका	9
17	बलखंडी नाका से शंकरगुरु चौक से गुलर्नका चौक तक	9
18	झंडा चौक से कोतवाली चौक	9-12
19	कोतवाली चौक से डीएवी इंटर कॉलेज के माध्यम से टेलीफोन एक्सचेंज	9-12
20	शंकरगुरु चौक से पीली कोठी वाया छावनी चौक	9-12
21	श्री बजरंग स्कूल से पुराने बिजलीघर के पास पेट्रोल पंप	14
22	पुराना बिजलीघर से आम बाग चुंगी पुलिस चौकी	14-18-14
23	राम लीला मैदान के रास्ते माहेश्वरी देवी स्टेशन	यथास्थित
24	जिला अधिकारी आवास, जीआईसी कॉलेज और बस स्टैंड रोड के माध्यम से डिग्री कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक।	18

10.2.7 जन उपयोगिताएं

शहरीकरण को दृश्टिगत रखते हुए नगर में सीवेज व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक हैं। सीवेज निस्तारण हेतु महायोजना में मल-शोधन सयंत्र 4.13 हेक्टेयर में यथावत प्रस्तावित हैं। यह मल-शोधन सयंत्र बाँदा रिंग रोड के बाहर, हरदौली-कंवारा रोड़ पर प्रस्तावित हैं।

वर्तमान में ठोस कचरे को एकत्र करके ग्राम हटती पूर्व में डंप किया जाता हैं। प्रस्तावित जनसँख्या के लिए वैज्ञानिक तरिके से ठोस अपशिस्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा 21.18 हेक्टेयर में ग्राम हटती पूर्व में बाँदा रिंग रोड पर प्रस्तावित कि गयी हैं। ठोस अपशिस्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चतुरगिर्द 200 मीटर तक हरित पट्टी अनुरक्षित हैं।

10.2.8 पार्क एवं खुले स्थल

पार्क और खुले स्थान आबादी के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं। हालांकि कोर क्षेत्र में ऐसे खुले स्थानों और पार्कों का अभाव है लेकिन परिधि में ऐसे स्थानों और संभावित क्षेत्रों की संख्या मौजूद है। विकास क्षेत्र में स्थित किले और मंदिर स्थानीय और क्षेत्रीय मनोरंजन के लिए संभावनाए प्रदान करते

हैं। केन नदी श्रेष्ठ, रिवर फ्रंट के विकास और साथ ही, मनोरंजक गतिविधियों के लिए श्रेष्ठ सम्भावनाए पैदा करती है। शहर स्तर/जिला स्तर के पार्क भी प्रस्तावित किए गए हैं। खुले स्थान, पार्क और हरित पट्टी के तहत प्रस्तावित क्षेत्र 845.53 हेक्टेयर है जो प्रस्तावित शहरीकरण का लगभग 19.39 % है।

मानचित्र 10.4: प्रस्तावित ग्रीन लेयर मैप

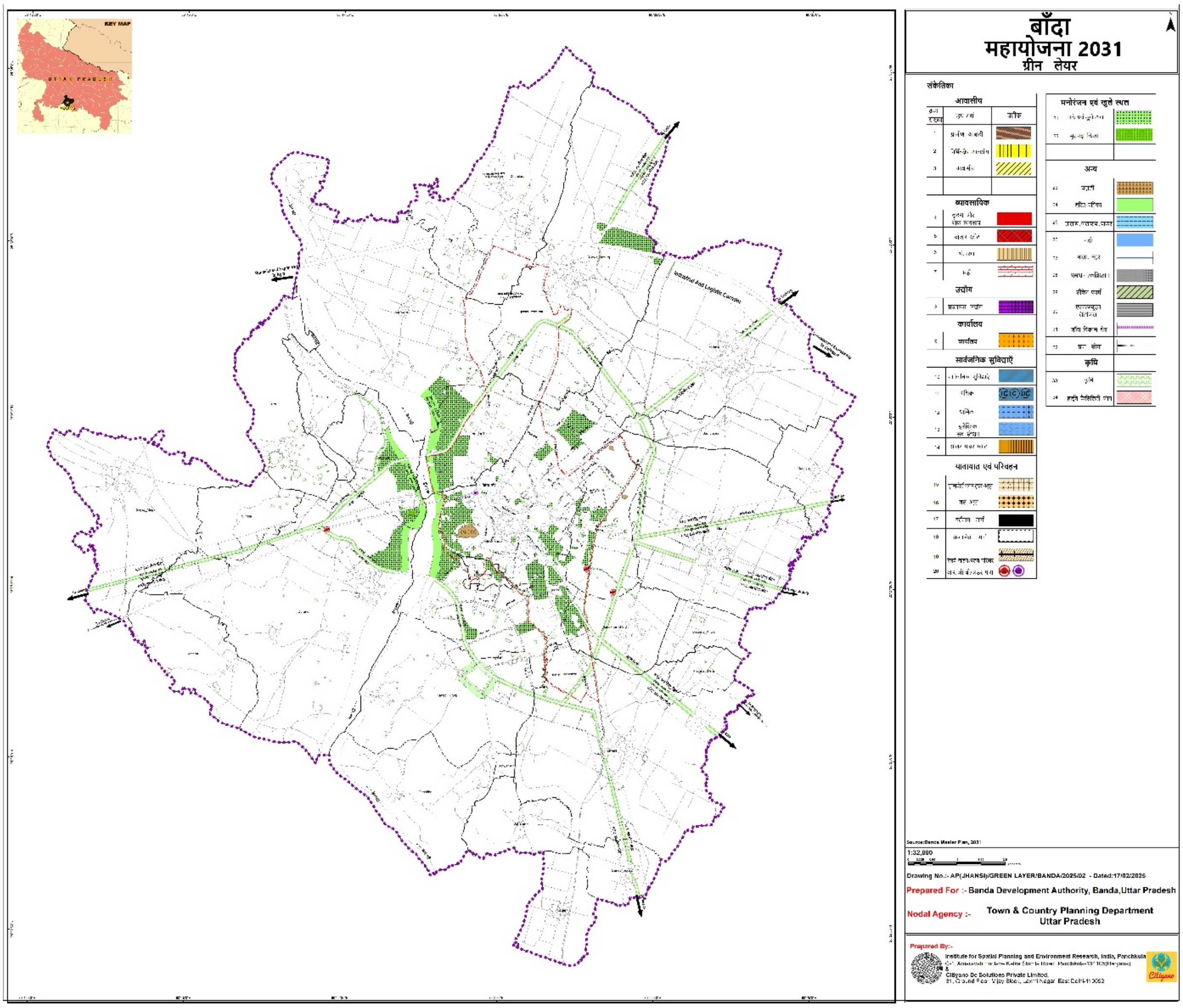

पार्कों और खुले स्थानों के भू-उपयोग के विस्तृत प्रस्ताव नीचे तालिका 10.11 में दिए गए हैं:

तालिका 10.11: पार्क/खुले स्थान और मनोरंजन

10.11	पार्क एवं खुले स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत
6.1	पार्क और खेल के मैदान	538.51	12.35
6.2	हरित पट्टी (बाढ़ प्रबंधन)	122.19	2.80
6.3	हरित पट्टी (मुख्य सडकों के साथ)	81.61	1.87
6.4	हरित पट्टी (नालों/जलाशय के साथ)	100.26	2.30
6.5	भूरागढ़ फोर्ट	2.95	0.07
	योग	**845.53**	**19.39**

10.2.9 हरित पट्टी

मानचित्र 10.1 शहरीकरण योग्य क्षेत्र की सीमा को दर्शाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, बाईपास के साथ बेतरतीब और अनियमित विकास निर्माण को रोकने के लिए इन राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और बाईपास के दोनों ओर 30 मीटर चौड़ाई की एकसमान ग्रीनबेल्ट प्रस्तावित की गयी है। चूंकि इन प्रमुख धमनियों के साथ एक राजमार्ग सुविधा और संस्थागत क्षेत्र (Highway Facility Zone) प्रस्तावित किया गया है, ये हरित पट्टी सड़क के दोनों ओर अवांछित विकास/निर्माण से रक्षा करेगी। इन हरित पट्टियों का उपयोग बस क्यू शेल्टर, फ्यूल फिलिंग स्टेशनों और विद्युत वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया और बिजली, सीवर और पानी की आपूर्ति आदि जैसी उपयोगिताओं की ट्रंक लाइनों को भी पूरा किया गया। यह पर यह वर्णन योग्य हैं कि ड्रेन/कैनाल/ नाला/जलाशय, केन नदी एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) लैंडफिल साइट की हरित पट्टी में किसी अन्य भू उपयोग का विकास वर्जित रहेगा।

महायोजना में तालाब/ जलाशयों को राजस्व अभिलेखनुसार यथासंभव अंकित कर महायोजना मानचित्र में दर्शाया गया है, यदि अंकन में छूट गया हो तो राजस्व अभिलेखनुसार ही तालाब / जलाशय मान्य होंगे । इन जल संसाधन इकाइयों के उच्च भराव क्षेत्र की सीमा तक इन्हे संरक्षित करना होगा तथा इनके परिधि क्षेत्र में 15 मी. के दायरे में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियां अनुमान्य नहीं होंगी। उपरोक्त के अतिरिक्त शहरीकरण योग्य क्षेत्र में सभी नालों / कनाल / ड्रेंस के दोनों ओर मीटर हरित पट्टी का प्रावधान दिया गया हैं। इसका अस्य इन सुविधाओं को आवांछित विकास से सुरक्षित करना है। शहरीकरण योग्य क्षेत्र एवं इसके बाहर विकास क्षेत्र में काफ़ी अधिक संख्या में जलाशय उपलब्ध हैं। इन जलाशयों के चतुरगिर्द भी 15 मीटर चौड़ी हरित पट्टी प्राविधित की गयी हैं।

तालिका 10.12: हरित पट्टी की चौड़ाई का विवरण

क्र.सं	भू-उपयोग की श्रेणी	लोकेशन	हरित पट्टी की चौड़ाई-दोनों तरफ (मीटर में)
1	ड्रेन/कैनाल/ नाला/जलाशय	निम्नी नाले/जलाशय के दोनों ओर	15

क्र.सं	भू-उपयोग की श्रेणी	लोकेशन	हरित पट्टी की चौड़ाई-दोनों तरफ (मीटर में)
2	हाईवे फैसिलिटी जोन	बाँदा-चिल्ला मार्ग, बाँदा-तिंदवारी मार्ग, बाँदा-बबेरू मार्ग, बाँदा-बिसंडा बज़ुर्ग मार्ग, बाँदा-अत्तारा मार्ग , बाँदा-नरैनी मार्ग, बाँदा-झाँसी मार्ग, वर्तमान बाईपास के दोनों ओर	30
3	केन नदी	केन नदी दोनों ओर	120
4	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) लैंडफिल साइट	लैंडफिल साइट के चारों ओर रिंग रोड जोन - (ग्राम हटेटी पुरवा)	200

10.2.10 हाईवे फैसिलिटी जोन (HFZ):

बाँदा शहर के चारों ओर एक रिंग रोड का निर्माण आरम्भ हुआ है। इस रिंग रोड के एक बड़े हिस्से का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। यह देखा गया है कि इस रिंग रोड के साथ कई निर्माण आ रहे हैं तथा प्लॉटेड कॉलोनियां भी विकसित हो रही हैं। इसलिए, इस महत्वपूर्ण सड़क को जो आसपास के नगरों एवं क्षेत्रों को सीधा जोड़ती है को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है अतः इस मुख्य मार्ग के दोनों तरफ केवल नियंत्रित/नियमित गतिविधियों की अनुमति होनी चाहिए। इसलिए इस रिंग रोड के दोनों तरफ एक 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी की प्रस्तावना की गई है। इसके अलावा, इस रिंग रोड की बाह्य परिधि पर एक 500 मीटर चौड़ा हाईवे फैसिलिटी जोन निर्धारित किया गया है। इस हाईवे फैसिलिटी ज़ोन में 888.87 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग और बाईपास हमेशा पहुंच के कारण अनियंत्रित और अविनियमित विकास के दबाव में रहते हैं। इसलिए, विनियमित और अनुमेय विकास की अनुमति देने के लिए एक तंत्र प्रदान करना नितांत आवश्यक हो गया है। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग के साथ-साथ दोनों तरफ 300 मीटर चौड़ाई का एक डेवलपमेंट कॉरिडोर (हाईवे फैसिलिटी जोन) राजमार्ग में सुविधा और संस्थागत क्षेत्र के रूप में प्रदान किया गया । यह हाईवे फैसिलिटी जोन बांदा कस्बे के आसपास विद्मान/निर्माणाधीन बाइपास/रिंग रोड के बाहरी तरफ भी चिन्हित किया गया है। इस कॉरिडोर से गुजरने वाले गांव लिंक

रोड/राजस्व रस्ता जहां कहीं भी अनुमानित से कम है, वही अनिवार्य रूप से कम से कम 24 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। सम्पूर्ण हाईवे फैसिलिटी जोन का योग क्षेत्रफल 2196.51 हेक्टेयर है।

1. 95/अमृत-महायोजना/शाश्कीय समिति/स.नी.(के)/2021 -22 के निर्देशानुसार हाईवे फैसेलिटी जोन के लिए दिए गए प्रावधानों के सुझाव इस प्रकार से हैं:

   - हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू-उपयोग का ही भाग माना जायेगा।

   - हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड / भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

2. हाईवे फेसिलिटी जोन के अन्तर्गत महायोजना में आच्छादित एरिया 20 प्रतिशत तथा एफ.ए. आर. 0.5 प्रस्तावित है। भविष्य में हाईवे फेसिलिटी जोन के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त होने वाले निर्देशानुसार आच्छादित क्षेत्र व एफ.ए.आर. सम्बन्धी प्रावधान ही लागू किये जायेंगे। उक्त जोन के अन्तर्गत जोनिंग रेगुलेशंस के अनुसार विशेष निर्माण में अनुमन्य किया जा सकता है।

10.2.10.1 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर:

बुंदेलखंड क्षेत्र राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं का केंद्र है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र की एक्सेसिबिलिटी को आसान बनाता है। राज्य सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के साथ कई आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाई है, और बाँदा शहर इसमें एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। इस संभावना के दृष्टिकोण से, इस एक्सप्रेसवे के साथ 449.01 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास औद्योगिक/लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित किया गया है।

मानचित्र 10.5: प्रस्तावित इकॉनिमिक लेयर

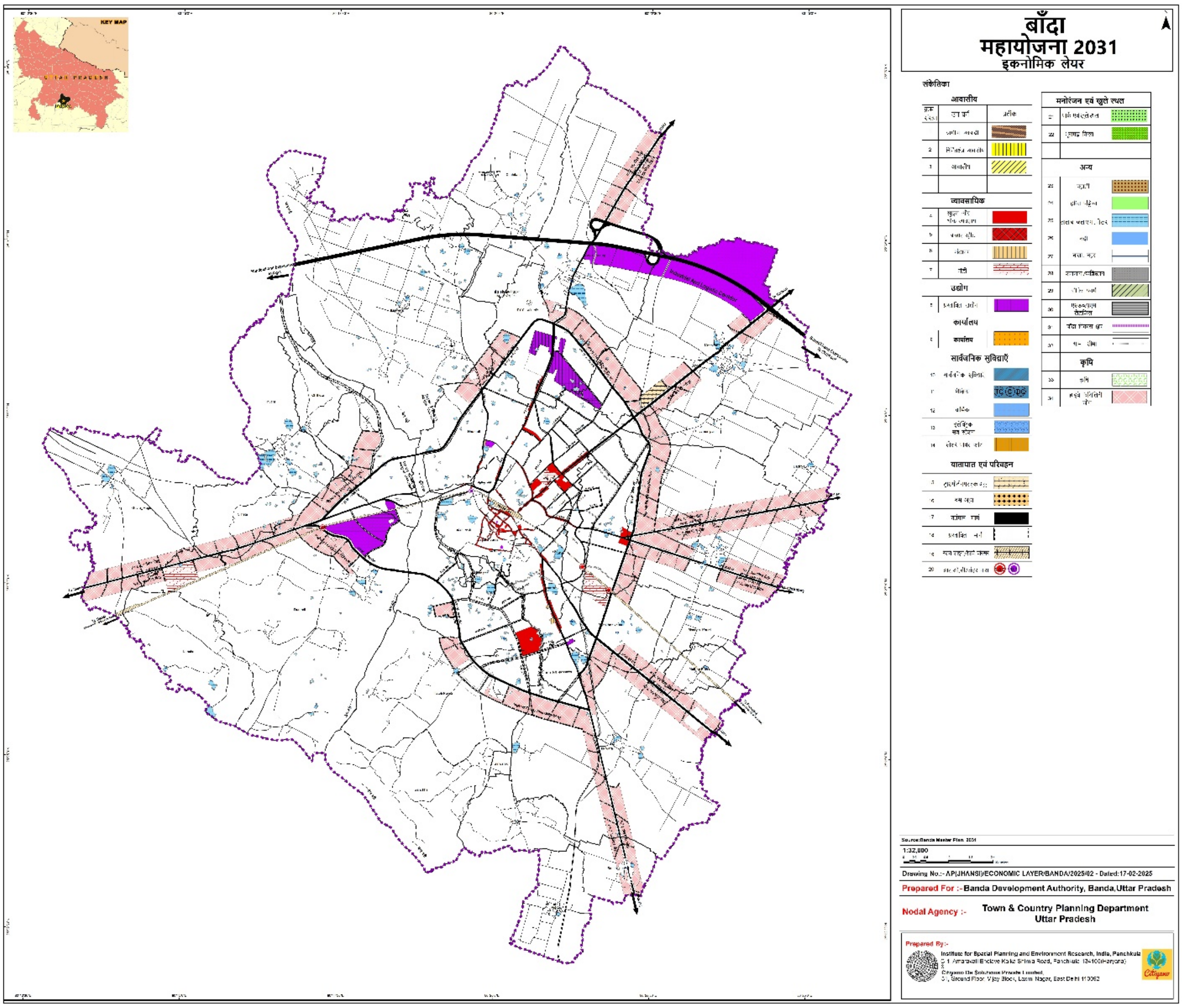

10.2.11 ग्रामीण आबादी

महायोजना में 2352.83 हेक्टेयर दिए गए योग आवासीय प्रस्तावों में 35.75 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण आबादी के अंतर्गत आता है जो योग महायोजना प्रस्तावनाओं का केवल 0.82% है। इसके अतिरिक्त शहरीकरण क्षेत्र के साथ लगते गावों के इर्द गिर्द 518.58 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय प्रस्तावना की गयी है जो गावों में अव्यवस्थित विकास को रोकने में सहायता करेगी।

10.2.12 प्रतिबंधित जोन

बाँदा शहर मे कोई भी प्रतिबंधित जोन नहीं है।

10.2.13 अन्य भू उपयोग

अन्य भू उपयोगों में प्राकृतिक भू भागों जैसे की जलाशय, केन नदी, नहर, नाले एवं पहाड़ी क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। अन्य भू उपयोग के अंतर्गत योग 264.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है। जिस में जलाशयों के अंतर्गत 79.91 हेक्टेयर, केन नदी के अंतर्गत 137.48 हेक्टेयर नहर एवं नालों के अंतर्गत 29.30 हेक्टेयर तथा पहाड़ी क्षेत्र 17.55 हेक्टेयर शामिल है।

10.2.14 आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

बाँदा विकास क्षेत्र में आपदा प्रबंधन से सम्बंधित समस्या केवल बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने की है जिसके विषय में नदी केंद्रित विकास से सम्बंधित प्रस्तावनाएँ दी गई हैं।

10.2.15 जल निकासी

वर्तमान में बाँदा शहर में वर्षा जल निकासी के लिए कोई भी प्लांड नेटवर्क उपलब्ध नहीं है वर्षा का पानी खुली नालियों एवं सड़कों से होते हुए प्राकृतिक नालों से होते हुए केन नदी में विस्थापन होता है। शहर के सुव्यवस्थित विकास को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल निकासी के नेटवर्क को प्लान किया जाना अति आवश्यक है महायोजना 2031 की प्रस्तावनाओं में मुख्य सड़कों के लिए रोड़ क्रॉस सेक्शन में वर्षा जल निकासी हेतु ड्रेनस की प्रस्तावना की गई है। जोनल प्लान तैयार करते समय इस महत्पूर्ण पहलू को सम्मलित किया जाना अति आवश्यक है।

10.2.16 वर्षा जल निकासी

प्राकृतिक नाले, नदियाँ, तालाब, झीलें आदि मौसमी जल नियंत्रण और बाढ़ से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उचित ड्रेनेज मिटटी के कटाव को रोकता है, जल गुणवत्ता का प्रबंधन करता है, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है जनस्वास्थ्य में सुधार होता है, और साथ ही सतत विकास/जलवायु परिवर्तन के दुर्गाम प्रभावों को कम करने में मदद करता है।

मानचित्र 10.6: उच्चतम बाढ़ स्तर

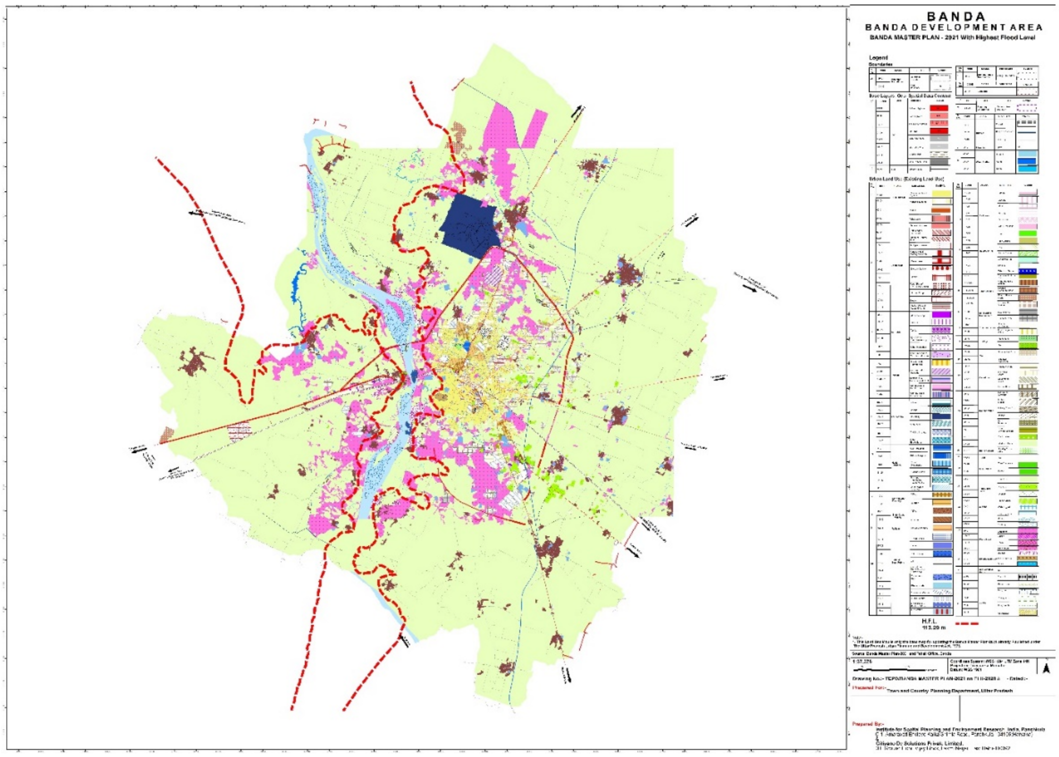

उसी तरह से, गाँवो के परिदृश्य में तालाबों और अन्य जल स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जल स्रोत जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई की आवश्यकताओं, जैव विविधता में योगदान करते हैं, बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में कार्य करते हैं, भूजल की पुनर्निर्माण में मदद करते हैं, और सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं।

10.2.17 नदी केंद्रित विकास

विकास क्षेत्र के भीतर बहने वाली केन नदी न केवल एक महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता है बल्कि बांदा शहर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत भी है। ऊपर के अलावा, यह आसपास के परिदृश्य के लिए प्राकृतिक जल निकासी के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नदी स्वयं किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से सुरक्षित रहे और इसके विपरीत बाढ़ से भी कोई नुकसान न हो। वर्ष 2005 में यह नोट किया गया है कि बरसात के मौसम में सबसे अधिक बाढ़ का स्तर 113.29 मीटर (मानचित्र 10.6) था। यह नदी के दोनों ओर के छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। उच्चतम बाढ़ स्तर को ध्यान में रखते हुए केन नदी के दोनों किनारों पर एक उपयुक्त एच एफ एल जोन नो कन्स्ट्रक्शन ज़ोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह न केवल बाढ़ सुरक्षा उपायों की अनुमति देगा बल्कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करेगा। यह क्षेत्र शहरी वन एवं मनोरंजन के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। इस एच एफ एल क्षेत्र में निर्माण की अनुमन्यता नहीं होगी।

10.2.18 हेरिटेज

ऐ.एस.आई द्वारा संरक्षित क्लोज्ड सिमेट्री और जामी मस्जिद बाँदा शहर मे दो हेरिटेज स्थल है।

10.2.19 पर्यटन विकास

वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा कोई परियोजना प्रस्तावित/निर्माणधीन नहीं हैं । स्थानीय स्तर पर बाँदा शहर निवसियों के लिए स्थानीय पर्यटन हेतु केन नदी, भूरागढ़ किला, नवाब टैंक आदि स्थलों पर मनोरंजक गतिविधियों की प्रस्तावना सी ई पी टी अहमदावाद द्वारा किया गया है जिसका महायोजना प्रस्तावनाओं में उल्लेख कर दिया गया है।

10.2.20 सौन्दर्यकरण एवं सुधार

बाँदा नगर में पार्को तथा खुले स्थलों का आभाव है। शहर मे ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाने के लिए महायोजना 2021 मे प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थलों को यथावत रखा गया है तथा महायोजना 2031 मे भी पार्क

और खुले स्थल प्रस्तावित करे गए हैं। महायोजना मे पार्क एंड ओपन स्पेसेस के अंतर्गत 543.44 हेकटेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

10.2.21 ग्राम विस्तार:

वर्तमान में गांव के आबादियों को लाल-डोरा सीमा को ध्यान में रख विनियमित किया गया है। क्योकि ग्रामीण बस्तियों के प्राकृतिक विकास के कारण लाल-डोरा के बाहर आबादियों का विस्तार हो रहा है। इसलिए सीमाओं ने अपनी उपयोगिता को समाप्त कर दिया है, विकास क्षेत्र की घोषणा के साथ, आवश्यक ग्राम विस्तार के लिए भी कानूनी प्रतिबंध रहते है। अतः यह प्रस्तावित है कि विकास बोर्ड/प्राधिकरण इन गांवों की आबादी के विस्तार की आवश्यकता के संबंध में विचार करेगा और तदनुसार प्रत्येक गांव के संबंध में निर्णय लिया गया जहां इस तरह का विस्तार प्रस्तावित किया गया है। ग्राम विस्तार के लिए क्षेत्र प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में ही चिन्हित किया गया है। यह ग्राम निवासियों की मूलभू जरूरतों के लिए विनियमित विकास की अनुमति देगा।

जबकि शेष विकास क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। बांदा विकास क्षेत्र के भीतर ग्रामीण बस्तियों के विनियमित विकास को सक्षम बनाने के लिए प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा उचित विचार के बाद गांव आबादी के लिए भी सुझाव दिया गया। विस्तार क्षेत्र विद्मान ग्रामीण आबादी के आसपास आवासीय चिह्नित किया गया हैं।

10.2.22 कृषि क्षेत्र

नगर निवासियों की आवश्यकताओं जैसे की अनाज, डेयरी, फल सब्ज़ियां आदि को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र एक महवपूर्ण ज़ोन है। विकास क्षेत्र में शहरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियमित विकास को रोकने के लिए भी कृषि क्षेत्र की प्रस्तावना की गई है। बाँदा विकास क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 27848.15 हेक्टर है जिस में से महायोजना 2031 अनुसार शहरीकरण योग्य क्षेत्र 4360.69 हेक्टर की प्रस्तवना की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त हाईवे फैसिलिटी जोन, रिंग रोड, बाँदा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यलय, बाँदा चिल्ला सड़क पर प्रस्तवित क्षेत्रीय पार्क , ग्रामीण आबादी के विस्तार के लिए प्रस्तावित क्षेत्र, औद्योगिक एवं लोगिस्टिक कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट नगर, ठोस अपशिस्ट लैंडफिल साइट, केन नदी के साथ प्रस्तावित एवं अन्य वर्तमान सड़कें तथा हरित पट्टियां भी कृषि क्षेत्र में ही सम्मलित हैं। उपरोक्त भू-उपुओगों का क्षेत्रफल 6991.38 हेक्टर है। शेष कृषि क्षेत्र का क्षेत्रफल 16156.57 हेक्टर है।

इस क्षेत्र में कृषि के अलावा बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध शाला/संगरह केंद्र, कृषि उपकरणों की मुरम्मत एवं सर्विसिंग, भण्डारण/शीत भण्डारण जैसी सम्बद्ध गतिविधियां अनुमन्य होंगी जिसक विस्तृत विवरण जोनिंग रेगुलेशन में उपलब्ध है।

10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन

10.3.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक् टाउनशिप नीति, उ. प्र. टाउनशिप नीति

स्टेट अर्बन और हाउसिंग हैबिटाट पालिसी 2007

आवास किसी भी सभ्य समाज की मौलिक आवश्यकता है। शहरीकरण के विकास के साथ, पिछले कुछ दशकों में शहरों का विस्तार चिंताजनक रूप से हो रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों के असंगत विकास और एक तेज आवास कमी का परिणाम हो रहा है। आवास और शहरी योजना विभाग को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि शहरी क्षेत्रों के योजनात्मक विकास को सुनिश्चित करें और सस्ते आवास प्रदान करने के लिए एक संबंधनीय वातावरण बनाएं। शहरी नागरिकों के लिए शहरी कानूनों की बहुप्रकारिता हमेशा से एक कुरूप बनी रही है। इस स्थिति के लिए कुछ कारणों में सूचना की कमी और आधिकारिक लेन-देन में पारदर्शिता का अभाव शामिल थे। विभाग ने नागरिकों तक पहुंचने के लिए कदम उठाया है ताकि वे कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियात्मक सरलीकरणों की जागरूकता हो सके। आवास किसी भी सभ्य समाज की मौलिक आवश्यकता है। शहरीकरण में बढ़ोतरी के साथ, पिछले कुछ दशकों में शहरों का विस्तार चिंताजनक रूप से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरुप शहरी क्षेत्रों मे असंगत विकास और हाउसिंग शॉर्टेज बढ़ी है। आवास और शहरी योजना विभाग शहरी क्षेत्रों के योजनात्मक विकास को सुनिश्चित करने और अफोर्डेबल आवास प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। शहरी कानूनों की बहुप्रकारिता शहरी नागरिकों के लिए एक अनुपयुक्त अनुभव है। सूचना की कमी और आधिकारिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव इस परिस्थिति के मुख्य कारण हैं। विभाग ने इन कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियात्मक सरलीकरणों के लिए कदम उठाएं हैं।

उत्तर प्रदेश टाउनशिप पालिसी 2023

प्रदेश में शहरीकरण की नई चुनौतिओं के दृश्टिगत समाज के विभिन्न वर्गों को अफोर्डेबल आवास उपलब्ध करवाने , शहरों के पेरीफेरल क्षेत्रों में अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करने, शहरी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स (आई टी , बायो टेक , बी पी ओ आदि) में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के नए अवसरों के सिरजन तथा पर्यावरण की दृस्टि से सुस्थिर टाउनशिप का विकास

सुनिशचित करने के लिए नई निति का निर्धारण आवश्यक है। इस प्रकार राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीतियों में निर्धारित रणनीति के क्रम में उत्तर प्रदेश टाउनशिप निति 2023 का मुख्य उद्देश्य निजी पूँजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करना है। ताकि जन-सामान्य को उचित मूल्य पर आवास मुहय्या हो सके और निवेशकर्ताओं को विभिन्न वयवसाओं के सञ्चालन हेतु एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। निति के अंतर्गत टाउनशिप का न्यूनतम एरिया दो लाख से कम आबादी के नगरों में 12.5 एकड़ व दो लाख से अधिक आबादी के नगरों में 25 एकड़ होगा। परन्तु एनसीआर के अंतर्गत लाइसेंस हेतु टाउनशिप का न्यूनतम एरिया 25 एकड़ ही होगा। टाउनशिप के विकास के लिए न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग से सुगम पहुँच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निस्तारण एवं ऊर्जा की उपलब्धता होना आवश्यक है। टाउनशिप का विकास सामान्यत: महायोजनओं के शहरीकरण एरिया के अंतर्गत तथा प्रदेश के तीव्र गति से विकसित हो रहे अर्बन मास ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ एवं ऐसे क्षेत्रों जहाँ विकास के नए ग्रोथ सेंटर्स प्रकट हो रहे हैं में प्रोत्साहित किया जायेगा। निति में औसत वार्षिक टर्नओवर और नेटवर्थ आवेदित क्षेत्र के अनुसार निर्धारित किया गया है। लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित टाउनशिप के योग एरिया की न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि का स्वामित्व विकासकर्ता / कंसोर्टियम के किसी भी सदस्य के पक्ष में होना आवश्यक है। निति में बहुत कम लाइसेंस फीस शहरों की आबादी के अनुसार निर्धारित की गई है। टाउनशिप के अंतर्गत आवासीय, मिश्रित, कमर्शियल, औधोगिक (नॉन-पोलूटिंग), संस्थागत, सार्वजनिक एवंम अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, उप्योगताएं और मनोरंजन, पार्क एवं खुले स्थल, किरडा- स्थल, जलाशय तथा यातायात एवं परिवहन एवं पार्किंग स्थल के लिए मानकों अनुसार भूमि आरक्षित की जाएगी। 25 एकड़ से अधिक एरिया की टाउनशिप के नियोजन हेतु भू-उपयोग के अलग से मानक नियत किये गए हैं। टाउनशिप के अंदर भू-उपयोग के विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु डेंसिटी, ग्राउंड कवरेज और ऍफ़ ए आर के मानक भी विस्तार से दिए गए हैं। टाउनशिप पालिसी में क्रय योग्य ऍफ़ ए आर का भी प्रावधान किया गया है। अलग अलग एरिया की टाउनशिप के लिए विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि भी निर्धारित की गई है। टाउनशिप पालिसी में भू-उपयोग परिवर्तन की परिकिर्या, भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूचि भी प्रधान की गई है।

10.3.2 उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति

प्रदेश में शाशन द्वारा पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु घोषित पर्यटन नीती 2022 के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध असीमित प्रयटक स्थलों एवं संसाधनों में घरेलू एवं विदेशी प्रयटकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावनाएँ दी गई हैं। इन्ही प्रस्तावनाओं में प्रदेश में 12 मेगा टूरिस्ट सर्किट प्रस्तावित

किये गए हैं। इसमे बाँदा जिले का कालिंजर किला बुंदेलखंड सर्किट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त बाँदा शहर में शज्जर स्टोन से सम्बंधित क्राफ्ट को मेगा क्राफ्ट सर्किट में सम्मिलित किया गया है।

10.3.3 सौर ऊर्जा नीति

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में सौर ऊर्जा को प्रोत्शाहन देने के लिए कई अहम् प्रावधान किये गए हैं। यह नीति पांच वर्ष तक लागु रहेगी। इस नीति को लागु करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यु पी नेडा) को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। नीति के तहत अगले पांच वर्ष में 22000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जिसमे सोलर पार्क से 14000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप से 45000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप आवासीय से 1500 मेगावाट और प्रधान मंत्री कुसुम योजना के तहत 2000 मेगावाट बिजली उत्पन की जाएगी। निजी आवासों पर नेट मीटरिंग के साथ ग्रिड संयोजित सोलर सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के आलावा राज्य सरकार की और से 15000 रुपए प्रति किलोवाट (अधिकत्तम 30000 रुपए) प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमन्यता को भी मंजूरी दी गए है। सोर ऊर्जा इकाई की स्थापना के लिए खरीदी अथवा लीज पर ली जाने वाली जमीन पर देय स्टाम्प ड्यूटी में शतप्रतिशत छूट तथा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से भी दस वर्ष तक छूट रहेगी पांच मेगावाट से अधिक क्षमता के स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित सोलर पार्क को ढाई करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की दर से सब्सिडी उपलबध करवाई जाएगी। इस नीति अनुसार हर शहर की पररम्परिक ऊर्जा की अनुमानित लागत की योग मांग का कम से कम दस प्रतिशत सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से पूरा किया जायेगा। नीति में सयंत्रो के रख रखाव के लिए अतिरिक्त जन शक्ति का सिरजन करने की प्रस्तावना है जिस अनुसार तीस हज़ार युवकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

10.3.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीतिः-

जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढ़ंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना संभव नही हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर सत्रोतों के संरक्षण, मितव्ययिता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल-प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नही किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाये जाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3348/आठ-1-10-17विविध/03टी.सी.-1, दिनांक 05.08.2010 में दिये गये प्राविधानों के अधीन गाजीपुर महायोजनान्तर्गत स्थित प्राकृतिक जलाशयों, नालों एवं झीलों आदि को चिन्हित कर यथावत् प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों को भी महायोजना के क्रियान्वयन के समय संरक्षित किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों के चारों ओर 9 मी0 चैड़ी हरित् पट्टिका भी विकसित की जायेगी। पार्कों में पक्का निर्माण (पक्के पेवमेन्ट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाय तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव पर्मीयेबल अथवा सेमीपर्मीयेबल परफोरेटेड ब्लाक के प्रयोग से ही बनाया जाये। सड़कों/पार्को तथा खुले स्थानों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पौधों/वृक्षों की प्रजातियों का चयन किया जाय जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो ताकि ग्रीष्म ऋतु में भी हरे-भरे रह सके। यथा संभव मार्गों के किनारें ब्रिक ओन ऐज/लूज स्टोन/इण्टरलाकिंग टाईल्स पेवमेन्ट का प्रावधान किया जाय ताकि भू-जल की रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

10.3.5 फिल्म नीतिः-

शासन द्वारा घोषित उ0प्र0 फिल्म नीति में छविगृहों को उद्योग का दर्जा प्रदान करते हुये फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाओं के प्राविधान किये गये है। इन प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए नगर के वर्तमान में स्थित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्सेज निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में व्यावसायिक क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत सिनेमा/मल्टीप्लेक्स हेतु विभिन्न भू-उपयोगों में आवश्यकतानुसार निर्माण की अनुमन्यता प्रदान की गई है।

10.3.6 सुचना प्रद्योगिकी नीति

वैश्विक स्तर पर, आईटी और आईटीईएस बाजार के 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से (सीएजीआर) से बढ़ने और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11.86 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने की आशा है। आईटी और आईटीईएस क्षेत्र विशेष रूप से विकासशील देशों में अपार सम्भावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर विकास चालक के रूप में उभरा है। भारत में, यह क्षेत्र 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत योगदान करने सहित अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास उत्पेर्रक बन गया है योग निर्यात में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के आईटी उद्योग का राजस्व बढ़कर 227 अरब डालर हो गया जो वार्षिक आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

विद्मान रुझानों और नई प्रौद्योगिकियों के प्रारम्भ के आधार पर इस उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 350 बिलियन डालर राजस्व का स्तर प्राप्त कर लेने का अनुमान है। डिजिटल प्रतिभा के वैश्विक केन्द्र के रूप में, भारत का आईटी क्षेत्र अनुमानतः 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है और यह महिलाओं का निजी क्षेत्र का सबसे बडा नियोक्ता भी है। उत्तर प्रदेश (यूपी), सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उत्तर भारत के आईटी हब के रूप में जाना गया है, जो देश में साफ्टवेयर निर्यात मे छठवें स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश राज्य में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र 12 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017-22 के तहत, राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ लगभग 6,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

पिछले कई वर्षों में, आईटी और आईटीईएस क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है और अब गतिशील व्यावसायिक परिवेश में बचे रहने के लिए एक आवश्यकता बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के इस प्रभुत्व को पहचानती है तथा आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी विकास को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इस सन्दर्भ में, राज्य में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहां से उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति उपलब्ध होती है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, वाराणसी, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, प्रयागराज सहित देश के कई शीर्ष संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जो सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे और शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं।

इस नीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ व्यावसायिक माहौल को सक्षम करके आईटी सिटी, आईटी पार्क्स तथा आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, ब्लाकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग तथा इन्टरनेट आफ थिंग्स जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से राज्य में एक तकनीकी बदलाव की दिशा में सहयोग और समेकन को प्रोत्साहित करके इस क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसके अन्तर्गत नवचार में तीव्रता लाने तथा नवाचार विशिष्ट (इन्नोवेशन स्पेसिफिक) वित्तपोषण के परिचालन के लिए

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ उद्योग-अकादमिक सहयोग तथा सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे सहित डेडीकेटेड इनोवेशन हब द्वारा एक अनुकूल नियामक परिदृश्य के सक्षम किया जाना प्रस्तावित

है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'डिजिटल इण्डिया तथा 'रिफार्म, परफार्म एण्ड ट्रांसफार्म' मन्त्र के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-अर्थव्यवस्था के रूप में बदल रही है जिससे 2027 तक 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप निवेश हेतु सपनों की मँजिल बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आईटी परिदृश्य को उच्च क्षमता युक्त प्रतिभा तथा विश्वस्तरीय आईटी अवसंरचना सहित, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विश्वसनीय और अग्रणी वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए बदलना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा सम्पूर्ण प्रदेश को एक सतत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करना।

10.3.6.1 सामरिक उद्देश्य

इस सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

10.3.6.2 अवसंरचना:

राज्य में आईटी पार्क्स, आईटी सिटी विकसित करके नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा।

10.3.6.3 नवाचार:

मेन्टर्स तक एक्सेस के लिए एक सक्षम तंत्र प्रदान करके इनोवेशन ईकोसिसटम को प्रोत्साहन, उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ अनुसन्धान और विकास को बढ़ावा।

10.3.7 आपदा प्रबन्धन नीतिः

शासन द्वारा घोषित आपदा प्रबन्धन नीति के सन्दर्भ में गाजीपुर नगर को प्राकृतिक आपदाओं एवं भूकम्प जैसी त्रासदी से सुरक्षित रखने की दृष्टि से महायोजना में भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की संस्थापना के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश संख्याः 570/9-आ-1-2001(आ0ब0) दिनांक 03 फरवरी, 2001, 772/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक-13.02.2001 एवं 3751/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी 2001 (आ0ब0) दिनांक- 20.07.2001 के अधीन निहित प्राविधानों यथा भारतीय मानक

संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन से सम्बन्धित प्राविधान तथा अन्य सुसंगत गाइड लाइन्स इत्यादि को अपनाने के उपरान्त ही विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुज्ञा दी जायेगी।

10.3.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति:

शासन द्वारा घोषित औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए गाजीपुर महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स मैट्रिक्स में औद्योगिक क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क/प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज को विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

10.3.9 अन्य

महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोगों, शासन द्वारा निर्गत नीतियों एवं पर्यावरणीय संरक्षण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव महायोजना में दिये गये हैं। जिन नीतिगत विषयों पर वर्तमान में प्राविधान विद्यमान हैं किन्तु जिनका नीति निर्धारण में समावेश/उल्लेख नहीं हो पाया है अथवा नीतिगत विषयों पर शासन द्वारा भविष्य में नीतिगत प्राविधान निर्गत किये जाते हैं तो शासन के निर्देशानुसार सम्बंधित अभिकरण द्वारा अंगीकार किए जाने की स्थिति में महायोजना में निर्दिष्ट नीतिगत प्राविधान उस सीमा तक संशोधित माने जाऐंगे।

10.4 नियोजन खंड

भू-उपयोग प्रस्तावों के उचित संगठन और प्रशासन के लिए भौतिक सीमाओं के साथ-साथ उनके महत्व के आधार पर इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, महायोजना 2031 के भू-उपयोग प्रस्तावों को विकास क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन विकास क्षेत्रों को मानचित्र 10.7 में दिखाया भू-उपयोग प्रस्तावों के उचित संगठन और प्रशासन के लिए, महायोजना के प्रस्तावों को इनकी भौतिक सीमाओं और उनके महत्व के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना महत्वपूर्ण है। इसी अनुसार, ड्राफ्ट महायोजना 2031 के भू-उपयोग प्रस्तावों को विकास क्षेत्रों में विभाजित किया गया है , नामित

- जोन “ऐ”- शहर का उत्तरी भाग. (केन नदी का पूर्वी किनारा, झाँसी - मानिकपुर रेलवे लाइन से उत्तरी बाँदा बाईपास के मध्य का भाग)
- जोन “बी”- शहर का दक्षिणी भाग.(केन नदी का पूर्वी किनारा, झाँसी - मानिकपुर रेलवे लाइन से दक्षिणी बाँदा बाईपास के मध्य का भाग
- जोन “सी”- शहर का केंद्रीय/ मूल भाग. (झाँसी मनिकपुर रेलवे लाइन के दक्षिणी ओर, हनुमान इंटर कॉलज से रेलवे फ्लाईओवर से खूंटी चौराहा होते हुए निगम कंपाउंड रोड से गूलर नाका रोड का

दक्षिणी छोर मिलाते हुए बाम्बेश्वर पहाड़ी की तलहटी के साथ साथ छबि तालाब का पूर्वी किनारा से किरण कॉलज होते हुए रेलवे अंडरपास तक)

- जोन “डी”- शहर का पश्चिमी भाग. (केन नदी के पूर्वी किनारे और उत्तरी और दक्षिणी बाँदा बाईपास रोड़ के मध्य का भाग)
- जोन “इ” - उत्तरी और दक्षिणी बाँदा बाईपास के बाहर की तरफ 500 मीटर गहराई तक ग्राम आबादी और ग्राम विस्तार ये अन्य प्रस्तावित भू उपयोग को छोड़ते हुए
- जोन “ऍफ़” - हाईवे फैसिलिटी जोन (प्रस्तावित नगरीकृत क्षेत्र के बाहर, क्षेत्रीय यातायात संचार के दोनों तरफ 300 मीटर की गहराई तक ग्रामीण आबादी और ग्राम विस्तार को छोड़ते हुए)
- जोन "जी" इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर (बाँदा-चिल्ला के पूर्व में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ट्रम्पेट एंट्री के क्षेत्र को छोड़कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से दक्षिणी दिशा में मीटर की गहराई तक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तरी दिशा में विकास क्षेत्र की सीमा तक तथा बाँदा तिंदवारी रोड के मध्य का क्षेत्र
- जोन “आर”- कृषि क्षेत्र (बाँदा विकास क्षेत्र का बचा हुआ भाग) गया है;

मानचित्र 10.7 प्रस्तावित नियोजन खंड बाँदा विकास क्षेत्र

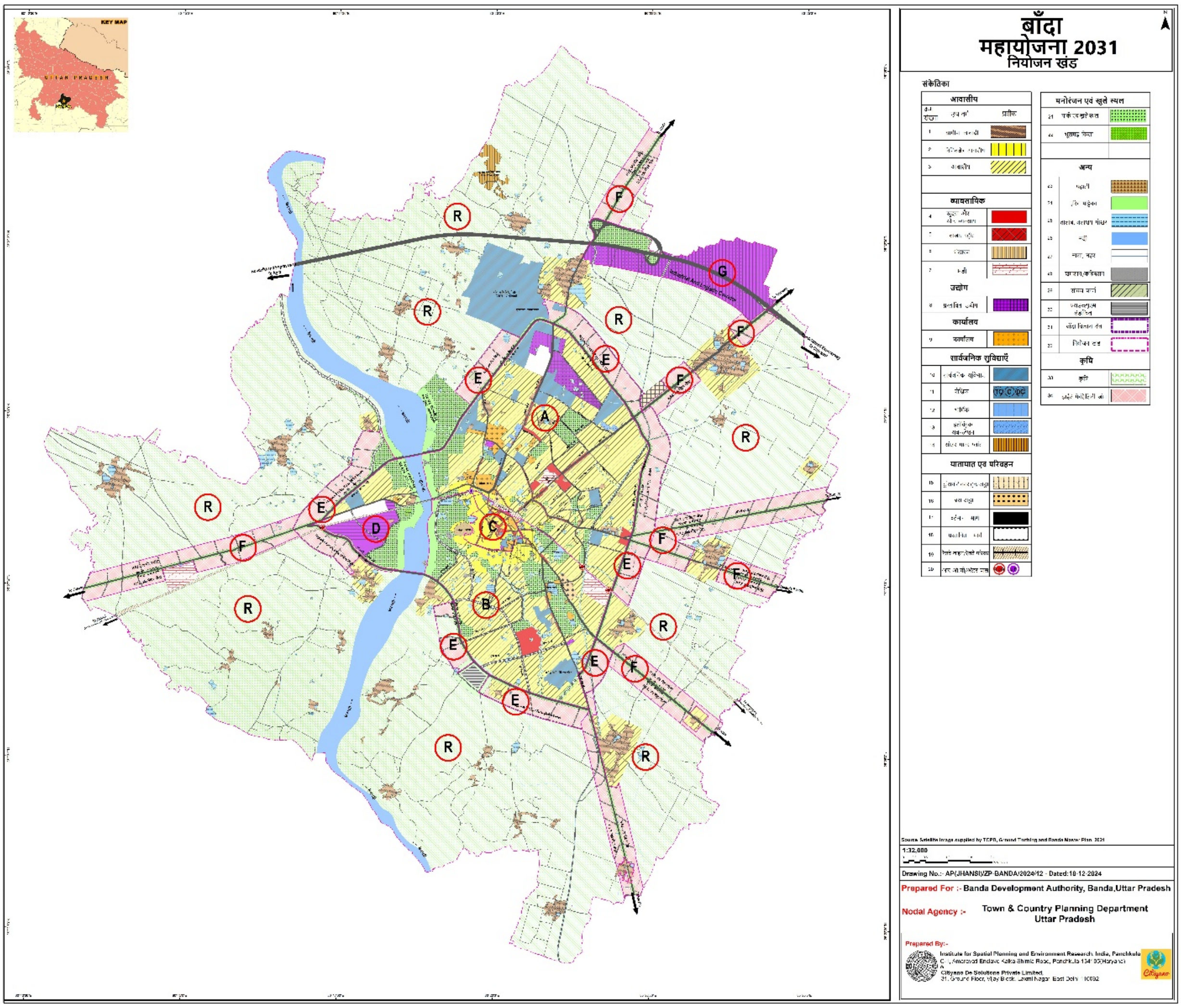

10.5 चरणबद्ध विकास

फेजिंग आफ महायोजना

जैसा की एक्ट मे उल्लेखित किया गया है किसी भी सार्थक विकास प्रस्तावनाओं के लिए, विकास ज़ोन्स के लिए विस्तृत जोनल योजनाएँ (DZP's) तैयार करना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। क्योंकि विकास गतिविधियों को लागू करने के लिए शेष प्रस्तावित समय सीमा लगभग **8** वर्ष है, इसके तदानुसार, इस समय सीमा को दो चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक मे 4 वर्षों का समय है, अर्थात् 2023-2027 और 2028-2031

फेज 1 (2023-2027)

कोर सीटी का विकास (जोन सी)

- इस कोर क्षेत्र में बाजार स्ट्रीट/मिक्स्ड लैंड यूज कॉन्सेप्ट को हाइलाइट करने के लिए जोनल डेवलपमेंट रणनीति तैयार करना। इस क्षेत्र की ऐतिहासिक वास्तुकला प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए इमारतों के समरूप फेसाड की संरेखित विकास रणनीति को विस्तार से बताएगा।
- बाजार स्ट्रीट/मिक्स्ड लैंड यूज के लिए विस्तृत नियमों को डेवेलप करना।
- इन बाजार स्ट्रीट्स को पूर्वनिर्धारित करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना।
- पार्किंग सुविधा स्थलों की पहचान करना।
- भीड़ भाड़ वाली गलियों मे यातायात को विनियमित करने के लिए, एक-दिशा यातायात और सर्कुलर मूवमेंट के लिए सड़कों/मार्गों की पहचान करना।
- जोन सी में पार्क और खुले स्थानों को विकसित करना ताकि शहर को खुला वातावरण मिल सके।

"**यातायात और परिवहन**"

- सुझाए गए राइट ऑफ़ वे **(R.O.W.)** में अतिक्रमण और अस्तव्यस्त निर्माण से बचने के लिए महायोजना में प्रस्तुत प्रमुख सड़क नेटवर्क के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करना। इससे मात्र ट्रंक सड़कों का निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि इससे ट्रंक बुनियादी ढाँचा जैसे की जल आपूर्ति, सीवरेज, नाली, बिजली लाइनें और संचार नेटवर्क की योजना और विकास भी हो सकेगा।
- तिंदवारी रोड पर भूमि अधिग्रहण कर परिवहन नगर का विकास करना, जिससे अव्यवस्थित ढंग से बिखरी हुई गतिविधियां जैसे की मरम्मत दुकानें, बुकिंग एजेंसियां, सामान संग्रहण सुविधाएं, सड़कों के किनारे वाहनों की अस्तव्यस्त पार्किंग आदि को परिवहन नगर मे स्थानांतरित करने मे सहायता मिल सके।

- अत्तारा रोड पर प्रस्तावित नए बस टर्मिनल के लिए ज़मीन का अधिग्रहण।

जन स्वास्थ्य एवं सैनिटेशन सुविधाओं का विकास

- अमरुत **2.0** दिशानिर्देशों के अनुसार, शहर में **100%** सीवरेज नेटवर्क प्रदान करने के लिए विस्तृत योजना बनाना, साथ ही शहर के भीतर मौजूद जल स्रोतों और केन नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए सीवेरज उपचार सुविधाओं का विकास करना।
- बारिश के पानी के बार-बार ठहराव और विशेषकर कोर क्षेत्र में सड़कों को बाढ़ मुक्त के उद्देश्य से विद्मान वर्षा जल निकासी नेटवर्क को उन्नत करना।
- सी एच् इ इ पी ओ **(CHEEPO)** दिशानिर्देशों के अनुसार सीवेरज उपचार सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए और मीटरड जल आपूर्ति के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करना।
- गाँव हटेती पूर्वा में प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबधंन **(SWM)** सुविधा को विकसित करना और **3** आर **(3R)** और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर सोलिड वेस्ट प्रबंधन सिस्टम को विकसित करना।**.**

नदी केंद्रित विकास एवं पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

- केन नदी के साथ नदी फ्रंट विकास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करना।
- भूरागढ़ किला, नवाब टैंक, बम्बेश्वर पहाड़ी और शहर में विभिन्न जल स्रोतों जैसे पर्यटन स्थलों की पुनर्निर्माण योजना तैयार करना।

ग्रीनफ़ील्ड आवासीय क्षेत्र/शहरी विकास

- उत्कृष्ट कनेक्टिविटी (बाँदा-चिल्ला रोड, बाँदा तिंडवाड़ी रोड, बाँदा-बबेड़ू रोड और बाँदा -नरेनी रोड) और अच्छे   बुनियादि सामाजिक ढांचे के कारण जैसे कि आईटीआई बाँदा , केसी-एनआईटी, मेडिकल कॉलेज और बाँदा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी के कारण वर्तमान में विकसित क्षेत्र के साथ साथ जुड़े हुए क्षेत्रों मे आवासीय क्षेत्रों विकास के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, जैसे की हरदौली गाँव के उत्तरी हिस्से और बाँदा खास, पल्हरी गाँव के पश्चिमी हिस्से और तिंदवारी गाँव के उत्तर पश्चिमी हिस्से।
- लैंड पूलिंग पालिसी, भूमि आधी गर्हण, निजी क्षेत्र द्वारा स्वयं अधिग्रहित भूमि आदि नीतियों के तहत भूमि एकत्रित करते हुए विकास निति लागू करना।
- स्लम्स की पहचान करना और पीएमएवाई शहरी द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक-निजी साझेदारी विधि के तहत इन-सीटू विकास विधि को अपनाते हुए उनका पुनर्निर्माण करना।

महायोजना फेज -2 (2028-2031)

- शहरीकरण क्षेत्र के शेष भू-क्षेत्र में सड़कों का निर्माण।
- बाँदा खास में वाणिज्यिक केंद्र का निर्माण।
- औद्योगिक क्षेत्र और शहर के उत्तरी दिशा में मवाई बुजुर्ग, महोखर, और पश्चिमी दिशा में बाँदा शहर के गाँव भुरंडी और दुरेंदी में औद्योगिक पॉकेट्स का विकास।
- राजकीय और अर्ध राजकीय सुविधाओं का विकास
- बाँदा खास के दक्षिण-पश्चिमी भाग और शहर के पश्चिमी हिस्से, अर्थात भुरंडी गाँव और दुरेंदी गाँव के उत्तरी भाग में आवासीय भू-उपयोग का विकास करना।

10.6 स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण

10.6.1 निजी निवेश

कई विधियों से निजी संस्थान/संगठनों को महायोजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। वित्तीय एवेन्यूज़ में से एक है सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल। सार्वजनिक-निजी साझेदारी एक दीर्घकालिक संविदात्मक समझौता है जो किसी जन प्राधिकरण (केंद्रीय, राज्यिक या स्थानीय सरकार) और एक निजी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र में होता है। इसका उद्देश्य एक सार्वजनिक संपत्ति या सेवा प्रदान करना है जिसमें निजी पक्ष अधिकतम जोखिम और प्रबंधन जिम्मेदारी उठाता है। निजी क्षेत्र में सलाहकार फर्म, डेवेलपर्स, बिल्डर, सहकारी समितियाँ, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), सहकारी निकाय, उद्योगपति और व्यापारी शामिल हैं।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल के तहत सामान्यत: जल आपूर्ति प्रबंधन और बुनियादी संरचना का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन, और सीवरेज जैसी परियोजनाएं आमतौर पर की जाती हैं।

10.6.2 महायोजना इम्प्लीमेंटेशन फंड

विकास/महायोजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व उत्पन्न करने के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के विभिन्न नवाचारी सुझाए गए तरीके होते हैं। स्थानिक योजना ऐसी होनी चाहिए कि यह आर्थिक विकास बढ़ा सके और योजना के कार्यान्वयन को वित्तपोषित कर सके।भू-विकास मेकनिज़्म, के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में टॉउन प्लैनिंग स्कीम्स मे अंतर्निहित भू-विकास तंत्र के रूप में, वित्तीय स्थिरता (लागत की पुनर्प्राप्ति) का एक सफल उदाहरण है।

अनेक योजनाएं और परियोजनाएं सही तकनीकी- कार्यक्षमता अध्ययन या वित्तीय व्यावसायिकता की उचित मूल्यांकन के बिना विचारबद्ध की जाती हैं। इस कारण, पूंजी लागत, लागत पुनर्प्राप्ति, और

नगर पालिकाओं और राज्य एजेंसियों द्वारा रखाव के लिए योजना में मानकों के लिए कोई विशेष समर्थन नहीं है। ज्यादातर छोटे और मध्यम आकार के शहरों में, शहरी स्थानीय निकायें (यूएलबी) एक सुदृढ़ वित्तीय संसाधनों के अभाव से पीड़ित होती हैं।उनकी प्रति व्यक्ति आय व्यय के स्तर से कहीं कम है, जिससे यह स्व-उत्पन्न राजस्व के बजाय बाह्यिक वित्त पर भारी निर्भर होती है।

इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने और वित्तीय स्रोत उत्पन्न करने के लिए, खाली भूमि पर कर, अनौपचारिक अनधिकृत विकास का विनियमन, और परमिट किए गए एफएआर के अधिमान का अधिनियमन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से समर्पित शहरी विकास के लिए एक वित्तीय स्रोत उत्पन्न करने का माध्यम हो सकता है। यहां, कार्यान्वयन एजेंसियों को भूमि को एक ऐसा संपत्ति के रूप में देखने की आवश्यकता है जिसे पूंजी लाभ, स्टैम्प शुल्क, नीलामी, और राज्य वित्त आयोग के सहमति के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उपयोग किया गया है।

10.6.3 कर (सम्पत्तिकर, खाली भूमि विकास कर)

नगरीय निकाय अपनी कर शक्तियों को राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानूनों से प्राप्त करते हैं। उन्हें इन कानूनों के माध्यम से ये आवश्यक और विवेकाधीन करों के रूप में कर और गैर-कर के रूप में आय के स्रोत प्रापत होते हैं। हालांकि, नगरीय निकायों को अधिकृत कर लगाने या ना लगाने का अधिकार है।

करों के प्रकार

- भूमि और भवनों पर प्रॉपर्टी कर
- स्टाम्प ड्यूटी
- भूमि/प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमतों पर कर
- पानी पर शुल्क
- आग शुल्क
- जन सभाओ पर कर
- धार्मिक और यात्री कर
- गैर आवासीय भवनों मे काम पार्किंग स्पेस देने पर कर
- विज्ञापन कर
- वाहन कर
- प्रोफेशन कर
- घरेलू नौकर कर

- खाली भूमि पर कर
- चूँगी कर
- अन्य कर

10.6.4 शुल्क (विकासशुल्क, लेवी, इम्पैक्ट शुल्क आदि)

शुल्क उपभोक्ता पर स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क हैं जिनसे किसी विशिष्ट समुदाय/भौतिक सेवा के खर्चों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, जल आपूर्ति से जुड़े नगरीय शुल्क शहर में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे और जल उपचार संयंत्रों के विकास के खर्चों को कवर कर सकते हैं। बेटरमेंट शुल्क सामान्यत: सुधार परियोजनाओं के लाभार्थियों पर लगाये जाते हैं ताकि परियोजना के खर्च को पूरा किया जा सके। विकास शुल्क का उपयोग किसी क्षेत्र में नई सेवाओं और बुनियादी ढांचे प्रदान करने के खर्च को पूरा करने के लिए किया गया है।

स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों मे निम्नलिखित सेवाओं पर भी उपभोगता कर लगा सकते हैं।

- जल आपूर्ति, जल निकास, सीवेरज का प्रावधान
- अप्सिष्ठ ठोस प्रबंधन
- समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों मे वाहनों पर कर
- किसी भी प्रकार के निर्माण, मरम्मत, या किसी भी प्रकार के कबाड़े के लिए सार्वजनिक सड़कों पर सामग्री या कचरा रखना
- अन्य विशेष प्रदान की गई सेवाएं

10.6.5 अनुदान सहायता एवं सब्सिडी

केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) राज्यों के बीच जिसमें स्थानीय निकाय भी शामिल हैं को अनुदान-सहायता के वितरण के लिए एक समृद्ध फ्रेम वर्क तैयार करता है। इसके अलावा, 13वे वित्त आयोग ने अन्य अनुदानों की भी प्रस्तावना की है, जैसे कि सामान्य मौलिक अनुदान, सामान्य प्रदर्शन अनुदान, और विशेष क्षेत्र मौलिक अनुदान। इसी प्रकार के प्रावधान राज्य वित्त आयोगों द्वारा भी किये जातें हैं। पोस्ट डेवोलुशन नगरीय स्थानीय निकायें जैसे नगर परिषदें वित्त आयोग अनुदानों का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त करती हैं। पूंजी अनुदान सामान्यत: भूमि, इमारतें, उपकरण, सुविधाएं, आदि की खरीद के लिए उपयोग किया गया है। इस प्रकार के व्यय के लाभ स्थायी होते हैं और एक लंबे समय के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सड़क विकास अनुदान।

10.6.6 वित्तीय संस्थाओं से ऋण

एक वित्तीय संस्था जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हो, वित्तीय संपत्तियों में धन लाती है और इन्हें भौतिक संपत्ति की बजाय वित्तीय संपत्तियों में लगाती है। इन संस्थाओं में विभिन्न संगठन शामिल होते हैं जैसे कि बैंक, ट्रस्ट कंपनियाँ, बीमा कंपनियाँ, और निवेश डीलर्स। विशेषकृत वित्तीय संस्थाएँ जैसे कि आईडीएफसी, एनएचबी, हुडको, और आईएल एंड एफएस कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो बुनियादी ढांचे के लिए ऋण और विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रदान करती हैं।अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे कि आईसीआईसीआई, एलआईसी ऑफ इंडिया, आदि भी बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं के पास लम्बी अवधि के लिए धन की उप्लब्धि रहती है जैसे कि विकास एजेंसियों से ऋण, खुले बाजार से बॉन्ड, विदेशी संस्थागत निवेशक, आदि, और इस प्रकार वे सामान्यत: बैंकों से अधिक समय के लिए उधार दे सकती हैं।

10.6.7 द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषण

द्विपक्षीय संगठन सरकारी एजेंसियां या एक देश के गैर-लाभकारी संगठन होते हैं जो अन्य देशों को सहायता प्रदान करते हैं। इन द्विपक्षीय संगठनों को उनकी राष्ट्रीय सरकारों से वित्त प्राप्त होता है और वे इस वित्त का उपयोग विकसित हो रहे देशों की सहायता के लिए करते हैं।

कुछ द्विपक्षीय एजेंसियां निम्नलिखित हैं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID)
- अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (DFID; यूके)
- जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC)
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)
- ऑस्ट्रेलियाई सहायता एजेंसी (Aus Aid)

10.6.8 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) से आने वाला धन भारत में बुनियादी परियोजनाओं के विकास के लिए मुख्य धन स्रोत के रूप में उपलब्ध हो गए हैं। उदाहरण के लिए, जापान का (जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समर्थन से दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के विकास में उपयोग किया गया है। FDI नीति 2013 के अनुसार, कृषि, खनन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र, और वित्तीय सेवाओं के अलावा लगभग सभी क्षेत्र 100 प्रतिशत FDI के लिए

पात्र हैं। उन क्षेत्रों में जिनमें 100 प्रतिशत FDI संभावना है, जैसे कि निर्माण (टाउनशिप, हाउसिंग, और बिल्ट-अप इंफ्रास्ट्रक्चर), इंडस्ट्रियल पार्क्स, और एयरपोर्ट्स। इसलिए वित्तीय सहायता के लिए FDI समर्थन आसानी से उपलब्ध है, जो वित्तीय सहयोग, संयुक्त उद्यम/तकनीकी सहयोग, पूंजी बाजार, प्राथमिक आवंटन आदि के माध्यम से प्रमित किया गया है।

10.6.9 भारत सरकार की पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट स्कीम

परियोजना संरचना क्षमताओं और ऋणक्षमता की कमी के कारण छोटे और मध्यम आकार के शहरों को अधिकांश बार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए बाजार से संसाधन जुटाने में कठिनाई होती है। भारत सरकार ने पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट स्कीम (PFDS) की शुरुआत की है ताकि नगरीय स्थानीय निकाय इस कमी को पूरा कर सकें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार से संसाधन प्राप्त कर सकें। इस से उन्हें पूल्ड फाइनेंस म्युनिसिपल बॉन्ड्स (PFMB) के माध्यम से बाजार से ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे वे नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

10.6.10 स्थानीय निकाय बॉन्ड और डिबेंचर

नगरीय स्थानीय निकाय और इंफ्रास्ट्रक्चर निधियाँ, सामान्य जनता या विशिष्ट संस्थानों को निश्चित निर्दिष्ट दर पर नगर बॉन्ड और डिबेंचर जारी करती हैं जो एक निश्चित समय के बाद आदान-प्रदान किए जा सकते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड या डिबेंचर या तो टैक्सेबल होते हैं या टैक्स फ्री होते हैं। ये बॉन्ड और डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए जा सकते हैं, जिससे पेपर को उच्च तत्परता प्राप्त होती है और बॉन्ड और डिबेंचर धारकों के लिए माध्यमिक बाजार उपलब्ध होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उनके एक्सचेंज में बॉन्ड और डिबेंचर की सूचीबद्धि के लिए एक सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में, म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार अब भी अपने प्रारंभिक चरण में है। केवल बड़े नगरीय स्थानीय निकाय जिनके पास आयमंडित राजस्व आधार हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, आदि म्युनिसिपल बॉन्ड माध्यम से धन जुटाने में सफल रहे हैं।

अध्याय 11
बाँदा महायोजना -2031 जोनिंग रेगुलेशंस

11.1 परिचय

11.1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में समान्यवत प्रमुख भू-उपयोगो तथा आवासीय, वाणिज्य, उद्योग, कार्यालय सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू-उपयोग के अंतर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएं जिन्हें महायोजना में मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना संभव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई महायोजना में भी विविध अनुषांगिक क्रियाओं/उपयोग का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन-स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

11.1.2 जोनिंग रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताएं

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगो का विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशंस में प्रमुख उपयोग जोन्स के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोग की अनुमन्यता को समय के परिप्रेक्ष्य में अनुक्रियाशील बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उद्देश्य से समुचित प्रावधान किए गए हैं। जोनिंग रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं।

(i) परंपरागत जोनिंग रेगुलेशंस में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख उपयोग जॉन्स में विभिन्न क्रियाओं को अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (metrix) के माध्यम से सर्वग्राही एवं यूजर फ्रेंडली (user friendly) बनाया गया है।

(ii) विद्यमान महायोजना में अपनाई गई परंपरागत “regimented” रेजिमेंटेड भू -उपयोग पद्धति के स्थान पर केंद्रीय क्रियाएं भू-उपयोग कांसेप्ट को अपनाया गया है जो नगरों में गतिशील विकास में प्रोत्साहन स्वरूप होगा।

(iii) केंद्रीय क्रियाएं भू-उपयोगो की अनुमन्यता उनकी अनुषांगिकता तथा कार्यपूर्ति मापदंडों पर आधारित की गई है। ताकि परस्पर आश्रित भू-उद्योगों की ऑपरेशनल एवं आर्थिक कार्य क्षमता में वृद्धि हो और किसी भी प्रमुख भू-उद्योग जॉन का मूल स्वरूप विकृत न होने पाए।

(iv) जोनिंग रेगुलेशंस के आधार पर अनुमन्य क्रियाएं हेतु प्रभाव शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन पर्याप्त होंगे।

(v) जोनिंग रेगुलेशंस में "फ्लोटिंग" भू-उपयोग कांसेप्ट अपनाया गया है जिसके अनुसार ऐसी क्रियाएं जो महायोजना/जोनल प्लान में परिकल्पित नहीं है को भविष्य में गुण अवगुण के आधार पर संबंधित उपयोग जोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।

(vi) प्रमुख भू-उपयोग जॉन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किए जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति करने के लिए एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है।

11.1.3 विभिन्न क्रियाओं/ उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियां

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जॉन्स के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियां होंगी।

(क) अनुमन्य उपयोग:

वह क्रियाएं उपयोग जो संबंधित प्रमुख भू-उपयोग के अनुषांगिक होने तथा सामान्यवत: अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग:

वह क्रियाए/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर संबंधित प्रमुख उपयोग में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबंध भाग-3 में दिए गए हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग:

वह क्रिया/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आसपास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव आदि अर्थात गुण-दोष की दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं भाग 4 में दी गई हैं।

(घ) निषिद्ध उपयोग:

वह क्रियाएं/उपयोग जो संबंधित प्रमुख भू-उपयोग जॉन में अनुमन्य नहीं होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएं तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख भू-उपयोग के अनुषांगिक नहीं हैं अथवा उपरोक्त (क(, (ख (अथवा) ग (ऐसी श्रेणियों के अन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं है की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.1.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरांत प्रमुख भू-उपयोग जोन में कतिपय क्रियाएं/उपयोग नगरों के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेश में आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित किए जाते हैं। जो समय की मांग के अनुसार व्यवहारिक होते हैं, परंतु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशंस में प्रीकल्पित नहीं है। इस प्रकार के उपयोगों में बस, ट्रक, रेल, हवाई टर्मिनल, थोक मार्केट कंपलेक्स, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं यथा विद्युत सब स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं उपयोग की अनुमति हेतु “फ्लोटिंग उपयोग” कांसेप्ट अपनाया गया है।

“फ्लोटिंग उपयोग” क्रियाओं की जानकारी विकासकर्ता/ निर्माणकर्ता दवारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदंड (performance standard) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। “फ्लोटिंग उपयोग” कांसेप्ट अपनाए जाने के फलस्वरुप जोनिंग प्रणाली में फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू-उपयोग जोन में नॉनकन्फॉर्मिंग उपयोगों का केंद्रीयकरण नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त “फ्लोटिंग उपयोग” के फल स्वरुप किसी प्रकार भू-उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (dominent charecter) पर पड़ने वाले कु-प्रभाव अथवा होने वाले ह्राश पर अंकुश लगाने तथा संबंधित क्षेत्र में अवस्थापनाओ पर अनावश्यक दबाव को नियंत्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यत अनुमन्य नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्‌वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन

जोनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत सूचीबद्‌ध विभिन्न विभागों भू-उपयोग जोन के अतिरिक्त नगर विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्‌वारा विशिष्ट क्षेत्र/ हेरिटेज जोन निर्धारित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक एवं वास्तु कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें शामिल किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल है उक्त के विकास के संबंध में विवरण नीति निर्धारण में दिया गया है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग

ग्राउंड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्ज हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं/ जोनल डेवलपमेंट प्लान्स में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अंतर्गत एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब, झील आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा। भले ही महायोजनाओं में उन स्थानों का प्रमुख उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। ऐसे समस्त जलाशयो, तालाबों, झीलों आदि को उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर महायोजना में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्रावधान किये गए है।

11.1.5 प्रभाव शुल्क (impact fee)

बाँदा विकास प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहां नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अंतर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन में निहित प्रावधानों के अधीन विचार हीं किया जाएगा। यदि निम्न उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप संबंधित क्षेत्रों में यातायात, अवस्थापनाओ तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा "प्रभाव शुल्क" (impact fee) देय होगा, जिसका 90% अंश विकास प्राधिकरण के अवस्थापना विकास फंड में जमा किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन पर जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा, जबकि जोनिंग रेगुलेशंस के आधार पर अनुमन्य :क्रियाओ /उपयोगो हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क से संबंधित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2000-26 एल. यू. सी./ 91 दिनांक 21.8.2001 एवं तत्संबंद्धित प्रभावी अन्य शासनादेशो में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जाएगा। प्रभाव शुल्क की राशि "सामान्यतः अनुमन्य" एवं "सशर्त अनुमन्य क्रियाओं" हेतु उक्त शासना देश में निर्धारित शुल्क की 25% तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50% होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर आवासीय दर, प्राधिकरण की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोगों के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू-उपयोग ज़ोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन के भाग 6- में दी गयी है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा

1. निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य अथवा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/ उपयोग हेतु।
2. आवासीय/ अर्धनिर्मित भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्धशासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं/ क्रियाओं हेतु।
3. विभिन्न प्रमुख भू-उपयोग ज़ोन्स में अस्थाई रूप से अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोग हेतु।
4. राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों-पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू-उपयोग ज़ोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क दे नहीं होगा तथा आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स, 3 स्टार तक के होटल तथा 5 के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां/ सुचना प्रौद्योगिकी पार्क।

11.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

प्रमुख भू-उपयोग जोन के अंतर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया /उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यत: अनुमन्य /सशर्त अनुमन्य / विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किए जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के उपरांत ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। अनुज्ञा से संबंधित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

विकास क्षेत्र /विशेष विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग ज़ोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओ की विशेष अनुमति दिए जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे।

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि
2. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
3. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य

जोनिंग रेगुलेशंस के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

11.1.7 अन्य अपेक्षाएं

महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग ज़ोन्स के अंतर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल या विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषंगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अंतर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाये ही अनुमन्य होगी।

महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अंतर्गत वर्तमान वन्य क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से संबंधित स्थल, जैसे कि पार्क, क्रीडा-स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

यदि अधिनियम के अंतर्गत किसी परिक्षेत्र (जॉन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखंड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही रहेगा।

प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियां (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

11.1.8 परिभाषाएं

इन रेगुलेशंस हेतु "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत घोषित बांदा प्राधिकरण बोर्ड, बांदा से है।

निर्मित क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो बांदा महायोजना 2021 में इस रूप में परिभाषित किया गया है।

विकासशील/अविकसित क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर परंतु विकास क्षेत्र के अंतर्गत है।

11.2 भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं

11.2.1 आवासीय

11.2.1.1	एकल आवास	वह परिसर जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाइयां (भूखण्डीय आवास) हो।
11.2.1.2	समूह आवास	वह परिसर जिसमें 2 या इससे अधिक मंजिल का भवन (ग्रुप हाउसिंग) होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाइयां होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों एवं आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह स्वामित्व होगा।

11.2.1.3	संबंधित कर्मचारी आवास	वह परिसर जिससे किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय इकाइयों का प्राविधान एकल अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
11.2.1.4	चौकीदार/ संतरी आवास	वह परिसर जिसमें उस उपयोग की सुरक्षा एवं रख-रखाव से संबंध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

11.2.2 व्यवसायिक

11.2.2.1	फुटकर दुकाने	वह परिसर जहां आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।
11.2.2.2	शोरूम	वह परिसर जहां वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
11.2.2.3	आटा चक्की	वह परिसर जहां गेहूं, मसालों इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीसकर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता है।
11.2.2.4	थोक मंडी /व्यापार	वह परिसर जहां माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती हैं। परिसर में भंडारण, गोदाम और माल चढ़ाने, उतारने की सुविधाएं भी शामिल है।
11.2.2.5	कोल्ड स्टोरेज (शीत-ग्रह)	वह परिसर जहां आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यांत्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तु का भंडारण किया जाता है।
11.2.2.6	होटल	वह परिसर जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।
11.2.2.7	मोटल	वह परिसर मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहां यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खानपान का प्रबंध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
11.2.2.8	कैंटीन	वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस में बैठने का स्थान हो सकता है।
11.2.2.9	भोजनालय, जलपानगृह / रेस्टोरेंट्	वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता है इस में बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
11.2.2.10	सिनेमा	वह परिसर जिसमे दर्शको के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.2.11	मल्टीप्लेक्स (समुच्य)	वह परिसर जहां फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषंगिक व्यवसाय क्रियाओं की व्यवस्था एक कंपलेक्स में हो

11.2.2.12	पी.सी.ओ. सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	वह परिसर जहां से स्थानीय अन्तर्राज्य या देश-विदेश इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्युलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो
11.2.2.13	पेट्रोल/ डीजल फिलिंग स्टेशन	उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ऑटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
11.2.2.14	गैस गोदाम/ गैस अधिष्ठान	वह परिसर जहां कुकिंग गैस का गैस सिलेंडर का भंडारण किया जाता हो।
11.2.2.15	जंकयार्ड/ कबाड़खाना	वह परिसर जहां निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओ और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्धवृत्त अथवा खुला भंडारण किया जाता हो।
11.2.2.16	भंडारण गोदाम/ वेयरहाउसिंग	वह परिसर जिसे संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भंडारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन, या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतरने की सुविधाएं शामिल हैं।

11.2.3 औद्योगिक

11.2.3.1	खनन संबंधी	वह परिसर जिसमें पत्थरों ने भूमिगत सामग्रियों को खोदकर निकालने प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है।
11.2.3.2	सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	वह परिसर जहां सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर साफ्टवेयर, इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य सोफ्ट्वरे आदि का निर्माण किया जाता है।
11.2.3.3	तेल डिपो	वह परिसर जहां सभी संबंधित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भंडारण किया जाता हो।

11.2.4 कार्यालय

11.2.4.1	राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका प्रयोग केंद्रीय राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
11.2.4.2	स्थानीय निकाय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता है।
11.2.4.3	अर्ध राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता है।

11.2.4.4	निजी कार्यालय	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यवसायिक कार्यो हेतु कंसलटेंसी सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट इत्यादि।
11.2.4.5	बैंक	वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और परिचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
11.2.4.6	वाणिज्यिक / व्यवसायिक कार्यालय	वह परिसर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता है।
11.2.4.7	श्रमिक कल्याण केंद्र	वह परिसर जहां श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.4.8	अनुसंधान एवं विकास / शोधकेंद्र	वह परिसर जहां सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.4.9	मौसम अनुसंधान केंद्र	वह परिसर जहां मौसम और संबंधित आंकड़ों के अध्ययन अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.4.10	मिक्रोवेव तथा वायरलेस केंद्र	वह परिसर जिसका प्रयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो जिसमें टावर भी सम्मिलित है।

11.2.5 सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं

11.2.5.1	अथिति गृह / निरीक्षण गृह	वह परिसर जहां सरकारी अर्द्ध सरकारी उपक्रम, कंपनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
11.2.5.2	धर्मशाला	वह परिसर जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के लिए अस्थाई आवास की व्यवस्था होती है।
11.2.5.3	बोर्डिंग/लॉजिंग हाउस	वह परिसर जिसमें कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घ-अवधि हेतु किराए पर दिए जाते हैं।
11.2.5.4	अनाथालय	वह परिसर जहां अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।
11.2.5.5	रैन बसेरा	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाममात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
11.2.5.6	सुधारालय	वह परिसर जहां अपराधियों के रखने और उनके सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था होती है।
11.2.5.7	हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हॉउस	वह परिसर जहां अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो इसका प्रबंध व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्थान द्वारा किया जा सकता है।
11.2.5.8	शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केंद्र	वह परिसर जहां दिन के समय शिशु की के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो केंद्र का प्रबंध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति व्यक्ति या किसी संस्थान द्वारा किया जा सकता है।

11.2.5.9	वृद्धावस्था देखभाल केंद्र	वह परिसर जहां सामान्यत :वृद्धावस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालीन रहने की रहने की व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खानपान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है। जिसका प्रबंध किसी एक व्यक्ति या संस्थान द्वारा किया जा सकता है।
11.2.5.10	उच्च माध्यमिक / इंटर विद्यालय	वह परिसर जहां दसवीं/बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेलकूद तथा अन्य संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था हो
11.2.5.11	महाविद्यालय	वह परिसर, जहां किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद तथा अन्य संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.12	पॉलिटेक्निक	वह परिसर, जहां तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
11.2.5.13	मेडिकल /डेंटल कॉलेज	वह परिसर, जहां मानव विज्ञान के अंतर्गत रोगों के उपचार हेतु शिक्षण, डेंटल, ऑपरेशन इत्यादि तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
11.2.5.14	उच्च तकनिकी संस्थान	वह परिसर, तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.15	कुटीर उद्योग पर्शिक्षण	वह परिसर, जहां घरेलू लघु, सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कंप्यूटर, टूर एंड ट्रेवल्स इत्यादि का प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.16	प्रबंधन संस्थान	वह परिसर जहां प्रबंधन क्षेत्र में शिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.17	सामान्य शैक्षिक संस्थान	वह परिसर, जहां गैर-तकनीकी शिक्षा दी जाती है।
11.2.5.18	डाकघर	वह परिसर, जहां जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.19	डाक एवं तारघर	वह परिसर, जहां जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.20	टेलीफोन कार्यालय/केंद्र	वह परिसर, जहां संबंधित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केंद्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.21	रेडियो व् टेलीविज़न केंद्र	वह परिसर, जहां संबंधित माध्यम द्वारा समाचार और अन्य कार्यक्रम रिकॉर्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.22	कारागार	वह परिसर, जहां विधि के अंतर्गत अपराध को नजरबंद करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.23	पुलिस स्टेशन	वह परिसर, जहां स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

11.2.5.24	नर्सिंग होम	वह परिसर, जहां 30 शैय्याओं तक अंतरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबंध प्रबंधन व्यवसायिक आधार पर किया जाए किया जाता है।
11.2.5.25	अस्पताल	वह परिसर, जहां अंतरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य विशेष कृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.26	क्लीनिक/पॉली क्लीनक	वह परिसर जहां बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डॉक्टरों के समूह द्वारा की जाती है।
11.2.5.27	स्वास्थय केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र / हेल्थ सेन्टर	वह परिसर, जहां 30 शैय्याओं तक अंतरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंध गैर-व्यवसायिक आधार पर धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है इसमें परिवार कल्याण केंद्र शामिल हैं।
11.2.5.28	डिस्पेंसरी	वह परिसर, जहां चिकित्सा परामर्श की सुविधाएं सुविधाओं और दवाइयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबंध सार्वजनिक किया धर्मार्थ संस्था द्वारा किया जाता है।
11.2.5.29	नैदानिक प्रयोगशाला	जहां बीमारियों के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.30	सभा भवन, सामुदायिक भवन	वह परिसर, जहाँ सभा सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
11.2.5.31	योग, मनन, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केंद्र /सत्संग भवन	वह परिसर, जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.32	धार्मिक भवन	वह परिसर, जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
11.2.5.33	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन	वह परिसर,जहाँ मुख्य रूप से गैर-व्यवसायिक आधार पर जनता या सवच्छिक रूप से किसी व्यक्ति /संस्था द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकर्मो के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.34	सांस्कृतिक केंद्र	वह परिसर, जहां किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.35	बारातघर / बैंक्वेट हाल	वह परिषद जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोह के लिए किया जाता है।
11.2.5.36	औडिटोरियम	वह परिषद जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोह के लिए किया जाता है।
11.2.5.37	खुली नाट्यशाला	वह परिसर, जहां खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।

11.2.5.38	थिएटर / नाट्यशाला	वह परिसर, जहां दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
11.2.5.39	म्यूजियम/अजायबघर	वह परिसर, जहां पूरावशेषो, प्राकृतिक इतिहास, कला आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओ का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.40	आर्टगैलरी / प्रदर्शनी केंद्र	वह परिसर, जहां चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भिन्न चित्र, हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.41	संगीत /नृत्य नाट्य प्रशिक्षण/कला केंद्र	वह परिसर जहां संगीत, नृत्य तथा नाटकला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
11.2.5.42	पुस्तकालय / लाइब्रेरी	वह परिसर, जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
11.2.5.43	वाचनालय	वह परिसर, जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र पत्रिका आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
11.2.5.44	सुचना केंद्र	वह परिसर, जहां राज्य तथा देश के विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.45	अग्निशमन केंद्र	वह परिसर, जहां उसके उससे संबंध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.46	समाज कल्याण केंद्र	वह परिसर, जहां समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
11.2.5.47	विद्युत शवदाह गृह	वह परिसर, जहां शव को जलाकर अंतिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.48	शमशान	वह परिसर, जहां शव को जलाकर अंतिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.49	कब्रिस्तान	वह परिसर, जहाँ शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.50	मेला स्थल	वह परिसर, जहां सेहभागियो के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.5.51	धोबी घाट	वह परिसर, जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।

सार्वजानिक उपयोगिताएँ

11.2.5.52	डंपिंग ग्राउंड	वह परिसर, जहां नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा) सॉलिड वेस्ट (इकट्ठा करके अंतिम उपचार होने तक जमा किया जाता है।

11.2.5.53	सीवरेज ट्रीटमेंट	वह परिसर, जहां ठोस एवं तरल अवशिष्टों को तकनीकी रसायनिक क्रिया द्वारा हानि रहित बनाया जाता है।
11.2.5.54	सार्वजानिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बंधित	वह परिसर, जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भंडारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड, भूमिगत टैंक, पंप हॉउस आदि सीवरेज से संबंधित ऑक्सीकरण तलाब, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पंपिंग स्टेशन आदि हो इसमें इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय कूड़ेदान भी शामिल हैं।
11.2.5.55	कम्पोस्ट प्लांट	वह परिसर, जहां नगरों के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थों को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के उपरांत उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
11.2.5.52	विद्युत केंद्र / सब-स्टेशन	वह परिसर, जहां बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन आदि लगे हो।

11.2.6 यातायात एवं परिवहन

11.2.6.1	पार्किंग स्थल	वह परिसर, जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता है।
11.2.6.2	बस स्टैंड	वह परिसर जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लघु अवधि हेतु बसे खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेंसी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
11.2.6.3	मोटर गैरेज / सर्विस गैरेज तथा वर्कशॉप	वह परिसर जिसमें ऑटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती हो।
11.2.6.4	टेक्सी /टेम्पो / रिक्शा स्टैंड	वह परिसर, जिसका उपयोग व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता है।
11.2.6.5	मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र	वह परिसर, जहां ऑटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.6.6	ट्रांसपोर्ट नगर	वह परिसर, जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घ अवधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो इसमें ट्रक एजेंसी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट्स शॉप्स तथा गोदाम, पेट्रोल पंप आदि हो सकते हैं।
11.2.6.7	धर्मकांटा	वह परिसर, जहाँ भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता है
11.2.6.8	बस डिपो	वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख-रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेंसी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता हो इसमें वर्कशॉप भी हो सकता है।

11.2.7 पार्क,खेल/खुले स्थल

11.2.7.1	पार्क	वह परिसर, जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुला स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हो इसमें भू-दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
11.2.7.2	क्लब	सभी संबंधित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता है।
11.2.7.3	क्रीड़ा स्थल / खेल का मैदान	आउट खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर, जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय आदि की व्यवस्था हो।
11.2.7.4	मनोरंजन पार्क	वह परिसर, जहां मनोरंजनात्मक देशों के पार्क में तथा मनोरंजन से संबंधित अन्य सुविधाओं के लिए पार किया मैदान हो।
11.2.7.5	स्टेडियम	वह परिसर, जिसमें खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मंडप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
11.2.7.6	ट्रैफिक पार्क	पार्क के रूप में वह परिसर जहां यातायात और संकेतन के संबंध में बच्चों की जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
11.2.7.7	स्विमिंग पूल (तरण-ताल)	वह परिसर, जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग-रूम, शौचालय आदि की व्यवस्था हो।
11.2.7.8	पिकनिक स्थल / शिविर स्थल	पर्यटक और मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिए किया जाता है।
11.2.7.9	फ्लाइंग क्लब	वह परिसर, जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे विमानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन राइडिंग के लिए किया जाता है।
11.2.7.10	शूटिंग रेंज	वह परिसर, जो विभिन्न प्रकार के पिस्टल/बंदूक को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रैक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।

11.2.8 कृषि

11.2.8.1	नर्सरी/पौधशाला	वह परिसर, जहाँ छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

11.2.8.2	दुग्धशाला / डेयरी	वह परिसर, जहाँ डेयरी उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शेड्स के लिए अस्थायी ढांचा हो सकता है।
11.2.8.3	कुक्कुटशाला पोल्ट्री फार्म	यह परिसर, जहाँ मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अण्डे, मांस आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शेड्स हो सकते हैं।
11.2.8.4	फार्म हाउस	यह परिसर, जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
11.2.8.5	उद्यान	यह परिसर, जिसे फूलों / फलों के प्रयोजनार्थ पेड़-पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
11.2.8.6	दुग्ध संग्रह केन्द्र	वह परिसर, जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।
11.2.8.7	कृषि उपकरणों मरम्मत एवं सर्विसिंग	वह परिसर, जहाँ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर ट्राली, हारवेस्टर इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।

11.2.9 अस्थाई क्रियांऐ

11.2.9.1	साप्ताहिक बाजार	नगर में लगने वाले विभिन स्थलों /फुटपाथ पर लगने वाले अस्थाई बाजार जो की सप्ताह मे एक बार लगाया जाता है।
11.2.9.2	अस्थाई सिनेमा, सरकस , प्रदर्शनी / मेला स्थल , सभा स्थल	अस्थाई सिनेमा, सरकस , प्रदर्शनी / मेला स्थल , सभा स्थल वे अस्थि क्रियाएं हैं जो की नगर के विभिन्न स्थलों पर जिला प्रसाशन के अनुमति से अस्थाई रूप से लगाए जाते हैं
11.2.9.3	वेंडिंग जोन	वह क्षेत्र जहाँ पर बिना पूर्व निर्धारित व् नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई रूप से लघु व् फूटकर सामान।/ पदार्थो के विकार्य सामग्री व्यवसायिक गतिविधियों वेंडर द्वारा की जाती हैं।

11.2.10 अन्य परिसर

11.2.10.1	वन	वह परिसर प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए पेड़-पौधे हो। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
11.2.10.2	स्मारक	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित यह परिसर जहाँ मूलकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।

11.2.10.3	चिड़िया घर/ जल-जीवशाल	यह परिसर, जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव-जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/ पार्क / जल-जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
11.2.10.4	पक्षी शरण स्थल	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परिक्षण और पालन पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर

11.2.11 प्लोटिंग उपयोग

वह उपयोग जिसके लिए महायोजना /जोनल प्लान/ सेक्टर प्लान / ले - आउट प्लान में अलग से क्षेत्र आरक्षित नहीं है ,परन्तु जो विकासकर्ता ,निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवदेन किये जाने पर निर्धारित होगा ।

11.3. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-6 के अन्तर्गत प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतिकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/ उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार है:

कोड सं.	**अनुमन्यता की अनिवार्य शर्त एवं प्रतिषन्ध**

[1] भूतल पर चौकीदार / संतरी आवास

[2] भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास

[3] योजना के योग क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक

[4] योजना के योग क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा योग क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो।

[5] भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू-विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु।

[6] न्यूनतम 12 मीटर चौड़ाई मार्ग पर

[7] न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर

[8] न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर

[9] न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक

[10] न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक

[11] केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र / स्थलों के अन्तर्गत

[12] केवल दुर्बल / अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक-2 के अनुसार)

[13] ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण

[14] केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर

[15] 5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-2 के अनुसार)

[16] राईट-ऑफ-वे के बाहर

[17] न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक

[18] ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत

[19] अनुमन्य एफ. ए. आर. का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो

[20] केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु

[21] केवल खुले रूप में एवं अस्थायी

[22] केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित

[23] न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर केवल तीन स्टार तक

[24] न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर

[25] 10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-3 के अनुसार)

[26] न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 10 हार्स पावर तक

[27] नवीन टाउनशिप / योजना के भाग के रूप में।

[28] अनुमन्य एफ. ए. आर. का 10 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम केवल औद्योगिक इकाई के उत्पाद के प्रदर्शन एव विक्रय हेतु।

[29] भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार शैक्षिक एवं हॉस्पिटल में निषिद्ध।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएं

भू-उपयोग में विशेष अनुमति से अनुमनाओं (Activities)/ उपयोगों की अनुमति नाम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन दी जाएगी।

(1) विकास क्षेत्र के अनर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। जिसकी संस्तुति प्राधिकारण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

- विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,
- अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाए सुनिश्चित की जाएंगी।

(i) प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ii) प्रस्तावित क्रिया के कारण अलग-बगल के भूखण्डो/ भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसरी भंग न हो।

(iii) प्रस्तावित क्रिया के कारण प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि / धुआं/ दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।

(iv) प्रस्तावित क्रिया यथासम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र / किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत में स्थित हो।

(v) प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि भवन का अधिकतम एफ.ए. आर. एवं ऊंचाई प्रमुख भू-उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

(2) किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग / सेट बैंक इत्यादि में दर्शायी गई भूमि भविष्य में मार्ग विस्तार / सार्वजनिक पार्किंग इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

(3) महायोजना में अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हैरिटेज जोन में खान-पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्टस, फोटोग्राफर रेल / वायु / टैक्सी इत्यादि के बुकिंग ऑफिस, गाईड कार्यालय पर्यटन से सम्बन्धित कार्यालय तथा अन्य आवश्यक क्रियाएं यथा अस्थायी मेला / प्रदर्शनी स्थल इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।

(4) जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू-उपयोग के अनुषांगिक (Compatible) अन्य कियाएं जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

टिप्प्णी:

(1) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क्रियाओं / उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू-आच्छादन एफ. ए. आर. और

सेट-बेक पार्किंग आदि के बारे में प्राविधान नहीं है, के सम्बन्ध में किया विशेष प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।

(2) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/ क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकेगा।

11.4 प्रमुख भू-उपयोग ज़ोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता						
संकेताक्षर				**संकेत**		
नि.क्षे- : वर्तमान निर्मित क्षेत्र	बा.स्ट्री. : बाजार स्ट्रीट	ट्र : ट्रांसपोर्ट नगर/ ट्रक अड्डा	शम/क़ब्री : शमशान/कब्रिस्तान			अनुमन्य उपयोग
ग्रा.आ -: ग्रामीण आबादी	उ. : उद्योग	पा.क्री.स्थ. : पार्क एवं खुले स्थल	सी फ़ा :सीवेरज फार्म			सशर्त अनुमन्य उपयोग
आवा : -आवासीय क्षेत्र	कार्य. : कार्यालय	भू: भूरागढ़ किला	ह.प : हरित पट्टी			विशेष अनुमति के अनुमन्य उपयोग
खु/वा.कें -खुदरा दुकाने/वाणिजियक केंद्र	सुवि : सुविधाएं / /शैक्षिक/धार्मिक	नदी : केन नदी	कृ-2 - हाई-वे फैसेलिटी जोन			निषिद्ध उपयोग
भण्डा : भण्डारागार	उप : उपयोगिताएं /इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन/सोलर पावर प्लांट	जला- : जलाशय	पहा- : पहाड़ी			
मं/थोक.बा. : मंडी /थोक बाजार	ब : बस अड्डा	न : नहर/नाला	कृ-1 – कृषि			

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	ब.	ट्रं.	पा.क्री.स्थ.	भू.	नदी	जला-	न	श्म/क़ब्री	मी फ़ा	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	आवासीय																								
1.1	एकल आवास				2		2	3	3	3	3			13											
1.2	समूह आवास				2		2		3	5	5														
1.3	सम्बंधित कर्मचारी/चौकीदार/संतरी आवास				2	1	2	2	4	3	3	1	2	1							1				
2	व्यवसायिक																								
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक-1 के अनुसार)			6					27		27		27	14											
2.2	दैनिक उपयोग की दुकानें (अनुलग्नक 1 क के अनुसार)	6	6	6																					
2.3	शोरूम/इम्पोरियम					20		20	28				27												
2.4	मोटर वाहनों के शोरूम					20																			
2.5	मोटर वाहनों के स्पे. पार्टस की बिक्री हेतु की दुकानें						6	6																	

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	ब.	ट्रं.	पा.क्री.स्थ.	म्ह	नदी	जला-	न	श्मा/क्ब्री	स्री फ़	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.6	थोक मंडी/थोक व्यापार																								
2.7	नीलामी बाजार																								
2.8	कोयला तथा लकड़ी की टाल	6	6	7					7																
2.9	कृषि उपजों के विक्रय केंद्र																								
2.10	शीत गृह																								
2.11	रिसॉर्ट्																								
2.12	होटल	23		23				4					23	4											
2.13	मोटल, वे-साइड रेस्टोरॉं (ढाबा)								8																
2.14	भोजनायला, जलपान गृह, रेस्टोरेंट/कैंटीन			6										5											
2.15	सिनेमा, मल्टी पलेक्स/फ्लेक्स			8					8																
2.16	पी. सी. ओ./सेल्युलर मोबाइल सर्विस																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	ब.	ट्रं.	पा.क्री.स्थ.	भ्र	नदी	जला-	न	श्मा/क़ब्री	मी फ़	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.17	पेट्रोल/डीज़ल फिलिंग स्टेशन/सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन/इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन			24	24					24			13												
2.18	भंडारन, गोदाम, बे हाउससंग्रहण केंद्र, कबाड़खाना वेयरहाउस							10																20	
2.19	गैस गोदम/गैस अधिष्ठान																							20	
2.20	सर्विस अपार्टमेंट																								
3	उद्योग																								
3.1	सेवा / कुटीर उद्योग	15		12	15								15												
3.2	सूचना प्रधोयोगिकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	17	17	17	17					17															
3.3	लघु उद्योग (संलग्न सूची अनुसार)																								
3.4	बृहद उद्योग, चीनी मिलें, चावल मिलें, आटा मिलें, कृषि उत्पाद आधारित																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	ब.	ट्रं.	पा.क्री.स्थ.	भ्रू	नदी	जला-	न	श्मशा/कब्री	मी फ़ा	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.5	संकट पूर्ण / खतरनाक / प्रदूषणकारी उद्योग																								
3.6	खनन, ईंट/चूना का भटटा, क्रेसर																								
3.7	तेल डिपो / एल0पी0जी0 रिफिलिंग प्लांट																								
3.8	पास्चराइजिंग प्लांट / दुग्ध संग्रहण केंद्र																								
3.9	विदयुत उत्पादन संयंत्र																								
4	राजकीय/कार्यालय																								
4.1	राजकीय, अर्ध-राजकीय, स्थानीय कार्यालय इत्यादि	6		7				15	13				20	15											
4.2	निजी कार्यालय, एजेंट कार्यालय इत्यादि			19				15						15											
4.3	बैंक	6																							
4.4	वाणिज्यिक / व्यापारिक कार्यालय							15																	
4.5	श्रमिक कल्याण केंद्र																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	ख्रु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	ब.	ट.	पा.क्री.स्थ.	भ्र	नदी	जला-	न	श्मा/कब्री	सी फ़	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4.6	पी.ए.सी. / पुलिस लाइन्स																								
4.7	साइबर कैफे	6		6																					
4.8	बायोटेक पार्क																								
4.9	बिजनेस पार्क																								
4.10	डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर	4																							
4.11	कॉल सेन्टर																								
4.12	बी.पी.ओ.						6																		
4.13	अनुसन्धान एव विकास केंद्र, शोध केंद्र								20																
4.14	मौसम अनुसन्धान केंद्र																								
5	सामुदायिक सुविधाएं उपयोगिताएं एवं सेवायें																								
5.1	अतिथि गृह, निरीक्षण गृह																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	ब.	ट्रं.	पा.क्री.स्थ.	म्	नदी	जला-	न	श्मा/कब्री	सी फ़ा	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.2	धर्मशाला, रैन बसेरा, लॉन्जिंग, बोर्ड हाउस	6	6	6																					
5.3	छात्रावास	6	6	6																					
5.4	अनाथालय, सुधारलय																								
5.5	कारागार																								
5.6	हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हाउस / विकलांग बच्चों का घर	6		6																					
5.7	शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केंद्र									19															
5.8	वृद्धावस्था देखभाल केंद्र																								
5.9	प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान	6		6																				23	
5.10	उच्च माध्यमिक / इंटर कॉलेज,																								
5.11	महाविद्यालय	6																							
5.12	विश्वविद्यालय																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	ख़ु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	व.	ट.	पा.क्री.स्थ.	क्र	नदी	जला-	न	श्मम/क़ब्री	मी फ़	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.13	पॉलिटेक्निक, इंजी., मेडिकल, डेंटल कॉलेज																								
5.14	प्रबंधन संस्थान, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान																								
5.15	डाकघर / टेलीग्राम कार्यालय			6																					
5.16	पुलिस स्टेशन, चौकी, अग्निशमन /केंद्र			7																					
5.17	पुस्तकालय / वाचनालय																								
5.18	स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र, औषधालय/डिस्पेंसरी	9		9																					
5.19	अस्पताल	10							10	10														17	
5.20	नर्सिंग होम	9		10					10	10															
5.21	नैदानिक प्रयोगशाला			9																				18	
5.22	हेल्थ क्लब / व्यायामशाला																								
5.23	इलेक्ट्रिक श्मशान, श्मशान, कब्रिस्तान																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	ख़ु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	ब.	टे.	पा.क्री.स्थ.	भू	नदी	जला-	न	श्मा/क़ब्री	सी फ़	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.24	संगीत, नृत्य और नाटक प्रशिक्षण केंद्र, कला केंद्र			6																					
5.25	सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि			19																					
5.26	ऑडिटोरियम, नाट्यशाला /थिएटर			7					8																21
5.27	योग ध्यान, आध्यात्मिक और धार्मि प्रवचन केंद्र / सत्संग भवन	6	6	7																					21
5.28	धार्मिक भवन	6						4																	
5.29	सामुदायिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र	6	6	7	6			4																	
5.30	बारात घर, बैंक्वेट हाउस				7																				
5.31	कॉन्फ्रेंस / मीटिंग हाल	6						15	27																
5.32	अजायबघर																								
5.33	आर्ट गैलरी / प्रदर्शनी केंद्र	21		7																					

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	स्मृति	उप	ब.	ट.	पा.क्री.स्थ.	भू	नदी	जला-	न	श्मशा/कब्री	सी फ़ा	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.34	टेलीफोन रेडियो व टेलीविजन कार्याला केन्द्र																								
5.35	समाज कल्याण केंद्र																								
5.36	कूड़ा डम्पिंग ग्राउंड								14															11	
5.37	ट्यूब वेल, ओवरहेड रिसर्वियर विद्युत केंद्र / सबस्टेशन																								
5.38	वाटर वर्क्स																								
5.39	मिक्रोवेव केंद्र																								
5.40	कम्पोस्ट प्लांट/ रिसाईक्लिंग ऑफवेस्ट																								
5.41	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट								14																
5.42	डस्टबिन/कूड़ा सकत्रीकरण स्थल																								
5.43	सामुदायिक शौचालय																								
5.44	ए.टी.एम.																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.के.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्या.	सुवि	उप	ब.	ट.	पा.क्री.स्थ.	म	नदी	जला-	न	श्म/क्री	सी फ्र	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.45	जन सुविधा केन्द्र																								
5.46	सामुदायिक मार्ग निर्देश केंद्र																								
5.47	पशुवध शाला																							11	
5.48	मोबाइल टावर										29														
6	यातायात और परिवहन																								
6.1	पार्किंग स्थल, पार्किंग प्लाजा																								
6.2	टैक्सी/टेम्पो/रिक्शा स्टैंड																								
6.3	ट्रांसपोर्ट नगर, बस डिपो																								
6.4	बस स्टॉप/बस स्टैंड			7				6	7																
6.5	बस टर्मिनल																								
6.6	मोटर गैराज, सर्विस गैरेज और कार्यशाला																								
6.7	मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	ख़ु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	सुवि	उप	व.	टं.	पा.क्री.स्थ.	म	नदी	जला-	न	श्मम/क़ब्री	सी फ़	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.8	लोडिंग, अनलोडिंग संबंधित सुविधाएं																								
6.9	रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड साइडिंग / टर्मिनल																								
6.10	धर्मकांटा	7						6	7																
6.11	एयर पोर्ट																								
6.12	पार्क एंव क्रीडास्थल																								
6.13	पार्क,																								
6.14	बहुउद्देशीय खुले स्थान	7	7	7																					
6.15	गोल्फ / रेस कोर्स																								
6.16	स्टेडियम / खेल प्रशिक्षण केंद्र/ क्रीडास्थल/ खेल के मैदान																								
6.17	कारवां पार्क, पिकनिक साइट, शिविर स्थ, कैम्पिंग साइट																							16	
6.18	ट्रैफिक पार्क																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्या.	सुवि	उप	ब.	ट्रं.	पा.क्री.स्थ.	भ्र	नदी	जला-	न	श्मश/कब्री	सी फ़ा	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.19	मनोरंजन पार्क	6																							
6.20	क्लब, स्विमिंग पूल	6		6																					
6.21	चिड़ियाघर, वन्यजीव, जल जीवशाला /पक्षी शरण स्थल																								
6.22	फ्लाइंग क्लब / हेलीपैड																								
6.23	शूटिंग रेंज																								
7	कृषि																								
7.1	बागवानी पौधशाला उद्यान वन बॉटेनिकल गार्डन																								
7.2	फार्म हाउस																								
7.3	चारागाह, दुग्धशाला (डैरीफार्म),कैटिल कॉलोनी																							11	
7.4	धोबी घाट																								

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	खु/वा.कें.	भण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्या.	सुवि	उप	ब.	ट.	पा.क्री.स्थ.	भू	नदी	जला-	न	श्मश/कब्री	सी फ़	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7.5	सुअर, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और प्रजनन केंद्र																								
7.6	कृषि उपकरण मरम्मत / सर्विसिंग कार्यशाला																								
7.7	फ्लोटिंग उद्योग																								
7.8	सार्वजनिक सुविधाएं और उपयोगिताएँ																								
7.9	थोक वयवसायक																								
7.10	यातायात और परिवहन																								
7.11	सेवा/ कुटीर उद्योग																								
7.12	विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/खतरनाक/ प्रदुषण कारक)																								
8	अस्थायी क्रियाए																								
8.1	साप्ताहिक बाजार		6																						

		आवासीय			व्यावसायिक				उद्योग	सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं			यातायात एंव परिवहन		मनोरंजन सुविधाएं		अन्य							कृषि	
		नि.क्षे.	ग्रा.आ.	आ.वा.	ख्रु/वा.कें.	भ्रण्डा	बा.स्ट्री.	थोक.बा./मं.	उ.	कार्य.	स्मृवि	उप	ब.	ठ्रं.	पा.क्री.स्थ.	भ्रू	नदी	जला-	न	शम/कब्री	सी फ़ा	ह.प	पहा	कृ-1	कृ-2 (एच.एफ.जेड)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8.2	अस्थायी सिनेमा , सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल,सभा स्थल	7	7	8					8		8	8													
8.3	वेन्डिंग जोन	6	6	6																					

नोटः- *ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित न हों।

**ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित हों।

⁕ रिंग रोड़ जॉन हेतु शासन से अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांत प्राप्त होने तक विभिन क्रियाओं की अनुमन्यता तथा भू आचहादन एवं एफ ए आर एच एफ जेड के समान रखे जाने का निर्णय बांदा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया गया है।

11.5 भू-उपयोग ज़ोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण

6. भू-उपयोग ज़ोन्स का निचले क्रम से उच्च क्रम एंव प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण

प्रभाव शुल्क से छूट	
गैर-व्यावसायिक गतिविधियां/उपयोग	1
सेवा एंव कुटीर उद्योग	2
संबंधित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	3

संकेत	
प्रभाव शुल्क लागू नहीं	
प्रभाव शुल्क देय नहीं	
प्रभाव शुल्क देय	

भू-उपयोग ज़ोन्स

विकासशील / अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में) →

↓	निर्मित क्षेत्र	कृषि,, हरित पट्टी (गीन वर्ज) पार्क, क्रीडास्थल 1	सार्वजनिक सुविधाएं 2	यातायात एंव परिवहन 3	औद्योगिक 4	आवासीय ग्रामीण आबादी सहित 5	कार्यालय 6	व्यावसायिक 7
1. कृषि,, हरित पट्टी (गीन वर्ज) पार्क, क्रीडास्थल								
2. सार्वजनिक एंव अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं		0.25 (1)				0.25 (1)		
3. यातायात एव परिवहन		0.30	0.10					
4. औद्योगिक		0.40 (2)	0.25 (2)	0.25 (2)				
5. आवासीय		0.50	0.40	0.40	0.40 (3)			
6. कार्यालय		1.00	0.75	0.75	0.75	0.50		
7. व्यावसायिक		1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	

टिप्पणी :

1. विभिन्न भू-उपयोग ज़ोन्स में अनुमन्य गतिविधियों / उपयोगों के लिए "प्रभाव शुल्क गुणांक" का मूल्य निर्धारित किया गया है जहां प्रभावशुल्क देय है।
2. अनुमन्य और सशर्त रूप से अनुमन्य गतिविधियों / उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत और विशेष अनुमन्य गतिविधियों / उपयोग हेतु प्रभाव शुल्क 50 प्रतिशत देय है। शुल्क का निर्धारण संबंधित भू-उपयोग क्षेत्र के लिए "प्रभाव शुल्क गुणांक" के मूल्य पर आधारित होगा। सूत्र के अनुसार :-

   2.1 सामान्य अनुमन्य और सशर्त रूप से अनुमन्य गतिविधियों के लिए: - भूखंड का क्षेत्रफल × सर्कल रेट × "प्रभाव शुल्क गुणांक" × 0.25

   2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य गतिविधियों के लिए - भूखंड का क्षेत्रफल × सर्कल रेट × "प्रभाव शुल्क गुणांक" × 0.50

   2.3 प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास बोर्ड के वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर एवं प्राधिकरण की दर न होने की दशा में भूमि क़े विध्यमान भू-उपयोग के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल दरों के आधार पर किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क की गणना के लिए उदाहरण

उदाहरण 1: अनुमति के लिए आवासीय उपयोग में नर्सिंग होम: भूखंड का क्षेत्रफल =350 वर्गमीटर विकास प्राधिकरण की वर्तमान क्षेत्र दर = रु। 2000 प्रति वर्गमीटर प्रभार्य प्रभाव शुल्क- प्लॉट का क्षेत्रफल × सर्किल रेट × "प्रभाव शुल्क गुणांक" × 0.25 यानी 350x2000x0.25= 43,750 रुपये	उदाहरण-2: कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र में पेट्रोल पंप की विशेष अनुमति के लिए भूखंड का क्षेत्रफल = 500 वर्गमीटर कृषि भूमि का सर्किल रेट = रु. 200 प्रति वर्गमीटर प्रभार्य प्रभाव शुल्क- प्लॉट का क्षेत्रफल × सर्किल दर × "प्रभाव शुल्क गुणांक" × 0.50 यानी 500x200x15x0.5 = रु.75,000

अनुलग्नक-1

फूटकर उपयोग के दुकानों की सूचि			
1	जनरल प्राविजन स्टोर	23	केबल टी वी संचालन वीडियों पार्लर
2	दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध ब्रेड मक्खन अण्डा आदि	24	प्लम्बर शॉप
3	सब्जी एंव फल	25	विद्‍युत उपकरण
4	फलों के जूस	26	हार्डवेयर
5	मिठाई एवं पेय पदार्थ	27	टायर पंचर की दुकाने
6	पान बीड़ी सिगरेट	28	साइकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
7	मेडिकल स्टोर क्लीनिक	29	कपड़े इस्तरी करना
8	स्टेशनरी	30	समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें
9	टाईपिंग फोटोस्टेट फैक्स आदि	31	लॉण्ड्री ड्राई क्लीनिंग
10	किताबें मैगजीन अखबार इत्यादि	32	दुग्ध उत्पाद घी मखन बनाना
11	खेल का सामान	33	प्रिंटिंग प्रेस तथा बुक बॉन्डिंग
12	टेलीफोन बूथ पीसीओ	34	सोना तथा चंडी का कार्य
13	रेडीमेट गारमेन्ट	35	जुते का फीता तैयार करना
14	ब्यूटी पार्लर	36	बढ़ई कार्य लोहार कार्य
15	सौन्दर्य प्रसाधन	37	साइन बोर्ड बनाना ;लोहे के बोर्ड को छोड़ केद्ध
16	हेयर ड्रेसिंग	38	फोटो प्रिंटिंग
17	टेलरिंग व बुटीक	39	जूता मरम्मत
18	घड़ी मरम्मत	40	विद्‍युत् उपकरणों की मरम्मत
19	घडी पेन चश्मे की मरमत	41	बेकरी कन्फेक्शनरी
20	कढ़ाई.बुनाई एंव पेन्टिंग	42	साइबर कैफे
21	अट्टा चक्की ;१० अश्व शक्ति	43	समरूप सेवा उद्योग
22	फर्नीचर		

अनुलग्नक. 1क

<u>दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची</u>

<u>;अधिकतम आच्छादन 1500 वर्ग मी0</u>

1	जनरल प्रोविज़न स्टोर	6	मेडिकल स्टोर क्लिनिक
2	दैनिक उपयोग की वस्तुए यथा दूध ब्रेड मखन अंडा आदि	7	ब्यूटी पार्लर
3	सब्ज़ी एवं फल	8	हेयर ड्रेसिंग
4	फलो के जूस	9	कपडे इस्त्री करना
5	पान बीड़ी सिगरेट		

नोट:. मूल क्रिया के भवन हेतु निर्धारित अग्र सेट.बैक को छोड़ने के उपरांत ही उपरोक्त वर्णित दानिकक उपयोग की दुकाने निर्मित की जा सकेगी।

अनुलग्नक .2

निर्मित अर्द्ध निर्मित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची:-

5 हार्स पावर तक

1	लाण्ड्री ड्राई.क्लीनिंग	11	घड़ी पेन चश्में की मरम्मत
2	टी०वी० रेडियों आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत	12	साइन बोर्ड बनाना ;लोहे के बोर्ड को छोड़कर
3	दुग्ध उत्पाद घी मक्खन बनाना	13	फोटो फ्रेमिंग
4	मोटर कार मोटर साईकल स्कूटर साईकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत	14	जूता मरम्मत
5	प्रिटिंग प्रेस तथा बुक बाइण्डिंग	15	विद्युत उपकरणों की मरम्मत
6	सोना तथा चाँदी का कार्य	16	बेकरी कन्फेक्शनरी
7	कढ़ाई एवं बुनाई	17	आटा चक्की 10 अश्व शक्ति तक
8	जूते का फीता तैयार करना	18	फर्नीचर
9	टेलरिंग व बुटीक	19	समरूप सेवा उद्योग
10	बढ़ई कार्य लौहार कार्य	20	साइबर कैफे

अनुलग्नक .3

व्यावसायिक क्षेत्र मे अनुमन्य प्रदुषणमुक्त लघु उद्योगों की सूचि

10 हॉर्स पावर तक

1	आटा चक्की	22	सूत कताई व बुनाई
2	मूंगफली सुखाना	23	रस्सियाँ बनाना
3	चिलिंग	24	दरियाँ बनाना
4	सिलाई	25	कूलर तैयार करना
5	सूती एंव ऊनी बुने वस्त्र	26	साईकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
6	सिले वस्त्रों का उद्योग	27	वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
7	जूते का फीता तैयार करना	28	इलैक्ट्रानिक्स उपकरण तैयार करना
8	सोना तथा चांदी तार एवं जरी का काम	29	खिलौने बनाना
9	चमड़े क जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो।	30	मोमबत्ती बनाना
10	शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना	31	आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
11	संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना	32	तेल निकालने का कार्य; शोधन का छोड़कर
12	खेलों का सामान	33	आईसक्रीम बनाना
13	बांस एवं बेंत उत्पाद	34	मिनरल वाटर
14	कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद	35	जॉबिंग एवं मशीनिंग
15	इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर	36	लोहे के संदूक तथा सूटकेस
16	विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र	37	पेपर पिन तथा यू क्लिप
17	स्टील एवं लकड़ी के साज.सज्जा सामान	38	छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
18	घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना	39	चश्में के फ्रेम
19	रेडियो टी०वी० बनाना	40	हथ करघा
20	पेन घड़ी चश्में की मरम्मत	41	समरूप प्रदूषण रहित उद्योग
21	सर्जिकल पटियां		